(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 4] सप्तम् विधान सभा के चतुर्थ सत्र का छठा दिवस [संख्या 4

वृहस्पतिवार

दिनांक 25 फरवरी, 1982

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनम चन्द बिश्नोई, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री सुजानसिंह।

ग्राम मांढन (बहरोड़) में पशु चिकित्सालय खोलना

62. श्री सुजानसिंह यादव (बहरोड़): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या राज्य सरकार का ग्राम मांढन, तहसील बहरोड़ में पशु चिकित्सालय खोलने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुपालन मंत्री (श्रीमती कमला) : ग्राम मांढन में वर्तमान में एक पशु औषधालय कार्यरत है। वर्ष 1981-82 में गैर मरु क्षेत्रों के लिये पशु चिकित्सालयों का कोई प्रावधान नहीं है। वर्ष 1982-83 में बजट प्रावधान पर निर्भर करेगा।

श्री सुजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदया का ध्यान इस ओर आकर्षित कर विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में मांढन कस्बा है जिसके आसपास कई गांव हैं और उसके पास ही हरियाणा का इलाका पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, करीब 40-50 गांव हैं जहां कोई पशु चिकित्सालय नहीं है। ऐसी परिस्थिति में पशुओं के लिये औषधालय होना बहुत आवश्यक है इसलिये मेरा मन्त्री महोदय से बड़े ही विनम्र शब्दों में यह निवेदन है कि वहां की स्थिति को देखते हुए एक पशु औषधालय खोलने का अगर विचार किया जाता है तो वहां के गांव के लोगों को अत्यधिक फायदा होगा।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने अपना सवाल किया उसके बारे में मेरा यही निवेदन है कि वर्तमान में जो पशु चिकित्सालय खोले गये थे वह सिर्फ डेजर्ट एरिया में ही खोले गये थे। वहां पर पशु चिकित्सालय खोलने पर जो खर्चा आता है उसका आधा खर्चा भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इसके अलावा नोन डेजर्ट एरिया के लिये राज्य सरकार के बजट में 81-82 में कोई पशु चिकित्सालय खोलने का प्रावधान नहीं है। अगर अगले साल के बजट में प्रावधान हुआ तो माननीय सदस्य ने जो कहा है उनके आदेशों की पालना की जायेगी। अगर

(श्रीमती कमला)
अगले साल बजट में प्रावधान नहीं हुआ तो मैं मजबूर हूं।

श्री भैरूंलाल : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मन्त्री महोदया ने बताया कि इस साल नोन डेजर्ट एरिया में पशु चिकित्सालय खोलने के लिये प्रावधान नहीं है तो मेरा निवेदन यह है कि क्या ऐसे एरिया में पशुओं को नुकसान नहीं पहुंचे इस दृष्टि से अगले साल बजट में प्रावधान करने की व्यवस्था करेगी ?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, राज्य में पशु चिकित्सालय जो हैं उनकी मात्रा को देखें तो जो मापदण्ड भारत सरकार द्वारा रखा गया है पशु चिकित्सालय खोलने के लिये उसके अनुपात में हमारे राजस्थान में पशु चिकित्सालय खोलने की बहुत अधिक आवश्यकता है। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारी जरूरतें होते हुए भी राज्य में बजट प्रावधान नहीं होने के कारण पशु चिकित्सालय नहीं खोले जा सकते हैं। अगर बजट प्रावधान हो तो खोला जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री कैलाश मेघवाल।

आयुर्वेद विभाग में फर्जी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर नौकरी प्राप्त करने के मामलों में जांच

63. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1979-80 में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के आयुर्वेद रत्न की उपाधि के आधार पर धात्री एवं उप वैद्यों की सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान राजकीय धात्री उप वैद्य संघ के प्रान्तीय संयुक्त मन्त्री श्री नारायणलाल दाधीच ने आयुर्वेद रत्न के फर्जी प्रमाण-पत्र पेश कर नौकरी प्राप्त करने वाले लोगों की सूची प्रस्तुत कर जांच की मांग की है ? यदि हां, तो उस शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) क्या इससे पूर्व भी आयुर्वेद रत्न के फर्जी प्रमाण-पत्र पेश कर नौकरी प्राप्त करने वालों के बारे में जांच की गई थी ? यदि हां, तो कब और उसके क्या परिणाम रहे ?

उप-मन्त्री, आयुर्वेद (श्रीमती कमला भील) : (1) जी हां। कल्पद एवं धात्री की सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की गई थी।

(2) संघ ने अगस्त, 1980 में वार्ता के दौरान कहा था कि जिन 48 लोगों के प्रमाण-पत्र संदिग्ध हैं, उनमें आगे जांच की जावे। जांच की कार्यवाही के फलस्वरूप संदिग्ध पाये गये प्रमाण-पत्रों में से सात व्यक्तियों की नियुक्ति समाप्त कर दी गई एवं दो व्यक्तियों ने स्वेच्छा से राज्य सेवा से त्याग-पत्र दे दिया एवं एक व्यक्ति जो चतुर्थ श्रेणी पद के कल्पद पर नियुक्त किया गया था उसे पुन: पदावनत कर दिया गया।

(3) जी हां। वर्ष 1979 से पूर्व जिन आशार्थियों ने आयुर्वेद रत्न की उपाधि के आधार पर आयुर्वेद विभाग में नियुक्ति प्राप्त की थी, उनके सम्बन्ध में 1979 में ही

(श्रीमती कमला भील)
विभाग द्वारा जांच प्रारम्भ कर दी गई थी। उसी जांच के क्रम में पैरा दो में व्यक्त कार्यवाही भी की गई।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर जिन लोगों को नियुक्ति दी गयी क्या ऐसे फर्जी प्रमाण-पत्र पेश करने वालों के विरुद्ध पुलिस में कोई रिपोर्ट पेश की गई या कोई उनके खिलाफ में कानूनी कार्यवाही की गई ? सवाल नम्बर एक। सवाल नम्बर दो, क्या यह बात जानने की भी कोशिश की गई, फर्जी प्रमाण-पत्र जिन लोगों ने पेश किये उन फर्जी प्रमाण-पत्रों का उद्गम कहां से था ? क्या यह सही है कि फर्जी प्रमाण-पत्र देने का उद्गम श्री गोकुलेन्द्र शर्मा खुद ही थे जिन्होंने भ्रष्टाचार के तरीके अपना कर लोगों को फर्जी प्रमाण-पत्र देकर उन्ही लोगों को नियुक्तियां दीं ?.

चिकित्सा मन्त्री (श्री छोगालाल कंवरिया) : अध्यक्ष महोदय, कल्पद और धात्री के पदों पर 77–79 में 80 लोगों को नियुक्तियां दी गईं थीं उसके बाद में 1980 में कुछ के खिलाफ में लोगों ने शिकायतें कीं। जब उन शिकायतों की जांच की गई तो कुछ लोगों के फर्जी प्रमाण-पत्र पाये गये। उसके फलस्वरूप सात व्यक्तियों की तो सेवायें समाप्त कर दी गईं, दो लोग नौकरी छोड़ कर चले गये और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से पदोन्नत किया गया था उसको वापस पदावनत कर दिया गया। इस प्रकार कुल दस व्यक्ति थे उनके लिये यह कार्यवाही की गयी थी। इसके अलावा विभाग में जांच चल रही है। अब जो दूसरा सवाल माननीय सदस्य ने उठाया कि फ़र्जी सर्टिफिकेट आने का उद्गम कौनसा है, उसके बारे में जांच उस वक्त क्यों नहीं की गयी। उसके बारे में जानकारी करके कार्यवाही की जावेगी। जहां तक सवाल फर्जी सर्टिफिकेट का है उनकी जांच कराई गई तो उस जांच के दौरान में सर्टिफिकेट्स दस लोगों के फर्जी पाये गये। जहां तक सवाल आपने यह किया कि डाइरेक्टर, आयुर्वेद विभाग श्री गोकुलेन्द्र ने खुद ने दिये हैं तो इसकी कोई शिकायत विभाग के पास नहीं है।

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है और चिकित्सा मन्त्री महोदय ने जवाब दिया है उसके लिये मेरा यह निवेदन है कि हमने हस्ताक्षर करके दिये और हमने साबित भी कर दिया कि श्री गोकुलेन्द्र शर्मा ही उन सर्टिफिकेट्स को देने का उद्गम है। हमने रसीदें तक प्रस्तुत की हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस दल के सदस्यों ने भी शिकायत की है।

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस (आई) के 21 माननीय सदस्यों ने हस्ताक्षर करके मन्त्री महोदय को शिकायत की है। अखबारों में भी आया है। आप चाहें तो 'अधिकार' अखबार देख लें उसमें छपा हुआ है यह सारा।

(व्यवधान)

(५)

(श्री दीपेन्द्रसिंह)

अध्यक्ष महोदय, लोगों से जो पांच-पांच हजार रुपया श्री गोकुलेन्द्र ने लिया था उनको वापस पांच-पांच हजार रुपया दिया गया था, यह साबित हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, इसकी एन्टी करप्शन विभाग में जांच चल रही है। आप चाहें तो जांच करा लें। कांग्रेस के 21 एम.एल.एज. ने हस्ताक्षर करके शिकायत की है। मन्त्री महोदय श्री गोकुलेन्द्र से मिल गये हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात नहीं है कि श्री गोकुलेन्द्र शर्मा इसमें दोषी हैं।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि प्रभारी मन्त्रीजी ने जो जवाब दिया है वह सही नहीं दिया। उन्होंने फर्जी प्रमाण-पत्र कहां से आये उसके लिये कोई कार्यवाही पता लगाने की नहीं की और न ही कोई कानूनी कार्यवाही की गई। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस 'आई' के 21 विधायकों ने श्री गोकुलेन्द्र के खिलाफ में फर्जी प्रमाण-पत्र जारी करने का स्पष्ट आरोप लगाया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि फर्जी प्रमाण-पत्र देकर उन्होंने खुद ने लोगों को नियुक्तियां दी हैं। मन्त्री महोदय ने श्री गोकुलेन्द्र के खिलाफ में कोई कार्यवाही नहीं की।

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, जिन कर्मचारियों को नियुक्तियां दी गई थीं उनसे पांच-पांच हजार रुपये जो लिये गये थे वह उनको वापस करने पड़े। बड़े शर्म की बात है कि इतना सभी कुछ साबित हो जाने पर भी उनके खिलाफ में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। कांग्रेस 'आई' के 21 माननीय सदस्यों ने हस्ताक्षर किये हैं। इसमें बहुत ही गड़बड़ी है। मैं समझता हूं इससे बड़ा कोई धोखा नहीं हो सकता। अब आजकल में डी. पी. सी. होने जा रही है और श्री गोकुलेन्द्र को डी. पी. सी. में क्लीयर कर दिया जायेगा। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा कोई षडयन्त्र नहीं हो सकता कि उनको डी. पी. सी. में क्लीयर कर दिया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री छोगालाल कंवरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। यह नियुक्तियां 77 से लेकर 79 तक हुई हैं...

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह : हमारे सारे दस्तखतों से दिये हुये ज्ञापन को पी गये हैं, मामले को दबा दिया गया है। आज उस आदमी का कन्फर्मेशन होने वाला है। आज डी.पी.सी. बैठने वाली है, आज उस डाइरेक्टर को पक्का बनाया जा रहा है। मंत्री महोदय उससे मिल चुके हैं। यह सारा का सारा षड़यन्त्र है। मैं आपसे मांग करना चाहूंगा कि एक न्यायिक आयोग से सारे मामले की जांच कराई जाये...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं अवसर दूंगा माननीय सदस्यों को।

श्री दीपेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, न्याय की कोई सम्भावना नहीं रही है। हम कहते हैं, हम लिख कर देते हैं और यह कहते हैं कि नहीं दिया है। लोगों के पास सबूत है, अखबारों में फोटोस्टेट कापी छपी है। हम विज्ञापन के लिए मना नहीं कर सकते। हम 21 विधायकों ने चौड़े आम लिख कर दिया है। मैं खुद देकर आया हूं। यह मना कैसे कर सकते हैं। आज डी. पी. सी. बैठने वाली है और उनका कन्फर्मेशन होने वाला है। सारा का सारा षड्यन्त्र है...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : यह कैसे कहते हैं कि नहीं दिया है ?...

श्री दीपेन्द्रसिंह : मैं स्वयं देकर आया हूं। यह सारे मामले को दबा रहे हैं...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं सभी माननीय सदस्यों को पूछने का अवसर दूंगा। उसके पश्चात माननीय सदस्य पूरक प्रश्न पूछना चाहेंगे तो मैं अवसर दूंगा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : 21 विधायकों के हस्ताक्षर थे। कंवरिया साहब को पत्र लिखा गया है। इसकी फोटोस्टेट कापी मेरे पास है। मैं इसको सदन की मेज पर रखना चाहता हूं आपकी आज्ञा से। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय यह पत्र मिलने के बाद भी मना कर रहे हैं। यह फोटोस्टेट कापी है इसे सदन की मेज पर रखना चाहता हूं आपकी आज्ञा से...

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : 2200 वैद्यों के ट्रान्सफर किये हैं जिसमें आपने मिलकर पैसे खाये हैं...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : XXX यह मेरा चार्ज है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं। माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है उसके बारे में मंत्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं। कृपया स्थान ग्रहण करें। व्यवधान उपस्थित नहीं करें। मैं आपको अवसर दूंगा।

श्री छोगालाल कंवरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस शिकायत के बारे में माननीय सदस्यों ने कहा कि श्री गोकुलेन्द्र शर्मा के खिलाफ ऐसी शिकायत पेश की गयी। जो नियुक्ति वाली है यह 77 और 79 की हैं। उस समय श्री गोकुलेन्द्र शर्मा डाइरेक्टर नहीं थे। मेरे वक्त में वैसे श्री गोकुलेन्द्र शर्मा के खिलाफ कुछ माननीय सदस्यों ने शिकायतें पेश की हैं, मैं इस बात से इन्कार नहीं करता। उसकी जांच भी जारी है। जांच होने पर यदि मौजूदा डाइरेक्टर श्री गोकुलेन्द्र दोषी पाये गये तो उनको जरूर सजा दी जायेगी।

XXX अभिव्यक्तियां माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(6)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपने 2200 वैद्यों के ट्रांसफर किये हैं और XXX

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक सप्लीमेन्ट्री···

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, जब फर्जी प्रमाण-पत्र पकड़े गये हैं तो फिर जांच किस बात की कर रहे हैं। उसको नौकरी से निकाल दिया गया है लेकिन जिसने फर्जी प्रमाण-पत्र जारी किये उसके खिलाफ क्या किया ?

श्री अध्यक्ष : यदि आप जनरल प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मैं एक माननीय सदस्य को एक-एक पूरक प्रश्न पूछने की इजाजत दूंगा वरना सदन का समय चला जायेगा। जो माननीय सदस्य पूछना चाहते हैं उनको देख लिया है।

श्री कैलाश मेघवाल : पुलिस को देने के बारे में क्या विचार है ?

श्री छोगालाल कंवरिया : पुलिस को नहीं देने का क्या कारण है, यह पूछ रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : पुलिस को क्यों नहीं दिया ?

श्री छोगालाल कंवरिया : मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि इसकी हमारे यहां जांच कर ली जायेगी। यह सोर्स मालूम हुआ कि किस सोर्स से ऐसे सर्टिफिकेट्स दिये गये इसकी जांच करवायी जावेगी। जो आरोप मेरे विरुद्ध लगाये गये हैं वह मिथ्या व गलत हैं।

एक माननीय सदस्य : XXX

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री छोगालाल कंवरिया :··जो शिकायतें मौजूदा निदेशक के खिलाफ की हैं उनकी तो जांच जारी है। जांच होने पर यदि वह दोषी पाये गये तो उनके खिलाफ अवश्य कार्यवाही की जायगी।

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक सप्लीमेन्ट्री।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सीधा सवाल है। माननीय प्रभारी मंत्री जी इसको समझ लीजिए। जिन लोगों ने फर्जी प्रमाण-पत्र पेश करके नौकरियां लीं और जिनसे राजस्थान की जनता ने आयुर्वेद का इलाज कराया उन्होंने यहां की जनता के साथ खिलवाड़ किया क्योंकि वह इस तरह का काम करने के पात्र नहीं थे। उन लोगों के खिलाफ क्या आप पुलिस में कार्यवाही करायेंगे ?

श्री छोगालाल कंवरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला 77 से 79 का है जिस समय जनता पार्टी का शासन था और यह कार्यवाही 1980 में हुई। जिन लोगों ने फर्जी सर्टिफिकेट पेश किये उनके खिलाफ तो कार्यवाही हो चुकी है। अब रहा यह कि पुलिस में उस समय क्यों नहीं रिपोर्ट की गयी तो इसको मैं अवश्य मालूम करूंगा और आवश्यकता अगर हुई तो अभी

XXX अभिव्यक्तियां माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री छोगालाल कंवरिया)
भी पुलिस में दिया जा सकता है इसकी जांच कराने के लिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जब यह तथ्य प्रमाणित हो गये कि फर्जी प्रमाण-पत्र दिये थे तो यह मामला 420 का बनता है तो फिर पुलिस को रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करवाई ?

श्री छोगालाल कंवरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मैंने बता दिया कि पुराने समय का मामला है, 77 से 79 का मामला है। अब उस समय क्यों नहीं दिया गया इसके कारणों की जांच की जायेगी। अभी ऐसे आसार नजर आये कि पुलिस में देने की आवश्यकता है तो अवश्य कार्यवाही की जायेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री यदुनाथ सिंह।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : मेरा प्रश्न है उसका जवाब अभी नहीं आया···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभी पूरक प्रश्न नहीं करें। काफी माननीय सदस्य पूछना चाहते हैं। मैंने एक-एक प्रश्न को पूछने की इजाजत दी है।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : माननीय मंत्री महोदय यह बतायें कि दो साल का पुराना केस होने से उसकी गम्भीरता कम हो जाती है क्या ? दूसरे, जब यह तथ्य सामने आये हैं तो पुलिस में क्यों नहीं दिया गया ? या तो उसमें आपकी दुर्भावना है या आप उनको बचाना चाहते हैं···

श्री छोगालाल कंवरिया : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया कि पहले ही सन् 80 में निर्णय हो चुका था और उस समय मैं नहीं था, यह जनता पार्टी के समय का मामला है। क्योंकि मेरे समय में यह प्रश्न पूछा गया है इसलिये मैंने जांच करवाई है। जांच के फलस्वरूप 7 व्यक्तियों की नियुक्ति समाप्त कर दी गयी है, 2 व्यक्तियों ने स्वेच्छा से राज्य सेवा से त्याग-पत्र दे दिया और एक व्यक्ति को पदावनत कर दिया गया है। अब यह किस सोर्स से हुआ, क्या हुआ और पुलिस को क्यों नहीं दिया गया इसके बारे में मैं जानकारी अवश्य कर लूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री यदुनाथ सिंह। वाद-विवाद नहीं होगा। मैं अवसर दे रहा हूं।

श्री कैलाश मेघवाल : आप कार्यवाही करके पुलिस को देंगे ?

श्री छोगालाल कंवरिया : उसमें आवश्यकता हुई और पुलिस का केस बनता है तो अवश्य पुलिस को दिया जायेगा।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय क्यों छिपा रहे हैं ? यह एफ. आई. आर. दर्ज करवायेंगे या नहीं, इसके बारे में गोलमाल बता दिया। श्री गोकुलेन्द्र शर्मा के खिलाफ 21 विधायकों की एक शिकायत मिली है उसमें कह रहे

(श्री यदुनाथ सिंह)
हैं कि जांच चल रही है इसलिए जब तक जांच चले · · ·

श्री अध्यक्ष : आप विषयान्तर हो रहे हैं। प्रश्न के बारे में पूछें।

श्री यदुनाथ सिंह : · · · इसकी जांच पूरी नहीं हो तब तक क्या आप उनका कन्फर्मेशन नहीं करेंगे ? जिसके खिलाफ इतने भयंकर चार्ज लगे हों और जिसने फर्जी प्रमाण-पत्र दिये हैं उनके खिलाफ जांच जब तक पूरी नहीं होगी, तब तक उनका कन्फर्मेशन नहीं करें। क्योंकि अभी डी. पी. सी. होने वाली है।

श्री छोगालाल कंवरिया : यह अलग से प्रश्न होना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह : अलग से कैसे है। इसी से रिलेटेड है। यह सारा गोलमाल करना चाहते हैं।

(व्यवधान)

×××

श्री अध्यक्ष : एक माननीय सदस्य को अवसर दे रहा हूं। बीच में आप दुबारा बोल रहे हैं तो सदन का समय चला जाता है और जो प्रश्न पूछना चाहते हैं वह नहीं पूछ पाते हैं।

श्री मेघराज । कोई नया प्रश्न होना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच की रिपोर्ट नहीं मिली। भ्रष्टाचार के चार्ज हैं और यहां कहा जा रहा है कि ग्राम चार्ज हैं। यह सरकार की भी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। यह कहा जा रहा है कि ×××यह सरकार की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। अगर ऐसी बात है तो उनको घोषणा करनी चाहिये, जब तक उसकी जांच न हो जाय उसको कन्फर्म करेंगे या नहीं ?

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : जब फर्जी 9 लोगों को नौकरी से निकाल दिया, प्रश्न आने के बाद मंत्री महोदय को मालूम हो गया था तो क्या कार्यवाही की ? उनके खिलाफ कार्यवाही करने की बजाय उनको कन्फर्म करने की क्या मंत्री महोदय की मंशा है ?

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर आ चुका है, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह।

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। किन-किन लोगों की शिकायत पर किस-किस स्तर पर गोकुलेन्द्र के खिलाफ जांच चल रही है, कब से और किन-किन मुद्दों पर जांच जारी है ? आज डी.पी.सी · ·

श्री अध्यक्ष : विषयान्तर हो रहे हैं; माननीय सदस्य। गोकुलेन्द्र शर्मा के बारे में कोई बात नहीं होगी · · ·

×××अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री दीपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, सारा मुद्दा वही है। आज डी.पी.सी. की मीटिंग होने वाली है, दास्तान होने वाली है उसका सारा मुद्दा वहीं से शुरू होता है। जिन व्यक्तियों को निकाला, पांच हजार प्रत्येक व्यक्ति को देना पड़ा। आज कन्फर्म किये जाने वाले हैं। अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट आश्वासन नहीं मिला। औरों की बात हम नहीं कहते, आज उस व्यक्ति को कन्फर्म किया जाने वाला है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय की मन्शा बनी हुई है। मंत्री महोदय बचा रहे हैं। सदन के सामने सारी स्थिति स्पष्ट हो गई। इसके बाद भी जवाब नहीं दिलाना चाहते हैं। यह बहुत अहम मसला है। बाहर लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आयुर्वेद के कम्पांउडर्स भूख हडताल पर हैं। एक आदमी ने आत्म-दाह की चेतावनी दी है। सारे मामले को नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता। क्या जब तक जांच चल रही हैं आप कन्फर्म नहीं करेंगे ?

श्री छोगा लाल कंवरिया : जो शिकायतें गोकुलेन्द्र के खिलाफ माननीय सदस्यों के द्वारा दी गई हैं व अन्य जितनी भी शिकायतें हैं उनकी विभाग में प्रारम्भिक जांच चल रही है। जो डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी चलती है वह अभी शुरू नहीं हुई है। अगर प्रारम्भिक जांच में मामला यह पाया जाय कि इन बातों पर आरोप सही है उसके बाद विभागीय कार्यवाही शुरू होगी। विभागीय कार्यवाही में दोषी पाये जायेंगे तो उनको अवश्य दण्ड दिया जायगा।

एक माननीय सदस्य : जब तक आप वे दोनों रिटायर हो जायेंगे।

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह : सारे मामले को गोल माल किया जा रहा है। आज फैसला होने वाला है। घोटाला है। आयुर्वेद विभाग साफ हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं। आत्म-दाह की धमकी दी है। स्पष्ट आश्वासन मिलना चाहिये ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर

श्री दीपेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस सारे मामले को दबाया जा रहा है।

श्री कैलाश मेघवाल : सदन को असत्य सूचना दी है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक पूरक प्रश्न पूछने की इजाजत दूंगा।

श्री दुलाराम।

श्री दुलाराम (रायसिंह नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, गत सैशन में आयुर्वेद मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि जांच में यह लोग दोषी पाये गये तो एक्शन लिया जायेगा। अगर वे दोषी पाये गये हैं तो जनता पार्टी द्वारा किये गये गलत कामों को बचाने का क्या फायदा है ?

श्री छोगालाल कंवरिया : श्री गोकुलेन्द्र के बारे में..

श्री दुलाराम : गोकुलेन्द्र के बारे में नहीं है, 9 को दोषी पाया है

श्री छोगालाल कंवरिया : अगर आपका प्रश्न नियुक्तियां दी गई उन व्यक्तियों से है तो..

(10)

श्री दुलाराम : मेरा एक निवेदन है। आप बिराजें।

इस सैशन के अन्दर जितने भी माननीय सदस्य बिराजे हैं उनका एक भ्रम है आप आफिसर्स और कर्मचारियों को बचा रहे हैं। आपकी खुद की सी.आर. खराब है। मेहरबानी करके इन्दिरा गांधी की छवि को अपनी सी.आर. से धूमिल मत कीजिये। स्पेसिफिक बता दीजिये, कोई कर्मचारी या अधिकारी दोषी है? निष्पक्ष जांच कराइये, उसमें कोई एतराज नहीं है।

श्री छोगालाल कंवरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो आरोप मेरे ऊपर लगाये हैं वह सत्य नहीं है।

एक माननीय सदस्य : सी. आर. ठीक है, इसका जवाब दो।

श्री छोगालाल कंवरिया : मैं उसका जवाब दे रहा हूं।

श्री दुलाराम : आप इनकी सी. आर. मंगा कर देख लीजिये, उसमें करप्शन के चार्जेज हैं। कलेक्टर ने जांच की है। कम्पलसरी रिटायर किया है, ऐसा मैंने सुना है..

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर यह सही है तो माननीय मंत्री महोदय को त्याग-पत्र दे देना चाहिये...

(व्यवधान)

श्री छोगालाल कंवरिया : इस आरोप का जवाब देना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विषयान्तर हो रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री छोगालाल कंवरिया : आपका भ्रम है। आगे चलकर स्वेच्छा से रिटायरमेंट लिया है।

एक माननीय सदस्य : यह मिनिस्टर के नाम पर कलंक है।

श्री छोगालाल कंवरिया : यह XX आरोप है। यह बिल्कुल गलत आरोप है।

(व्यवधान)

यह आपका XX आरोप है।

श्री दीपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, XX शब्द

श्री अध्यक्ष : XX शब्द एक्सपंज किया जाये। अगला प्रश्न।

श्री दीपेन्द्र सिंह : आरोप लग रहे हैं, भ्रष्टाचार है। उसकी जांच नहीं हुई, उनको कन्फर्म किया जा रहा है...

श्री अध्यक्ष : श्री राज बहादुर।

श्री राज बहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से, सरकारी पक्ष से जानना चाहता हूं कि इस मामले की गम्भीरता को देखते हुए, आरोपों को देखते हुए क्या वे इस सदन के अपनी ही पार्टी के सदस्यों की समिति से जांच कराने को तैयार हैं?

(व्यवधान)

XX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

एक माननीय सदस्य : यह उनसे मिले हुए हैं।

श्री दीपेन्द्रसिंह : डिपार्टमेंट से कोई जांच की उम्मीद नहीं है। विधायकों की समिति से जांच करा लीजिये, सारी स्थिति स्पष्ट हो जायेगी. . .

(व्यवधान)

श्री छोगालाल कंवरिया : अध्यक्ष महोदय, यह आरोप मेरे ऊपर लगाया है यह सर्वथा गलत है और अनुचित है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री दीपेन्द्रसिंह : विधायकों की समिति से जांच करा लीजिये वरना यह मामला टाला जा रहा है. . .

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर ! अगला प्रश्न।

श्री दीपेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, आप विधायकों की समिति से जांच करवा लीजिये आप स्वयं इस सारे प्रकरण को देख लीजिये। XXXमंत्री महोदय पूर्ण रूप से इनको बचाने में लगे हुए हैं।

(व्यवधान)

जब तक विपक्ष जांच नहीं होगी तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है।

श्री छोगालाल कंवरिया : मैं, अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पहले मेरे ऊपर जो पर्सनल चार्ज लगाया गया है मैं उसका स्पष्टीकरण दूं। मैं माननीय सदस्य को यह बता देना चाहता हूं कि. . .

(व्यवधान)

श्री दूलाराम : आप मंगवा लीजिये, मंगवा लीजिये, मंगवा लीजिए। आप इन्दिरा गांधी पर कलंक हैं।

श्री छोगालाल कंवरिया : कभी भी मेरी जांच नहीं हुई। निरन्तर मैं पदोन्नति पर गया हूं और सलेक्शन ग्रेड आर.ए.एस. से स्वेच्छा से रिटायर्ड हुआ हूं। यह आरोप गलत है क्योंकि सर्विस में मैं खुद रह चुका हूं इसलिए शील्ड कर रहा हूं। यह आरोप बिल्कुल गलत है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कोई भी दोषी अधिकारी पाया गया तो कभी उसको शील्ड नहीं किया जायगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय पर बहुत आरोप लगाये गये हैं। यह बहुत अन्याय होगा कि मंत्री महोदय को आरोपों का स्पष्टीकरण करने का मौका न दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : दे दिया गया वह।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सुना नहीं है वह। इसलिये जो आरोप माननीय दूलारामजी ने लगाये हैं उनका स्पष्टीकरण माननीय मंत्री महोदय करना चाहें तो स्पष्टीकरण का मौका उनको दिया जाय।

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री दुलाराम : मैंने मंत्री पर नहीं लगाया है। मैंने उनकी सी. आर. की बात की है, मंत्री जी के भ्रष्टाचार की बात नहीं की। मैंने सी. आर. की बात की है। सी. आर. तो आपकी और मेरी भी खराब हो सकती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी सी. आर. खराब होगी, उसकी मुझे कोई चिन्ता नहीं है। आखिर सी. आर. की बात को लेकर आरोप लगाये हैं तो मंत्री महोदय स्पष्टीकरण तो करें।

श्री छोगालाल कंवरिया : मैंने स्पष्टीकरण कर दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इनके ऊपर गम्भीर आरोप है। इसलिये निवेदन करना चाहता हूं स्पष्टीकरण कर दें।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : मंत्रियों की कोई सी. आर. नहीं होती है।

श्री अध्यक्ष: स्पष्टीकरण दे दिया, आगे और कुछ कहना चाहते हैं क्या ?

अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : तब तक उसको कनफर्म नहीं किया जाय...

श्री मेघराज तावड़ : कनफर्मेशन न हो, यह आश्वासन दिलाया जाय।

(व्यवधान)

यह भी मंत्री महोदय से घोषणा करवाई जाय।

श्री अध्यक्ष : मैं, माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, मैंने बार बार निवेदन किया कि माननीय सदस्य विषय से हट गये हैं। प्रश्न था, कुछ लोगों ने फर्जी सर्टिफिकेट अथवा प्रमाण पत्र लेकर नियुक्तियां प्राप्त कर ली हैं। इसके पीछे कौन था, कौन नहीं था। वर्तमान में जो डायरेक्टर हैं उनकी क्या इन्क्वायरी चल रही है –यह विषय नहीं था। अब इस पर और अधिक चर्चा नहीं हो सकती है। अगर डाइरेक्टर, आयुर्वेद विभाग के खिलाफ कुछ कहना चाहते हैं,तो सदन में इसके नियम बने हुए हैं उन नियमों के अन्तर्गत इसको उठाया जा सकता है। काफी समय हो गया है, 25 मिनट लग गये, काफी प्रश्न बचे हुए है। इसलिये मैं माननीय सदस्यों का सहयोग चाहूंगा कि वे सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ायें। मैं अब माननीय नन्द लाल मीणा को पुकारता हूं, आप प्रश्न पूछे लें।

बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वास की योजना

64. **श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) :** क्या एकीकृत ग्रामीण विकास एवं विशिष्ट योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि माननीय केन्द्रीय श्रम मंत्री, भारत सरकार ने राज्य सरकार को गत सितम्बर, 1981 में निर्देश दिये थे कि राज्य के बन्धुआ मजदूरों को फरवरी, 1982 तक बसाने की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाये ?

(2) क्या राज्य के बन्धुआ मजदूरों का सर्वेक्षण पूर्ण कर लिया गया है ? यदि हां, तो कृपया सर्वेक्षण में पाये गये बन्धुआ मज-

(श्री नन्दलाल मीणा) दूरों की संख्या की सूची, जिलेवार, सदन की मेज पर रखें।

(3) सर्वेक्षण में पाये गये बन्धुआ मजदूरों में से कितनों को मुक्त करवाया गया है और बन्धक रखने वालों के विरुद्ध क्या कोई कानूनी कार्यवाही की गयी है? यदि हां, तो कितनों के विरुद्ध ?

(4) बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए बनायी गयी योजना भारत सरकार को कब प्रस्तुत की गई एवं भारत सरकार ने कितनी राशि राज्य के बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिये स्वीकृत की ?

(5) राज्य सरकार द्वारा बन्धुआ मजदूरों को किस योजना के अन्तर्गत बसाया जा रहा है तथा अब तक कितने बन्धकों को बसाया गया है ?

एकीकृत ग्रामीण विकास एवं विशिष्ट योजना मंत्री (श्रीमती कमला) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न को आज ही प्रश्न काल के अन्तिम समय में ले लें क्योंकि जो महत्वपूर्ण जानकारी चाही गई थी वह अभी मुझे नहीं मिली है और कुछ ही समय बाद मिलने वाली है इसमें कुछ समय लगेगा, अतः प्रश्नों के अन्तिम समय में पूछ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : बाद में पूछने का अवसर मिलेगा।

श्री राज बहादुर।

शहरी एकीकृत विकास योजनान्तर्गत नगरों अथवा कस्बों का चयन

65. श्री राज बहादुर (भरतपुर) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या 11 नगरों के विकास पर 11 करोड़ रुपये व्यय करने की शहरी एकीकृत विकास योजना बनाई गयी है ? यदि हां, तो उक्त नगरों के विकास की क्या रूपरेखा है ?

(2) यह धनराशि किन किन नगरों की किन-किन योजनाओं पर लगाई जायेगी ?

(3) जिन नगरों अथवा कस्बों को इस योजना के अन्तर्गत लिया गया है उनके चयन का आधार अथवा नियम क्या है और प्रत्येक खण्ड में कितने-कितने नगर अथवा कस्बे इस योजना के अन्तर्गत चयन किये गये हैं ?

राज्य मंत्री, नगर आयोजना (श्री चेतराम मीणा) : (1) केन्द्रीय प्रवर्तित लघु एवं मध्यम कस्बों के एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत राज्य में 10 कस्बों का चयन किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत भूमि का आवासीय एवं व्यावसायिक उपयोग हेतु विकास करना, विभिन्न प्रकार की सुविधायें उपलब्ध कराना, ट्रैफिक व आवागमन के साधन बनाना, वातावरण सुधार करना, जल वितरण, सीवरेज नालियां इत्यादि बनाना तथा पार्क एवं खेल के मैदान इत्यादि का विकास करना है। जिन 10 कस्बों की स्वीकृति भारत सरकार से अब तक प्राप्त हुई है उनमें, कुल 6.98 करोड़ रुपये व्यय करने की योजना है।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(श्री चेतराम मीणा)

(3) भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार इस परियोजना में केवल उन लघु एवं मध्यम कस्बों को लिया जावेगा, जिनकी जनसंख्या 1971 की जनगणना के अनुसार एक लाख या इससे कम है। जिला मुख्यालय कस्बे को चयन करने में प्राथमिकता दी जावेगी, उसके बाद उप खण्ड स्तर के कस्बे को और फिर मण्डी व अन्य महत्वपूर्ण विकास केन्द्र वाले कस्बों को लिया जाना है। ये इस तरह से चुने जावेंगे कि इनके विकास से आस पास के बड़े शहरों में आबादी का जाना रोका जा सके।

अब तक जोधपुर डिवीजन में 4 नगर, बीकानेर में 2 नगर, अजमेर में 1 नगर, उदयपुर में 2 नगर तथा कोटा में 1 नगर इस योजना के अन्तर्गत चयनित किया गया है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री राज बहादुर : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं जो विकास की योजनायें बनाई जा रही हैं उनमें जो पर्यावरण दूषित हो गया है उसे ठीक करेंगे क्या? सीवरेज और ड्रेनेज की व्यवस्था की जा रही है क्या? कुल राशि से एम्पलायमेंट कितना पैदा होगा?

श्री चेत राम मीणा : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया पार्ट वन में, जल वितरण, सीवरेज आदि बनाना, यह इस खण्ड में निवेदन कर दिया गया था।

श्री राज बहादुर : सीवरेज सिस्टम अलग है....।

श्री चेतराम मीणा : सीवरेज सिस्टम में ही नालियां आदि बनेंगी।

श्री राज बहादुर : मेरा निवेदन है, खुले हुए सन्डासों से जो हरिजन भाई अपने सिर पर मैला ले जाते हैं इस प्रथा को दूर किया जायगा या नहीं?

श्री चेतराम मीणा : इस योजना में सब शामिल हैं।

श्री राजबहादुर : जो चयन किया गया है वह खण्डों के आधार पर किया गया है या जनगणना के आधार पर किया गया है अथवा पर्यटन आकर्षण के आधार पर किया गया है? किस आधार पर किया गया है, मैं यह पूछना चाहता हूं? जैसे जयपुर डिवीजन में 8 जिले हैं और लगभग 50 ऐसे शहर हैं उनमें से केवल एक लिया है लेकिन मैं जानना चाहता हूं जो सबसे बड़ी आबादी के दबाव का सवाल है जैसे दिल्ली, आगरा आदि नगर वैसे इनमें से कौन कौन से नगर आते हैं जिनका चयन इस दबाव को कम करने के लिये किया गया है?

श्री चेतराम मीणा : जैसा मैंने निवेदन किया जोधपुर में चार, पाली, सुमेरपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में 2, चूरू एवं गंगानगर अजमेर में 1, सीकर उदयपुर में 2, भीलवाड़ा एवं नाथद्वारा एवं कोटा में 1 बारां, ये राजस्थान के विकास के लिये बनाये गये हैं। राजस्थान के शहरों की योजना और दिल्ली या किसी अन्य राज्य की राजधानी के लिये नहीं है।

श्री राजबहादुर : चूरू के विकास के मुकाबले में किस नगर पर दबाव कम

(श्री राजबहादुर)
होगा ? आपने कहा, बड़े नगरों पर दबाव कम होगा आबादी का तो क्या उसमें जैसलमेर आ रहा है या कौनसा आ रहा है ?

श्री चेतराम मीणा : जैसा कि मैंने निवेदन किया जैसलमेर और बाड़मेर ये दोनों जोधपुर के नजदीक हैं।

श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी)। यह आपकी गलतफहमी है। जोधपुर के नजदीक तो पीपाड़ और बिलाड़ा है।

श्री चेतराम मीणा : जैसा मैंने निवेदन किया, प्राथमिकता पहले डिवीजन को दी जायगी। उसके बाद सब डिवीजनों को दी जायगी। उसके बाद मण्डी अथवा महत्वपूर्ण केन्द्रों को दी जायगी। जो योजना बना कर भेजी है केन्द्र सरकार ने, उसी के अनुसार चयन किया है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री दाऊ दयाल जोशी व श्री हीरा लाल आर्य।

शिव तहसील में बेदखल शरणार्थियों का पुनर्वास

66. श्री दाऊ दयाल जोशी (दीगोद) श्री हीरालाल आर्य (पीपलदा) : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1971 में भारत-पाक युद्ध के समय इरसानी आदि से आये शरणार्थियों को बाड़मेर की शिव तहसील में बसाया गया था तथा उन्हें कृषि भूमि आवंटित की गई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि हाई कोर्ट के आदेशानुसार कई शरणार्थियों को उक्त जमीन से बेदखल कर दिया गया है जिससे उनकी समस्यायें बढ़ गई हैं ?

(3) सरकार द्वारा उक्त बेदखल शरणार्थियों को पुनः बसाने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-मन्त्री, पुनर्वास (श्री दिनेश डांगी) : (1) जी हां।

(2) तहसील शिव की 7 रिटों से सम्बन्धित 12 शरणार्थी परिवारों को माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णय के अनुसार आवंटन निरस्त करने के कारण बेदखल किया गया है।

(3) इन बेदखल शरणार्थियों को अभी पुनः दूसरी भूमि आवंटन नहीं हुई है। इस सम्बन्ध में जिलाधीश, बाड़मेर को जिला बाड़मेर में ही अन्यत्र भूमि आवंटन करने हेतु लिखा जा चुका है।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, बेदखल किये गये जो लोग हैं, इनको जब तक दूसरी भूमि आवंटित नहीं की जाती, तब तक क्या उन्हें जीवन निर्वाह के लिये निर्वाह भत्ता दिया जा रहा है ? क्या सरकार इसकी व्यवस्था करेगी ?

श्री दिनेश डांगी : जब भूमि आवंटन हो गया तो निर्वाह भत्ता बन्द कर दिया। दूसरी जमीन देने की कोशिश कर रहे हैं। यदि बाड़मेर में भूमि नहीं मिली तो इनको दूसरी जगह राजस्थान के नाम पर बसाया जायेगा। वहां के स्थानीय लोगों से पहले इनको नहीं दी जा सकती। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई भूमि दी जाय। अगर यह नहीं हो सका तो भारत सरकार को लिखा जायेगा।

(16)

श्री हीरालाल आर्य : जब तक उनको दूसरी जमीन नहीं मिलती तब तक उनके निर्वाह के लिये क्या किया जा रहा है ?

श्री दिनेश डांगी : भारत सरकार के नियमों के अन्तर्गत उनको लिया जाता है। भारत सरकार अगर पर्मीशन नहीं देगी तो नहीं दी जायेगी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : जब इनको जमीन अलाट हो गयी; निर्वाह भत्ता बन्द कर दिया गया, हाई कोर्ट ने आर्डर दे दिये, जमीन चली गई । अब दुबारा जमीन अलाट हो रही है तो निर्वाह भत्ता दिया जाना चाहिये। तो कब तक निर्वाह भत्ता दिया जायेगा ?

श्री दिनेश डांगी : इस बारे में भारत सरकार को पुन: लिखा जा सकता है। लेकिन आश्वासन देने की स्थिति में नहीं हूं कि इनको निर्वाह भत्ता दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री हीरालाल आर्य : यह नियम है भारत सरकार का कि इनको निर्वाह भत्ता दिया जाना चाहिए। गरीब लोग हैं। 50 के करीब परिवार हैं, बाड़मेर में अकाल अलग है और सरकार को कोई चिन्ता नहीं है।

श्री दिनेश डांगी : यह सारा मसला भारत सरकार के अन्तर्गत आता है। वहां से तीन हजार कबीले जायेंगे, भूगल के पास में बस रहे हैं और इनको बसा चुके हैं लेकिन हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है। मैं आश्वासन दे रहा हूं कि बाड़मेर में ही जमीन मिल जाय, यह कोशिश कर रहे हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जब तक मिले तब तक तो निर्वाह भत्ता दीजिए।

श्री दिनेश डांगी : इसका आश्वासन मैं देने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री हीरालाल आर्य।

श्री मेघराज तावड : ऐसे लोगों, जिनका जीवन निर्वाह कराना है, का तो महीने दो महीने का आश्वासन तो दें।

इटावा तहसील पीपल्दा में निर्मित मकानों का नियमन

67. **श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :** क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा तहसील के इटावा कस्बे में पंचायत एवं पूर्व में मण्डी कमेटी द्वारा आवासीय भू-खण्ड आवंटित नहीं किये जाने से वहां के नागरिकों ने विशेष तौर पर अनुसूचित जाति/जन जाति एवं मजदूरों ने टीलों को समतल करके उन पर मकान बना रखे हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि इन अतिक्रमियों पर कभी उपनिवेशन तहसील, कभी सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा कभी सी. ए. डी. तहसील एवं कभी ग्राम पंचायत जुर्माने व सजाएं करती हैं एवं मकान हटाने की धमकियां देती रहती हैं ?

(श्री हीरालाल आर्य)

(3) क्या सरकार के 20 संकल्पीय कार्यक्रम के अन्तर्गत इन गरीब व्यक्तियों के मकानों जो जनवरी 1981 से पूर्व के बने हैं, का नियमन करते का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, पंचायत (श्री शीशराम ओला) : (1) तहसील पीपल्दा के ग्राम इटावा में मण्डी कमेटी द्वारा मोटर स्टेण्ड पर भू-खण्ड आवंटित किये गये और ग्राम पंचायत इटावा द्वारा भी अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों को अभियान के तहत आवासीय भू-खण्ड आवंटित किये गये। इसके बावजूद भी कई व्यक्तियों ने टीलों पर नाजायज तरीके से मकान बना रखे हैं।

(2) इन व्यक्तियों ने नाजायज तरीके से सरकारी जमीन पर मकान बना रखे हैं जिसके लिए सम्बन्धित विभाग उनकी सुनवाई के पश्चात् बेदखली व जुर्माना के आदेश देते हैं। किसी के मकान हटाये नहीं गये है।

(3) अनुसूचित जाति/जन जाति व मजदूरों आदि को अभियान के तहत उचित मामलों में आवासीय भू-खण्ड आवंटित किये जा रहे हैं। जिन व्यक्तियों ने सरकारी भूमि पर नाजायज कब्जे कर मकान बना रखे हैं, उन्हें नियमित किया जाना राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं हैं।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने बताया कि मण्डी कमेटी और ग्राम पंचायत के अनियमित लोगों को पट्टे आवंटित किये हैं। ऐसे लोगों की संख्या कितनी है ?

श्री शीशराम ओला : आपने संख्या नहीं पूछी है, जो पूछा है उसका उत्तर मैंने दिया है। यह आप अलग से पूछेंगे तो मैं अलग से निवेदन करूंगा।

श्री हीरालाल आर्य : जो गरीब लोग हैं, कई वर्षों से उन्हें अलॉटमेंट नहीं हुआ है इसलिए वे टीलों पर बसे हुए हैं। ऐसे लोगों की संख्या सैकड़ों में है। मण्डी कमेटी और ग्राम पंचायत ने मुश्किल से 15 लोगों को दिये हैं। वे सैकड़ों लोग वर्षों से बसे हुए हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, उनको सजा दे रहे हैं, जुर्माने कर रहे हैं। उन्हें सजा क्यों दे रहे हैं, जो वर्षों से बसे हुए हैं ?

श्री शीशराम ओला : आपने जिस प्रकार का क्वेश्चन पूछा है, उसी का मैंने सही उत्तर दिया है। संख्या पूछेंगे तो अलग से उत्तर दूंगा। जो आपने पूछा, उसका मैंने उत्तर दे दिया।

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न। अगला प्रश्न।

श्री हीरालाल आर्य : इनकी संख्या सैकड़ों की है, इनको परेशान नहीं किया जाना चाहिए। इन पर जुर्माना किया जाता है और सजा दी जाती है। जब तक नियमन की कार्यवाही चले तब तक सजा नहीं दी जाय।

श्री दूलाराम : मेरा निवेदन है कि नगरपालिका एरिया के अन्दर राज्य सरकार ने नियमन करने के आदेश जारी किये हैं, शायद 78 या 79 के हैं। क्या राज्य सरकार

(श्री दूलाराम)
का पंचायत क्षेत्र में भी गरीब लोगों का नियमन करने का विचार है ?

श्री शीशराम ओला : मैं सरकार के समक्ष इस मसले को रखूंगा। मैं इस पक्ष का हूँ कि उनको भी नियमित किया जाना चाहिए।

श्री हीरालाल आर्य : मेरा प्रश्न था कि गरीब लोग और शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हैं, उन्होंने झोंपड़ियां बनायीं, उन पर जुर्माना किया जा रहा है और सजा दी जा रही है। उनकी जब तक नियमन की कार्यवाही हो तब तक सजा और जुर्माना नहीं हो, मेरा तो मन्त्री महोदय से यही निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री बहादुर सिंह।

श्री हीरालाल आर्य : शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग और गरीब लोग हैं उनको सजा दी जा रही है और जुर्माने किये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री बहादुरसिंह। अगला प्रश्न।

बांसवाड़ा एवं कुशलगढ़ में सूचना केन्द्र व सहायक जन सम्पर्क कार्यालय खोलना

68. श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : क्या जन सम्पर्क मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला बांसवाड़ा में जन जाति उपयोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित सूचना केन्द्र वर्ष 1982-83 में खोल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या आदिवासी क्षेत्र होने के नाते कुशलगढ़ में सहायक जन सम्पर्क कार्यालय खोलने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मंत्री, जन सम्पर्क (श्री चेतराम मीणा) : (1) जन जाति उपयोजना के अन्तर्गत वर्ष 1982-83 में बांसवाड़ा में सूचना केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है।

(2) कुशलगढ़ में सहायक जन सम्पर्क अधिकारी का कार्यालय खोले जाने का अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, क्योंकि बांसवाड़ा में खोले जाने वाला सूचना केन्द्र पूरे जिले के लिये कार्य करेगा जिसमें कुशलगढ़ भी सम्मिलित है।

श्री बहादुर सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि कुशलगढ़ बांसवाड़ा में शामिल है, यह बात सही है पर कुशलगढ़ ऐसी जगह पर है जहां मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा लगी हुई है। बांसवाड़ा से वह 72 किलोमीटर दूर है और उसका बांसवाड़ा से सम्पर्क नहीं है। उसका रतलाम और गुजरात से सम्पर्क है। इसलिए कुशलगढ़ में सूचना केन्द्र खोलना बहुत जरूरी है। माननीय मन्त्री महोदय, बांसवाड़ा में सूचना केन्द्र खोलकर कुशलगढ़ को आदिवासी क्षेत्र होने के नाते छोड़ना चाहते हैं, यह बिलकुल गलत है।

श्री चेत राम मीणा : अध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा जिला मुख्यालय है। इस समय बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर जिला सम्पर्क अधिकारी कार्यालय भी स्थापित है जो जिले का सांस्कृतिक एवम् प्रशासनिक व विभिन्न प्रकार के प्रसार व प्रचार का दायित्व पूरा

(श्री चेतराम मीणा)

करता है। जिला मुख्यालय पर 1982-83 में जिला सूचना केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है। यह केन्द्र अपने विभिन्न प्रचारात्मक कार्यक्रम बांसवाड़ा जिले पर आधारित करेगा। सागवाड़ा एक सब डिवीजन मुख्यालय है जिसमें दो तहसील हैं, उसका क्षेत्रफल 1900 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या सब-डिवीजन की 3 लाख 25 हजार है और कुशालगढ़ इतना बड़ा इलाका भी नहीं है··

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री छोगा राम बकोलिया (रेवदर) : एक प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत जरूरी प्रश्न है, इसलिए पूछना चाह रहा हूं। टी. ए. डी. एरिया में ए.पी.आर.ओ. पोस्ट खोलने के लिए सरकार की तरफ से सैंक्शन दी गयी है। टी.ए.डी. एरिया के अन्दर कहां कहां इस तरह से पोस्टें खोली गयी हैं? क्या माननीय मन्त्री महोदय बतायेंगे कि तहसील आबू रोड के अन्दर टी. ए. डी. एरिया नहीं, उसमें भी खोलने के लिए तैयार हैं, उसे····

श्री अध्यक्ष : श्री भैरूंलाल भारद्वाज। अगला प्रश्न।

जमवा रामगढ़ क्षेत्र में नये विद्यालय खोलना

69. श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवा-रामगढ) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार 10 जमा 2 प्रणाली के अन्तर्गत जमवा रामगढ़ क्षेत्र में कोई इन्टर कालेज या हायर सैकण्डरी स्कूल खोलने की योजना रखती है? यदि हां, तो कहां? और यदि नहीं, तो क्यों?

(2) जमवा रामगढ़ क्षेत्र में कुल कितने प्राथमिक, मिडिल, सैकण्डरी व हायर सैकण्डरी स्कूल्स हैं? ये कहां-कहां पर स्थित हैं? क्या इस पिछड़े हुए क्षेत्र के लिए इनकी संख्या पर्याप्त है? यदि नहीं, तो सरकार आगामी सत्र तक इस क्षेत्र में कितने नये स्कूल खोलने जा रही है? कृपया पूर्ण विवरण दें।

उप मंत्री, शिक्षा (श्री बुलाकीदास कल्ला) : (1) राज्य सरकार जब 10 जमा 2 जमा 3 की प्रणाली राज्य में लागू करेगी तब उपलब्ध साधनों को दृष्टि में रखते हुए तथा विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं पर गुणावगुण के आधार पर विचार करेगी।

(2) जमवा रामगढ़ पंचायत समिति में 55 प्राथमिक विद्यालय, 25 उच्च प्राथमिक विद्यालय, 9 माध्यमिक व एक उच्च माध्यमिक विद्यालय है। इन विद्यालयों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। विद्यालयों की यह संख्या जयपुर जिले के अन्य क्षेत्रों की तुलना में पर्याप्त है। राज्य सरकार सदा नये विद्यालय खोलते समय उपलब्ध साधनों को दृष्टि में रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखती है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक तो इसके बारे में यही कहना चाहता हूं कि मंत्रीजी ने जो उत्तर दिया है वह सही नहीं है। इसलिये कि उन्होंने पंचायत समिति जमवा रामगढ़ क्षेत्र का उत्तर दिया है। मेरा आशय जमवा रामगढ़ क्षेत्र से, चुनाव क्षेत्र से लिया है इसलिए सूचना गलत दी गई है। यह जो सूची दी

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

गई है उनमें प्राइमरी स्कूल्स 55 बताये हैं जिनमें से 17 मेरे क्षेत्र में नहीं हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय 25 इसमें दिये हैं जिनमें 7 मेरे क्षेत्र में नहीं हैं और माध्यमिक विद्यालय 9 हैं उनमें से 4 मेरे क्षेत्र में नहीं हैं। हायर सैकन्डरी एक है, एक भी नहीं है मेरे क्षेत्र के अन्दर। दस जमा दो के लिये आपकी इण्टर कालेज वगैरह की योजना है लेकिन हायर सैकण्डरी की जो वर्तमान योजना है, क्या शिक्षा विभाग ने मौजूदा प्रणाली के तहत हायर सैकन्डरी स्कूल एक भी जमवा रामगढ़ क्षेत्र में खोला है? और नहीं खोला है तो इसका क्या कारण है?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग में वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र के आधार पर आंकड़े संकलित नहीं किये जाते हैं। आंकड़ों का संकलन पंचायत समिति स्तर और जिला स्तर पर किया जाता है। इसलिए पंचायत समिति के आधार पर यहां पर जानकारी दी गई है।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न चुनाव क्षेत्र के आधार पर पूछा जाता है क्योंकि विधायक का सम्बन्ध अपने निर्वाचन क्षेत्र से है। आप जवाब दे रहे हैं पंचायत समिति के आधार पर।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपके क्षेत्र मे पर्याप्त स्कूल हैं। पिछले दो सत्रों में जो स्कूल खोले गये हैं उनमें वर्ष 80–81 में छः प्राथमिक शालायें, दो उच्च प्राथमिक विद्यालय और एक माध्यमिक खोले गए। 81–82 में तीन प्राथमिक और दो उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले गए। मैं समझता हूं कि पर्याप्त मात्रा में खोले गये हैं। जब कभी भविष्य में इस प्रकार के नये विद्यालय खोले जायेंगे तो जमवा रामगढ़ को बराबर राज्य सरकार ध्यान में रखेगी।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : पूरे चुनाव क्षेत्र में एक भी हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं है। जो पहले से चली आ रही है योजना उसके तहत कोई भी हायर सैकण्डरी स्कूल क्यों नहीं खोला गया, इसका जवाब दें। हायर सैकण्डरी स्कूल पूरे क्षेत्र में एक भी नहीं है। आखिर यह भेदभाव क्यों बरता गया है।

श्री अध्यक्ष : कहां यह गलती हुई है··

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, मेरा···

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। प्रशासनिक इकाइयां और चुनाव क्षेत्र ये बिल्कुल अलग होते हैं। माननीय सदस्य ने अपने क्षेत्र के बारे में पूछा है, आपका आशय चुनाव क्षेत्र से हो सकता है···

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : यही होता है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। प्रशासनिक आधार पर इकाइयां अलग होती हैं और जमवा रामगढ़ पंचायत समिति है इसलिए उन्होंने जो उत्तर दिया है वह उसी आधार पर है।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : विधायक तो चुनाव क्षेत्र के हिसाब से पूछेगा न कि पंचायत समिति या तहसील के हिसाब से।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शांत रहें। आपस में बातें नहीं करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा।

जयपुर स्थित पब्लिक हैल्थ लेबोरेटरी को परकोटे के अन्दर स्थापित करना

70. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जयपुर में जलेबी चौक स्थित पब्लिक हैल्थ लेबोरेटरी को मानसिक चिकित्सालय के पास स्थित नव-निर्मित भवन में शिफ्ट कर दिया गया है ?

(2) क्या इसके साथ ही थूक, खून व मलमूत्र की जांच शाला को उसी भवन में शिफ्ट कर दिया गया है जिसके कारण यह शाला उपयोगी नहीं रह गई है ?

(3) क्या यह सही है कि इस प्रयोगशाला में आठ कर्मचारी कार्यरत हैं व इसका वार्षिक बजट एक लाख रुपये का है ?

(4) क्या सरकार, जयपुर नगर के परकोटे में और उसके आसपास स्थित डिस्पेन्सरीज के मरीजों को निःशुल्क जांच सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रयोगशाला को नगर के मध्य स्थित किसी डिस्पेंसरी में वापस लाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप मंत्री, चिकित्सा (श्रीमती कमला भील) : (1) जी हां।

(2) यह जांच शाला पब्लिक हैल्थ लेबोरेटरी का ही अंग है। अतः अनुपयोगी रहने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

(3) जी नहीं।

(4) शहर की डिस्पेंसरियों में निदान सेवा अलग से स्थापित करने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है। योजना मद में समुचित वित्तीय प्रावधान होने पर इसे क्रियान्वित करना सम्भव होगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, उप मंत्री महोदया ने उत्तर दिया हैं कि वह शहर की डिस्पेंसरीज से पांच मील दूर ले गई है, उसके लिए कहा है, जी हां। मैं यह जानना चाहूंगी कि वह अनुपयोगी है या उपयोगी। आपने इसकी जांच की कि उपयोगी है या अनुपयोगी है वहां पर ? शहर के मध्य में, उपयोगी थी या पांच मील दूर उपयोगी है ?

चिकित्सा मंत्री (श्री छोगालाल कंवरिया) माननीय अध्यक्ष महोदय,

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, कभी मंत्री बोलते हैं, कभी उप मंत्री बोलते हैं।

श्री छोगालाल कंवरिया : आप मुझे बोलने दीजिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका उपयोग तो शहर में भी था और वहां पर भी है। एक पब्लिक हैल्थ लेबोरेटरी पहले जलेब चौक में थी और चूंकि यहां स्थानाभाव था इसलिए भारत सरकार की मदद से 15 लाख की बिल्डिंग नई जगह पर बन गई तो यह लेबोरेटरी नए स्थान पर चली

(22)

(श्री छोगालाल कंवरिया)

गई और वहां पर इसका वही उपयोग है जो यहां पर होता था। तो अनुपयोगी हो जाने का सवाल पैदा ही नहीं होता।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि जो शहर के बीच आठ डिस्पेन्सरीज हैं उनमें जांच की व्यवस्था क्यों नहीं करना चाहते ?

श्री छोगालाल कंवरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, पब्लिक हैल्थ लेबोरेटरी में दो तरह की जांच होती है। एक तो बैक्टेरियोलोजिकल और एक पैथोलोजिकल। शहर के लोगों की अक्सर पैथोलोजिकल, खून वगैरह की जांच ही अधिक होती है लेकिन चूंकि यह दोनों एक ही लेबोरेटरी के अंग होते हैं इसलिए लेबोरेटरी का भवन बनने के बाद, क्योंकि वहां पर स्थानाभाव था, वहां चली गई। अब शहर में जो अन्य जगहों पर डिस्पेन्सरीज हैं, उनमें यह कोशिश की जा रही है कि शहर के लोगों को यह सुविधा पैथोलोजिकल जांच कराने की उपलब्ध हो सके। उसके लिए विचार किया जा रहा है और अगर वित्तीय प्रावधान मिल गया तो शहर में कुछ डिस्पेन्सरियों में ही पैथोलोजिकल जांच के लिए प्रबन्ध कर दिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है, इन्होंने कहा जी हां। इनके पास एक करोड़ का बजट है। मैं मंत्री महोदय को बता रही हूं कि केवल आठ आदमियों के लिए एक लाख का प्रावधान कर रखा है जिसके अनुपात में···

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : उत्तर आ गया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उत्तर नहीं आया पूरा। मंत्री महोदय उत्तर दें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री छोगालाल कंवरिया : अध्यक्ष महोदय, इस लेबोरेटरी के लिए...

श्री अध्यक्ष : समाप्त हो गया वह प्रश्न, मंत्री महोदय। अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 64।

बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वास की योजना

64. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या एकीकृत ग्रामीण विकास एवं विशिष्ट योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि माननीय केन्द्रीय श्रम राज्य मन्त्री भारत सरकार ने राज्य सरकार को गत सितम्बर, 1981 में निर्देश दिये थे कि राज्य के बन्धुआ मजदूरों को फरवरी, 1982 तक बसाने की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाय ?

(2) क्या राज्य के बन्धुआ मजदूरों का सर्वेक्षण पूर्ण कर लिया गया है ? यदि हां, तो कृपया सर्वेक्षण में पाये गये बन्धुआ मजदूरों की संख्या की सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(3) सर्वेक्षण में पाये गये बन्धुआ मजदूरों में से कितनों को मुक्त करवाया गया है और बन्धक रखने वालों के विरुद्ध क्या

(श्री नन्द लाल मीणा)

कोई कानूनी कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो कितनों के विरुद्ध ?

(4) बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिये बनायी गयी योजना भारत सरकार को कब प्रस्तुत की गई एवं भारत सरकार ने कितनी राशि राज्य के बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए स्वीकृत की ?

(5) राज्य सरकार द्वारा बन्धुआ मजदूरों को किस योजना के अन्तर्गत बसाया जा रहा है तथा अब तक कितने बन्धकों को बसाया गया है ?

एकीकृत ग्रामीण विकास एवं विशिष्ट योजना मंत्री (श्रीमती कमला) : अध्यक्ष महोदय, अभी तक भी · · ·

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

(व्यवधान)

मुझे नाम पुकारने दीजिए। प्रश्न सं. 71, श्री माधवसिंह दीवान, श्री सुरजपाल सिंह, श्री रामसिंह विश्नोई, श्री गोकुलचन्द शर्मा।

राज्य कृषि उद्योग निगम

71. श्री माधव सिंह दीवान (सोजत), श्री सुरजपाल सिंह (भीनमाल), श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) एवं श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार को ज्ञात है कि राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम काफी लम्बे समय से हानि में चल रहा है ? यदि हां, तो कृपया वर्ष 1980–81 का लाभ-हानि का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस निगम द्वारा बेरोजगार स्नातकों को रोजगार देने हेतु एक योजना चलाई गयी थी ? यदि हां, तो अब तक निगम द्वारा स्नातकों को कितनी राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है ?

(3) क्या यह सही है कि इस राशि का उन स्नातकों द्वारा ब्याज सहित किश्तों में भुगतान किया जाना है ? यदि हां, तो किश्तों के रूप में अब तक कितना पैसा जमा हो गया तथा कितना ओवर ड्यू है ? सरकार इस राशि के सम्बन्ध में क्या विचार रखती है ?

(4) क्या यह सही है कि निगम में मजदूरों से अफसरों की संख्या अधिक है ?

(5) सरकार निगम के घाटे को कम करने के लिए क्या योजना बना रही है ?

कृषि मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन वर्ष 1969–70, 75–76 व 79–80 को छोड़ कर बाकी के वर्षों में घाटे में रहा है। वर्ष 1980–81 में 42.12 लाख रुपये का घाटा हुआ। वर्ष 1980-81 के लाभ हानि का ब्यौरा सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। बेरोजगार स्नातकों तथा अभियन्ताओं को निगम द्वारा अब तक निम्न प्रकार से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है:—

1. कृषि सेवा योजनान्तर्गत–

राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से 386 उद्यमियों को 465 लाख रुपये ऋण राशि।

2. उक्त ऋण पर देय ब्याज पर अनुदान–

२५

(श्रीमती कमला)

(क) भारत सरकार द्वारा

(योजना के प्रारम्भ से वर्ष 77-78 के अन्त तक)	19,88,261.09 रुपये

(ख) राजस्थान सरकार द्वारा

(वर्ष 79-80 तथा वर्ष 80-81 में प्रत्येक वर्ष 8.50 लाख रु.)	17.00 लाख रुपये
(ग) हाफ-ए-मिलियन जॉब कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निगम के माध्यम से स्वीकृत ऋण।	15.47 लाख रुपये

(3) कृषि सेवा योजनान्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई ऋण राशि की वसूली सम्बन्धित बैंक स्वयं करते हैं। हाफ-ए-मिलियन जॉब प्रोग्राम के तहत वितरित ऋण इन स्नातकों द्वारा तिमाही किश्तों के ब्याज सहित देय है। कुल राशि में से मूल के पेटे 6.40 लाख रुपये तथा ब्याज के पेटे 1.81 लाख रुपये वसूल किये जा चुके हैं। बकाया राशि मूल व ब्याज के पेटे 10.87 लाख रुपये है। निगम द्वारा ओवर ड्यू वाले मामलों में वसूली के लिए कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

(4) जी नहीं।

(5) निगम में घाटे के मुख्यतः निम्न कारण रहे हैं :

1. ब्याज के भुगतान में वृद्धि,

2. संदिग्ध तथा पुरानी देनदारियों में वृद्धि,

3. विघटित राजस्थान राज्य कृषि अभियांत्रिक मंडल के बकाया का समायोजन

4. प्रशासकीय तथा कार्यालय व्यय में वृद्धि,

5. वेतन तथा भत्तों में वृद्धि,

6. कृषि उपकरण फैक्ट्री में हानि,

7. कृषि फार्मों के संचालन में हानि

8. कम्पोस्ट प्लान्ट के संचालन में हानि,

9. पूंजीगत सम्पत्ति तथा मशीनरी के ह्रास में वृद्धि,

10. कार्यभार के अनुपात में अधिकारियों/कर्मचारियों की अधिक नियुक्तियां,

11. बन्द हुए कार्यों से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को यथावत् सेवा में कायम रखना,

12. अनेकों संस्थाओं/फर्म्स व स्टाफ आदि में वर्षों से एडवान्स राशि व बकाया राशि चली आना।

राज्य सरकार ने विभिन्न स्तरों पर निगम के घाटे को कम करने तथा भविष्य के लिये लाभकारी योजनाएं प्रारम्भ करने के प्रश्नों पर विचार-विमर्श किया है। राज्य सरकार ने निगम को पुराने अनुपयोगी अतिरिक्त बुलडोजर्स कम्बाइन हारवेस्टर्स तथा ट्रैक्टर्स को नीलाम करने तथा उन पर कार्यरत अतिरिक्त स्टाफ की छंटनी करने के आदेश दे दिये हैं। इसके अतिरिक्त निगम के कोटा में स्थापित किये जाने वाले सोलवेन्ट एक्सटेन्शन प्लान्ट हेतु 4 लाख रुपये की

(श्रीमती कमला)

राशि भी उपलब्ध करा दी है। निगम को कृषकों के लिये उपयोगी कृषि उपकरण बनाने, विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा करने तथा भविष्य के लिये लाभप्रद योजनाएं प्रस्तुत करने के निर्देश दे दिये गये हैं। सरकारी विभागों तथा स्वायत्त शासी संस्थाओं को निगम द्वारा निर्मित उपकरण क्रय करने तथा प्रदत्त सेवाएं प्राप्त करने के आदेश दिए जाने पर भी सरकार विचार कर रही है। अनावश्यक अधिकारियों व कर्मचारियों की कमी हेतु कदम उठाने हेतु भी निगम को निर्देश दिये गये हैं। बकाया राशि की वसूली हेतु सख्ती से कार्यवाही करने तथा जो प्रवृत्तियां घाटे में जा रही हैं, उन्हें यदि लाभप्रद बनाया जाना कतई सम्भव न हो तो उनकी बाबत भी निर्णय लिये जाने हेतु आदेश दिये गये हैं।

(संचालक मण्डल के प्रतिवेदन के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

(ऑडिट रिपोर्ट विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, जो निगम जनता के हित के लिए बनाया गया था, उसमें करोड़ों रुपये का घाटा हो रहा है, उसके लिए कौन दोषी है ? उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की ? इस घाटे की पूर्ति करने के क्या उपाय किये ? जो अधिकारी इस निगम को घाटे में लाए, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत मुद्दे का प्रश्न माननीय सदस्य ने किया है। जिन-जिन अधिकारियों के कार्यकाल में, जिन जिन प्रवृत्तियों के अन्तर्गत, जिस-जिस प्रकार का निगम को घाटा हुआ है, उन सब का विवरण तैयार किया जा रहा है। वह तैयार होते ही उसके बाबत सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया से यह जानना चाहूंगा, आर्थिक घाटे को दूर करने के लिए निगम ने योजना भेजी है, क्या उसका जवाब देने के लिए सोचा है ?

(व्यवधान)

महत्वपूर्ण मामला है, मैं इस निगम से संबंधित हूं।

एक माननीय सदस्य : आप त्याग-पत्र दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर। माननीय सदस्य, नियमों का ध्यान रखें।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : सरकार से संरक्षण मिलना चाहिए निगम को नहीं तो निगम बरबाद हो जायगा। सरकार इसके लिए क्या विचार कर रही है ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब यह अध्यक्ष बने थे तब यह आश्वासन दिया था कि एक मार्च तक निगम के घाटे को बदल दूंगा नहीं तो त्याग-पत्र दे दूंगा। आप इस्तीफा लिख कर तैयार रखें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : त्याग-पत्र दे दो।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : मैंने एक प्रश्न पूछा था, जिसका उत्तर अंग्रेजी में दिया है। राज्य सरकार ने बार बार विभागों को लिखा है, हिन्दी का प्रयोग करें। हिन्दी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैंने राजस्थान नहर निगम से संबंधित प्रश्न पूछा था, मुझे प्रश्न का उत्तर हिन्दी के बजाय अंग्रेजी में दिया गया है। जब राज्य सरकार ने बार बार विभागों को लिखा है कि हिन्दी का प्रयोग करें तो भी मातृभाषा का अपमान किया जा रहा है। सदन में बार बार निर्देश दिये गये हैं कि हिन्दी में उत्तर दें परन्तु फिर भी हिन्दी में उत्तर न देकर अंग्रेजी में दिया है। मातृ भाषा का अपमान है मैं इसे फाड़कर फेंकता हूं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : यह 1969 का आॅर्डर है····

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न इस विषय से संबंधित नहीं है।

कृपया शान्त रहें, माननीय सदस्य।

प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जी. डी. गर्ल्स कॉलेज, अलवर के छात्रावास हेतु भूमि का आवंटन

44. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या राज्य सरकार द्वारा जी.डी. गर्ल्स कॉलेज, अलवर के छात्रावास हेतु चार एकड़ भूमि के आवंटन की घोषणा की गई थी ?

(2) क्या उक्त जमीन का मूल्य शिक्षा विभाग द्वारा नगर विकास न्यास को जमा करा दिया गया है ?

(3) यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार छात्रावास की आवश्यकता नहीं समझती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां, भूमि एवं साधन उपलब्ध होने पर निर्माण की कार्यवाही की जावेगी।

सवाई माधोपुर विधान सभा क्षेत्र में 300 की आबादी वाले ग्रामों में प्राइमरी स्कूल

45. श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सन् 1971 की जनगणना के आधार पर 300 की आबादी वाले ग्रामों में प्राइमरी स्कूल खोलने का मापदण्ड बनाया गया है ? यदि हां, तो सवाई माधोपुर विधान सभा क्षेत्र में 300 की आबादी वाले कितने ग्राम शेष हैं जिनमें प्राइमरी स्कूल नहीं हैं ? उनमें कब तक प्राइमरी स्कूल खोल दिया जावेगा ?

(2) क्या यह भी सही है कि 300 की आबादी वाले ग्रामों में जहां स्कूल नहीं हैं उनकी आबादी में अनुसूचित जाति/जनजाति का बाहुल्य है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा अगले वर्ष में उक्त ग्रामों में प्राइमरी स्कूल खोल दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य सरकार स्थानों व आवश्यकताओं, भवन व्यवस्था, स्थानीय मांग एवं उपलब्ध साधनों को दृष्टि में रखते हुए नये प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत करती है।

(2) नये विद्यालय खोलने की नीति प्रश्न संख्या (1) के उत्तर में स्पष्ट कर दी गई है।

सीमावर्ती क्षेत्रों में प्राइमरी स्कूल्स

46. श्री अमीन खां (शिव) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में प्राइमरी स्कूल खोलने की क्या नीति है?

(2) क्या यह सही है कि प्राइमरी स्कूलें 40 बच्चों के आधार पर खोला जाता है?-यदि हां, तो क्या इस नीति से सीमावर्ती जिला बाड़मेर व जैसलमेर के रेगिस्तानी क्षेत्रों के काफी गांव शिक्षा से वंचित रह गये हैं?

(3) बाड़मेर जिले की पंचायत समिति शिव, बाड़मेर, चौहटन व जैसलमेर जिले की पंचायत समिति सम में उक्त नीति से कितने प्राइमरी स्कूल खोले गये हैं?

(4) क्या राज्य सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों को स्कूल खोलने में विशेष तौर से प्राथमिकता देगी?

उत्तर

(1) राज्य सरकार विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं, स्थानीय मांग, भवन व्यवस्था एवं उपलब्ध साधनों को दृष्टि में रखते हुए नये प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत करती है।

(2) जी नहीं। नये प्राथमिक विद्यालय खोलते समय पढ़ने वाले बच्चों की संख्या को आधार नहीं माना जा सकता क्योंकि विद्यालय के अभाव में पढ़ने वाले बच्चे होने का प्रश्न नहीं उठता है।

(3) वर्ष 1981-82 में बाड़मेर जिले की पंचायत समिति शिव में 3, पंचायत समिति चौहटन में 3 एवं पंचायत समिति बाड़मेर में 3 प्राथमिक विद्यालय खोले गये हैं। जैसलमेर जिले की पंचायत समिति सम में एक प्राथमिक विद्यालय खोला गया है।

(4) राज्य सरकार नये प्राथमिक विद्यालय खोलते समय क्षेत्र की आवश्यकताओं, भवन की व्यवस्था, स्थानीय मांग एवं उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखती है।

कस्बा सांगानेर (जयपुर) का प्राथमिक विद्यालय शिवबाड़ी का भवन

47. श्री चाव खां (कामां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कस्बा सांगानेर (जयपुर) में राजकीय प्राथमिक विद्यालय शिवबाड़ी का भवन वहां की जनता द्वारा दान में दिया हुआ है?

(2) क्या यह सही है कि इस स्कूल की पश्चिमी दीवार में होकर स्कूल के एक कमरे की खिड़कियां खुलती हैं और कमरे का नाला भी निकला हुआ है?

(3) क्या यह सही है कि एक श्री भंवर लाल सुनार ने इस दीवार से चरपेटा

(श्री चाव खां)

लगाकर एक कमरे का निर्माण किया है जिसके कारण स्कूल के कमरे की खिड़कियां और रोशनदान बन्द हो गये हैं ?

(4) क्या इस संबंध में स्कूल के प्रधानाध्यापक ने अपने विभागीय अधिकारियों की अन्य किसी अधिकारी को शिकायत की है ?

(5) क्या यह सही है कि सांगानेर के कुछ निवासियों ने इस संबंध में जिलाधीश जयपुर; अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, आरक्षी जयपुर; निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को तथा शासन सचिव शिक्षा विभाग, राजस्थान को दिनांक 5 व 20 दिसम्बर, 1980 तथा 31 जनवरी, 13 मार्च व 6 जून, 1981 को लिखित में शिकायत की थी ?

(6) क्या कभी किसी अधिकारी ने मौका मुआयना कर इस संबंध में कोई जांच की है ?

(7) इस संबंध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं।

(5) राज्य सरकार को दिनांक 3–2–81 को शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर जिलाधीश, जयपुर से रिपोर्ट मांगी गयी है।

(6) जी नहीं।

(7) जिलाधीश, जयपुर से रिपोर्ट अपेक्षित है।

जयपुर के पास जामडोली में कम्पोस्ट प्लान्ट लगाने की योजना

48. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम जयपुर के पास जामडोली में कम्पोस्ट प्लान्ट लगाने का विचार कर रहा है ? यदि हां, तो इस पर कितना खर्च आयेगा तथा यह कब प्रारम्भ होगा ?

उत्तर

निगम जामडोली पर कोई अचल कम्पोस्ट संयंत्र लगाने का विचार नहीं कर रहा है लेकिन वहां पर एक चल इकाई (मोबाइल प्लान्ट) लगाने के लिये कार्य कर रहा है जिस पर लगभग रुपये 30,000/– व्यय होंगे एवम् यह कार्य करीब दो माह में पूर्ण होने की सम्भावना है।

फिलहाल छलनी लगा कर मैन्युअल प्रोसेसिंग की जा रही है तथा वहां से कम्पोस्ट खाद की बिक्री आरम्भ कर दी गई है।

प्राइवेट मेडिकल प्रेक्टिशनर्स रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी कानून बनाना

49. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार राजस्थान प्राइवेट मेडिकल प्रेक्टिशनर्स रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी कोई कानून बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि देश के अधिकांश प्रदेशों में प्राइवेट मेडिकल प्रेक्टिशनर्स कानून बने हुए हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि ऐसे कानून के अभाव में अनधिकृत व्यक्ति के प्रेक्टिस करने से मनुष्य जीवन को खतरा पैदा होता है ?

उत्तर

(1) जी हां, राजस्थान प्राइवेट मेडिकल प्रेक्टिशनर्स के रजिस्ट्रेशन हेतु कानून बनाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(2) जी हां उपलब्ध जानकारी के अनुसार निम्न राज्यों में ऐसे कानून बने हुए हैं :–

1. महाराष्ट्र
2. पंजाब
3. गुजरात
4. उड़ीसा
5. केरल

(3) जी हां, इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के प्रांगण में पृथक् से केन्सर रोग चिकित्सा व्यवस्था

50. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि केन्सर रोग विदान; रेडियेशन तथा रिसर्च सोसायटी जयपुर में सवाई मानसिंह अस्पताल के प्रांगण में अलग से केन्सर रोग चिकित्सा का अस्पताल बनाने का विचार कर रही है ?

(2) यदि हां, तो इस पर कुल कितनी लागत आयेगी तथा कितने मरीजों की क्षमता होगी ? क्या राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में स्वीकृति प्रदान की है ?

उत्तर

(1) ऐसा कोई प्रस्ताव अभी राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

बेरोजगार डाक्टर्स को रोजगार देने की योजना

51. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में इस समय 3000 डाक्टर बेरोजगार हैं ? यदि नहीं, तो कितने हैं ? यदि हां, तो इन्हें कब तक रोजगार उपलब्ध करा दिया जायेगा ?

(2) प्रति वर्ष सरकार कितने डाक्टर्स को रोजगार देने की योजना बना रही है ?

(30)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
इस वित्तीय वर्ष में कुल कितने डाक्टर्स को रोजगार दिया गया ?

उत्तर

(1) इस प्रकार की सूचना विभाग के पास उपलब्ध नहीं है।

(2) छठी पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकार ने लगभग 1100 डाक्टरों को रोजगार देने की योजना बनाई है। इस वित्तीय वर्ष में 620 डाक्टरों को सी.ए.एस. व इसके समकक्ष पद पर नियुक्तियां दी गई हैं। इसके अतिरिक्त सेन्ट्रल सलेक्शन कमेटी द्वारा भी लगभग 180 व्यक्तियों को व्याख्याता एवं सीनियर डिमोंस्ट्रेटर आदि के पद पर चयन किया गया है, जिसमें इन सर्विस डाक्टर्स भी सम्मिलित हैं।

जयपुर में आंखों के अस्पताल हेतु भूमि का आवंटन

52. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कैलगिरी जयपुर संयुक्त नगरी (कैलगिरी जयपुर ट्विन सिटीज) के प्रयत्नों से जयपुर में ढाई करोड की लागत से आंखों का अस्पताल बनाने का विचार है ? क्या राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में उक्त संस्था की ओर से ज्ञापन दिया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार द्वारा भूमि का आवंटन न होने से इस अस्पताल को बनने में बाधा पैदा हो रही है ?

(3) क्या राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में कोई ज्ञापन या प्रतिनिधि मण्डल मिला है ? यदि हां, तो उस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) चिकित्सा विभाग में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) जी नहीं। चिकित्सा विभाग को कोई ज्ञापन या प्रतिनिधि मंडल नहीं मिला।

सरकार द्वारा दिये गये विज्ञापन

53. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम): क्या जनसम्पर्क मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

वर्ष 1980-81 व 81-82 में अब तक कितनी-कितनी राशि के विज्ञापन राज्य सरकार द्वारा दिए गए हैं ? राशि एवं पत्रों के नाम की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

वर्ष 1980-81 व 81-82 में समाचार-पत्रों को दिए गए विज्ञापनों का विवरण मय राशि के सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(परिशिष्ट "क" "ख" "ग" तथा "घ")
(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

राज्य के नगरों के सौन्दर्यकरण की योजना

54. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के नगरों के सौन्दर्यकरण की योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो किन-किन नगरों को उपरोक्त योजना में सम्मिलित किया गया है ?

(2) कितनी धनराशि अजमेर नगर के लिए रखी गयी है ?

(3) नगरों के सौन्दर्यकरण की योजना में भूमिगत सीवरेज के लिये कितनी राशि का प्रावधान है ?

उत्तर

(1) जी नहीं, राजस्थान नगरों के सौन्दर्यकरण की योजना राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जल प्रदाय एवं जल निकासी कार्यक्रम में 8 नगरों में सीवरेज योजना हेतु 12.40 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। इन 8 नगरों में बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, पाली, अलवर, कोटा और अजमेर शामिल हैं।

राजस्थान नगरपालिका सेवा नियम, 1963 में संशोधन के उपरान्त नियुक्त एवं पदोन्नत अधिकारी

55. श्री जीतमल जैन (अलवर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान नगरपालिका सेवा नियम, 1963 में अन्तिम संशोधन दिनांक 23-12-1976 के पश्चात् राज्य की नगर परिषदों एवं पालिकाओं में नियमों के अन्तर्गत दी गई अनुसूची के अनुसार कितने अधिशासी अधिकारी, तृतीय श्रेणी एवं राजस्व अधिकारी प्रथम श्रेणी के पदों पर नियुक्त एवं पदोन्नत किये गये ? कृपया ऐसे अधिकारियों की सूची मय नाम, पद एवं नियुक्ति/पदोन्नति करने की तिथि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजस्थान नगरपालिका सेवा नियम, 1963 में संशोधित अनुसूची दिनांक 23–12–76 के पश्चात् 12 अधिशासी अधिकारी तृतीय श्रेणी व 5 राजस्व अधिकारी प्रथम श्रेणी के पद पर नियुक्त/पदोन्नत किये गये थे। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

छोटे व मध्यम शहरों के एकीकृत विकास के लिये केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत कार्य

56. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि छोटे व मध्यम शहरों के एकीकृत विकास के लिये केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत राज्य में कुछ कस्बों में काम हो रहा है ? यदि हां, तो वह शहर कौन-कौन से हैं ?

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(2) अब तक किस-किस शहर में भिन्न-भिन्न योजनाओं पर कितना-कितना रुपया खर्च किया गया है तथा इस वर्ष कौन-कौन से कस्बों को इसमें सम्मिलित किया गया है ?

(3) कृपया अलग अलग शहरों की उस योजना के अन्तर्गत खर्च की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, केन्द्रीय सरकार की शहरी एकीकृत विकास योजना (एस.एम.टी.) के अन्तर्गत राजस्थान के कस्बे/पाली, भीलवाड़ा, सीकर, नाथद्वारा, बारां, चूरू, सुमेरपुर, गंगानगर एवं जसलमेर को सम्मिलित किया गया है जिनमें इस योजना के अन्तर्गत कार्य चालू है।

(2) अब तक (दिनांक 30 जनवरी 1982 तक) प्राप्त सूचना के अनुसार स्वीकृत योजनाओं पर निम्न प्रकार खर्चा किया गया है :—

(1) चूरू	1. सैनिक बस्ती पार्ट III	7.69 लाख
	2. इन्द्रा कालोनी	4.45 ,,
	3. गांधीनगर ऊन मिल के पीछे	4 59 ,,
	4. जोहरी सागर तालाब	1.29 ,,
		18.02
(2) पाली	1. गांधीनगर योजना	12.00 लाख
(3) सीकर	1. शास्त्री नगर	7.34 ,,
	2. शास्त्री बाजार	1.97 ,,
		9.31
(4) नाथद्वारा	1. नेशनल हाई वे आवासीय योजना	8.25 लाख
	2. लोढ़ाघाटी आवासीय योजना	0.50 ,,
	3. तेलियों का तालाब	2.50 ,,
	4. सड़क निर्माण एवं विकास योजना	2.52 ,,
		13.77

(5) जैसलमेर	1. पटवों हवेलियों के पास के क्षेत्र का विकास कार्य	3.81 लाख
(6) भीलवाड़ा	1. राधाकृष्ण कॉलोनी	23.24 लाख
	2. ट्रांसपोर्ट मार्केट	4.90 ,,
	3. बापू नगर	3.62 ,,
		31.76
(7) गंगानगर	1. जवाहर नगर योजना	24.00 लाख
	2. लिंक रोड निर्माण योजना	0.80 ,,

वर्ष 1981-82 में जैसलमेर कस्बे की 1, इन्द्रा कालोनी 2, गांधीनगर विस्तार योजना 3, रेलवे स्टेशन के सामने की व्यावसायिक योजना 4, सड़क निर्माण का डिब्बू पारा क्षेत्र योजनाओं को इसमें शामिल किया गया है।

(3) स्वीकृत योजनाओं के अन्तर्गत शहरों में अब तक (30-1-82 तक) का खर्च निम्न प्रकार से है :—

1. चूरू	राशि	18.02 लाख
2. पाली	,,	12.00 ,,
3. सीकर	,,	9.31 ,,
4. नाथद्वारा	,,	13.77 ,,
5. जैसलमेर	,,	3.81 ,,
6. भीलवाड़ा	,,	31.76 ,,
7. गंगानगर	,,	24.80 ,,

भीलवाड़ा नगर परिषद में क्रय किया गया बिजली का सामान

57. श्री वंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा नगर परिषद में सन् 1980-81 व 1981-82 में बिजली का सामान, यथा ट्यूब लाइटें, मरकरी फिटिंग, तार, होल्डरे, बल्ब आदि किस किस फर्म से कितना कितनी कीमत का खरीदा गया ?

(2) परिषद सीमा में पड़ने वाले अनेक उप नगरों में रोशनी हेतु बिजली की लाइनें नहीं खिचवाये जाने का क्या कारण है ? इन क्षेत्रों में अब कब तक बिजली पहुंचा दी जावेगी ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा नगर परिषद में वर्ष 1980-81 व 81-82 में दिनांक 25 जनवरी, 1982 तक बिजली का जो सामान खरीदा गया उसका नाम, कीमत व फर्म के

(स्वायत्त शासन मंत्री)
नाम की सूचियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(परिशिष्ट "क" एवं "ख")

(2) नगर परिषद् की सीमा में आए हुए 20 उप नगरों में से 9 में बिजली लाइनें डाली जा चुकी हैं। 3 में डाली जा रही हैं। शेष उप नगर दूर होने के कारण विद्युत् लाइन डाला जाना परिषद् की आर्थिक स्थिति के कारण संभव नहीं हो सका है। आर्थिक स्थिति के अनुसार बिजली की लाइन डालने का प्रयास किया जा रहा है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

नीम-का-थाना में सहकारिता क्षेत्र में सहकारी सीमेंट मिल की स्थापना

58. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नीम-का-थाना में सहकारिता क्षेत्र में सहकारी सीमेंट मिल की स्थापना का सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? इस पर कितनी लागत आयेगी तथा कितनी उत्पादन क्षमता होगी?

(2) क्या प्रस्तावित मिल के लिए स्थान का चयन कर लिया गया है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर

(1) मिल की स्थापना की संभावना की जानकारी की जा रही है।

(2) मिल की स्थापना की संभावना होने पर ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता से राज्य के गांवों में सहकारी गोदामों का निर्माण

59. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय (यूरोपियन इकानामिक कम्यूनिटी) की सहायता से राज्य के गांवों में सहकारी गोदाम बनाये जा रहे हैं?

(2) यदि हां, तो इन गोदामों का कार्य कब से प्रारम्भ हुआ है? 1 अप्रेल से 31 दिसम्बर, 1981 तक कितने गोदाम बन चुके?

(3) इन गोदामों को बनाने के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय की कितनी सहायता राशि प्राप्त होगी?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस योजना के अन्तर्गत गोदामों का कार्य दिनांक 1–4–79 से प्रारम्भ हुआ है। अप्रेल, 79 से 31 दिसम्बर, 81 तक 343 गोदामों का कार्य पूर्ण हो चुका है।

(3) इन गोदामों के निर्माण हेतु 736 लाख रुपये यूरोपियन आर्थिक समुदाय द्वारा भारत सरकार को दिये जावेंगे।

राजस्थान नहर का निर्माण कार्य

60. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या राजस्थान नहर मंत्री यह बताने की

35

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
कृपा करेंगे :—

(1) 1 अप्रेल, 1981 से लेकर 31 दिसम्बर, 1981 तक राजस्थान नहर की मुख्य नहर व सहायक नहरें कितनी लम्बी बनाई गईं ? लाइनिंग कितना हुआ तथा मिट्टी कितनी उठाई गई ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(2) योजना के अनुसार 1 अप्रेल, 1981 से लेकर 31 दिसम्बर, 1981 तक कुल कितने कोयले व सीमेन्ट की आवश्यकता थी तथा कितना कितना प्राप्त हुआ ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 1 अप्रेल, 1981 से 31 दिसम्बर, 1981 तक प्रगति निम्न अनुसार रही :—

प्रथम चरण :

(अ) मुख्य नहर के किलोमीटर 74 तक वितरक प्रणाली लाइनिंग का कार्य —6.85 कि.मी.

(ब) पूगल शाखा की वितरक प्रणाली पर लाइनिंग का कार्य —16.20 कि. मी.

(स) लिफ्ट नहर पर ...क खालों का —12.02 कि.मी.

द्वितीय चरण :

(अ) मुख्य नहर

मिट्टी का कार्य —485 लाख घन फुट

लाइनिंग का कार्य —12.61 कि.मी.

(ब) वितरक प्रणाली :

मिट्टी का कार्य —516 लाख घन फुट

लाइनिंग का कार्य —10.34 कि.मी.

(स) वाटर सप्लाई चेनल

मिट्टी का कार्य —1041 लाख घन फुट

पोलीथीन लाइनिंग का कार्य —23.19 कि.मी.

(2) 1 अप्रेल, 1981 से 31 दिसम्बर, 81 तक कोयला व सीमेन्ट की आवश्यकता व प्राप्ति की सूचना निम्न अनुसार है :—

मैट्रिक टन

	आवश्यकता	प्राप्ति
कोयला	92,000	55,500
सीमेन्ट	78,475	37,204

20. संकल्प कार्यक्रम के अधीन 'गरीब को छप्पर' योजना

61. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या 20 संकल्प कार्यक्रम के तहत "गरीब को छप्पर" योजना के अन्तर्गत

(श्री रामकिशोर मीणा)
पंचायत समिति, सिकराय को 750 रु. प्रति व्यक्ति के हिसाब से गरीब परिवारों को बांटने हेतु राशि भेजी गयी थी? यदि हां, तो सन् 1981-82 में अब तक कुल कितनी राशि भेजी गयी थी?

(2) क्या यह सही है कि विकास अधिकारी सिकराय द्वारा फर्जी तौर से कुछ व्यक्तियों के अंगूठे निशानी करके रिकार्ड में राशि वितरित होना बता दिया गया जब कि वास्तव में उन व्यक्तियों को राशि नहीं दी गई है तथा कुछ को 500 रु. ही दिया? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्या प्रत्येक व्यक्ति, जिसे राशि देना बताया गया है, से जांच करने की कार्यवाही की जायेगी?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति, सिकराय को वर्ष 1981-82 में "गरीब को छप्पर" योजना के अन्तर्गत 750/- रु. प्रति व्यक्ति के हिसाब से 100 परिवारों को वितरण करने हेतु 75,000 रुपये की राशि दी गई थी।

(2) जी हां। विकास अधिकारी पंचायत समिति, सिकराय के विरुद्ध अनुदान राशि कम वितरण करने के बारे में शिकायत जिलाधीश, जयपुर को प्राप्त हुई थी। जिसकी जांच उनके द्वारा उप जिलाधीश, दौसा से कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर विकास अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

जिलों में ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को रिहायशी भू-खण्ड का आवंटन

62. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्र के कितने परिवारों को रिहायशी भू-खण्ड आवंटित किये गये हैं? इनमें अनुसूचित जाति व जनजाति के कितने कितने व्यक्ति हैं?

(2) प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में कितने-कितने रिहायशी भू-खण्ड आवंटित किये गये हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1981-82 में ग्रामीण क्षेत्र के 92126 परिवारों को रिहायशी भू-खण्ड आवंटित किये गये हैं। इनमें अनुसूचित जाति व जनजाति के कितने कितने व्यक्ति हैं, के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

(2) प्रत्येक जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जितने-जितने रिहायशी भू-खण्ड आवंटित किये गये हैं, उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

(1) श्री कमलेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर नगर के मोहल्ला अलीपुरा स्थित रेजीडेन्सी मस्जिद की भूमि पर हुए अतिक्रमण एवं उसकी अवैध बिक्री से अल्प संख्यक समुदाय में रोष और बेचैनी से उत्पन्न स्थिति के विषय में,

(श्री अध्यक्ष)

(2) सर्वश्री हीरालाल आर्य एवं बालचन्द्र आर्यवीर, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा, बारां, बूंदी एवं झालावाड़ डिपो से राजस्थान पथ परिवहन निगम की बसें समय पर व पूरी संख्या में न चलने के विषय में,

(3) श्री रतनलाल ताम्बी, सदस्य विधान सभा की ओर से गत 16 फरवरी को भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा कस्बे में चुनाव के सिलसिले में एक उद्योगपति के घेराव व पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किये जाने के विषय में,

(4) श्री हंसराज शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाई माधोपुर में, वन विभाग द्वारा जानवरों को चराने की घास का परमिट बन्द करने के विषय में,

(5) श्री बंशीलाल पटवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा जिले के नन्दराय ग्राम में गत 22 फरवरी को पुलिस द्वारा महिलाओं पर लाठी-चार्ज किये जाने के विषय में,

(6) श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला बीकानेर में गत अगस्त व नवम्बर माह में 4 हत्याएं व भेड़ों की डकैती की घटना के विषय में,

(7) श्री गुलाबचन्द कटारिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 26 जनवरी को उदयपुर विश्वविद्यालय के प्रांगण में राष्ट्रीय झंडा उल्टा लगाने की घटना के विषय में,

(8) श्री यदुनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से वर्ष 1980 में अजमेर से 145 धात्री उपवैद्यों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने के बावजूद भी उनको नियुक्त न करने से उत्पन्न स्थिति के विषय में,

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायगा।

(1) श्री कैलाश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कालेज, अजमेर के दो छात्रों की दुर्घटना में हुई मृत्यु व वहां के डाक्टर श्री मैत्रेय को कार्यमुक्त कर देने के बावजूद भी वहां पुनः पदस्थापित कर देने से उत्पन्न स्थिति के विषय में।

यह विषय अत्यधिक पुराना होने से अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, अतः मैं इसे अनुमति देने में असमर्थ हूं।

निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव लोक महत्व के नहीं हैं, अतः इन्हें अनुमति देने में असमर्थ हूं :—

(1) श्री गोपाल पचेरवाल, सदस्य विधान सभा की ओर से कोटा जिले के निर्वाचन क्षेत्र पीपल्दा की ग्राम पंचायत इटावा के सफाई कर्मचारियों द्वारा की जा रही हड़ताल के विषय में,

(2) श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 22 फरवरी को कोटा के महाराव भीमसिंह अस्पताल के डा. हरि सक्सेना पर किये गये घातक हमले और कोटा के कर्मचारी महेन्द्रपाल सिंह की हत्या के विषय में,

(3) श्री मोहनलाल मोदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से नीम का थाना तहसील के अधिकांश भाग अकाल से पीड़ित होने के विषय में।

इस विषय पर माननीय सदस्य राज्यपाल

(38)

(श्री अध्यक्ष)
महोदय के अभिभाषण पर बहस के समय बोल सकते हैं, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(4) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य विधान सभा की ओर से शेखावाटी जनपद से बहुत से व्यक्तियों को खाड़ी के प्रदेशों में रोजगार हेतु ले जाने के लिए प्राइवेट एजेन्सियों द्वारा धोखा-धड़ी आदि की घटनाओं के विषय में।

यह विषय केन्द्र सरकार से सम्बन्धित है, अतः मैं इस पर स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

जैसी कि हमारी पूर्व में व्यवस्था रही है जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार कर दिये गये हैं वे दो दो मिनट में अपनी बात कहेंगे।

श्री कैलाश मेघवाल।

नियम 295 के अन्तर्गत उठाया गया प्रश्न

पंचायत राज कर्मचारियों का आमरण अनशन व प्रदर्शन

श्री नाथू सिंह (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, रूल 295 के अन्तर्गत मैंने आपको एक सूचना दी है कि राज्य सरकार ने 23 जनवरी को निर्णय लिया था . . .

श्री अध्यक्ष : रूल 295 है उसका मतलब यह है कि कोई विषय, जो पाइन्ट ऑफ आर्डर की परिभाषा में नहीं आता, को उठाने की इजाजत ली जावे। वह अन्य किसी तरीके से नियमों के अनुसार उठाया जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह पैरेलल प्रावधान हो गया है जिसके अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव को. . .

श्री नाथूसिंह : पंचायती राज कर्मचारियों का सवाल है, अध्यक्ष महोदय. . .

श्री अध्यक्ष : यह अन्य किसी तरीके से सरकार के ध्यान में लाने में कोई तकलीफ है उसको ध्यान में लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं।

श्री कैलाश मेघवाल। अच्छा पहले 295 हो जाय।

श्री नाथूसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय अभी अभी 23 जनवरी को राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि पंचायत समितियों और जिला परिषदों में आर. ए. एस. अधिकारियों को विकास अधिकारी के स्थान पर लगाया जायेगा। इसका विरोध राजस्थान पंचायती राज कर्मचारी, जो आज राजस्थान में 42 हजार है, ने किया। वे आज प्रदर्शन पर हैं। उनमें से दो व्यक्ति आमरण अनशन पर बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, 2 अक्टूबर, 1959 को जब से पंचायती राज राजस्थान में लागू किया गया था तब से 1966–67 तक इन आई. ए. एस. और आर. ए. एस. अधिकारियों को विकास अधिकारी के पद पर लगाया जाता था लेकिन उसके पश्चात् सरकार ने निर्णय लिया कि उनका कार्य संतोषजनक नहीं था इसलिये उनको हटा दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यदि ऑडिट रिपोर्ट्स को पढ़ा जाय, ए. जी. की ऑडिट रिपोर्ट्स है या लोकल बोडी की ऑडिट रिपोर्ट्स हैं उनको पढ़ा जाय तो उनमें घोर अनियमितताएं पाई जाती हैं। उस पीरियड में, 1959 और 1966 के बीच के पीरियड में प्रशासनिक कार्यों में गड़बड़ हुई और वित्तीय अनियमितताओं के एक नहीं अनेक उदाहरण हैं इसलिये सरकार ने निर्णय लिया कि उनको हटाया जाय और उनके

(श्री नाथूसिंह)
स्थान पर लो-पेड छोटे कर्मचारियों को रखा जाय। आज फिर सरकार उनको रख रही है तो फिर उनको हटाया क्यों गया और फिर वापस क्यों लगाया जा रहा है ? यह प्रश्न खड़ा होता है। उनको इसलिये हटाया गया कि वे सफल नहीं हुए और प्रशासनिक कार्यों में गांवों का उनको ज्ञान नहीं था वे वहां रह नहीं सकते थे । आप स्वयं जानते हैं, अध्यक्ष महोदय, एक आर. ए. एस. को रखने का कितना खर्चा आता है, गाड़ी का खर्चा होता है, दो तीन बाबू और इसी तरह से उनके लिये बोडी गार्ड आदि के खर्चे में एक आर. ए. एस. अधिकारी के स्थान पर 5-6 कर्मचारी लगाये जा सकते हैं इसलिये, अध्यक्ष महोदय···

श्री अध्यक्ष : वह शायद रात को गांव में ठहर भी नहीं सकते।

श्री नाथूसिंह : जी हां, इसलिये बहुत महत्व का मसला है। 15-7-79 को जिस समय जनता सरकार थी तब एक कैबिनेट डिसीजन लिया था और दूसरा 26-11-79 को एक निर्णय लिया कि इनको नहीं लगाया जाय और इनके स्थान पर रूरल डवलपमेंट सर्विसेज बढ़ाई जांय। यह निर्णय लिया जनता गवर्नमेंट ने कि कैबिनेट की एक सब कमेटी बनाई जाय लेकिन उसको लागू किया जाता उसके पहले ही जनता सरकार चली गई और उसके बाद जो सरकार आई उसने पता नहीं इस पर विचार किया या नहीं किया लेकिन इन्होंने यह एकतरफा निर्णय लिया है, कर्मचारियों की राय नहीं ली। आई. ए. एस. और अधिकारियों के विचारों के आधार पर निर्णय ले लिया कि यह रूरल डवलपमेंट का विषय नहीं बनाया जाय और उनके स्थान पर गांवों में आई. ए. एस.; आर. ए. एस. अधिकारियों को विकास अधिकारी बना कर भेज दिया जाय। तो एक तरफ तो यह खर्चा बढ़ा दिया, ओवर ड्राफ्ट पहले से ही राजस्थान का बहुत ज्यादा है और दूसरी ओर इसमें जो छोटे कर्मचारी हैं उनको बेचारों को नुकसान हो रहा है। आप देखेंगे, अध्यक्ष महोदय, इस समय जितनी भी सुविधाएं दी जा रही हैं या प्रोमोशन होते हैं उनमें आर. ए. एस. को बहुत प्रमोशन के चांसेज हैं लेकिन जो लो-पेड कर्मचारी हैं उनके प्रमोशन के चांस बहुत कम हैं। इसलिये इसके विरोध में आप जानते हैं, अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम होगा पंचायती राज कर्मचारी आज प्रदर्शन भी कर रहे हैं, आमरण अनशन पर भी बैठे हैं और वे सिर्फ अपने लिये ही नहीं बल्कि राज्य के हित को देखते हुए संघर्ष कर रहे हैं। परसों इस बारे में प्रश्न भी पूछा था कि कितने आर.ए.एस. अधिकारी लगाये जायगे तो उसका जवाब आया कि 118 अभी राजस्थान में लगाये जा रहे हैं जो केवल 50 प्र.श. स्थानों पर लगाये जा रहे हैं। क्या कोई निर्णय लिया है ? 50 प्र. श. स्थानों पर लगा रहे हैं इसका मतलब सरकार भी अभी फाइनल, अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंच पाई। सरकार भी अभी खोज में है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने 23 जनवरी को जो निर्णय लिया है उसको विथ-ड्रा करें और रूरल डवलपमेंट सर्विसेज बढ़ाई जायें। छोटे कर्मचारियों को गांवों में रखें जो उनकी समस्याओं को समझें, उनका विकास करें। बड़े अधिकारी लाल-फीताशाही के अलावा कुछ

(श्री नाथूसिंह)
नहीं करेंगे। यदि सरकार इसमें कुछ मानती है तो मैं बता देना चाहूंगा कि आप 1959 से लेकर 1966–67 की ऑडिट रिपोर्ट्स को पढ़ लीजिये उनके अन्दर जितने घपले मिलेंगे, आई.ए.एस., आर.ए.एस. अधिकारियों के, उनसे सरकार को संतोष हो जायेगा। इसलिये मैं मांग करता हूं जो कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, आमरण अनशन पर बैठे हैं उनको आश्वासन दें कि जो निर्णय लिया है उसको विथ-ड्रा करेंगे और रूरल डवलपमेंट सर्विसेज बढ़ाई जायेंगी। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : एक और है 295 में।

श्री भैरूंलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस पर दो शब्द कहना चाहता हूं कि आर.ए.एस. आफिसर्स को पंचायत समितियों में विकास अधिकारी लगाने से क्या होगा कि जो × × × सरपंच वहां पर बैठे हैं, आप जानते ही हैं, सरपंच आर. ए.एस. आफिसर्स के सामने × × × जायेंगे और उनको दिक्कत आयेगी। इसलिये मेरा सुझाव है कि इनको पंचायत समितियों में नहीं लगाया जाय तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो अनशन पर बैठे हुए कर्मचारी हैं उनको आश्वासन देकर उठावें।

श्री अध्यक्ष : कांग्रेस की तरफ से आप भी उठा सकते हैं।

श्री भैरूंलाल मीणा : मैंने तो सुझाव दिया है एक विधायक के नाते जिला परिषदों की परिस्थियों को देखते हुए, क्योंकि सरपंच तो पढ़े लिखे होते नहीं।

श्री अध्यक्ष : मैं इस पर नहीं कह रहा हूं...

श्री नाथूसिंह : इस संबंध में मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा...

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट...

स्थगन प्रस्ताव आदि पर विचार

श्री अध्यक्ष : इस पर नहीं। श्री कैलाश मेघवाल इस पर नहीं। यह चर्चा का विषय नहीं है।

श्री कैलाश मेघवाल, जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज, अजमेर...

श्री कैलाश मेघवाल : (अजमेर. पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पूर्व जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कालेज, अजमेर के दो छात्रों का एक स्कूटर दुर्घटना में देहान्त हो गया था। बड़ी मुश्किल से उनकी लाशें अजमेर पहुंची और वहां से घर तक उनके रिश्तेदार ले गये। उस समय अजमेर मेडिकल कालेज के जो प्रिंसिपल हैं उनका इस दुर्घटना के संबंध में बड़ा उपेक्षा का व्यवहार रहा। उनका फर्ज यह होता है कि वे संरक्षक के नाते लाशों को पहुंचाने में मदद करते, उनके रिश्तेदारों को सूचना देने में मदद करते लेकिन प्रिंसिपल श्री मैत्रेय ने अपने मेडिकल कालेज के टेलीफोन से सूचना भी नहीं देने दी और ना अपने मेडिकल कालेज का जो वाहन होता है उससे उन लाशों को भेजने में किसी तरह की मदद दी इसलिये उनसे रुष्ट होकर छात्रों ने हड़ताल की।

XXX शब्द एवं अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री कैलाश मेघवाल)

और हड़ताल लम्बी चली। राजस्थान के दूसरे कोने के छात्र भी इसमें सम्मिलित हुए। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री, जो यहां से पधार गये हैं, ने यह आश्वासन दिया था कि प्रिन्सीपल को छुट्टी पर भेज दिया जायेगा और छुट्टी से आने के बाद उनको अजमेर में नहीं लगाया जायेगा। इस आश्वासन के बाद हड़ताल बंद हुई थी। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि सरकार उस आश्वासन का पालन न करके प्रिन्सीपल को वहीं पर लगाने जा रही है जिसके पीछे दो दिन से अजमेर कालेज के छात्र आन्दोलन कर रहे हैं। कल से अजमेर कालेज के रेजीडेन्ट डाक्टर्स ने आन्दोलन में भाग लेना शुरू कर दिया है। अब सारे राजस्थान के मेडिकल छात्र और रेजीडेन्ट डाक्टर्स आन्दोलन में, हड़ताल में शामिल हो गये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार ने एक तो पहले छात्रों को आश्वासन दिया, उस आश्वासन का पालन होना चाहिए। यह ऐसा भावनात्मक प्रश्न है, संरक्षक के रूप में प्राचार्य है, प्रिन्सीपल है, उसका व्यवहार संरक्षक जैसा ही होना चाहिए परन्तु उल्टे सरकार प्रिन्सीपल के खिलाफ कार्यवाही न कर के छात्रों को भड़का रही है। प्रिन्सीपल के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए ताकि दूसरे प्रिन्सीपल को इस घटना से सबक मिले। छात्र की दुर्घटना हो जाए तो सतर्क होकर मानवीय दृष्टिकोण से उनके अभिभावक, रिश्तेदार को सूचना देनी चाहिए। ऐसा न करके उस डॉक्टर को वापस लगाया जा रहा है। सारे मेडिकल कालेज के छात्र, रेजीडेन्ट डाक्टर हड़ताल पर चले गये हैं। सारी स्वास्थ्य सेवाएं अस्त व्यस्त हो गई हैं। ऐसी स्थिति में मेरी सरकार से मांग है कि छात्रों की वाजिब मांग को स्वीकार करते हुए छात्रों के असन्तोष को दूर करें।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपाल पचेरवाल। पीपल्दा की ग्राम पंचायत इटावा में सफाई कर्मचारियों द्वारा हड़ताल।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 18–2–1982 से पीपल्दा निर्वाचन क्षेत्र के इटावा पंचायत क्षेत्र में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है···

श्री अध्यक्ष : वहां ग्राम पंचायत में सफाई कर्मचारी कितने हैं ?

श्री गोपाल पचेरवाल : 10–12 कर्मचारी हैं। बड़ी पंचायत है।

यह हड़ताल इसलिये नहीं चल रही है, श्रीमन्, उन्होंने अपना वेतन बढ़ाने की मांग की है। हड़ताल इस बात की नहीं है कि उन्होंने वर्दी की या छुट्टी की मांग की है। हड़ताल इस बात की है कि वहां के सरपंच, वहां के सचिव ने उनके साथ छुआछूत का व्यवहार किया, कार्यालय से धक्का देकर बाहर निकलवा दिया इसलिये कि तुम भंगी हो, कार्यालय में प्रवेश कैसे कर गये। सचिव के इस दुर्व्यवहार के कारण वहां के सफाई कर्मचारी 18 तारीख से हड़ताल कर रहे हैं। यहां यह प्रश्न नहीं है कि उनके हड़ताल करने से उनकी मांग मानी जाये। यह एक पक्ष है। सरकार आये दिन कहती है 'पिछड़े को पहले' और समाज परिवर्तन की बात करती है। गांधीवाद की बात करती

(श्री गोपाल पचेरवाल)

है। वहां के सरपंच कांग्रेस के होते हुए भी, प्रदेश में कांग्रेस सरकार होते हुए भी, हरिजनों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, कार्यालय में प्रवेश कैसे कर गये, कैसे छू लिया। वहां के सचिव ने, पंचायत के सरपंच ने उनको कार्यालय से बाहर निकलवा दिया। आज भी हरिजनों के साथ, सफाई कर्मचारियों के साथ सदियों पुराना व्यवहार, जो आजादी के पहले होता था, हो रहा है। कांग्रेस के सरपंच ने उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं की है। सचिव ने किया वह सही है। यह बड़े अफसोस की बात है। श्रीमन्, इस बात को लेकर सारे सफाई कर्मचारी पुलिस स्टेशन गये। उन्होंने वहां सचिव, सरपंच के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की परन्तु वहां के थानेदार ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। उनको धमकी देकर भगा दिया। उन पर दबाव डाला जा रहा है कि आगे कार्यवाही न करें, नहीं तो उनको नौकरी से निकलवा दिया जायेगा। गांव से निकाल दिया जायेगा। श्रीमन्, मैं यह मांग करता हूं सरकार से कि वह अपनी कथनी और करनी को स्पष्ट करे। अगर यह बात गलत हो तो मैं मांग करूंगा आपके माध्यम से सरकार से कि जिस थानेदार ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की है, जिस सचिव ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, उनको सजा मिलनी चाहिये, उनके साथ न्याय होना चाहिये और उनकी हड़ताल को समाप्त कराना चाहिये। यह इसलिये भी आवश्यक है कि गांव में गन्दगी फैली हुई है,- जन स्वास्थ्य की रक्षा की दृष्टि से हड़ताल समाप्त हो। हरिजनों को न्याय दिलाने की भावना से जिस थानेदार ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की है उसके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये। हड़ताल समाप्त होनी चाहिये और हरिजनों को न्याय मिलना चाहिये, यह मेरी मांग है।

श्री अध्यक्ष : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार का ध्यान आपके माध्यम से कोटा संभाग में विशेष कर कोटा नगर में जो लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन डेटीरियोरेट हो रही है, जीना दुभर हो गया है, उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 22 तारीख की रात को 8 बजे डाक्टर हरि सक्सेना, जो एम.बी.एस. अस्पताल में काम करते हैं, के पास दो व्यक्ति आये। उन्होंने कहा, मेरी मां को देखने चलिये। उसका विचार करके डाक्टर उनके साथ उनकी मोटर साइकिल पर बैठ गया। एक आदमी आगे बैठा चलाने वाला, बीच में डाक्टर बैठ गया, पीछे तीसरा आदमी बैठ गया। थोड़ी देर चलने के बाद पीछे बैठने वाले व्यक्ति ने छूरे के सात वार किये डाक्टर पर सरे बाजार में और डाक्टर की बोडी को अचेत अवस्था में छोड़ कर भाग गये। वह डाक्टर दो दिन बेहोश रहा और उसका आपरेशन किया गया तब वह होश में आया। सारे नगर में चर्चा है मरणासन्न स्थिति में है। उस अस्पताल के सारे डाक्टरों ने, डिस्पेन्सरीज के डाक्टरों ने नोटिस दे दिया है सरकार को कि आज 25 तारीख के प्रातःकाल 12 बजे तक निर्णय नहीं हुआ, अपराधी नहीं पकड़े गये तो हम चिकित्सालय बंद कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यह घटना एक नहीं

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

है। महेन्द्रपाल नाम के व्यक्ति, विभाग के अधिकारी हैं, उनके पास पैसा मांगने गये। उन्होंने मना कर दिया तो उनको छुरा मार कर हत्या कर दी गयी। सरे आम चोरियां हो रही हैं, डाके पड़ रहे हैं, छुरेबाजी हो रही है, हत्याएं हो रही हैं। कोटा संभाग के झालावाड़ के प्रतिनिधि ने भी अभी जिक्र किया है। डाक्टर सैनी के बारे में आरोप लगाया है। उस डाक्टर सैनी ने चार दिन पहले नर्स के साथ बलात्कार करने की कोशिश की अस्पताल में। लाइट गुल हो गई। तो लड़की भाग गयी, चिल्लाई। मुकदमा दर्ज है। एक तरफ कह रहे हैं कि लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन ठीक हो रही है, कोटा नगर में, मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसी हालत हो गई है कि जीना मुश्किल है। किसी भी व्यक्ति का निकलना मुश्किल है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को यह कहना चाहता हूं कि यहां दो, तीन, चार घटनाओं का जिक्र किया है, राज्य गृह मंत्री महोदय बैठे हैं, विधान सभा चलने के बाद चार दिन में ये घटनाएं आपकी नाक के नीचे हो रही हैं। कोई अपराधी नहीं पकड़ा गया है। अस्पताल का यहां पर जिक्र किया गया, रोडवेज का जिक्र किया गया, जिन हत्याओं का जिक्र किया गया, मैं आपसे कहना चाहता हूं मंत्री महोदय, वहां की व्यवस्था करें, चौकसी बढ़ाइये। कुछ इस प्रकार की व्यवस्था करें कि लॉ एण्ड आर्डर कन्ट्रोल हो। मैं चाहता हूं कि राज्य गृह मंत्री महोदय इसको गम्भीरता से लें। कोटा की औद्योगिक नगरी के साथ, जन जीवन के साथ खिलवाड़ न करें। कोटा संभाग से खिलवाड़ न करें। कन्ट्रोल करने के लिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले ...

(व्यवधान)

इसका सम्बन्ध राज्य सरकार से नहीं है।

(व्यवधान)

दो मिनट।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि बहुत से लोग खाड़ी के देशों में जाते हैं। आपने यह कहा कि यह विषय राज्य सरकार का नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि केरल और आन्ध्र प्रदेश की सरकारों ने इस प्रकार की व्यवस्था की है प्राइवेट एजेन्सियों की मार्फत लोग न जावें और वहां पर सरकारी एजेन्सी कायम की हैं ताकि सरकारी एजेन्सी के मार्फत ही लोग जायें। तीन दिसम्बर को राज्य सभा में श्रीमती राम दुलारी सिन्हा ने बताया है कि उन्होंने, केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को आदेश जारी किये हैं कि अपने अपने स्टेट में एजेन्सी कायम करें जिससे बाहर जाने वाले लोगों के साथ धोखाधड़ी न हो। ठीक प्रकार से पासपोर्ट लेकर जावें।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में सीकर, झुंझुनू जिले के कम से कम 60/70 हजार व्यक्ति बाहर काम कर रहे हैं। 200 पासपोर्ट रोज राजस्थान के अन्दर बनते हैं लेकिन वे वहां पर जाते हैं तो उनके साथ ज्यादती होती है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

प्राइवेट ट्रेवलिंग एजेन्ट पर्यटन वीसा लेकर उनको बाहर ले जाते हैं। एक एक वीसा के लिए 10–15 हजार रुपया लिया जाता है और पर्यटन के नाम पर वीसा लेकर उनको भेज देते हैं। वहां उतरने के बाद वे वहां पर काम नहीं कर सकते हैं। कोई 30–40 आदमी सीकर झुंझुनू जिले के तीन माह तक वहां पर दूतावास में पड़े रहे और उनको वापस लौटना पड़ा। इस प्रकार प्राइवेट एजेन्सी के मार्फत जाते हैं तो उनके साथ धोखाधड़ी होती है। वहां उनकी मृत्यु हो जाती है तो मुआवजा उन लोगों को नहीं मिलता है। एजेन्सी ठेका लेती है और उनके घर वालों को हजार रुपया दे देती है जब कि तीन, चार हजार रुपया खाड़ी के देशों से वे लेते हैं। इस प्रकार इन लोगों का भयंकर शोषण हो रहा है। राजस्थान में विशेष कर शेखावाटी क्षेत्र के सीकर, झुंझुनू जिले के लोगों के साथ ऐसी अनेक घटनाएं सामने आई हैं। यह इसलिए आपके सामने रखी थीं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस सारी स्थिति पर सोचे, सोच कर केरल और आन्ध्र प्रदेश की सरकारों ने जिस प्रकार वहां पर सरकार की मार्फत उपयुक्त व्यक्ति के द्वारा वीसा देने की व्यवस्था कायम की है, राज्य सरकार उस पर सोचे। राजस्थान से नौकरी के लिए बाहर जाते हैं, उनको सरकारी एजेन्सी के माध्यम से भेजा जाये ताकि उनका शोषण न हो सके।

दूसरा यह निवेदन करना है कि महाराष्ट्र सरकार अधिकतम निर्माण का काम चलाती है। उसने निर्माण के ठेके लिये हैं और महाराष्ट्र सरकार ने ठेके लेकर खाड़ी के देशों में आदमी भेजे हैं। मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब केरल के बाद भारत से सबसे ज्यादा राजस्थान के लोग बाहर काम करते हैं तो राजस्थान की सरकार को इस प्रकार के ठेके खाड़ी के प्रदेशों में लेने चाहिये। अपनी एजेन्सी के मार्फत वहां पर मजदूर भेजें ताकि राजस्थान सरकार को भी दिक्कत न हो और मजदूरों का भी शोषण न हो।

दूसरा मेरा यह निवेदन है कि पासपोर्ट आफिस जो जयपुर में है उसमें रोजाना 200-300 आदमियों के पासपोर्ट बनते हैं उनमें से 200 से अधिक लोग सीकर और झुन्झुनू जिले के होते हैं उनको पासपोर्ट बनवाने के लिये काफी परेशानी उठानी पड़ती है। मैं मांग करता हूं कि केन्द्रीय सरकार को लिखकर पासपोर्ट आफिस का एक सब पासपोर्ट आफिस सीकर जिले में खुलवायें। फिर मेरी मांग मानवीय दृष्टिकोण से मानवता के लिये है जो रोजगार के लिये, उपयुक्त रोजगार के लिये लोग जाते हैं उनको परेशानी न हो। एक बात और, एक पत्रिका में छपा था कि व्यक्तियों की स्मगलिंग की जाती है, हवाई जहाज से जो लोग जाते हैं उनकी नहीं और बड़े जहाजों से जो लोग जाते हैं उनकी नहीं बल्कि उनको छोटे-छोटे जहाजों से नोकरी के नाम पर भेजा जाता है। इस प्रकार से सीकर जिले का व्यक्ति वहां पर भेजा गया था उसकी वहां पर डेथ हो गई। उसकी डेथ होने के बाद उसकी डेड बोडी लाने में काफी परेशानी हुयी क्योंकि उसका पासपोर्ट नहीं था, बिना पासपोर्ट के उसको भेजा गया था। वह वहां पर मर गया। काफी समय के बाद मेरे स्वयं के द्वारा प्रयत्न करने पर विदेश मंत्रालय के द्वारा लाश लाने की व्यवस्था की गयी।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करूंगा कि यह एक अहम मसला है कि मजदूरों का शोषण रुके। सरकार एक ऐसी एजेन्सी बनायें जैसी की केरल और आंध्र सरकार ने बनायी है और जाने के इच्छुक व्यक्तियों को उसी सरकारी एजेन्सी के मार्फत भेजने की व्यवस्था की जाये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैंने बिजली के बारे में तीन चार दिन पहले स्थगन प्रस्ताव रखा था। बिजली कटौती से कितनी दिक्कत हो रही है। क्या राज्य सरकार इसकी कोई अहमियत नहीं समझती है...

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर नहीं आया है अभी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : चार चार दिन लग जायें, तो यह ठीक नहीं है..

श्री अध्यक्ष : बड़ा प्रश्न है, माननीय सदस्या। इसमें समय लग सकता है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, लोग भूखों मर रहे हैं, इनके पास समय नहीं है XXX

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कब तक करेंगे ? क्या कल आ जायेगा ?

सदन की मेज पर रखा गया पत्र
प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखा जाने वाला पत्र। श्री प्रद्युम्न सिंह।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, खनिज) : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619ए की उपधारा 3 के भाग (बी) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड का 34वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष, 1980-81 सदन की मेज पर रखता हूँ।

समिति का प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति (क) का तीसरा व चौथा प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री सम्पतराम।

श्री सम्पतराम [सभापति, प्राक्कलन समिति (क)]: माननीय अध्यक्ष, मैं प्राक्कलन समिति "क" 1980-81 के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूँ:–

(1) पर्यटन विभाग से सम्बन्धित समिति का तृतीय प्रतिवेदन,

(प्रक्रिया के नियम 307 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में माननीय अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए निदेश संख्या 3 के अन्तर्गत उक्त प्रतिवेदन अन्तः सत्रकाल में अध्यक्ष महोदय के समक्ष उपस्थापित कर दिया गया था)

(2) सार्वजनिक निर्माण (भवन एवं पथ) विभाग विषयक प्राक्कलन समिति,

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री सम्पतराम)
1975-76 के आठवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही से सम्बन्धित समिति का चौथा प्रतिवेदन।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

श्री अध्यक्ष : श्री छोगालाल कंवरिया।

राजस्थान कानिया उपरोपण विधेयक, 1982

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से राजस्थान कानिया उपरोपण विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कानिया उपरोपण विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कानिया···

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, यह जिन्होंने प्रस्तुत किया है ये छोगालाल कंवरिया हैं क्या ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने अध्यक्ष महोदय से आज्ञा मांग ली है।

श्री राजबहादुर : मैंने तो केवल यह पूछा है कि आपने नाम बदल लिया है क्या ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने आज्ञा मांग ली है। मैं राजस्थान कानिया उपरोपण विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पाइन्ट आफ आर्डर सर।

अध्यक्ष महोदय, मुझे जो कार्य सूची प्राप्त हुई है उसमें यह नहीं है। केवल इतना ही लिखा गया है कि छोगालाल, प्रभारी मंत्री निम्नलिखित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे। इसके बाद कार्यसूची में कोई विवरण नहीं है तो फिर ये मंत्री महोदय क्या पुटअप कर रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : लिखा हुआ है। आप पढ़ें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : साइक्लोस्टाइल तो किया हुआ है। आपके पास शायद नहीं पहुंचा है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मुझे जो सूची मिली है उसके अनुसार कह रहा हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : आपके पास तो सारी चीजें रहती हैं आप तो नटराज और निरोज ले रहे हैं···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पृष्ठ 2 आपके पास नहीं पहुंचा है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसके पीछे का कागज नहीं पहुंचा है।

एक माननीय सदस्य : यह नटराज का क्या मामला है, भाई ?

श्री अध्यक्ष : इसमें भूल रह गई है, छपा नहीं है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : हां, मैं इतना ही पॉइन्ट आउट करना चाहता था।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कानिया उपरोपण विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करता हूं।

धन्यवाद प्रस्ताव पर विचार

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर विचार। श्री राजबहादुर।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण इस बजट अधिवेशन के आरम्भ में मेरी मान्यता यह है, मेरा विश्वास यह है कि मात्र औपचारिकता नहीं है। इसलिये औपचारिकता अगर है तो यह जो विधान की धाराएं हैं, अनुच्छेद हैं उनकी भावनाओं के अनुरूप नहीं है। मेरी यह मान्यता है कि वर्ष के आरम्भ में जब राज्यपाल महोदय आते हैं और भाषण देते हैं तो जो प्रदेश की स्थिति है, प्रदेश की जो सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक समस्यायें हैं, जो राजस्थान की तीन करोड़ जनता के सामने खड़ी हुई समस्यायें हैं, उनके जो अभाव अभियोग हैं उनका कुछ विश्लेषण हो, अभिभाषण में कुछ इंगित हो कि इन समस्याओं के निराकरण के लिये क्या स्टेप्स, क्या कदम उठाये जा रहे हैं। ऐसा इस भाषण में कोई सारगर्भित रूप से सर्वांगीण रूप से विश्लेषण मुझे देखने को नहीं मिलता है।

ऐसा लगता है कि विभिन्न विभागों से, मंत्रालयों से प्रतिवेदन के रूप में पैराग्राफ मांगे गये हैं कि आपके यहां गत वर्ष में क्या-क्या काम हुए, क्या-क्या बातें हुयीं और उन पैराग्राफ्स को जोड़कर अभिभाषण बनाया गया है इस सरकार की ओर से। It is a compendium. It is a collection of departmental reports. इस अभिभाषण को इससे अधिक कुछ संज्ञा नहीं दे सकता हूं। इसमें आप किसी विभाग को देख लें। विभाग के बाद विभाग यहां तक कि अलफाबेटिकली आर्डर भी फालो किया गया है ट्रान्सपोर्ट सबसे अन्त में आया है और टूयूरिज्म उसके बाद आया है। मैं इसलिये यह कह रहा हूं कि रूलिंग पार्टी के द्वारा रूलिंग पार्टी की मिनिस्ट्री के द्वारा, गवर्नमेंट में जो हमारे साथी लोग हैं उन्होंने जो हमारी मौलिक समस्यायें हैं, जो व्यापक समस्यायें हैं उनके बारे में कुछ नहीं लिखा है।

सबसे पहली समस्या जनसंख्या की आती है और उसी से जुड़ी हुई है बेरोजगारी की समस्या। कोई भी एम.एल.ए. जो यहां बैठे हैं, विधायक जो बैठे हैं, हृदय पर हाथ रखें, कहें, कितनी भयंकर समस्या हरेक क्षेत्र में है बेरोजगारी की। यह की हरेक वर्ग में है। इस समस्या के बारे में कोई मौलिक रूप से कोई दृष्टिकोण दिया गया है क्या? इस समस्या की क्या व्यापकता है, क्या यह कहा गया है? Unemployment and educated youth make a highly explosive mixture. यह मेरा कहना नहीं है। यह एक बार ब्रिटिश पार्लियामेंट में Sir Samuel Hoax ने कहा था वही कहना चाहता हूं।

यह निश्चित बात है कि बेकारी और बेरोजगारी देखने को मिलती है लेकिन यह एक ऐसी समस्या है जिसका निदान जल्दी नहीं होगा।

(48)

(श्री राजबहादुर)

तो निश्चित ही किसी दुर्घटना के लिए तैयार होना चाहिए।

दूसरी बात पावर्टी की आती है। अध्यक्ष महोदय, वास्तविकता यह है कि पार्टी की बात दूर रही लेकिन जो भाव बढ़ गये हैं, रुपये का मूल्य कम हो गया है, गिरावट आ गई है, उसके बारे में कोई व्यापक प्लान इस एड्रेस में मिलता नहीं। किस प्रकार गरीबी को दूर किया जायेगा। गरीबी की सीमा में फंसे हुए 3 करोड़ में से डेढ़ करोड़ तो हैं ही; कम से कम 30 लाख परिवार गरीबी की लाइन से नीचे हैं। उनको कैसे ऊंचा उठाने की कोशिश करेंगे, क्या कर रहे हैं, क्या आमूल चूल परिवर्तन करेंगे समाज की रचना में? क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि एक ओर दैनिक जीवन में सुख सुविधायें दूर रहीं, अभाव अभियोग अनेक हैं वहीं दूसरी ओर जो हमारा डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम है वह कम्प्लीट फेल्योर है। फेल्योर यों है कि मौलिक आवश्यकतायें, जिनको हम असेन्शियल कोमोडिटीज़ कहते हैं, हर एक आदमी को जो चाहिए, पर न तो केन्द्र का, न हमारा कोई नियन्त्रण है। नियन्त्रण जब तक नहीं होगा, डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम फेल रहेगा। वितरण प्रणाली में आमूल चूल परिवर्तन होगा, इस सम्बन्ध में कोई बात, कोई संकेत इस गवर्नर के एड्रेस में नहीं है। डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम फेल हो रहा है। यह नहीं कि हमारे प्रदेश में ही फेल हो रहा है निश्चित बात यह है कि चाहे सीमेंट के घोटाले महाराष्ट्र में हों, 4 हजार टन सीमेंट के कर्नाटक में हों, चाहे 10 हजार टन सीमेंट के आंध्र प्रदेश में हों उसका प्रभाव तो हम सब पर पड़ता है और इन सब के उपरान्त हम देखते हैं कि गरीब और अमीर के बीच की खाई चौड़ी होती जा रही है। मिक्स्ड इकोनोमी, मिली जुली अर्थव्यवस्था जो हमने अपनायी है एक तरह से चरमरा कर अपना जो उद्देश्य था उसको खतम कर चुकी है और निश्चित, स्पष्ट बात है कि मिक्स्ड इकोनोमी के नाम से आखिर संरक्षण किसको मिल रहा है। who is gaining the protection under mixed economy? यह एक नारा मात्र रह गया है जिसके अन्तर्गत जिनके पास पूंजी थी, जिनका पूंजी पर कब्जा है, उद्योगों पर कब्जा है, धनी और अधिक धनी होते जा रहे हैं और गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। मैं अपनी बात नहीं कहता, स्वयं राष्ट्रपति जी ने जो उद्बोधन किया राष्ट्र के प्रति गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या को, उन्होंने कहा कि हमारी योजनाओं पर अब तक 90 हजार करोड़ रुपया लग चुका है अब तक हमारे प्लान्स में लेकिन जहां तक हमारी आबादी है, किसान है, मजदूर है, शहरों में बस्तियों में रहने वाले हैं वह अनटच्ड हैं और उन्होंने कहा कि क्या हो गया है हमारे नैतिक मूल्यों को। सन् 20 में गान्धी जी के आह्वान पर आज से करीब 60 वर्ष पहले देश के लोग कूद पड़े थे असहयोग आंदोलन में और 1931 में आज से 50 वर्ष पहले कूद पड़े थे लाखों देशवासी सविनय अवज्ञा आन्दोलन में। सन् 42 में 40 वर्ष पहले अंग्रेजो भारत छोड़ो आन्दोलन में हजारों और लाखों ने जान की बाजी लगा दी, लोगों ने अपने प्राणों को हथेली पर रखकर कुर्बानी दी थी। आज क्या हो गया है, आजादी के पश्चात् दो या तीन दशकों में, यह उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि समस्यायें हैं नैतिक मूल्यों के गिरावट की, कोलेप्स ऑफ मोरल वेल्यूज़ की। ये

(श्री राज बहादुर)

सारी समस्यायें हैं। क्या राजस्थान में कोई समस्या ही नहीं हैं जिनकी चर्चा गवर्नर के एड्रेस में तो होनी चाहिए थी। हमारी जनसंख्या 3 करोड़ से ऊपर हो गयी है।

श्री अध्यक्ष : साढ़े तीन करोड़।

श्री राज बहादुर : जो भी हो। एक बेसिक क्वेश्चन यह है कि क्या आप इतने मात्र से संतोष करते हैं कि डिपार्टमेण्ट्स से रिपोर्ट मंगा ली, उनको संकलित कर छाप दिया और गवर्नर का एड्रेस बन गया। एक प्रस्तावना, एक भूमिका होती थी वह भी नहीं है।

कुछ दावे भी किये गये हैं। दावा किया गया है कि लॉ एण्ड आर्डर बहुत इम्प्रूव हो गया है। कहीं कुछ समस्या नहीं है। अभी हमारे साथी ललित किशोर चतुर्वेदी ने आपके सामने कहा। मेरे खुद के निवास नगर में दिन दहाड़े, थोड़े दिन की ही बात है, बहुत दिन की नहीं है, उसके संबंध में मेरा एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी है, दिन के 11 बजे डाकू थे या चोर थे पता नहीं, एक गरीब औरत थी, खाना बना रही थी उसके घर में घुस गये। उसका कत्ल हुआ और कत्ल होने के बाद उस परिवार का माल ले गये 25-30 हजार का था लेकिन यह घटना घटी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, ट्रेजेडी है। लेकिन पुलिस की ओर से कोई कार्यवाही नहीं हुई। किसी को पता नहीं। भरतपुर नगर के मध्य में लगभग पिछले डेढ़ सालों में 4–5 मर्डर हो चुके हैं किसी एक का पता पुलिस ने नहीं लगाया है। आपको शायद स्मरण होगा कि मैंने एक बकुए के बारे में कहा था कि यू. पी. की पुलिस आयी थी और हमारे गांव से दो आदमियों को उठाकर ले गयी थी। आपने उस समय रूलिंग दी थी कि केस रजिस्टर किया जाये लेकिन आज तक केस रजिस्टर नहीं हुआ। आश्वासन होते हैं, यहां पर हमारी बातें होती हैं, हमारी एक आश्वासन समिति है, मैं आश्वासन समिति से विनती करूंगा आपकी मार्फत कि जो आश्वासन यहां दिये जाते हैं, आपका आदेश होता है उनकी पालना भी होती है या नहीं। यह निश्चित बात है कि अभी कहा गया था कि हमारे यहां साम्प्रदायिक एकता है गवर्नर एड्रेस में आया है। आज ही अखबारों में पढ़ने को मिला, बहुत दूर न जाइये। एक बयान दिया है हमारे केन्द्रीय उप मंत्री श्री निहार रंजन लस्कर जी, जो मेरे मित्र रहे हैं, कहते हैं कि वर्ष 1981 में राजस्थान में 14 साम्प्रदायिक उपद्रव हुए। उनमें कम से कम 2 आदमी मारे गये। दावा किया जाता है, गवर्नर एड्रेस में कहा जाता है कि कोई साम्प्रदायिक झगड़े नहीं हुए। यदि ऐसे दावे थोथे और निर्मूल करने थे तो इसको अपनी भाषा में कह दिया करें। गवर्नर से झूठ बुलवाया गया है। 14 तो कम नहीं होते साम्प्रदायिक दंगे। यह मेरी बात नहीं हमारे गृह राज्य मंत्री ने यह बयान दिया। अनिवार्य है कि मुख्य मंत्री जी एक्सप्लेनेशन दें कि इस प्रकार की यह बात कैसे आ गयी। या तो ये गलत कह रहे हैं, हाउस को मिस-गाइड कर रहे हैं या तो वे गलत कर रहे हैं, यहां बाकायदा संसद में स्टेटमेंट हुआ है वह गलत है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो समस्यायें आपके सामने आती हैं, विकास की बातें आपने की है कि फलां महकमे में विकास हो रहा है, प्रदेश में विकास हो रहा

(श्री राज बहादुर)

है। प्लान के बनाने की प्रक्रिया है उस पर मेरी जो आपत्ति रही है आप जानते हैं। आप जो प्लान बनाते हैं उसका जनता से कोई सम्बन्ध नहीं, कोई तारतम्य नहीं। जनता की भावना क्या है, आकांक्षा क्या है, सदन में जो मत व्यक्त किया जाता है उस पर क्या होता है कुछ पता नहीं है। लेकिन अब तो सारे देश का प्लान चरमरा रहा है। खुद प्लानिंग कमीशन ने कहा है कि साधन इतने कम हो गये हैं कि सिक्स्थ प्लान को कट करना पड़ेगा। सिक्स्थ प्लान में कट होगा तो हमारे प्लान का क्या बचेगा। हमारे यहां तो कोढ़ में खाज है। एक तरफ से प्लान कट हो रहा है दूसरी ओर देखते हैं कि राजस्थान की स्थिति बहुत भयावह है। 300 करोड़ से ऊपर ओवर ड्राफ्ट है और पिछले साल से 80-90 करोड़ ज्यादा हो चुका है। उसके उपरांत यह कहा जाता है कि हम कुछ कदम उठायेंगे जिस से ओवर-ड्राफ्ट कम होगा, लोन्स कम होंगे। कहीं ऐसी स्थिति नजर नहीं आती है। मैं खाली रेफरेन्स के लिए कहना चाहता हूं कि प्लानिंग कमीशन के अखबारों में रिपोर्ट है कि उसमें साफ कहा है कि जहां जहां जिस स्टेट में Excess Spending होंगे, ज्यादा खर्चा होगा That shall be adjusted against these plan expenditure प्लान में कटौती कर दी जायेगी। आपने यहां से 540–560 करोड़ का प्लान भेजा था।

एक माननीय सदस्य : 541 का।

श्री राज बहादुर : 541 का। उसमें से 340 मंजूर होकर आया। पिछले साल 360 था वह भी नहीं आया। इसी बीच में भाव बढ़ गये हैं, पैसे का मूल्य कम हो गया है जो कुछ भी मिला है उसको मान लें कि वह 300 करोड़ का रह गया है। आप कैसे पूरा करेंगे एड्रेस में दी हुई अपनी सारी योजनाओं को। जबर्दस्त अकाल पड़ा हुआ है कुछ जिलों में चौथा अकाल है। बाढ़ की भीषणता पहिले आ गयी। आपने बहुत कुछ करने की चेष्टा की है जहां तक सड़कों का सवाल है। बहुत से इलाकों में क्षति हुई है। उनमें मेरा इलाका भी है वहां बाढ़ के बाद कुछ नहीं हुआ। बाढ़ में सारे नगर की सड़कें खतम हो चुकी हैं। मोहल्ले और गलियों में सड़ते हुए और मैले पानी कीचड़ के पूल्स बने हुए हैं। जो नहर खाली करवायी गयी थी किले और घाटों की मरम्मत के लिए वहां भी मल और गंदगी भरी पड़ी हुई है। शहर की जनता का सारा जीवन खराब हो रहा है। लोगों का जीवन नरकमय है। इस हालत में आप क्या करेंगे। 300 करोड़ के प्लान का परिणाम क्या होगा। आपने कहा था घाटे को पूरा करने के लिए प्रोहिबिशन दूर करेंगे। प्रोहि-बिशन भी दूर किया। मैं तो कहूंगा कि अपने राष्ट्रपति जी से और अपने राज्यपाल जी, दोनों ने जो विधान के अनुसार शपथ ली थी, से उसका उल्लंघन कराया है। उनका धर्म यह था कि उस शपथ के अनुसार वह हमारे कान्स्टीट्यूशन को डिफेन्ड करते, प्रोटेक्ट करते। कान्स्टीट्यूशन के महत्वपूर्ण डायरे-क्टिव प्रिंसिपल्स में जो दिशा निर्देश सिद्धांत हैं उनके अनुसार प्रोहिबिशन लागू करना चाहिये था उसको खतम नहीं करना चाहिए। खतम करने के बाद भी कान्स्टीट्यूशन और हाउस के जो नियम बनते हैं आर्टिकल 208 के विपरीत आपने इसको पास किया लेकिन

(श्री राज बहादुर)
यह तो कोर्टस में जब चेलेंज होगा तब निर्णय होगा। मैं इस में नहीं जाना चाहता। यहां तो मात्र इतना कहना है कि नशाबन्दी समाप्त करने के बावजूद आपका घाटा पूरा नहीं हुआ।

आपने दूसरी बात कही है लैण्ड कन्वर्सन की, उससे जो पैसा मिलेगा, घाटा पूरा होगा। मेरी विनती है कि इसमें भी हैव्ज जो हैं उनको ही लाभ मिलेगा, हैव्ज नॉट को नहीं मिलने वाला है। जिनके पास कृषि की भूमि है, वे 25 से 50 गुने मूल्यों पर बेचेंगे। जिन्होंने जयपुर के आस पास जमीन ली है, एग्रीकल्चरल लैण्ड ले ली है ····

श्री रामसिंह विश्नोई : ये आ गये जिन्होंने ले ली हैं।

श्री राज बहादुर : यह मुझे पता नहीं किसने ली है, लेकिन मैं तो एक सिद्धान्त की बात कहता हूं। लैण्ड कन्वर्शन से आपने कहा है कि हम किस प्रकार से घाटा पूरा करेंगे। लैण्ड कन्वर्शन का फायदा राजस्थान की साढ़े तीन करोड़ जनता को नहीं पहुंचने वाला है वह पहुंचेगा गिने-चुने भाग्यशाली आदमियों को। भाग्यशाली और बेईमान एक ही श्रेणी में आते हैं। बात यह है कि भाग्यशाली वे लोग हैं जिनके पास जमीनें थीं और इसके बाद सरकार ने और पूंजी दे दी। जो जमीन प्रति बीघा ली थी सैंकड़ों में उसका एक गज बेचा जायेगा सैंकड़ों और हजारों में।

एक माननीय सदस्य : भगवान देता है तो छप्पर फाड़कर देता है।

श्री राज बहादुर : छप्पर फट गया उनके लिए। पानी और बिजली का क्या हाल है। पानी के बारे में तो मुझे राजस्थान के भाग्य और भविष्य पर बहुत दुःख हो रहा है। किन्तु केन्द्र के ऊर्जा मन्त्री ने भी कहा है, यह मैं नहीं कह रहा हूं, केन्द्र के ऊर्जा मन्त्री गनी खां चौधरी ने कहा कि उनके अपने जो लक्ष्य हैं ऊर्जा के उनको पूरा नहीं कर सकते। उनमें कटौती होगी, सिक्स्थ प्लान में कटौती होगी। 20 हजार MW से 17 हजार MW हो जायेगी। जहां तक हमारा सम्बन्ध है हमारे यहां तो बिजली आंख मिचौनी करती है। दिन में जयपुर में मिलती ही नहीं है, गांवों और कस्बों की जो हालत है उसका वर्णन ही नहीं है। इस कारण प्रदेश में 25 बड़े-बड़े उद्योग ठप्प पड़े हैं, बन्द पड़े हैं जिनमें मजदूर है आज रोटी-रोजी खो बैठने का खतरा देख रहे हैं कि कब बन्द होते हैं और कब उनको बेरोजगार किया जाता है। फिर बार-बार बयान होते हैं अखबारों में और बात निकलती है, सतपुड़ा का जो थर्मल पावर स्टेशन है उसमें हमारा कितना हिस्सा है वह भी अभी तक निश्चित नहीं, और मिल कितनी रही है, कब मिलेगी यह भी पता नहीं। इसी प्रकार राजस्थान एटमिक पावर प्लांट आंख मिचौनी करता है। सदन में बोल रहे हैं लेकिन सत्ता पक्ष में किसी में हिम्मत नहीं बोलने की, केन्द्र में कहने की किसी की हिम्मत नहीं कि इस बीमार संयंत्र पर राजस्थान के भाग्य को न छोड़ो। क्यों नहीं इसको ठीक करवाते हैं। प्रोटेस्ट तो हो, प्रोटेस्ट होना चाहिये।

एक बात आज कहूंगा, जहां तक बिजली का सवाल है जो भी आपने कहा वह गलत कहा है। आपने कहा है 11 हजार या 11 सौ गांवों में बिजली आयेगी। आयेगी कहां से? बिजली की लाइन लगा

(52)

(श्री राज बहादुर)

दी, और बिजली नहीं तो इससे क्या होगा। आपने कहा है प्राइवेट इन्टरप्रेन्योर्स को कैप्टिव प्लान्ट्स बनायें, कैप्टिव प्लान्ट कहां से चलायेंगे, कैप्टिव प्लान्ट चलते हैं तो डीजल से या कोयले से। डीजल और कोयला कहां से आयेगा। जो केन्द्रीय स्टॉक है उसमें से ही आयेगा। आप प्राइवेट इन्टरप्रेन्योर को दीजिये। आप जो फायदा ले सकते हैं वह प्राइवेट इन्टरप्रेन्योर्स को जायेगा।

देश में जितने स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं सबके सब घाटे में चल रहे हैं। राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का हाल तो यह है कि कर्ज लिया होगा उसका सूद भी दे पायेगा या नहीं? यह मंत्री महोदय स्पष्ट करें। कम से कम मैं यह समझता हूं कि ऊर्जा मंत्री गनी बेग चौधरी के बयान के मुताबिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन योजना में 40 पर्सेन्ट की कमी होगी। 40 पर्सेन्ट की कमी से क्या प्रभाव पड़ने वाला है यह पता नहीं। इतना जरूर है हर एक मेगावाट जो प्रोडक्शन में कम होता है उसके पीछे 17 करोड़ का प्रोडक्शन कम होता है। एक मेगावाट का प्रोडक्शन कम, 17 करोड़ का प्रोडक्शन कम, इसके बावजूद यह कहा जा रहा है कि प्रोडक्शन बढ़ायेंगे। जहां तक सिक्स्थ प्लान में फाइनेन्सियल इयर में बिजली का सवाल है, उत्पादन कम हो रहा है तो एक मेगावाट की कमी से 17 करोड़ का उत्पादन कम होता है, इसका परिणाम क्या होगा, यह कहने की आवश्यता नहीं।

इरिगेशन के बारे में बहुत सी बातें कही गई। लेकिन और राज्यों ने तो कोशिश करके, लड़ झगड़कर अपना लक्ष्य स्थापित किया कि हम अपनी भूमि, जो एरीबिल खेती के योग्य लैण्ड है उसके इतने एरिया में सिक्स्थ प्लान में सिंचाई के साधन उपलब्ध करायेंगे। किन्तु राजस्थान के 26.4 मिलियन हैक्टेयर भूमि ऐरीबल लैण्ड है, राजस्थान में जितने सिंचाई के साधन हैं, जो हमारे पास में हैं उनसे क्या आप बतायेंगे कि कितनी सिंचाई होगी। मेरी यह जानकारी है कि जब राजस्थान कैनाल पूरी हो जायगी, माही पूरी हो जायगी और दूसरी पूरी हो जायगी तो कुल मिलाकर 6 मिलियन हैक्टेयर को ही दे पायेंगे और शेष 20 मिलियन हैक्टेयर बिना सिंचाई के रह जायेगी। क्या उसके बारे में कुछ आपने सोचा है। यह दूर दृष्टि से, विजिन के साथ, कल्पना के साथ आप करिये और कुछ कीजिए। जो साधन आपके पास हैं, चम्बल का पानी, कोटा बैराज के नीचे से हजारों क्यूसेक पानी यूं ही बहता रहता है उसको संजोइये। पूर्वी राजस्थान की नदी है, बनास है, उसको संजोइये। इसके लिये एक शब्द भी इस अभिभाषण में नहीं है। पूर्वी राजस्थान के लिए क्या व्यवस्था है। इनकी नजरों में पूर्वी राजस्थान एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, यह पता नहीं। सरकार की निगाह ही नही है पूर्वी जिलों की ओर। जितने बेसिन हैं, गंगा और जमना के जो अरावली के उत्तर और पूर्व में हरियाणा के बोर्डर से लेकर नीचे मध्यप्रदेश की सीमा तक उनकी तो गिनती नहीं है। और बात तो दूर है। जमना के बारे में तो जब सवाल आयेगा तब कहूंगा, यह दूसरी बात है। अभी तो मैं इतना आपसे जानना चाहूंगा कि सिंचाई के लिए क्या और कितने इनके लक्ष्य हैं। कितनी एग्रीकल्चरल लैण्ड, कितने एकड़ आप सिंचाई

(श्री राज बहादुर)

में लेना चाहते हैं। अगले 20 वर्ष में या 30 वर्षों में आने वाली जनरेशन के लिए आप क्या छोड़ना चाहते हैं ? आपके ध्यान में अगली आने वाली जनरेशन एग्जिस्ट करती है कि नहीं ? शासक दल के लिए ईस्टर्न राजस्थान भी कुछ है या नहीं? या सारा विकास का व्यय वेस्टर्न राजस्थान में खर्च हो जायगा ? मैं जानना चाहता हूं। मैं कोई क्षेत्रीय भावना से नहीं कह रहा हूं। अगर आप समूचे साधन संजोयेंगे तो पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान दोनों को पूरा लाभ मिलेगा। पश्चिमी राजस्थान को संवारने के लिए पानी की उपलब्धि होनी चाहिए। आप कुछ कर नहीं रहे हैं, आने वाली संतति रोयेगी, पछतायेगी, हमारे भविष्य के बारे में सोचा नहीं। मैं आपसे विनती करूंगा, जहां तक यूटिलाइजेशन का सवाल है तो जहां कहीं सरप्लस वाटर है, यूटिलाइजेशन आफ बनास वाटर, इसके बारे में कभी तो सोचना शुरू कीजिये। कब सोचेंगे? और चम्बल के पानी और रेविन्स के लिए हमारे माननीय राज्य मंत्री प्रद्युम्नसिंहजी धौलपुर के इलाके से आते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या हुआ उनके लिए ?

अब आज रावी व्यास के पानी के समझौते के बारे में अधिक नहीं कहूंगा। वह डाकूमेन्ट मेरे पास है और मैंने पढ़ा नहीं है। उसकी कापी नहीं मिली। अध्यक्ष महोदय, मैं विनती करूंगा, मुख्य मंत्रीजी ने वायदा किया था कि कापी मिल जायगी। वह मिल जाय तो अच्छा है। उसके बारे में एक बात कहना चाहता हूं, बार-बार कहा जाता है राजस्थान की नहर का पानी, रावी-व्यास का पानी कमिटेड है, इसलिए पूर्वी राजस्थान को नहीं मिलेगा। हरियाणा तो तैयारी कर रहा है। मैंने बार-बार कहा है सतलज-जमुना लिंक नहर में भागीदार बनिये। तो वह नहीं हुआ, लेकिन आज सरप्लस पानी कौन ले रहा है ? या तो पाकिस्तान ने लिया या अब पंजाब ले रहा है। पंजाब को जो पानी दिया है वह मांग करता है उसे काफी पानी मिलेगा। जिसके पास कब्जा है वह लौटाने वाला नहीं है। आज राजस्थान तो अपने बट के पानी का उपयोग कर नहीं सका। अब पंजाब को आपने निःशुल्क पानी दे दिया। उस पानी को दे दिया। जिसे अगर पंजाब को आपने दिया था तो उसके बदले पैसा लिया होता, तो आज जो कर्ज में डूबे हुए हैं, जो ओवर-ड्राफ्ट में दबे हुए हैं उससे कुछ मदद मिलती। लेकिन आपने उसके लिए कुछ नहीं किया। मैं छुपाऊंगा नहीं, जब मैंने प्रारम्भ में समझौते के विषय में पत्रों में पढ़ा तो मुझे कुछ सन्तोष हुआ कि इस समस्या का हल निकल आया है। मैंने समझा कि एक पुराना झगड़ा समाप्त हुआ और हमें फायदा होगा। मैंने सोचा कि प्राइममिनिस्टर ने जो आश्वासन दिया था वह पूरा हुआ है, लेकिन जब गहराई में देखा और तथ्य मालूम पड़े तो मैंने सोचा कि सतलुज-जमना लिंक का क्या हुआ, उसके बारे में क्या हल निकला। जब मुझे सारा भेद मालूम पड़ा, मैंने देखा कि भीतरी बात क्या है, ऊपर तो मुलम्मा चढ़ा हुआ है, हम दबाये गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि आप पंजाब को पानी दे रहे हैं। वह आपके हक का पानी है। मैं कहता हूं कि पंजाब में झगड़े चल रहे हैं, खालिस्तान का झगड़ा चल रहा है, अगर वह बन गया तो कल वह हमें पानी नहीं देंगे, तो आप क्या करेंगे। आपने पानी देने का मूल्य

(54)

(श्री राज बहादुर)

भी नहीं लिया है, उसके बारे में सोचा भी नहीं। मुझे खेद है कि कल तक कुछ और होगा। मैं मुख्य मंत्रीजी से क्या कहूं, वे मेधावी हैं, दूरदर्शी हैं, लेकिन जो मोटी-मोटी बातें सामने आती हैं उसके बारे में प्रदेश के हितों का संरक्षण नहीं कर पाते। It is time that you look about yourself. यह चीज ऐसी नहीं है कि लोग उसे भूल जायें।

एक बात मैं कहूंगा कि जहां तक एक और बड़ी चीज है, एक राष्ट्रीय स्तर पर इरिगेशन मिनिस्ट्री द्वारा भी बनाई गई है वह एक नई आथोरिटी बनी है उसका नाम है "नेशनल वाटर डवलपमेंट आथोरिटी" या एजेन्सी। जितना सरप्लस वाटर है, ब्रह्मपुत्र से लेकर जेहलम नदी तक या कावेरी तक उस सारे पानी का कैसे मैनेजमेंट हो, सोचा कभी आपने। गंगा का सरप्लस पानी कावेरी में जायेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि हम एक नेशन हैं एक कन्ट्री है तो राजस्थान को इस नेशनल वाटर डवलपमेंट आथोरिटी के द्वारा क्या संरक्षण मिलेगा। बाहर से पानी के लिए बिना आपका काम नहीं चल सकता। आपका उद्धार नहीं हो सकता। क्या राजस्थान को मरु भूमि भारत का भाग नहीं है? अगर भारत का भाग है तो जो नेशनल वाटर डवलपमेंट आथोरिटी है वह यहां क्यों पानी नहीं छोड़े। वह आप क्यों नहीं सोचते कि कैसे और कहां से पानी आयेगा? क्या आपने इस संस्थान से कोई किसी तरह मांग की है? Have you entered into any cabeat in this respect: देश के सरप्लस पानी पर हमारा भी मौलिक हक है। आप क्यों नहीं कहते कि वह पानी हमें भी दिया जाये? कोई पहल नहीं। कोई चर्चा नहीं। शुरू से होता आप देखें, इरिगेशन मिनिस्ट्री वाले भूल जाते हैं। मैंने कहा इसीलिए कि address is nothing but a collection of departmental reports. यह मात्र एक संकलन है उन प्रतिवेदनों का, रिपोर्ट्स का जो विभिन्न पैराग्रों में दिये हैं।

पैरा टू पैरा चलते हैं उनमें जो मौलिक चीजें हैं उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इंडस्ट्रीज के बारे में मुझे बड़ी खुशी होती यदि कहा गया होता कि केन्द्रीय पब्लिक सैक्टर की कोई यूनिट हमारे यहां पर आ रही है। मथुरा की रिफाइनरी चालू होने वाली है, हो गई है तो कम से कम परीक्षण के रूप में हमारे यहां पर Petrochemical इंडस्ट्रीज बन सकती हैं। कोई किसी तरह का इंगित इसमें नहीं है। मैं समझता था कि भारत का जो एच.इ.एल. है उसकी कोई यूनिट यहां आ सकती है, या बन सकती है। उसका कोई भी संकेत इसमें नहीं है। Railway Coach Building factory का कोई यूनिट हो सकता था। जापान और दूसरे देश के लोग आज हमसे इस बारे में जानकारी मांगते हैं। हम मानते हैं क्या, राजस्थान की ओर से प्रयत्न किया गया है कि हमारे यहां पर ऐसी इंडस्ट्रीज लगे। बी.एच.इ.एल. की कोई चीज नहीं है। और तो और ड्राई पोर्ट, जिसकी मांग है वह भी नहीं है। उधर दिल्ली में क्या काम किया, वहां Containers बनानी शुरू कर दी गई।

(1.5 म. प.)

(श्री सम्पतराम, सभापति, पदासीन)

और अब घोषणा कर दी है कि ड्राई पोर्ट वहां बनेगा। हम यहीं से लेकर उसका इस्तेमाल

(श्री राजबहादुर)

शुरू कर देंगे। जो हजारों आदमियों को रोजगार मिलता है वह भी चला गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो पब्लिक सैक्टर के यूनिट हैं, किसी के बारे में चर्चा नहीं हुई और न ऐसा संकेत है कि ऐसा करेंगे। अनेक उपलब्धियां इस वर्ष की बताई गई हैं, अगर यही उपलब्धियां इस वर्ष की हैं तो खेद है। इस राज्य का भगवान भला करे, खैर करे।

कहा गया है कि आज पंचायती राज को नवजीवन दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ इन पंचायती सरपंचों के चुनावों में पचास हजार का खर्चा रखा गया है, जो चुनाव में खड़े हों वह खर्च कर सकते हैं, लेकिन दो-दो लाख रुपया इसमें खर्च किया गया। क्या आप पंचायती राज की जड़ मजबूत कर रहे हैं? क्या डेमोक्रेसी इस तरह मजबूत होगी? एम. पी. और एम. एल. ए. चुनाव लड़ते हैं तो उनमें इतना रुपया लगता है, लेकिन आज पंचायत के चुनाव में कहीं मौलिक रूप से विकार आ चुका है और जो विकार आ चुका है उसके लिए आप कैसे धन्यवाद दे सकते हैं। Opposition represents a section and it must be consulted.

बीस सूत्री कार्यक्रम में सबसे पहले डवलपमेंट था, प्रोडक्शन था और फिर इरिगेशन था। मैं उसके बारे में कहना चाहता हूँ। दो बात कहकर मैं अपनी विनती खतम करूंगा। वह यह है कि जनता के ऊपर उपभोक्ता के ऊपर बोझ बढ़ता चला जा रहा है और उनका दुःख, उनका संताप है, उसकी सीमा नहीं रही है। निश्चित बात है कि जो नये-नये कर और आ रहे हैं उनके लिए भी अप्रजातांत्रिक तरीके इस्तेमाल किये जायेंगे। पी. एण्ड टी. के रेट बढ़ गये, टेलीफोन के, तार के रेट बढ़ गये, रेलवे के किराये बढ़ गये। जब यह सवाल पार्लियामेंट में उठा कि बजट का सेशन चल रहा है तो हिदायतुल्ला साहब ने बिना किसी संकोच के साफ-साफ कहा कि यह बहुत बुरी बात है। जब पार्लियामेंट में बिल लाया गया था उसके बाद यह कर नहीं लगने चाहिये। यह भी कहा कि आइन्दा ऐसा नहीं होना चाहिये। मैं यह कहूंगा कि क्या राज्य सरकार हमारे हित हेतु साढ़े तीन करोड़ आबादी वाले इस राज्य की संरक्षक है या नहीं? क्या उसने मन में सोच रखा है कि जो नये कर लगाये गये हैं वह ठीक हैं? जो पी. एण्ड टी. के टैक्स हैं, वह केन्द्र के हैं वह अलग चीज है। रेलवे के भी किराये बढ़ गये और कितनी महंगाई हो जायेगी, सफर करना कितना महंगा हो जायेगा यह भी आप जानते हैं। जो एक्सीडेंट हो रहे हैं जिनके बारे में अखबार में आया है, इनका कारण है कि उनमें 52 पर्सेंट ऐसे हैं जो ट्रैक के फेल्योर से हो रहे हैं। पिछले साल केवल 70 पर्सेंट एक्सीडेंट ट्रैक फेल्योर से होते थे, इनके लिए तो कोई ध्यान नहीं है। 132 करोड़ रुपये के जो नये टैक्स लगाये गये हैं वह लगाये जायेंगे। उनसे बड़ी लाइनें बनेंगी, लेकिन छोटी लाइनों के बड़ी करने की कोई बात नहीं कही गयी है। चाहे रेलवे की बात हो, चाहे पी. एण्ड टी. की बात हो, चाहे इरिगेशन की बात हो। डालडा के दाम बढ़ा दिये गये, 192 रुपये में जो 16 किलो का टीन आता था वह अब 217 रुपये का मिलेगा। आप जब घी महंगा कर रहे हैं तो कैसे भाव घटेंगे। लेकिन यह बात स्वीकार की गई है कि

(श्री राज बहादुर)

मूल्यों में 10 प्रतिशत की वृद्धि होगी, उसके अगेंस्ट क्या हमारे पास ऐसी चीज है। हमारी सरकार किस तरह निपटेगी। आपने केन्द्र सरकार से क्यों नहीं कहा कि यह भार नहीं बढ़ना चाहिये। जो इस तरह से बढ़ रहा है वह दुःखदायी है। मैं विशेष नहीं कह कर केवल इतना ही कहूंगा कि हमारी जनतांत्रिक व्यवस्था चरमरा रही है। एक सज्जन से मैंने कहा कि महंगाई बढ़ रही है आपको खबर होगी। मैंने कहा कि नैतिक मूल्यों के बारे में राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा कि हमारे नैतिक मूल्य जो 1931, 1942 में थे, कहां चले गये? उन्होंने खुद कहा है नैतिक मूल्य चरमरा रहे हैं, पार्लियामेंट बाइ-पास हो रही है, वहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अपोजिशन वाले विरोध करते हैं, अपोजिशन वाले दंगा करना चाहते हैं। तो क्या यह प्रजातांत्रिक व्यवस्था से खिलवाड़ है। मेरी विनती है कि इस मामले में राष्ट्रपति जी की बात को सुनें।

यह उनका अभिभाषण था और यह उनका कहना था। मेरी विनती है कि राष्ट्रपति जी सचमुच बधाई के पात्र हैं इस बात के लिए। काश, आप गवर्नर एड्रेस के स्थान पर राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव रखते तो उसका हम समर्थन करते, लेकिन आपके इस गवर्नर एड्रेस में कोई नई दिशा नहीं दिखाई देती। मैं फिर कहूंगा Your address is nothing but a compandium and a collection of departmental reports. Please be happy with it.

श्री सभापति : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिनांक 20 को विधान सभा में दिया और कुम्भलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय सभापति महोदय, इस विरोध के चार बड़े कारण हैं।

इस अभिभाषण के पढ़ने के बाद मुझे लगता है, सारे अभिभाषण को कई बार पढ़ने के बाद मैं कहना चाहता हूं कि यह अभिभाषण केवल कुछ विभागों का चालाकी से दिया हुआ तथाकथित प्रगति विवरण है। मैं आंकड़ों से सिद्ध करूंगा कि जो आंकड़े इस अभिभाषण में दिये गये हैं वह कितने थोथे हैं, कितने गलत हैं, कितने मेनुपुलेटेड हैं और प्रगति बताने के लिये किस प्रकार से तोड़-मरोड़ कर उनका विश्लेषण किया गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि यह अभिभाषण अनुमान एवं संभावनाओं का एक पुलंदा मात्र है। सारे भाषण को पढ़ा जाय, इसमें अनुमान और संभावनायें आपको इतनी मिलेंगी कि जिसके कारण शायद आपको लगे कि कुछ निश्चित बात की अभिभाषण में कोई चर्चा है या नहीं। दूसरी बात, जिसके कारण मैं विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं यह है, इस अभिभाषण में राज्य के विकास की दिशा एवं प्रगति का कोई चित्र उभर कर नहीं आया है। माननीय सभापति महोदय, आगामी वर्ष की योजनाओं का इसमें कोई उल्लेख नहीं है। ये चार प्रमुख कारण हैं कि जिनके कारण मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि यह केवल औपचारिक अभिभाषण है और इसी कारण

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)
से जो धन्यवाद प्रस्ताव आया है उसका मैं विरोध करता हूं।

पहले पृष्ठ पर जिक्र किया गया है कि मिनिस्टर्स मानीटरिंग करेंगे। यह कहा गया है कि प्रसन्नता है कि विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता मिली है। विकास के लक्ष्य की चर्चा की गई है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं कि कौनसे विकास के लक्ष्य ? 60 करोड़ रुपये वर्तमान वर्ष में कम खर्च किये हैं उन कार्यक्रम में जो उसने निर्धारित किये थे, जो वे पूरा करना चाहते थे। मेरा आरोप है, मैं चाहता हूं कि मुख्य मंत्री बतायें कि जो कार्यक्रम उन्होंने स्वीकृत किये थे, उन स्वीकृत कार्यक्रमों के लिये जो पैसा चाहिये था उसमें से 60 करोड़ कम लगाये गये हैं। नई योजना लेकर मुख्य मंत्री गये प्लानिंग कमीशन के पास, गये केन्द्रीय सरकार के पास, 541 करोड़ की लेकर गये थे, 341 करोड़ की योजना मिली है। 340 करोड़ इस वर्ष खर्च हुये हैं। 17 पर्सेन्ट से 18 प्रतिशत मूल्य वृद्धि हो गई। 341 करोड़ की दूसरी योजना 1982-83 की उनको मिली है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि 17-18 पर्सेन्ट मूल्य वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में 341 करोड़ की इस आगामी योजना के सम्बन्ध में माननीय महामहिम राज्यपाल अपने अभिभाषण में जिक्र करते कि आगे प्रदेश के विकास को कौनसी दिशा में वे ले जाना चाहते हैं।

दिवालिया हो गई राज्य सरकार, 340 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट। एक ओर विकास की गति मंद, एक ओर राज्य सरकार दिवालिया, सबसे उधार मांगे। यूनीवर्सिटी की भविष्य निधि पोस्ट आफिस में मत जमा कराओ हमारे यहां जमा कराओ, बिल आ रहा है, विधेयक आ रहा है। गरीब प्राध्यापक की मामूली तनख्वाह है उसको व्याज कम मिलेगा, उसकी चिंता नहीं क्योंकि राज्य सरकार दिवालिया है, दिवालियापन को दूर करने के लिये उधार मांगे जा रहे है। कुछ दिन पहले आपने समाचार पढ़ा होगा, आपने सुना होगा, कलेक्टर के यहां से भी आदेश जा रहे हैं, पंचायतों से कहा है कि पैसा जमा कराओ, 5–5 हजार रुपये जमा कराओ। कान्ट्र डिक्शन तो आ गया। मैं चाहता हूं कि मुख्य मंत्री इस बात को स्पष्ट करें, उन कारणों को स्पष्ट करें कि कलेक्टर महोदय ने 5 हजार रुपये प्रत्येक पंचायत से जमा कराने का कैसे आदेश प्रसारित किया ? दिवालिया सरकार है, पैसा नहीं है, कहां से प्रगति करेंगे, कहां से विकास करेंगे ? मैं कहना चाहता हूं कि सारे भाषण में इस नाते किसी भी दिशा को बताने की कोशिश नहीं की गई है।

राजस्थान में अकाल की छाया भयंकर है। भाषण में कहा गया है कि 2.75 लाख मजदूरों को फरवरी माह में रोजगार उपलब्ध करायेंगे। फिगर्स देखकर मैंने प्रारंभ में कहा कि एक कारण है कि ये सारे आंकड़े चालाकी से प्रस्तुत किये हुये हैं, तथाकथित है। इन 2.75 लाख में कौन कौनसी स्कीम्स है ? ये कोई अकाल राहत कार्य नहीं हैं, भुलावे में डालने वाली बात है। ग्रामीण योजना कार्यक्रम के मजदूर इसमें हैं, प्लान के मजदूर इसमें हैं, ठेकेदारों की लेबर इसमें है। माननीय मुख्य मंत्री

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

और अकाल राहत मंत्री यदि होते तो बताते उसमें कितने मजदूर हैं। चाहे इस ओर से चाहे उस ओर से बोलने वाले प्रत्येक माननीय सदस्य ने जिक्र किया है, आज राजस्थान की जनता अकाल के कारण सिसक रही है, भूखी मर रही है, उनको काम नहीं मिल रहा है। मैं चाहता हूं कि अपने उत्तर में मुख्य मंत्री बतायें कि 2.75 लाख में से फैमिन वर्क में काम करने वाले कितने लोग है। मेरा आरोप है, फैमिन वर्क प्रारम्भ नहीं किये जा रहे हैं। अकाल को मीट करने के लिए चारे की व्यवस्था के लिए गये थे हरियाणा और पंजाब, सूखे लौट कर आये। आज व्यवस्था खराब है, आज से दो महीने पहले जोधपुर कलेक्टर ने एक विज्ञप्ति प्रसारित कर दी 'शिव तहसील में व्यवस्था'। जोधपुर के लोग, वहां के पशु पालक अपने पशुओं को लेकर शिव तहसील में पहुँच गये। शिव तहसील में कोई व्यवस्था नहीं। मैं आरोप लगाता हूं कि हजारों पशुओं को तिलक लगाकर पाकिस्तान रवाना किया गया। उन पशुओं को पाकिस्तान की ओर कटने के लिए भेज दिया गया, यह मेरा आरोप है। अभी तक चारे की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। पीने का पानी और पशुओं के लिए चारा अकाल राहत कार्यो की पहली आवश्यकता है जिसका राज्य सरकार को इसमें जिक्र करने की आवश्यकता थी।

माननीय सभापति महोदय, कृषि का उल्लेख किया गया है। बहुत आश्चर्य है पृष्ठ 5 की पंक्ति दो को पढ़ने का कष्ट करें, स्वयं उन्होंने लिखा है कि भगवान की कृपा हो गई, बरसात हो गई, इसलिए फसल ठीक हो गई। इसमें राज्य का क्या कन्ट्रीब्यूशन है? राज्य को किस बात का श्रेय मिलना चाहिये? आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए। कहा गया है कि खाद्यान्न 1980–81 में 29.09 लाख। डिफरेन्स देखें। उन्होंने लिखा है। 37.84 लाख टन कुल उसमें से 8.75 लाख टन घटायेंगे तो 29.09 लाख टन। खाद्यान्न यहां आया है 31.30। बढ़ोतरी कितनी हुई है? एक लाख से थोड़ी सी ज्यादा किसलिए हुई है? चने के कारण? चना कहां बोया जाता है, कहां पैदा किया जाता है? असिंचित क्षेत्र में। बरसात हो गई सर्दी में असिंचित क्षेत्र में, उसका उपयोग हो गया इसलिए चना बढ़ गया। राज्य का कन्ट्रीब्यूशन कैसे है उसको किस बात का श्रेय दिया जाना चाहिये? कृषि का सारा विवरण और सारे आंकड़े पेश करूंगा। दालों में वृद्धि 5.27 लाख टन। माननीय सभापति महोदय, यह भी तारामीरा के कारण है, सरसों के कारण जो असिंचित क्षेत्र में पैदा होता है। मेरा राज्य सरकार पर आरोप है कि सिचाई सुविधाओं की दृष्टि से वह नाकामयाब रही है। यह तो भगवान को श्रेय है। भगवान का श्रेय क्यों आप अपनी पुस्तकों में बांटने की कोशिश करते हो? यह राज्य सरकार बताने की कोशिश करती।

सिंचाई के क्षेत्र की चर्चा मैं थोड़ी सी आपके माध्यम से करना चाहूंगा। राजस्थान नहर के मंत्री बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि वह मेरी बात का उत्तर दें।

सभापति महोदय, इस अभिभाषण में परियोजना में राजस्थान नहर का जिक्र करते समय कहा गया है कि 5.68 लाख हैक्टेयर्स

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

की सिंचाई क्षमता इस वर्ष के अन्त तक पैदा करने का अनुमान है। मैंने प्रारम्भ में ही कहा कि यह अभिभाषण अनुमान और संभावनाओं का पुलंदा है। इस वर्ष कितनी सिंचाई की क्षमता बढ़ेगी, इस बात की चर्चा नहीं की गयी महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में। वह नहीं बतायेंगे। मैं बताना चाहता हूं, सभापति महोदय, सरकार का जो टार्गेट था वह था 27 हजार हैक्टेयर जमीन में सिंचाई करना। मेरा आरोप है राज्य सरकार पर, मैं, सभापति महोदय, कहना चाहता हूं कि यहां पर राजस्थान नहर के मन्त्रीजो बैठे हैं वह जवाब दें, मेरा कहना है कि सिर्फ 11 हजार हैक्टेयर जमीन की क्षमता अधिक हुई है, मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार राजस्थान नहर क्षेत्र में 11 हजार हैक्टेयर जमीन से ज्यादा जमीन सिंचाई के लिये उपलब्ध नहीं करा सकेगी। कहां तो लक्ष्य राजस्थान सरकार का 27 हजार हैक्टेयर जमीन का और सिंचाई होगी सिर्फ 11 हजार हैक्टेयर जमीन में। बस सिर्फ टोटल बता दिया, सभापति महोदय। मैंने कहा था कि यह आंकड़े सिर्फ भ्रामक हैं और लोगों को भ्रमित करने के लिये पेश किये गये हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, हमारी जो योजनायें हैं लघु, मध्यम सिंचाई योजनायें उनके बारे में जो जिक्र गया है उसमें लिखा है कि 27 हजार हैक्टेयर जमीन पर अधिक सिंचाई होगी। सभापति महोदय, जब जनता पार्टी का राज्य था सन् 1979 में उस समय 40 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि की सिंचाई क्षमता बढ़ाई गई थी।–उस समय मानीटरिंग होता था, चैकिंग होता था, तीन-तीन महीने का प्रोग्राम दिया जाता था। बतायें, सिंचाई मन्त्री महोदय, सिंचाई मन्त्री जो यहां पर बैठे हैं मैं आपके माध्यम से उनसे यह पूछना चाहता हूं, वह जवाब दें मुझे जो 40 हजार हैक्टेयर जमीन की सिंचाई क्षमता सन् 1979 में उपलब्ध करायी गई उसका जिक्र क्यों नहीं किया ? अब यहां पर यह जिक्र किया जा रहा है कि 27 हजार हैक्टेयर जमीन पर अतिरिक्त सिंचाई होने का अनुमान है। तीन वर्ष निकल गये और केवल 66 प्रतिशत जमीन ही सिंचाई योग्य हो सकेगी। उस वक्त तो जनता पार्टी का राज्य था और आज कांग्रेस पार्टी का राज्य है। यह सब किस कारण से है ? मैं कहना चाहता हूं कि आपके यहां पर मानीटरिंग नहीं है। आपके यहां पर सिंचाई के लिये कोई योजना नहीं है। मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि मानीटरिंग की स्कीम जो थी वह हमारी जनता पार्टी के राज्य में प्रारम्भ की गयी थी। प्रतिवर्ष में जितना खर्चा होता था उसका लाभ उस वर्ष मिले। इस सारे अभिभाषण को आप उठाकर देखें। आप देख लीजिये कि इन योजनाओं का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। उस स्कीम को ही समाप्त कर दिया गया है उसमें यह शब्द लिखा है कि चार साल में इसका जायजा लिया जायेगा। लेकिन मानीटरिंग की स्कीम को बन्द कर दिया गया। मैं चाहता हूं कि सिंचाई मन्त्री, जो यहां बैठे हैं, इस बात का जवाब दें कि वह स्कीम क्यों बन्द कर दी गयी ? मानीटरिंग की जो स्कीम थी उसकी स्प्रिट को ही समाप्त कर दिया गया। मैं चाहता हूं कि सिंचाई मन्त्री महोदय इस बात का जिक्र करें जब वह अपना भाषण दें तब कि किस

(60)

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)
कारण से यह मानीटरिंग स्कीम बन्द कर दी गई।

यहां पर डवलपमेंट की चर्चा की गयी जिसमें चम्बल के क्षेत्र, राजस्थान नहर के क्षेत्र और भाखरा का भी जिक्र किया गया है। उसमें कहा है कि 2500 रुपये ति हैक्टेयर विकास का खर्चा आ रहा है। लेकिन, सभापति महोदय, चम्बल क्षेत्र में जो डवलपमेंट का खर्चा आ रहा है वह प्रति हैक्टेयर 3500 रुपये आ रहा है। माननीय विधि मन्त्रीजी यहां पर नहीं है वरना मैं चाहता और उनके भाषण, जो उन्होंने दिये, उनकी याद दिलाता। बड़ी तड़प थी उनमें। उन्हें बताता कि आज जो खर्चा आ रहा है वह डेढ़ गुना हो जाएगा तो डवलपमेंट कहां से होगा, किसान कहां से चुकायेगा यह पैसा? मैं चाहूंगा कि मुख्य मन्त्री जी, जो यहां पर नहीं, अपने जवाब में कहें कि क्या स्थिति है। क्यों इतना अधिक खर्चा हो रहा है, आप कम करिये। आप ओवर हैड खर्चा कम करिये। नहीं तो वह किसान की कमर को तोड़ने वाला होगा।

माननीय सभापति महोदय, यहां पर कोलोनाइजेशन मन्त्री महोदय बैठे हैं। इस अभिभाषण में कहा गया है कि 9.83 लाख हैक्टेयर जमीन का अलाटमेंट किया गया है। इन्होंने पिछले सालों का तो बता दिया लेकिन इस साल का क्यों नही कहा? सभापति महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से बताना चाहता हूं कि क्षमता वहां विकसित होगी 13.50 लाख एकड़ की। आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, पैसा आपका लेप्स हो रहा है। आपकी क्षमता तो है 13.50 लाख हैक्टेयर की क्षमता विकसित हो गयी है लेकिन अलाटमेंट हुआ है 9.83 लाख हैक्टेयर। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस बात का जिक्र अपने भाषण में करने की कृपा करें जिसका इस भाषण में जिक्र नहीं आया है।

सभापति महोदय, अन्त्योदय योजना जनता पार्टी के राज्य में शुरू की गयी थी उसने राज्य के डेढ़ लाख लोगों को प्रभावित किया था। हमने गांव के छोटे से छोटे लोगों को लाभान्वित करने की कोशिश की। लेकिन नये राज्य को अन्त्योदय योजना के नाम से जलन थी। उसने अन्त्योदय योजना का नाम ही बदल दिया। उसका नाम कर दिया ग्रामीण विकास एकीकरण। ग्रामीण विकास एकीकरण योजना शुरू कर दी।

इसके अलावा, सभापति महोदय, यहां पर 20 सूत्री संकल्प के बारे में भी बड़ा ढोल पीटा गया है। इस अभिभाषण में कहा गया है और चर्चा की गई है 1 लाख 41 हजार 600 लोगों को लाभान्वित इसके द्वारा किया जायेगा। ऐसा अनुमान बताया है, सभापति महोदय। अनुमान से क्या होगा? यह तो वर्ष का अन्त है। मार्च का महीना बाकी है। माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय बतावें कि कितने लोगों को लाभान्वित किया गया है? वह नहीं बतायेंगे सभापति महोदय, मैं बताऊंगा। उनमें इतना सामर्थ्य नहीं है उनमें हिम्मत नहीं है। वह आंकड़ों को छिपाना चाहते हैं और गोलमोल आंकड़े पेश करना चाहते हैं। सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं और मैं चाहूंगा

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

कि जब राजस्थान के मुख्य मन्त्री जी अपना भाषण करें उस वक्त मेरे द्वारा दिये गये आंकड़ों को कान्ट्रेडिक्ट करें। जो आंकड़े दिये हैं, 1 लाख 41 हजार 600 लोगों को लाभान्वित होने के वे गलत हैं और केवल मात्र 71 हजार लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। Just less than equal to half यह स्थिति है। गंगानगर में क्या हुआ आपकी एकीकृत ग्रामीण विकास योजना का, यह बताइये मुख्य मंत्रीजी। खैर छोड़िये गंगानगर के इलाके को, जो ऐसा इलाका है जहां सभी प्रकार की बहबूदी है। मैं पूछना चाहता हूं क्या हुआ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में? वहां तो आपकी प्रगति बिल्कुल ही धीमी है। वहां के लोगों को कोई राहत नहीं मिली है। मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय मेरे आंकड़ों को कान्ट्रेडिक्ट करें। मेरे आंकड़ों को झुठलाया जाय। बांसवाड़ा में सिर्फ 30 प्रतिशत लोगों को राहत मिली जब कि टार्गेट था उससे अधिक। डूंगरपुर में सिर्फ दस प्रतिशत लोगों को ही राहत मिली यानि टार्गेट से वन टैन्थ। मैं चाहता था, सभापति महोदय, इन सभी बातों का इस भाषण में जिक्र किया जाता तो बहुत अच्छा होता लेकिन जिक्र नहीं किया गया है। यह कहा गया है कि 1 लाख 41 हजार 600 लोगों को राहत मिलने का अनुमान है। यह चर्चा की गई है। सभापति महोदय, यहां पर डेयरी के बारे चर्चा की गई है सभापति महोदय डेयरी के बारे में बड़ी बढ़ा कर चर्चा की गई है। उसमें यह शब्द है, 80-81 के मुकाबले 81-82 में, इसमें कहा है दुग्ध संकलन जनवरी 1981 की दैनिक औसत 2.41 लाख लीटर से बढ़कर जनवरी 1982 में 3.55 लाख लीटर हो गया है जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। सभापति महोदय, यह 1.1 लाख लीटर दूध की क्षमता जो बढ़ गई वह सिर्फ आंकड़े जनवरी के ही क्यों दिये गये? आपने पूरे वर्ष का औसत क्यों नहीं बताया? मेरा आरोप है, मैं आरोप लगा रहा हूं जैसा मैंने कहा कि आंकड़े के जाल बिछाकर लोगों को भुलावे में डालने वाला यह अभिभाषण है। मैं चाहता हूं कि मैंने कहा उसको झुठलाया जाय। सभापति महोदय, 1.9 लाख 80-81 में था, फिर 2.1 हुआ। केवल पोइन्ट 2 की बढ़ोतरी हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी की सरकार के वक्त 2.5 लाख लीटर दूध की क्षमता थी जब कि जनवरी में 2.1 लाख लीटर दूध की क्षमता थी। जनता पार्टी के जमाने में जो दूध जनवरी में संकलित होता था उससे कम दूध आपका जनवरी में हुआ। यह आंकड़े आगे के देकर भुलावे की कोशिश की गई है। अगर मैंने जो कहा उसको राजस्थान के मुख्य मंत्री जी झुठला दें तो मानूं। मुख्य मंत्री जी जवाब दें, आंकड़ों की दृष्टि से जो जनता पार्टी के समय में दूध संकलित होता था उससे दूध कम हो गया। कहां गया आपका डेयरी का विकास, कहां हो रहा है...

श्री सभापति : इस समय भयंकर अकाल और चारे की कमी के कारण दूध कम हुआ है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : तो फिर यह मानते। पर यह नहीं माना। जनवरी के आंकड़े दिये। इसकी चर्चा क्यों की गई? कौन सा श्रेय लेना चाहती है राजस्थान सरकार? कौनसा श्रेय राजस्थान का मन्त्रि

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

मण्डल लेना चाहता है। मैं जानना चाहता हूँ क्यों गलत ढंग से गलत आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं। मैं चाहता हूं कि आंकड़ों का जस्टिफिकेशन किया जाय। मैं यह कहना चाहता हूं अभी कृषि मन्त्री महोदय यहां पर नहीं हैं, अगर वह होतीं तो मैं यह कहता, सभापति महोदय, अगर आप देखें इस अभिभाषण को तो आपको पता लगेगा, जैसा कि हमारे जस्टिस हिदायतुल्ला साहब ने कहा है वह बिल्कुल ठीक कहा है, जयपुर की आबादी आज 12 लाख की हो गयी है और यहां पर दूध वितरित होता है सिर्फ 30 हजार लीटर। दूसरे शहरों की भी यही हालत है। सभापति महोदय उन्होंने ठीक ही कहा है, उन्होंने कहा है Milk is pasturised, than motorised, dairy is mechanised, whole system is politicalised and the poor customer is victimised. आज सोसाइटीज की संख्या बढ़ा दी गई है पर आप देखें कि दूध का कलेक्शन कितना बढ़ रहा है। इसलिये आज हमारे भारत के उप राष्ट्रपति श्री हिदायतुल्ला ने कहा है वह मैं कोट कर रहा हूं। यह राजस्थान के अन्दर दूध की हालत है। यह जो कहा गया है वह आकड़ों के द्वारा भ्रमित करने के लिए कहा गया। भ्रमित करने की कोशिश की गयी है।

सभापति महोदय, मैं थोड़ा विद्युत के बारे में भी चर्चा करना चाहूंगा।

श्री रामसिंह बिश्नोई : आप हाउस को गुमराह नहीं करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि मैंने जो आंकड़े प्रस्तुत किये हैं उनका उत्तर दिया जावे। सभापति महोदय, मैं थोड़ा विद्युत् के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। विद्युत की दृष्टि से यहां पर जनरेशन की कोई चर्चा नहीं की गयी है। मैं दूसरी बातों में नहीं जाता, कोटा थर्मल प्लान्ट के बारे में जो कहा था कि 1981 के 31 मार्च तक कोटा थर्मल प्लान्ट का पहला यूनिट शुरू हो जायेगा पर अब मार्च 82 हो गया है। कहां है, वह पहला यूनिट? इसमें कहा गया है कि थर्मल प्लान्ट का पहला यूनिट जल्दी ही आने की सम्भावना है। यह शब्द कोट किये गये हैं। क्यों? अब 31 मार्च, 82 को नहीं आयेगा। मई में भी नहीं आयेगा। इसका प्राडक्शन शुरू होगा सितम्बर में। मैं कहना चाहता हूं राजस्थान के मुख्य मंत्री पंचायतों के चुनावों में कोटा जिले के पंचायतों के चुनाव कराने पहुंच गये। लाइट-अप किया गया वहां का। लाइट-अप करने में क्या हुआ, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 30 पर्सेन्ट तो डीजल का खर्चा होता है और 70 पर्सेन्ट कोल का खर्चा होता है। डीजल से वह बर्नर लाइट-अप होगा। जल रहा है तीन महीने तक....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपको 20 मिनट हो गये हैं। कितना समय और लेंगे?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : 10 मिनट।

श्री सभापति : इतना समय नहीं मिल सकेगा। समय आप जरूर लीजिए लेकिन जो समय का विभाजन हुआ है उसके मुता-

(श्री सभापति)
बिक यह होगा कि आपके दल का समय चला जायेगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खर्चा हो रहा है पिछले तीन महीने से लगातार लाइट-अप का। वेस्टफुल एक्सपेन्डीचर हो रहा है लेकिन राजस्थान के मुख्य मंत्री प्रभावित करना चाहते थे उनको। संगरोली का प्लान्ट बन गया है, बिहार का, उत्तर प्रदेश का और राजस्थान का उसमें हिसाब है। 1500 मेगावाट का बनेगा। तो 200 मेघावाट और है, 1700 मेगावाट का हमारा हिसाब है। बताते आप अपने अभिभाषण में कि उसको लाने की प्रक्रिया क्या है। 400 के. वी. की लाइन चाहिए। राजस्थान के पास लाइन नहीं है, न लाइन लगाने की योजना है, न उसके लिए कुछ पैसे का जिक्र किया गया है और भाषण में जिक्र किया गया है। एक तरफ राजस्थान का किसान तड़प रहा है, छोटे लघु उद्योग का काम करने वाला कर्मचारी, मजदूर उस का मालिक तड़प रहा है। हाय-हाय हो रही है बिजली के लिए, हमारी बिजली पैदा तो हो रही है संगरोली में। 1700 मेगावाट तो ला ही सकते हैं किन्तु लाने की क्षमता नहीं है। राजस्थान के मुख्य मंत्री मध्य प्रदेश गये थे, ला नहीं पाये। इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं जिनके कारण से लघु उद्योग के बारे में अभिभाषण में जिक्र नहीं है।

11 हजार कुओं से बढ़ाकर 15 हजार कुओं को विद्युतीकृत किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूं कि कल राज्य मंत्री महोदय श्री विक्रम महाजन ने प्रश्न का उत्तर देते हुए लोकसभा में बताया, उन्होंने कहा कि राजस्थान में अभी तक 5900 कुए विद्युतीकृत हुए हैं। यह उनका जवाब है कल का। कल का जवाब है। 5900 उनका टार्गेट है और इसमें कहा गया है कि 11 हजार से बढ़कर 15 हजार कर दिया। वह तो जनता पार्टी का राज था तब 35 हजार कुओं को बिजली दी और 2300 गांवों को बिजली दी थी और आज उसकी चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करने के बाद बिजली के टार्गेट्स दिये हैं 5900 वहां और अब कहते हैं हैं 11 हजार से बढ़ाकर 15 हजार करने की कोशिश कर रहे हैं ··

एक माननीय सदस्य : 35 हजार कुए नहीं हुए थे उस समय।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : जी हां। मैं चाहता हूं इन्क्वायरी की जाये। मैं कहना चाहता हूं केवल इस नाते से कि लघु उद्योगों की बात की। चार न्यूक्लियर प्लान्ट स्थापित करने की राजस्थान के मुख्य मंत्री घोषणा करते फिर रहे हैं। 4 अगस्त को की थी घोषणा उन्होंने। नो महीने हो गये, दस महीने हो गये। कोई प्लान्ट है? कोई प्रगति रिपोर्ट है? उस नाते से कोई कोशिश की?···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : घोषणा करने की आदत है उनकी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : घोषणा की न्यूक्लियर प्लान्ट की। लघु उद्योगों को बिजली देने की बात करते फिर रहे हैं। किशनगढ़ के पावरलूम लोग ट्रान्सफर कर रहे हैं, लोग फैक्ट्रियां बन्द करके चले जा रहे हैं। राजस्थान में वातावरण बना था

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)
प्रवासी राजस्थानी आकर यहां आकर अपना काम शुरू करें, लूम सैट करें । अब जिक्र किया जा रहा है 65 हजार इकाइयां पंजीकृत हैं और 3.2 लाख मजदूर उनमें काम करेंगे। जरा डिवीजन तो कीजिए पांच आदमी आते हैं एक पर एक फैमिली काम कर रही है। लेबर पोटेन्शियल क्या है ? उसमें से निकलने वाला एम्प्लायमेन्ट पोटेन्शियल क्या है ? कोई जिक्र नहीं है कि इनमें से सिक कितनी हैं। बीमार कितनी पड़ी हैं। काम नहीं कर रही हैं। इसका क्या हिसाब है । इसकी दृष्टि से कोई बात करने की कोशिश नहीं की गयी है। केवल इतनी सी चर्चा करने की बात की गयी है, हर गांव में छप्पर बनाने की बात की गयी है। जमीनों का अलाटमेन्ट का हवाला दिया गया है। हां जमीनों का अलाटमेन्ट हुआ है जोधपुर में। जोधपुर में बड़े प्रेम से किया गया है। नगर न्यास के अध्यक्ष ने रिकार्ड में हाईकोर्ट में आग लगा दी। किन किन लोगों को बांटे थे ? कौन कौन से चेहरे हैं वह चेहरे तो बतायें कि इन-इन लोगों को अलाटमेन्ट हो गया। गंगानगर में अलाटमेन्ट हुआ। छोटे लोगों को करने की कोशिश की गयी है। पिछड़े को पहले देने की बात करना चाहते हैं···

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपके वक्त में जो घोटाले किये थे वह ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय, आपके जरिये कहना चाहता हूं कि यह पट्टे की शक्ल है। इन्दिरा गांधी का फोटो, माननीय शिवचरण जीं का फोटो, श्रीमान गोटेवाला का फोटो और नगर न्यास के अध्यक्ष वहां के एम. एल. ए. का फोटो। यह परमानेन्ट डाकुमेन्ट हैं। यह पट्टा वैलिड है या नहीं ? कहीं यह वोट लेने की साजिश तो नहीं है ? ···

श्री अनंगकुमार जैन : खेतसिंह जी का फोटो और लगवा लें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आप देखिये मैं कहना चाहता हूं फोटो छपे पट्टे वैलिड भी हैं या नहीं। दो भाषायें छापी गयी हैं। दो स्टाम्प लगे हैं। क्या लिखा गया है। एक स्टाम्प से लिखा है कि इस भूखण्ड के निचले क्षेत्र में होने के कारण यदि बरसात अथवा अन्य कारणों से पानी के बहाव के कारण कोई क्षति हुई तो न्यास, नगरपरिषद, राज्य सरकार इसकी उत्तरदायी नहीं होगी और कोई मुआवजा देय नहीं होगा। यह इस पट्टे पर सील लगी हुई है अलग से। वाह रे गरीबों को छप्पर, वाह रे भू-खण्डों का वितरण, वाह रे गरीबों को ऊंचा उठाने की बात। इसमें लिखा है कि इसका उपयोग यदि कोई अन्य हुआ तो बिना मुआवजे पट्टा अधिकारी इसको लेकर उस माते से राज्य सरकार में नीहित कर सकेगा। क्या मतलब है इस पट्टे का ? वाह रे गरीबों की सेवा करने वाले लोगों, वाह रे पिछड़े लोगों की सेवा करने वाले लोगों, ऐसे पट्टे दिये हैं राजनैतिक कारणों से स्टाम्प लगाकर। मैं कहना चाहता हूं कि यह सब धोखा है, यह सब फ्राड है। मैं कहना चाहता हूं कि मैंने कोशिश की है आंकड़े देने की। क्रियाशील सरकार के आंकड़े हैं, काम करने वाली सरकार के ये आंकड़े हैं। एक तरफ सरकार दिवालिया है और दूसरी तरफ सरकार अकर्मण्य है। इस भाषण में जिस प्रकार से

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

आंकड़ों का जिक्र किया गया है मैं आपके माध्यम से एक मिनट में बात समाप्त कर रहा हूं। मैं चाहता हूं जिन आंकड़ों का जिक्र किया गया है, जिन बातों का जिक्र किया गया है माननीय मुख्य मंत्री जी अपने भाषण के प्रत्युत्तर में बतायें कि आंकड़े कौन से सही हैं। इसलिए मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि यह अभिभाषण सम्भावनाओं का पुलन्दा मात्र है। यह अभिभाषण केवल मात्र इस नाते से, इस दृष्टि से विकास की दिशा से विहीन है। कोई विकास की इसमें दिशा नहीं दी गयी है और केवल मात्र यह ऐसे तथाकथित झूठे आंकड़ों का मिला हुआ पुलन्दा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि जो मुद्दे मैंने उठाने की कोशिश की है उनका मुख्य मंत्री जी जवाब दें। इसी कारण से मैं इस भाषण का विरोध करता हूं और धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री सभापति : श्री भैरू लाल भारद्वाज।

श्री भैरू लाल भारद्वाज (जमवा रामगढ़) : आदरणीय सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने 20 फरवरी को जो विधान सभा में अभिभाषण दिया और जिसके लिए धन्यवाद प्रस्ताव श्री हीरा लाल जी देवपुरा ने रखा है मैं उसका समर्थन करने खड़ा हुआ हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस सिलसिले में सबसे पहले राजस्थान सरकार की, कांग्रेस की जो उपलब्धियां हैं उनमें से मुख्य मुद्दों पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जहां तक प्रधान मंत्री ने बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सारे देश के अन्दर एक आर्थिक प्रोग्राम लागू करके गरीबों की सेवा करने का एक निश्चय किया है राजस्थान सरकार ने भी ठीक उसी के अनुरूप यहां बीस संकल्पों में अपने आपको प्रतिबद्धित करते हुए राजस्थान के विकास का बीड़ा उठाया है। इस सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इन बीस संकल्पों के तहत हमने पहला संकल्प लिया था, खास तौर से उन सब संस्थाओं के चुनाव जिनमें जन प्रतिनिधियों का आना आवश्यक था, जो जनता पार्टी के राज्य में चरमराकर रह गयी थीं, जिनका ढांचा मात्र रह गया था और, पंचायतों के चुनाव, केवल मात्र जनता पार्टी ने पंचायतों तक ही सीमित रखकर पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव कराने की हिम्मत नहीं की थी, बावजूद इसके कि उसने मतदाताओं की सूचियां, अपनी मर्जी के माफिक उसकी परिभाषाएं बदल दी थीं वह हिम्मत नहीं कर सके थे कि पंचायती राज को पूरे शरीर के ढांचे का रूप दे सकें। हमने बीस संकल्प के प्रथम संकल्प के रूप में पंचायतों के ही चुनाव नहीं कराये बल्कि मतदाताओं को जो जनता पार्टी ने सीमित कर दिया था वापस अधिक लोगों को अधिक लोगों के द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों के कायदे कानून को वापस करके उसमें चुनाव कराये। चुनाव से यह बात सिद्ध हुई है। माननीय सभापति महोदय, जनता का क्या हाल है। विरोधी पक्ष के बड़े-बड़े नेताओं ने बड़ी लच्छेदार भाषा में केवल बुराई करने की ट्रेनिंग ली है। किसी सकारात्मक रुख की ओर ध्यान देने के लिए उनके पास समय नहीं है। उन्होंने सीखा है केवल नकारात्मक विरोध। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि उनके

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

सारे विरोध के बावजूद जनता ने क्या जवाब दिया है। चुनाव के जरिये जनता ने स्पष्ट किया है कि वह ऐसी नकारात्मक राजनीति को सन् 80 में छोड़ चुकी है। अब ऐसी राजनीति को चलाने का जनता का कोई इरादा नहीं है। यह बात ठीक है कि प्रगति जो कांग्रेस सरकार के आने के बाद की जा रही है वह तेजी से नहीं हो पाई है। जनता ने यह भी महसूस किया है उसमें कुछ कमियां और खामियां अभी चली आ रही हैं। उसका कारण जनता यह जानती है कि जनता सरकार ने सारे ढांचे को बिगाड़ कर रखा था; नौकरशाही को जो उन्होंने इस प्रकार सेXXX कर दिया था, नौकरशाही जो अपने आपको जनता सरकार का नौकर नहीं मानकर ठाकुर बन बैठी थी तीन सालों के दौरान में; उस ठाकुरशाही में अभी कोई कमी नहीं आई है यद्यपि उन सब को नकेल लगाने के लिए जोरदार प्रयत्न किये जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं विश्वास रखता हूं कि जल्दी ही उनके लगाम लगाई जायेगी और जो जनता के सेवक हैं उनको सेवा करने के लिए लगाया जायेगा, उनको ठाकुर की हैसियत से हटाया जायेगा। यह बात, जनता का जो विश्वास है उसने अपने मत के रूप में प्रकट की है। माननीय सभापति महोदय, आपने देखा कि जब पंचायतों के चुनाव हुए। पंचायतों के चुनाव के बाद रोज अखबारों के अन्दर निकला, कभी भारतीय जनता पार्टी का स्टेटमेंट आता कि 80 प्रतिशत पंच-सरपंच हम लोगों के चुने गये हैं, कभी जनता पार्टी का आता, कभी कोई दूसरी पार्टी के नेताजी कहते कि चुनाव में पंच-सरपंच 80 प्रतिशत हमारे हैं। हमारे किसी कांग्रेसी साथी ने प्रतिवाद अखबारों के जरिये से नहीं किया है क्योंकि हम सभी जानते थे कुछ दिन बाद ही जिला परिषद् के चुनाव अपने आप यह कहानी कहेंगे कि जनता का क्या रुख है। अब चुनाव हुए। पंच और सरपंच आखिर किन लोगों को पसन्द करने वाले लोग आए हैं, यह आपने और हमने देखा। जनता स्वयं जानती है कि चुनाव हुए उनमें सारे जनता पार्टी के नेताओं के भाषण और दावे एकदम चरमरा कर गिर गये। 80 प्रतिशत तो न सही किसी भी पार्टी ने 25 प्रतिशत स्थान भी प्राप्त नहीं किये अथवा किसी पर्टीक्यूलर जिले में भी नहीं किये। जब मामला आगे बढ़ा, जिला परिषद् के चुनावों ने सिद्ध कर दिया कि राजस्थान के 26 जिलों में एक भी आदमी को जिला प्रमुख का किन्हीं भी पार्टी के महानुभाव चुनाव जिताकर नहीं ला सके। इसके पश्चात् कोई दावा अखबारों में नहीं आया। माननीय, मैं इसलिए निवेदन करता हूं इनकी दूसरीXXXशुरू हुई, यह लोग गांवों के हैं, यह समझते नहीं। जिन गांवों के लोगों से हिन्दुस्तान की सरकार बनती है उन गांवों के लोगों के वोट इनके माफिक नहीं पड़े इसलिये गांवों के लोगों को राजनैतिक स्तर पर समझते नहीं, उनको दूसरे शब्दों में यह कहते हैं ये लोग पढ़े लिखे नहीं, काबिल नहीं हैं। जिनकी वजह से चुनकर आने वाले महानुभाव हैं उनको नाकाबिल बताते हैं औरXXX कि कस्बों की प्रबुद्ध जनता है वह हमारी पार्टी को करीब-करीब 80,90 और 100 प्रतिशत चुनकर भेजेगी। कुछ नेताओं ने जनता को उकसाने की भी कोशिश की कि कांग्रेस को

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री भैरूलाल भारद्वाज)

हराकर पंचायतों के चुनाव का बदला लें। लेकिन आपने देखा, हम सब ने देखा, नगर पालिकाओं के चुनाव में इन पार्टियों का सफाया करीब-करीब साफ हो गया। अब इनके पास कहने को कोई जवाब नहीं। हां, इनके पास जवाब है। माननीय सदस्य जनता पार्टी के या और किसी पार्टी के जो यहां विराजे हुए हैं जनता ने उन्हें भेजा है। आप सम्माननीय व्यक्ति हैं। इनका केवल काम है कि ये कुछ भी लच्छेदार भाषा में सकारात्मक योजनाओं का विरोध करें। वही हाल है जो इनके बड़े नेता आल इन्डिया स्तर पर बताना चाहते हैं, वही तौर तरीका है जो सन् 75 के बाद 76-77 में बनाने की कोशिश की गई। अब भी कोशिश करते हैं, किसी प्रकार राजस्थान में वे परिस्थितियां पैदा हों। परन्तु मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता, मतदाता सर्वोच्च मतदाता हैं वह किसी नाटककार के नाटक में नहीं आया करता, उसके खुद की गांठ की अकल है, उसने सोचकर फैसला किया है। 1977 का फैसला भी हम कहते हैं सोच समझकर ही किया था जो हमारे खिलाफ था परन्तु बहुत जल्दी ही गलती को सुधारा और उसने सन् 1980 में फैसला किया है उस पर अब भी जमा हुआ है, उस पर ही मोहर लगा दी है पंचायतों और म्यूनिसिपैलिटीज के चुनाव में। अभी मतदाताओं को कांग्रेस के प्रति बड़ी आशायें हैं और कांग्रेस के प्रति उसके दिमाग और उसके दिल में जगह है।

इसके बाद मैं आपको कुछ बातें निवेदन करना चाहता हूं जो राजस्थान सरकार ने की हैं, बात की बात याद दिलाना चाहता हूं। अभी जो अभूतपूर्व बाढ़ आई, बाढ़ तो 1977 में जनता पार्टी के राज में भी आई थी, माननीय तत्कालीन मुख्य मंत्री ने जाने तक का गवारा नहीं किया था जब कि प्रधान मंत्री तक ने बाढ़ के कार्यों को देखा। जयपुर में खास तौर से बाढ़ से अधिक नुकसान हुआ था, न केवल केन्द्रीय सरकार ने बल्कि राजस्थान सरकार ने तुरन्त सक्रिय होकर उसके लिये भी कदम उठाये जिससे बाढ़ पीड़ित लोगों को काफी मदद मिली है और जो तोड़ फोड़ हुई है उसको बड़ी तेजी के साथ दुरुस्त किया जा रहा है। जयपुर का जो नक्शा खराब हो गया था दुबारा न केवल उसको ठीक किया जा रहा है बल्कि ऐसी व्यवस्थायें की जा रही हैं कि भविष्य में भी इस प्रकार की बाढ़ आये तो लोगों को नुकसान पहुंचने न पाये। अकाल राहत के अन्तर्गत भी काम हुए हैं। अब यह बात जरूर हुई है, मैं यह जरूर मानता हूं कि कुछ जिलों में अकाल राहत के काम तुरन्त खोले जाने चाहिये। मैं जयपुर जिले के बारे में भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जयपुर राजस्थान का एक जिला है, दो हजार से अधिक गांवों में अकाल पड़ा हुआ है। अभी तक वहां काम शुरू नहीं किये गये। मैं समझता हूं जल्दी ही राजस्थान सरकार उधर काम शुरू करने जा रही है। उसको जल्दी काम शुरू करना चाहिये। जहां तक कृषि और कृषकों के लाभ की बात है, माननीय सभापति महोदय, खेती और खेती करने वाले किसान हैं वे न केवल राजस्थान की बल्कि सारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं।

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

खेती के लिये, राजस्थान सरकार ने उसकी अभिवृद्धि के लिये, किसानों के हित के लिये कई कार्यक्रम चलाये हैं। परन्तु इसमें भी कुछ ऐसी बात है जो कि मैं कुछ सुझाव के तौर पर निवेदन कर देना चाहता हूं। इसमें मेरा निवेदन यह है कि खेती के लिये किसान का सब से बड़ा प्रमुख कार्य है सिचाई, पानी की व्यवस्था। अब तक जो भी व्यवस्थायें रही हैं उनमें खेती के लिये किसानों के ऊपर सिंचाई की व्यवस्था रही है। राज ने चाहे भाखड़ा नांगल बनाया हो और चाहे चम्बल प्रोजेक्ट मगर सरकार ने पूर्ण रूप से सिंचाई की जिम्मेदारी नहीं ली। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार को इस ओर सोचना चाहिये कि वह कृषि के लिये पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी किसानों की न मानकर सरकार की माने। इस सैद्धांतिक बात को स्वीकार करे। जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे कि कृषि प्रधान देश के अन्दर हर जमीन पर पानी पहुंचाने का जिम्मा सरकार का है तब तक, माननीय सभापति महोदय, मुझे डर है हम 100 साल में भी पूरी जमीनों में पानी नहीं दे पायेंगे। इसलिए यह बहुत जरूरी है, सैद्धांतिक रूप से हम इस बात को स्वीकार करें कि प्रत्येक जमीन के चप्पे-चप्पे में पानी पहुँचाने का काम सरकार का काम है। हमारी योजनायें ग्रामोन्मुख होनी चाहिये और उसी हिसाब से 10 साला, 15 साला या 20 साला प्लान से हमको जनता को विश्वास देना चाहिये कि आने वाले दस या बीस सालों में हिन्दुस्तान की, राजस्थान की पूरी जमीन को पानी देंगे। हमको अपनी सिंचाई योजनाओं की ओर उन्मुख होना चाहिये। खास तौर से जयपुर जिले के बारे में यह निवेदन करना चाहूँगा कि बड़ी-बड़ी जो योजनायें हैं, राजस्थान के अन्दर भी कई योजनायें हैं लेकिन जयपुर जिला ऐसी जगह है दुर्भाग्य से जहां कोई बड़ी सिचाई योजना हो नहीं सकती। गुंजाइश नहीं है इसलिये मेरा निवेदन है कि प्रत्येक छोटी नदी और नाले में हर दो मील पर पक्का एनीकट बनना चाहिये और पानी दो दो मील तक रुकता हुआ चला जाना चाहिये जिससे सिचाई के जो साधन कुए हैं उन कुओं में अधिक से अधिक पानी जा सके, खेतों में अधिक से अधिक पिलाई की सुविधा मिल सके। जयपुर जिला सबसे बड़ा कृषि प्रधान जिला है इसके लिये आवश्यकता है कि हम अपनी योजनाओं को उस तरफ से हटाकर छोटे एनीकट की ओर ले जायें। इससे न केवल भूमि का कटाव रुकेगा बल्कि पानी के रुकने से कुओं में पानी का संचार होगा और खेतों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।

मैं इसी से सम्बन्धित बिजली की बात भी याद दिलाना चाहता हूं। बिजली का वर्तमान में काफी संकट है, इसका खेती पर बहुत ही असर पड़ता है। यद्यपि सरकार ने अभी चार घण्टे से दो घण्टे अधिक बढ़ाकर 6 घण्टे बिजली की है पर मैं यह कहना चाहता हूं कि एक महीने के लिए यह 6 घंटे भी पर्याप्त नहीं है। इनको कम से कम 2 घण्टे और बिजली बढ़ानी चाहिये। चाहे उद्योगों के लिए कम करनी पड़े पर खेती के लिये हमेशा आवश्यकता के हिसाब से बिजली देने की बात करनी चाहिये। जहां तक इस बिजली के कार्यक्रम की बात है, मैं इस बात की आलोचना करना चाहता हूं कि बिजली बोर्ड का गठन जो शुरू से हुआ है वह गलत है और जनता का उसमें

(श्री भैरू'लाल भारद्वाज)

उपयुक्त स्थान नहीं है। मैं यह निवेदन करूंगा कि बिजली बोर्ड का पुनर्गठन किया जाय। उसमें अगर 11 का बहुमत है तो 6 जन प्रतिनिधि होने चाहिये और किसानों का बहुमत होना चाहिये। बिजली बोर्ड का पुनर्गठन हुए बिना काम नहीं चलने वाला है। इस नौकरशाही को इतना बड़ा बोर्ड देकर हम देख रहे हैं कि वह हमें निश्चित फल नहीं दे रहा है। राजस्थान सरकार इतने रुपये खर्च करती है और जनता को बिजली देना चाहती है मगर जो हमारा इन्स्ट्रूमेंट है, बोर्ड है वह नौकरशाही के हाथों में है। मैं इसे नौकरशाही के हाथों से हटाकर तुरन्त जन प्रतिनिधियों के हाथों में देने के लिए निवेदन करूंगा।

विद्युत् व्यवस्था के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो एक न्यूनतम चार्ज वाली बात है उसमें यह है कि जब हम निरन्तर और पर्याप्त बिजली नहीं दे सकते हैं तो न्यूनतम चार्ज लेने का भी बोर्ड को अधिकार नहीं होना चाहिये। जब हम निरन्तर बिजली देते हैं और पर्याप्त बिजली देते हैं तो 440 वोल्ट बिजली किसान को देनी चाहिये। जो आज हम 300 वोल्ट देते हैं उससे किसानों की मोटरें जल जाती हैं। इसलिये बिजली बोर्ड को इस परिभाषा को निकालना चाहिये और न्यूनतम चार्ज नहीं होने चाहिये। जो पर्याप्त बिजली देने की स्थिति में हो उसे न्यूनतम चार्ज मांगने का अधिकार होना चाहिये। हमारे मुख्य मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था और हमें खुशी है कि बिजली की कमी की वजह से न्यूनतम चार्ज नहीं लिये जायेंगे।

जहां तक जनरेटर लगाकर प्राइवेट तौर पर बिजली लेने का सवाल है उसमें 50 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था है। यह राजस्थान सरकार का बहुत बड़ा और अत्यन्त उत्तम कदम है। माननीय सभापति महोदय, बिजली अचानक तो लोगों को दी नहीं जा सकती है। हमारे भूतपूर्व बिजली मंत्री महोदय भाषण दे रहे थे कि जनता पार्टी की सरकार ने इतने लोगों को, इतने हजार लोगों को बिजली दी है। मैं पूछना चाहता हूं उन्होंने गांवों को बिजली देने की बात तो कही लेकिन बिजली बढ़ाने की बात नहीं कही। जो आज बिजली का संकट है वह, भूतपूर्व बिजली मंत्री जी, आपकी कृपा से ही है। आपने लोगों को पत्तलें तो परस दीं और जीमने के न्योते भी दे दिये किन्तु जिमाने के लिये माल को कोठ्यार में एकत्रित नहीं किया। आपने भट्टियां भी नहीं खुदवाईं। लड्डू कचौरी जो पहले के थे उसी को जिमाने बैठ गये है। जहां 100 आदमियों का माल था वहां 500 लोगों को न्योता देने से काम नहीं चलता है। आज जो बिजली का संकट है वह जनता पार्टी की देन है। उसने लोगों को बिजली तो दी लेकिन बिजली पैदा नहीं की, उसको बढ़ाया नहीं। आपको पता है, कोटा में ताप बिजली घर जल्दी ही बनने जा रहा है। आपको इस बात का पता होना चाहिये, आपको इस बात का फख्र होना चाहिये क्योंकि आप कोटा के प्रतिनिधि हैं···

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैंने शुरू किया था।

श्री भैरू'लाल भारद्वाज : कोटा के अन्दर ताप बिजली घर में एक यूनिट तो अगले

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

माह ही चालू करने जा रहे हैं बल्कि एक यूनिट ही नहीं दूसरा यूनिट भी तैयार होने जा रहा है और उससे 220 मेगावाट बिजली मिलेगी। इसके बाद माही से भी बिजली मिलने वाली बात है; पलाना में भी एक ताप बिजली-घर की बात चल रही है। उसका कार्यक्रम जल्दी ही तय होने वाला है। कांग्रेस इस बात के लिये सचेष्ट है कि हम अधिक से अधिक बिजली उत्पादन करें। जब तक अधिक बिजली का उत्पादन नहीं होगा तब तक इस तरह की कोई भी व्यवस्था कारगर नहीं हो सकती है। इस सम्बन्ध में 1500 गांवों को और 25 हजार कुओं को बिजली देने की बात है। मेरा व्यक्तिगत निवेदन है जब तक हम व्यवस्थाएं ठीक नहीं करें जनता पार्टी की देखा-देखी हमको इतनी तेजी से बिजली देने की बात में अपने आप को कन्ट्रोल रखना चाहिये। पहले हमारे पास बिजली होनी चाहिये उसके बाद बिजली देने की बात करनी चाहिये। मौजूदा कुओं को और उपभोक्ताओं को जब तक पूरी बिजली न दे पायें तब तक इस मामले में नये लोगों को लाइन में खड़ा नहीं करना चाहिये, यह मेरा विनम्र सुझाव है।

जनरेटर के उत्पादन में जो 50 प्रतिशत का अनुदान है यह किसानों को अवश्य मिलना चाहिये यद्यपि इसमें कहीं मना नहीं है परन्तु मैं भावुकता के आधार पर यह आशा करता हूं, माननीय सभापति महोदय, जो 50 प्रतिशत अनुदान जनरेटर की बिजली पर उद्योगपति ले रहे हैं किसानों को भी 50 प्रतिशत का अनुदान मिलना ही चाहिये...

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जनरेटर के उत्पादन पर 1 रुपया 70 पैसे यूनिट की कीमत आती है...

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं खेती की तरक्की से जिस देश की तरक्की होती है उसमें हमें पीछे नहीं रहना चाहिये। मेरा एक निवेदन यह भी है कि न केवल सिंचाई और बिजली की बात है बल्कि शुद्ध बीज और कीटनाशक औषधियों का भी एक महत्व है। इस सदन के मार्फत मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कीटनाशक दवाइयों के मामले में जनता पार्टी के राज में हिन्दुस्तान में एक नियम बना लिया था, उसमें कुछ मोनोपोली सेठों की कर दी थी। उन कीटनाशक औषधियों के बारे में लोक सभा में भी चर्चा हुई थी। अखबारों में भी पढ़ा होगा, लोक सभा में यह प्रश्न आया था कि जो जनता पार्टी के पोषित और पालित थे औषधियों के मामले में उसमें फर्जीवाड़ा मिला है। इससे किसान को बड़ा भारी नुकसान हुआ है, उनकी खड़ी फसलें बरबाद हुई हैं और मुफ्त में किसान लुटा है। अब सरकार ने सरकारी उद्योगों के मार्फत कीटनाशक औषधियों का संयंत्र लगाने की कोशिश की है और जनता पार्टी की मोनोपोली को तोड़ा है। इस सदन के मार्फत मैं यह भी निवेदन करता हूं कि इसके बारे में राजस्थान कृषि उद्योग निगम ने एक प्रस्ताव भेजा है और शीघ्र ही कीटनाशक औषधियों का एक बड़ा प्लान्ट लगाने जा रहे हैं। इससे न केवल किसानों को शुद्ध औषधियां ही मिलेंगी बल्कि उनकी मूल्यों में

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

लूट-खसोट से भी उनको राहत मिलेगी और उन सेठों पर भी एक अंकुश लगेगा।

बीज की जहां तक शुद्धता का सवाल है, माननीय सभापति महोदय, इसी सदन में कुछ लोगों ने खरीफ की फसल के वक्त शिकायत की थी और रबी की फसल के वक्त भी शिकायत आई है इसलिये मैं नौकरशाही और बीज बोर्ड के कर्ता-धर्ता अफसरों को यह कहना चाहूंगा कि आज उस बीज में भी कहीं न कहीं कोई कमी रही है। सरकार को बदनाम करने के लिये नौकरशाही पर अंकुश नहीं लगाया जायगा तब तक काम नहीं करेंगे। मैं विपक्ष से भी निवेदन करूंगा, आज आपके और मेरे सामने यह एक बड़ी भारी समस्या है कि यह नौकरशाही जनतन्त्र और जनकल्याण के आड़े आ रही है। यह मशीनरी है, व्यक्ति नहीं है व्यवस्था है और यह व्यवस्था अंग्रेजों के जमाने में स्थापित की हुई है, राजाओं के जमाने में स्थापित की हुई है अतः इस नौकरशाही में आपको और हमें दोनों को मिलकर आमूल-चूल परिवर्तन करना चाहिये। उसका मुख्य ध्येय हिन्दुस्तान के आम मतदाता की सेवा होना चाहिए। मैं यह पूछना चाहता हूं नौकरशाही में हिन्दुस्तान के जो एडवर्ड सप्तम और जयपुर के मानसिंह थे उनके उत्तराधिकारी ही आज हैं लेकिन आज मालिक कौन है? आज हिन्दुस्तान का, राजस्थान का मतदाता ही हिन्दुस्तान का मालिक है। हमारी नौकरशाही क्या उस मतदाता को मालिक मानने की तैयारी में है? उसका मन नहीं भरा है। अभी तक उसने आम गरीब आदमी को अपना मालिक मानने की मन में तैयारी भी नहीं की है। जब तक मन की तैयारी नहीं करेगी तब तक रचनात्मक कार्य कार्यरूप में परिणत कैसे कर सकती है। इसमें व्यक्ति का दोष नहीं है, उसे परिवर्तन करने का सुझाव नहीं है। किसी भी पार्टी का राज आता है। विरोधी पार्टी उसके अवगुण निकालने में अपने आपकी सारी शक्ति लगाती है। जो मुंह बाये खड़ी है समस्या नौकरशाही की, उसकी वजह से जनतन्त्र में हम सही रूप से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसके परिवर्तन के लिये रचनात्मक सुझाव देकर एक साथ मिलजुल कर प्रयत्न करना चाहिये। इसमें किसी पार्टीबाजी का सवाल नहीं है क्योंकि हम सब जनतन्त्र के हामी हैं। इस प्रयत्न को देश व्यापी और प्रान्त व्यापी करके जो जनतन्त्र के दुश्मन हैं, जो सरकार को बदनाम करने में लगे हैं उन्हें बदलना चाहिये। उन्हें अगर नौकरी करनी है तो अपने को नौकर ही मानें, ठाकुर मानने की आदत को बन्द करें। साथ ही मैं यह भी निवेदन करूंगा, इस नौकरशाही पर अंकुश लगाने के लिये न्याय की बात है कि काम के साथ दाम का सम्बन्ध जोड़िये। काम है तो दाम है। महीने के महीने जो बिल बनकर तनख्वाह मिलने का सिस्टम है, यह गलत है। मैं कहता हूं 30 तारीख तक नौकर या अफसर तनख्वाह लेने से पहले 30 दिन का लेखा-जोखा पेश करें। यदि उसने तनख्वाह लेने लायक काम किया है तो वेतन मिलना चाहिये, कम काम किया है तो कम तनख्वाह मिलनी चाहिये। काम नहीं तो दाम नहीं। अगर काम कम किया है तो वेतन कम मिलना चाहिये, दाम भी कम ही मिलने चाहिये। इसलिए मेरा निवेदन है, काम और दाम का सम्बन्ध नहीं जोड़ेंगे तब तक नौकरशाही का शिकंजा सरकार पर

(श्री भेरूलाल भारद्वाज)

हावी रहेगा। जनतन्त्र का नियंत्रण इस पर होना चाहिये। किसी पार्टी का राज होता रहे, कभी भी यह नौकरशाही जनता के हित में काम नहीं कर सकेगी। मेरा मानना है सबको मिलकर इस काम में लगना चाहिये।

मेरे मित्रों ने अन्त्योदय की बात कही। अन्त्योदय क्या ? आपने इसकी परिभाषा की होगी मगर जनता ने इसकी परिभाषा क्या दी है। जनता की परिभाषा है कि अन्त का उदय, किसके अन्त का उदय आया। जिन लोगों ने इसका नाम अन्त्योदय रखा उनके अन्त का उदय आ गया। इस अन्त्योदय में आपने केवल पूरे गांव में 5–6 आदमियों को चुना, उसका आधार क्या है ? प्रतिक्रियावादी लोगों, स्वार्थी लोगों ने अन्त्योदय की दृष्टि से एक कार्यक्रम चलाया। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमने जो एकीकृत ग्रामीण योजना और गरीबी की सीमा रेखा के नीचे को पहले कार्यक्रम चालू किये हैं, क्या आपको पता है कि हमने कोई संख्या बांधी है। गरीबी की सीमा रेखा के नीचे किसी जाति का कोई व्यक्ति आता है तो उसको अपनी योजना के तहत हम आगे बढ़ाने के लिये व्यवस्था करते हैं, चाहे वह छोटा किसान हो, चाहे वह सीमान्त और लघु कृषक हो, चाहे मजदूर हो, चाहे छोटा दुकानदार हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे दस्तकार हो, हम गांव के उन सब गरीबों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यह अन्त्योदय का ढकोसला नहीं है, बल्कि गरीबी उन्मूलन का एक बड़ा कार्यक्रम है। मैं इस सम्बन्ध में यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो बैंकों के जरिये ऋण वितरण का कार्य है, इसमें बैंकों के जो नुमाइन्दे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने अभी तक इस रुपये को अपने ही घर का रुपया समझ रखा है। जो किसान को रुपये देते हैं वह बड़ी मुश्किल से इनके गले उतरता है। मैं यह चाहूंगा कि रिजर्व बैंक के हमारे बड़े गवर्नर हैं या हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर हैं भारत सरकार के, इनको इस प्रकार से तैयार करें वे कि रुपया देते वक्त यह न सोचें जैसे इनकी गांठ का रुपया जा रहा हो। गरीब को रुपया देते वक्त में इनको बड़ा दर्द होता है और कहीं कहीं तो भ्रष्टाचार तक की बातें आ जाती हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गरीब का खुद का रुपया है जो बैंकों में रुपया है, वह बिरला या टाटा का बिल्कुल नहीं है, वह तो बैंकों से करोड़ों और अरबों रुपया लेते हैं। आम गरीब आदमी का रुपया जो बैंकों में है, उसके डवलपमेन्ट के लिए, उनकी गरीबी को मिटाने के लिए और उनको मदद करने के लिए कांग्रेस सरकार ने, हमारी नेता इन्दिरा गांधी ने बैंकों से और रुपया देने की व्यवस्था की है। अन्त्योदय वाले चिल्लाते थे 5 आदमियों पर एक आदमी, इस मौके पर मैं यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि सारों ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के खिलाफ वोट दिये। जिन लोगों ने बैंकों के पैसे को जनता के पास आने से रोकने की वोटों के जरिये से कोशिश की, जो बैंकों को जनता का बनने देना नहीं चाहते थे और लम्बी चौड़ी दलीलें देते हैं, उनको अपने पुराने कार्यों पर पश्चात्ताप करना चाहिए। जनता के काम में अपराधी के तौर पर कारनामे करने का अपराध स्वीकार करना चाहिए। ये जो विरोधी

(श्री भैरूं लाल भारद्वाज)
पार्टी के लोग हैं, जो अपने आपको न मालूम क्या कहते हैं, इन्होंने बैंकों के राष्ट्रीयकरण में बाधा डाली थी। इनका कभी मन नहीं था कि गरीबों को यह रुपया मिले। मगर कांग्रेस ने और श्रीमती इन्दिरा गांधी ने गरीबों के लिए बैंकों का रास्ता गांवों के अन्दर निर्धारित कर दिया। इन बैंकों से गरीबों को ऋण मिल रहा है, किन्तु बीच में मैनेजरों के जरिये व्यवस्था में गड़बड़ी हो रही है, मैं चाहूंगा कि भारत सरकार और खास तौर से राजस्थान सरकार उधर ध्यान देकर इनको ठिकाने लगाने की बात करे।

मैं पशुपालन के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। हमारी सरकार ने पशुओं के कार्यक्रम के प्रसार के लिए काफी कुछ कार्य किया है परन्तु कुछ जिले ऐसे रह गये हैं, जहां पशु पालन के लिए व्यवस्थाएं बहुत नहीं हैं। यह ठीक है कि पश्चिमी राजस्थान में अधिक पशुपालन होता है इसलिए हमें उधर ज्यादा ध्यान देना चाहिए परन्तु मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जयपुर जिला भी बहुत बड़ा जिला है जहां पर बहुत बड़ा पशुपालन का धन्धा है। जिला जयपुर के अन्दर पशु पालन के लिए व्यवस्था करने पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। मैं आपको याद दिलाऊं कि जमवा-रामगढ़ की पूरी कान्स्टीट्यूएन्सी में एक भी पशु चिकित्सालय नहीं है। जो राजधानी जयपुर के नजदीक की कान्स्टीट्यूएन्सी हो, उस पूरी कान्स्टीट्यूएन्सी में एक भी पशु चिकित्सालय का न होना बड़ी खेदजनक बात है। मैं आशा करता हूं कि ये जो अनवैलेंसेज हो रहे हैं, इनको ठीक करने का सरकार प्रयत्न करेगी।

मैं वृक्षारोपण के कार्यक्रम के बारे में भी निवेदन करूंगा। वृक्षारोपण का हमारा लक्ष्य वृक्ष लगाने का ही नहीं था बल्कि जीवित वृक्ष को जमने के बाद ही हमको उधर ध्यान देना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

केवल अधिकारियों द्वारा यह रिपोर्ट दे दी जाती है कि हजारों लाखों वृक्ष हमने लगाये, इतने जिन्दा रहे। जिस अधिकारी के जिम्मे जितने वृक्ष थे, जितने लगाये वह जिन्दा नहीं रहते हैं तो उसके कार्य के हिसाब से योग्यता जांचने का मापदण्ड होना चाहिए कि वह अधिकारी योग्य भी है कि नहीं। कितने पेड़ जीवित रख सका और कितना उसने वृक्षारोपण के कार्यक्रम में भाग लिया। राजस्थान में चारों तरफ पर्यावरण को सुधारने की दृष्टि से और सारे वातावरण को ठीक करने की दृष्टि से यह चाहूंगा कि एक बैल्ट जयपुर शहर के 25 किलोमीटर के घेरे में सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम की लगनी चाहिये ताकि राजधानी में बढ़ती हुई जनसंख्या के बावजूद पर्यावरण दुरुस्त रहे।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आयुर्वेद के द्वारा हम जो इलाज करते हैं इसकी ओर हमको अधिक ध्यान देना चाहिए। यद्यपि राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में काफी सुधार किया है परन्तु आयुर्वेद की जो व्यवस्था है यह हमारी प्राचीन पद्धति है इस ओर हमको अधिक ध्यान देना पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान

(श्री भैरूं लाल भारद्वाज)

जयपुर में खोला गया है, यह केवल नाम मात्र का रह गया है। केन्द्रीय सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है इसलिये राजस्थान सरकार को ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार दिल्ली का मैडिकल इन्स्टीट्यूट है, ठीक उसी की नकल पर जयपुर के अन्दर आयुर्वेद संस्थान कायम किया गया था। मगर, माननीय सभापति महोदय, इसकी प्रायोरिटी अभी आरम्भ ही नहीं हो पायी। इसकी व्यवस्थायें ही नहीं जम पायीं। मैं चाहूंगा इस सदन के जरिये कि हमारी राजस्थान सरकार केन्द्रीय सरकार को इसके लिये पाबन्द करे कि दिल्ली मैडिकल इन्स्टीट्यूट–

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

की तरह ही जयपुर का संस्थान भी रूप ले सके।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी निवेदन करूंगा कि डाक्टरों और वैद्यों के वेतनमान में अन्तर होना भी कोई न्याय की बात नहीं है। जितने साल का कोर्स, जितनी पढ़ाई का टाइम डाक्टरों का है और जितनी मेहनत डाक्टर लोगों की होती है, ठीक उतना ही कोर्स इन वैद्यों का भी होता है। हम इस चिकित्सा पद्धति के लोगों को हतोत्साहित नहीं करें और डाक्टर और वैद्य का समान वेतन निर्धारित करें। राजस्थान सरकार ने इनकी वेतन वृद्धि की है और बेरी आयोग के तहत आगे बढ़ रहे हैं, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है।

मैं शुद्ध औषधियों के निर्माण की प्राथमिकता को प्रतिपादित करना चाहूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समय..

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : हां, मैं जल्दी समाप्त कर रह रहा हूं।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, चिकित्सा मंत्री जी, आयुर्वेद की सबसे बड़ी कमजोरी है कि उसके शास्त्रों के विहित कायदे कानूनों के तहत बनी हुई दवाइयां जब तक शुद्ध नहीं मिलेंगी, तब तक आयुर्वेद आगे नहीं बढ़ सकता। हमको सरकार के तहत निर्माणशालाओं में खूब पैसा लगाकर शुद्ध दवाइयों का निर्माण करना चाहिये। इससे हमें आयुर्वेद को बढ़ाने, रोगियों की सेवा करने और रोग को दूर करने में मदद मिल सकेगी।

योग चिकित्सा के लिये यहां 600 वैद्यों को ट्रेन्ड किया है, तो बाकायदा उनको जिलावाइज योग चिकित्सा के लिए भी एकदम आगे बढ़ना चाहिये।

मैं एक बात कहते हुए समाप्त करूंगा, वह माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के बजट के पुनर्निधारण के संबंध में है शिक्षा में राजस्थान सरकार काफी पैसा खर्च कर रही है। गये साल डेढ़ सौ करोड़ था, उसको बढ़ाने जा रहे हैं। करीब करीब, मेरा अन्दाजा है, हम दो सौ करोड़ रुपये शिक्षा में खर्च करेंगे लेकिन यह तो आज के बजट में हिसाब से काफी है पर इसको जो प्रायोरिटी आप देते हैं, वह बिल्कुल दकियानूसी है। कोई पुराने बाबा आदम के जमाने में हम जहां जरूरत नहीं है, वहां ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, अरबों रुपये शान शौकत में खर्च करते हैं

(श्री भैरूं लाल भारद्वाज)

और जहां जरूरत है, वहां पैसा खर्च करने में बड़े लोभी और बड़े संकुचित हो जाते हैं। प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा की जड़ है, प्राथमिक शालाओं में तो बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यापक नहीं हैं और यूनिवर्सिटी में 4-4, 5-5 छात्रों के लिए एक एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े 3-3 हजार के वेतन पर अध्यापक लेक्चरार वगैरह रखे जाते हैं। माननीय सभापति, उस बजट को वापस करना चाहिए, उस मद से पैसा काटना चाहिए। हमको उच्च शिक्षा का पैसा काटकर और नीचे जड़ के अन्दर प्राथमिक एजूकेशन पर लगाना है।

हमको कम से कम 25-30 छात्रों पर एक अध्यापक देना चाहिये। अब तक जो हमने गलती की है, आप उसका सुधार कीजिए। माननीय शिक्षा मन्त्री जी, आने वाले बजट में सुधार होना चाहिये। पहले तो प्राथमिक शिक्षा में 40 पर एक देते थे अध्यापक और आप उल्टे वापस नीचे नहीं होकर एकदम आगे बढ़ रहे हैं। यह भी उचित नहीं है। आप एक अध्यापक देना चाहते हैं 49 पर। यह प्राथमिक शिक्षा के साथ अन्याय है। बच्चा शुरू से ढंग से नहीं पढ़ेगा क ख ग घ और बगैर ढंग से पास होता हुआ चला जायेगा तो यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ेगा। इसीलिए तो यूनिवर्सिटी में तोड़ फोड़ होती है क्योंकि नीचे प्राइमरी एजूकेशन तक बिना ढंग से शिक्षा प्राप्त करता है और पास होता जाता है। नीचे जो खोखलापन रहता है तो आगे चलकर हड़तालें, तोड़ फोड़ और सारी बातों में यूनिवर्सिटी में रोज दिखाई देता है; उसका नक्शा आपके सामने आता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सारी फिजूलखर्ची को बन्द कीजिए और अध्यापक अधिक लगाइये। कम से कम 30 हजार अध्यापक प्राइमरी एजूकेशन के लिए जरूरी हैं राजस्थान में। आपका मापदण्ड 49 पर एक का है। यदि आप पुराने मापदण्ड 40 पर आते हैं तो 30 हजार अध्यापक आपको लगाने पड़ेंगे। 40 पर एक तो मेहरबानी करके रखिए। 40 पर एक अध्यापक। इसी हिसाब से 30 हजार अध्यापक आप लगाइये। इसमें कोताही और लोभ मत कीजिए। दूसरी जगह और काट दीजिए नहीं तो प्राइमरी एजूकेशन का बंटाधार

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

हो जायेगा, सारे शिक्षा जगत का बंटाधार होगा, सारे समाज का बंटाधार होगा। मैं यह उम्मीद करूंगा कि प्राथमिक शिक्षा की अनदेखी को अब ज्यादा दिन जारी नहीं रखा जायेगा।

मैं केवल यह बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि गांवों के अन्दर बसों की व्यवस्था में कमियां हैं और खामियां हैं उन को दूर करने की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जितना आप कर सकते हो, आपके पास साधन हों, उतने रूटों को आप रखिये लेकिन अगर आपके पास शक्ति नहीं है, आपके पास बसें चलाने वाली व्यवस्थायें कम हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अन्य लोगों को मौका दीजिए। मेरा मतलब यह नहीं है कि समाजवाद के तरीके से वापिस लाना चाहता हूं, परन्तु आम उपभोक्ता की ज्यादा कीमत है बजाय समाजवाद के सिद्धांतों के। आम उपभोक्ता क्या चाहता है? उसको कम से कम हर

(श्री भैरू लाल भारद्वाज)

नेशनल हाई वे पर हर आधा घन्टे में बस मिले आने और जाने के लिए और प्राइवेट और लिंक रूटों पर कम से कम हर एक घन्टे में उसको बस जरूर मिले। अब एक घण्टे और आधा घण्टे में मिलने की सुविधा आप अपने परिवहन निगम के जरिए से देंगे या अन्य लोगों की मदद लेकर इन रूटों के ऊपर बसों की व्यवस्था करेंगे।

(2.10 म. प.)

(श्री अहमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कब तक बोलते रहेंगे।

श्री भैरू लाल भारद्वाज : मैं पुलिस व्यवस्था के सम्बन्ध में एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। पुलिस व्यवस्था में आपको नीचे के लोगों के वेतन भत्ते बढ़ाने पड़ेंगे। इसके बिना भ्रष्टाचार बन्द नहीं किया जा सकता। जब तक आप सिपाहियों, हैड कांस्टेबलों, सब इन्सपेक्टर और इन्सपेक्टर के वेतनमान नहीं बढ़ायेंगे, जब तक इनकी सुविधायें नहीं बढ़ायेंगे, केवल आई.पी.एस. और बड़े अफसरों के वेतनों में पुलिस का सारा बजट खर्च करते रहेंगे तब तक पुलिस में सुधार नहीं हो सकता। मेरा निवेदन है कि पुलिस के कांस्टेबलों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। हर आर. ई. सर्किल में कम से कम दो थानेदार एक इलाके में रहने चाहिए। मौके पर रहने चाहिए। साथ ही इन लोगों के वेतनमानों में वृद्धि होनी चाहिए और दाल रोटी के लायक उनको पैसा मिलना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार में कमी आ सके।

अब पर्यटन मंत्री जी का ध्यान इस ओर खींचते हुए अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। वह मेहरबानी करके राजस्थान की राजधानी जयपुर की अनदेखी नहीं करें। जिस जयपुर में बैठ कर के आप राज करते हैं उस पर आपने पर्यटन के नाम पर एक पैसा भी खर्च किया हो तो मेहरबानी करके बता दीजिए। जयपुर में पर्यटन की ओर ध्यान नहीं दिया गया। राजस्थान आने वाला पर्यटक, चाहे देशी या विदेशी हो, जयपुर जरूर आना चाहता है। और जयपुर आता है तो ढाई सौ साल पहले का हवामहल देख करके और चार सौ साल पहले का आमेर का महल देख करके वापस चला जाता है। दूसरे दिन ही चला जाता है। आपके फाइव स्टार होटल में ठहरे, तो उसके घर में ही बहुत से फाइव स्टार होटल हैं। जो पाश्चात्य संस्कृति के लोग आते हैं वह आपके फाइव स्टार होटल्स से आकर्षित नहीं होते। उनको आप यह व्यवस्था दीजिये वह स्थान दीजिये जिससे उनकी आत्मा को और उनके मस्तिष्क को शान्ति मिल सके। जयपुर के नजदीक जमुवा रामगढ़ का बंधा है, जयपुर के नजदीक आमेर का जो पहाड़ी थल है और तालाब और जलाशय हैं उनको आप डवलप कीजिये। गए सत्र में माननीय पर्यटन मंत्रीजी ने यह विश्वास दिलाया था कि वे जमुवारामगढ़ और आमेर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेंगे। मुझे खेद है कि पर्यटन मंत्रीजी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। जयपुर में आने वाले पर्यटकों को लगातार प्रकृति की गोद में दो चार पांच दिनों तक

(श्री भैरूं लाल भारद्वाज)
आनन्द लेने के लिये रखा जावे ताकि जयपुर और राजस्थान की प्रकृति का आनन्द ले सकें और यहां की जो प्राकृतिक सुषमा है उसको मन और आत्मा में लेकर अपने गांव और देश में जा सकें, इसके लिए जरूरी है कि पर्यटन विभाग जयपुर के अन्दर अपना ध्यान केन्द्रित करे, आंखें खोले और जयपुर का जो महत्व है उसको गिरने से बचाने के लिये प्रयत्न करे।

इतनी ही बात कहते हुए मैं जो धन्यवाद का प्रस्ताव राज्यपाल महोदय के प्रति हीरालालजी देवपुरा ने रखा है उसका पुरजोर समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमीन खां।

श्री अमीन खां (शिव) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो 20-2-82 को इस सदन में अभिभाषण दिया उसके लिये धन्यवाद प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री देवपुरा जी ने रखा, उसका मैं समर्थन करते हुए यह जिक्र करना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार ने जिस टाइम वापस शासन सम्भाला, उस समय भी राजस्थान में अकाल की हालत बड़ी खतरनाक थी। चुनाव चलते वक्त भी लोगों को कहीं रोजगार नहीं था। सैन्टर के चुनाव तो हो चुके थे, राज्य विधान सभा के चुनाव जो हो रहे थे उस समय भी भयंकर अकाल था। मगर कांग्रेस सरकार ने बड़ी मुस्तेदी से लोगों को रोजगार दिया। उसकी वजह से एक भी आदमी अपने गांव से बाहर नहीं जा सका और परेशान नहीं हो सका। उसके पशु भी उस अकाल में बचाये जा सके। पिछले साल भी डी.पी.ए.पी. के तहत जो डी.पी.ए.पी. के जिले हैं, जिनमें पशुओं के इलाज के लिए सदियों से कोई इन्तजाम नहीं था वहां अस्सी अस्सी हजार रुपये लगा कर छोटे छोटे गांवों में पशुपालकों के लिये पशु चिकित्सालयों का भी अच्छा इन्तजाम हुआ। सड़कें भी काफी तादाद में राज्य सरकार ने स्वीकृत कीं। सड़कों की स्वीकृतियों के कारण लोगों के आवागमन के रास्ते बने। छोटे छोटे आदमियों के ठेला और गाड़े ले जाने के लिए काफी गांवों में सड़कों की गुन्जाइश बनी। काफी जगह गांवों में प्राइमरी स्कूल खोले गये और आज तक जैसे पंचायत घर पंचायतों में नहीं बने हुए थे वह भी बनाए गए जितने भी सरकार के कार्य गांवों में हुए वे सराहनीय क़दम हैं। वर्तमान सरकार ने यह सबसे बड़ी बहादुरी और ईमानदारी का सबूत दिया कि तमाम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के निडर होकर इलेक्शन कराए। उस सारे इलेक्शनों के नतीजों से करीब करीब साबित हो चुका है कि राजस्थान के गांवों की गरीब जनता देश की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी के तहेदिल से पक्ष में है और पक्ष में रहेगी।

एक बात में, माननीय मुख्य मंत्रीजी, मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे कहने के वक्त आप सदन में मौजूद हैं। कुछ इलाकों में हालात इस वक्त इतने खतरनाक हैं कि कहने में भी डर लगता है। राजस्थान के हर कोने से यहां काबिल आदमी आते हैं, बहुत पुराने पुराने तजुर्बेकार आदमी हैं, अपनी अपनी खींचातानी करते हैं मगर इस वक्त अकाल ग्रस्त क्षेत्र में प्लान के जरिये वर्किंग का सिस्टम बनाया है उससे मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप प्लान से काम नहीं

(78)

(श्री अमीन खां)

खोल सकते, और लोगों के भूखों मरने की आशंका पैदा हो सकती है। पहले आपने 53 वर्कों की स्वीकृति दी, उससे पहले आपने जनवरी माह में बाड़मेर जिले में 22 वर्कों की स्वीकृतियां दीं, हालांकि आप खुद ने वायदा किया था कि 35 हजार मजदूर जनवरी में बाड़मेर जिले में लगाये जायेंगे, आज फरवरी खतम हो रहा है अभी तक मजदूर बीस हजार से भी नीचे हैं। जिला बाड़मेर की तहसील शिव और बाड़मेर तहसील के अराई सर्किल रामसर के 72 रेवेन्यू विलेज, बाड़मेर पंचायत समिति का बायतू, इस एरिया में, मेरे खयाल में, जहां तक मेरी अक्ल से अध्ययन किया है, प्लान वर्क के तहत एक भी सड़क नहीं आती। जब प्लान वर्क में काम दिया जाएगा तो वहां के लोगों को मेरे ख्याल में, मुख्य मंत्रीजी, यही अच्छा होगा कि वहां के लोगों को यह कहा जाय कि मजदूरी नहीं मिलेगी। आप अपने-अपने स्थानों से जहां कहीं रोजगार मिल सके देश के किसी भी कोने में जाकर गुजर करो। नहीं तो इस भरोसे पर लोग भूखों मर सकते हैं।

राजस्थान का पशुपालक एरिया जिला बाड़मेर की तहसील शिव और जैसलमेर जिले के पूरे इलाके में वे पशु हैं जो हिन्दुस्तान की मशहूर थारपारकर नस्ल के हैं, जिसका सारा देश फायदा उठाता है। हम आपसे कालेज नहीं चाहते हैं, हम आपसे कोई सैकण्डरी स्कूल का बोझ नहीं मांगते हैं, हम आपसे कोई डाक बंगला नहीं चाहते हैं, हम आपसे इसके अलावा कोई ऐशो आराम की चीजें लोगों के आराम करने की नहीं चाहते हैं। हम आपसे यही चीजें चाहते हैं कि मेहरबानी करके आप भू-संरक्षण विभाग जो है उसके अन्दर काम खोलो, गांवों में तालाबों के काम खोलो और कच्ची सड़कों को पक्की कराओ। पशुपालक एरिया में पशु चिकित्सालय 15-20 माइल के एरिया में एक एक कायम कराओ और पशुपालक हास्पिटल में डाक्टर मय स्टाफ पूरा तैनात करो जिससे पशुओं को आराम से जिन्दा रहने की गुंजायश मिले। हमारे एरिया में पशुपालक मजबूत हैं, यह भले ही सदन के सारे माननीय सदस्य कहते हैं, मैं एक एक क्षेत्र जानता हूं, आज बाड़मेर जिले के पशुपालक गुजरात में मिलते हैं, कच्छ, नागौर, हरियाणा, पंजाब, जयपुर, अजमेर, मारवाड़ और चित्तौड़ में मिलते हैं मगर बाड़मेर जिले में सिवाय सरकारी नौकरी करने के कोई आदमी बाहर किसी रोजगार करने की नीयत से नहीं मिलेगा।

इसका साफ सबूत है, जितनी कुदरती आफत हमारे ऊपर है उससे जितने हम दुखी हैं, उतना कोई राजस्थान के हिस्से में दुखी नहीं है। इसलिये हम आपसे चाहते हैं कि सिर्फ जो भूखे इन्सान हैं, चार चार साल बरसात के गुजरने के बाद जिस जमीन पर हल नहीं चला हो, उस जमीन पर हरा कपड़े का टुकड़ा फेंक कर हरे रंग का निशान देख ले तो भले ही देख ले, बाकी एक इंच जमीन भी उस एरिया में सिंचित नहीं है। उस भूमि की हालत क्या होगी, उसका अन्दाज आप अपने मन से और दिमाग से लगा सकते हैं।

मेरी प्रार्थना है, काफी लोग चलते फिरते थे, वह गुजरात, नागौर और मकराना

(श्री अमीन खां)

की फैक्ट्री में चले गये, हरियाणा चले गये, पंजाब चले गये जहां इण्डस्ट्री एरिया है। वहां दस आदमियों को मजदूरी मिली तो गांव के दस आदमी चले गये। कई ऐसे आदमी हैं, जिनके घर में बूढ़ी औरते हैं, बूढ़ा आदमी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, गौ, भेड़ बकरियां हैं, उसको देख कर हमारे इलाके के वह लोग अलग नहीं रह सकते हैं। इसलिये मेहरबानी करके इस वर्ष विशेष तौर से इन्तजाम करायें। इस प्लान वर्क के भरोसे तो काम नहीं चलेगा, मेरी दिली आप से फरियाद है कि इस मस्टर रोल में बड़े बड़े आदमी घोटाले करते हैं। जहां काम खुलते हैं सरकार और सरकारी मशीनरी बिना वजह खाहमख्वाह घोटाले कराते हैं, इसलिये एक भी काम नहीं खोला जाये, एक भी मजदूर नहीं लगायें तो भी मैं इतना दुखी नहीं हूं जितना कि फिलहाल मजदूर लगाकर प्लान वर्क के काम की हालत से दुखी हूं। सारे राजस्थान में प्लान वर्क और मस्टर रोल में करोड़ों रुपये के घोटाले का रीति रिवाज बन गया है, उसको बन्द कर दें तो मैं समझता हूं यह बहुत ठीक होगा और करोड़ों रुपयों की बचत होगी।

इसलिये मेरा निवेदन है कि मरते हुए पशुपालकों पर यह कुदरती आफत आई है, उनके खर्चे के लिये आप सेक्रेटेरियट के आलीशान तौर तरीकों में जो पैसा खर्च किया जा रहा है, उसमें कमी करके, बड़े-बड़े आदमियों को दो चार महीने साइकल पर चलने और बस में चलने का इन्तजाम करें, आलीशान कमरे के बजाय जैसे तैसे कमरे में बैठाने का इन्तजाम करके, तीन महीने गरीबों को बचाने के लिये कम से कम दो तीन रुपया रोज मिले, यह इन्तजाम करना चुनी हुई सरकार का फर्ज है और यह पहले हाथ में लेना चाहिये।

हमारे जिले में अभी तक ऐसे गांव मिलेंगे, जिनमें चालीस चालीस किलोमीटर तक पीने का पानी नहीं है। पशुओं के लिये पीने का पानी नहीं है, जिससे गांव के आदमियों को घर खाली करना पड़ता है। बार्डर जिला होने की वजह से उनके ऊपर दो मुसीबतें आती हैं। आदमी गुजरात चले जाते हैं, मवेशी बाहर ले जाते हैं, घर खाली रहते हैं। अदालती कारण से, या दूसरे कारणों से रिपोर्ट हो जाती हैं, आदमी पाकिस्तान चला गया। 63 (18) धारा ऐसी कायम रखी है जिसमें अदालत में कोई सुनवाई नहीं हो सकती है। उनकी जमीन खलास हो जाती है और अदालत में लटकते रहते हैं।

कई ऐसे लोग हैं, जिनको अकाल की वजह से पशुओं से हाथ धोना पड़ा। जो पशुपालक मालामाल थे, अच्छी तरह से गुजारा कर सकते थे, वे बे-पशु हो गये हैं। इसलिये हमारी यह, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मुख्य मंत्री जी से अर्ज है कि किसी भी सूरत में या तो उन लोगों के लिये नान प्लान वर्क से इन्तजाम करें। जैसा कि कल मैंने सुझाव दिया था गरीब आदमियों का चयन करने में अभी तक भी इन्सानों में रहम है, कर सकते हैं। आप पटवारी से भी कार्ड बनवा सकते हैं। गरीब आदमियों को लगायें। गरीबी की रेखा में आप यह तय कर दीजिये कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के जो लोग हैं, उनके प्रत्येक घर के दो मजदूर लगा दें और इसके अलावा प्रत्येक घर

(श्री अमीन खां)
का एक मजदूर लगा दें। इतने ज्यादा मजदूर नहीं होंगे, जितने राज्य सरकार बताती है कि कई करोड़ रुपये डेली खर्च करने पड़ेंगे। प्रशासन आप सख्त करें, कोई शंका नहीं है।

मस्टर रोल और फेमिन में अधिकारी 15 दिन में हाजिरी भर कर देते हैं, इस तरह से सारा घोटाला होता है। फेमिन में सरकार भी बरबाद होती है और लोगों को भी कुछ नहीं मिलता है।

मेरा निवेदन है हमारे क्षेत्र में मैं गांवों के नाम बताना चाहता हूं जिन गांवों में पीने के पानी की वजह से आधी से ज्यादा आबादी खाली होकर बाहर चली गयी है। यह सदनकापाक, अमेखापाक, हीडिंया, गलडिया, सहनाई, जानेकीपोरी, उमेरखापार, तालनकापार, लकडियाली, बूंडिया की आज आधे से अधिक आबादी खाली हो गयी है।

इनमें न तो कोई अकाल राहत कार्य हुए हैं और पीने के पानी के लिए पारों में बेरियां होती हैं, वह लगातार चार साल से बरसात नहीं होने की वजह से सूख गई हैं। पीने का पानी कतई नहीं है। लोग खाली होकर बाहर चले गये हैं उन्होंने मवेशी टके टके में लोगों को बेच दी। जो लोग बेघर हो गये हैं, उनका इन्तजाम होना बड़ा मुश्किल हो गया है। इसलिए मेरा, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि सरकार ने अभी तक तो इन्तजाम अच्छा किया है। फिलहाल लोगों को कलेक्टर बाड़मेर ने आदेश दिये हैं, आपने 53 काम स्वीकृत किये थे, उनमें से काफी काम रोक दिये हैं, जिससे लोगों में बड़ा भय हो गया है। मेरे पास दस तार आये हैं कि काम बन्द कर दिये हैं, क्या कारण है? हम जयपुर आयें या यहीं रहें? आप मेहरबानी करके कलेक्टर को हिदायत दें। 24 घंटे के अन्दर प्रत्येक कार्य पर कितने कितने मजदूर लगे हुए हैं, कौन कौन से कार्य चालू हैं, कौन कौन से कार्य बन्द हैं, इसकी हमें सूची बतायें ताकि हम भी सन्तुष्ट हों कि वास्तव में मजदूर लग रहे हैं।

जैसी कि आपने घोषणा की थी, 35 हजार मजदूर जनवरी में लगेंगे। 35 हजार मजदूर नहीं हैं, 17 हजार मजदूर हैं और फरवरी खतम हो गया।

एक माननीय सदस्य : भीलवाड़ा में चले गये।

श्री अमीन खां : हमारा दूसरी डिस्ट्रिक्ट से मतलब नहीं है। हम जितनी चीज जानते हैं, जितनी हमें मालूम है वही कहते हैं। झूंठ कहना और बहकावे में कहना नहीं जानते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह तो आपकी आदत है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री अमीन खां : सदन में असलियत मालूम है उतनी ही कहनी नहीं तो अपने आप में बेकार समझता हूं। हालत सही कहनी चाहिये जो बात मालूम हो वही कहनी चाहिये। हो सकता है कहीं इससे भी ज्यादा खराब हालत होगी, ज्यादा कोई मजदूर लगा दिये होंगे तो बुरी बात नहीं है। मुख्य मंत्री जी, मैं आपमें पूरा भरोसा करता हूं। मेरे क्षेत्र में, यह कहता हूं, आपका बस चले तो पानी

(श्री अमीन खां)

के टैंकर बन्द कर दें, फैमिन और मस्टर रोल बन्द कर दें, इनके लिये जितना पैसा आपके पास है, उससे ट्यूब वेल खुदवा दें और ट्यूब वेल्स पर बिजली का कनेक्शन दे दें। अकाल राहत खोलने की कोई जरूरत नहीं, उनके बच्चों को पानी हमेशा के लिये पीने को मिल जाय तो इस देश का वासी देश के किसी भी कोने में जाकर रोजगार हासिल कर सकता है। फिलहाल अभी तक अकाल के काम चला कर आपने गरीब को ओवर ड्राफ्ट से दवाया है और फिर दबायेंगे। इसलिये मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि आप मेहरबानी करके इन मस्टर रोल को कतई बन्द कर दें। जो 15 करोड़ हमारे जिले में खर्च हुए यदि 15 करोड़ में ट्यूब वेल लगाये होते, उनको बिजली दी होती तो वहां की जनता, वहां के लोग इन्दिरा गांधी के गीत गाते, इन्दिरा गांधी के खानदान के गीत गाते लेकिन इन मस्टर रोलों ने बरबाद कर दिया है आधे लोग फायदा उठाते हैं और आधे लोग बरबाद होते हैं। मुख्य मंत्री जी, आपने बहादुरी से चुनाव कराये, आप यदि ट्यूब वेल लगाने के लिये, पीने के पानी की व्यवस्था के लिये काम कर दें तो कोई बड़ा काम नहीं होगा। हम तो लोगों को कह देंगे कि काम हमने करवाया है, भूखे मरते हो तो इन्तजाम करो। इसलिये बुनियादी समस्या पीने के पानी की है। आज इन्दिरा गांधी को गांव की महिलाएं मोहब्बत से वोट देती हैं वह अपने सिर पर घड़ा उठा कर पीने के पानी के लिये घूमती है तो अपने को शोभा नहीं देता। आप पहला मसला पानी के लिये उठाओ सबसे पहले पीने के पानी का प्रबन्ध करो तो बहुत बड़ा काम होगा, आपकी बहुत बड़ी वाहवाही होगी जैसी कोई वाहवाही सरकार करा ही नहीं सकती। सबसे बड़ा काम यह है। इतना ही कह कर मैं आशा करता हूं कि इन्तजाम होगा। मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो देवपुरा जी ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया है उसका तहे दिल से समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चाव खां।

श्री चाव खां : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुःख है कि हमारे मुख्य मंत्री जी जब मैं कुछ कहने के लिये खड़ा हुआ तो सदन से उठ कर चले गये इसलिये · ·

श्री उपाध्यक्ष : वे सब सुन रहे होंगे। आप चिन्ता मत कीजिये।

श्री चाव खां : मैं न तो भाषण देने के लिये खड़ा हुआ हूं और न ही मैं भाषण देना जानता हूं। अभी 20 तारीख को हमारे राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण जो दिया है उसको मैंने गौर से पढ़ा हालांकि मैं हिन्दी पढ़ा लिखा बहुत कम हूं, इसके बावजूद मैंने इस पर गौर किया लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इसके अन्दर करीब-करीब मेरे ख्याल से 24 पेज हैं लेकिन किसी पेज पर राजस्थान में करीब 25 लाख मुसलमान हैं न उनके बारे में, न उनकी तालीम के बारे में, न उनको नौकरी देने के बारे में, न उनको किसी भी प्रकार की कोई सहूलियत देने के बारे में कोई जिक्र किया है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना

(श्री चांद खां)

पड़ रहा है कि हमारी सरकार, जो जनता पार्टी की सरकार थी, हम पर आरोप लगाती थी हालांकि मैं यकीन दिलाता हूं सदन के अन्दर कि मेरे अन्दर कोई पार्टी नहीं है, एक इन्सान है, खुदगर्जी नहीं है, मेरे अन्दर कोमियत नहीं, मैं चाहता हूं देश के अन्दर इन्साफ हो, देश का हर आदमी, जो इस देश में रहता हो, को पूरी मदद मिले, उसके साथ न्याय किया जाय, उसको रहने को जगह दी जाय। मेरा ध्येय यह है। लेकिन यहां पर देखा जाय तो मुसलमानों के लिये केवल वोट हासिल करने को कहा जाता है, कोई हक नहीं दिया जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बातें नहीं।

श्री चाव खां : उनको कोई हक नहीं दिया जाता केवल बताया जाता है। मेव कौम के अन्दर मैं आपको यकीन दिलाता हूं एक प्रतिशत आदमी बी. ए. है बाकी पढ़े-लिखे नहीं मिलेंगे। आज वे ओवर-एज हो रहे हैं। आज उनकी गिनती खतम हो रही है। वह हल चला नहीं सकते, वह हमारे मवेशियों को चरा नहीं सकते, आज 2,3,4 महीने से बैठे हैं लेकिन उनको चपरासी तक नहीं लगाया जाता। यह मैं दुःख के साथ कहता हूं।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार जो गरीबी दूर करने की बड़ी-बड़ी बातें करती है आज देश की 35 साल की आजादी हो गई लेकिन गरीबी अपनी जगह पर है, पूंजीपति पूंजीपति होते चले जा रहे हैं। यहां जो खानों के ठेके दिये जाते हैं, जो भी ठेके से सरकारी काम कराये जाते हैं वह जो लखपतियों से कम नहीं है उनको या करोड़पति लोगों को दिये जाते हैं। किसी भी गरीब आदमी को दिया हो तो लिस्ट बता दें। गरीब आदमी को छोड़कर सभी अमीरों को दिये जाते हैं। गरीब आदमी सिर्फ उन खानों में काम करने के लिये रह जाता है। अमीर लोग अपनी कारों में बैठ कर देखते हैं कि हमारा काम सही हो रहा है। जो मजदूर है वह केवल मजदूरी करने के लिये पैदा हुआ है। अगर ये ठेके गरीब आदमी को दिये जाते हैं तो मैं यकीन दिलाता हूं कि इस देश के लोग बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। जो आदमी खुद अपने हाथों से काम करते हैं उनको काम दिया जाना चाहिये न कि उनको जो अमीर हैं। इस तरह से मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि देश की गरीबी दूर नहीं कर सकते, 35 साल गुजर जायें, और 35 साल आ जायें तो भी देश का गरीब गरीब रहेगा और अमीर अमीर बनता चला जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर मुसलमानों के साथ क्या सलूक हो रहा है। सन् 1945 में जब एक तूफान आया उसके पहले जो भाई भाई एक जगह रहते थे उनके अन्दर खुदा ने ऐसा जहर डाला कि हिन्दू मुसलमान को नहीं देख सका और मुसलमान हिन्दू को नहीं देख सका और एक कजा पैदा हो गई। कत्ल हुए, खून बहा, लोग पाकिस्तान जाने लगे। मैं आंखों देखी बात आपके सामने बता देना चाहता हूं। 24 जून, 48 या 47 में महात्मा गांधी ने यकीन दिलाया, लोग बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तान जा रहे थे उन्हें यकीन दिलाया कि इस इलाके के अन्दर जो 50 लाख के करीब बसे हुए

(श्री चाव खां)

हैं ये इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं। मैं इनको पाकिस्तान नहीं जाने दूंगा। उन्होंने विश्वास दिलाया कि इनकी जमीन, इनके मकानात वापस दिलाये जायेंगे। उनको वापस लौटाया गया और उनके वापस बसने की व्यवस्था की गई। राजस्थान सरकार ने फैसला लिया कि हम इनको बसाने के लिये इनकी जो खुद काश्त की जमीन है वह देंगे, जितना इनका क्लेम बनता था, जितनी इनकी यहां विश्वेदारी की जमीनें थीं उन्होंने इनको देकर वायदा किया कि जिस जमीन पर वे काश्त करते थे वह रकबा उन मेवों को दिया जायेगा। इस प्रकार रकबा दिया जाता रहा लेकिन वह रकबा असली नहीं बल्कि बदल कर दिया जाने लगा क्योंकि इन गांवों में हमारे बाहर से, पाकिस्तान से शरणार्थी भाई आये, वह भी हमारे भाई हैं, हमें नाराजगी नहीं, वे बड़े दुःख के साथ आये, यहां उनको बसाया गया, 25 बीघा जमीन उनको दी गई लेकिन जिन गांवों में इन लोगों को बसाया गया उनके बजाय हमें जमीनें दूसरे गांवों में दी जाने लगी। अब क्या होता है कि 3 अप्रेल, 1959 को जो जमीन बंजर पड़ी थी यानि मुसलमानों के पास चाही की जमीनें थीं, बारानी की जमीनें थीं उनके पास कुए थे, उनके बदले में सरकार ने उन्हें बंजर पड़ी खार-खपरे की जमीनें दीं और उनकी भी 50/- रु. बीघा कीमत बांध दी। तो इसके लिये हम लोगों ने भागदौड़ की जनता सरकार से, यह कीमत कांग्रेस सरकार की तरफ से मानी गई हम को बड़ा पश्चाताप हुआ, दुःख हुआ। सरकार ने कहा कि अब इसकी कीमत जमा करवाओ। इसको कहते हैं अमानत में खयानत। अरे, हमें बदले में जमीनें दी गईं और वह भी बजाय अलॉट की जाने की उन पर भी कीमत बांध दी। यह अफसोस की बात है। कांग्रेस सरकार का सफाया हुआ, उसका खातमा हुआ, जनता पार्टी की सरकार आ गई। उनके सामने भी हमने भाग दौड़ की। मसला रखा। उन्होंने क्या किया। 3-1-1979 को एक स्थगन आदेश जारी किया। जब तक कोई निर्णय न हो, तब तक कोई कीमत वसूल नहीं होगी। इतना तो किया। लेकिन वह मसला तय नहीं हुआ। मामला यों ही पड़ा रहा और फिर कांग्रेस सरकार आ गयी। कांग्रेस सरकार ने फिर 11-3-1980 को वह स्थगन आदेश, जो जनता पार्टी की सरकार ने लगाया था, खतम कर दिया और यह आदेश दे दिया कि मुसलमानों से वसूली की जावे। यह बड़े दुःख की बात है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जो जमीन क्रय नहीं की गई है उसकी कीमत ली जा रही है। बंजर जमीन दी जा रही है। क्लेम लिये जा रहे हैं। कीमत ली जा रही है। यह है न्याय इस सरकार का। इस बारे में मंत्री महोदय से मिला था। उन से मैंने बातचीत की है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि आपकी जो कीमत की बात है वह जल्दी खतम की जा रही है। आपके लिये 9-1-82 को एक मीटिंग की है। उसमें कमिश्नर को बुलाकर के यह तय किया है। हम इस कीमत के बारे में जल्दी आदेश जारी कर रहे हैं। एक आदमी को चार गांव में जमीन अलाट हुई। जिस आदमी को तीन, चार रकबा दिया गया है उसका दाखिला नहीं किया गया, यह कहां का न्याय है। कीमत अदा कर दी। तो उस 15 बीघा जमीन का दाखिला होना चाहिए। मुझे यह विश्वास दिलाया गया है कि बहुत

(84)

(श्री चाव खां)

जल्दी आदेश जारी किये जा रहे हैं। इसलिये यह सरकार बड़ी तारीफ कर रही है, सरकार यह कर रही है। मैं कहता हूं, मुसलमानों के लिये कुछ नहीं किया जा रहा है। महज वोट हासिल करने के लिये, उनको धोखा देने के लिये यह किया जा रहा है। यह बड़े दुःख की बात है। मंत्री बनाने के लिए एक आदमी आपको नहीं मिला जब कि आज 9 आदमी मुसलमान कांग्रेस (आई) में है। आज तक का रिकार्ड है। फिर भी इस सरकार में किसी मुसलमान को मंत्री नहीं बनाया गया है। दो आदमी केबिनेट में हों, इस बात के लिये मैं सरकार को कहता हूं। यह बड़े दुःख की बात है। मुसलमानों को इस तरह रखते हैं। एक आदमी केबिनेट में नहीं है। कहा जाता है तो जवाब मिलता है इन में आपस में मतभेद है। अरे मतभेद तो आप में भी है। मैं पूछना चाहता हूं, आप जो मुख्य मंत्री बने हो क्या बहुमत से बने हो। आपका नाम तो इन्दिरा गांधी ने तय किया है और सीधा आपको इस तरह बिठा दिया है। आपको किसी पर एतबार हो तो उसको मंत्रिमण्डल में ले लीजिये। आपस में XXX कर रखी है 9 की। अभी हमारे सामने तारीफ कर रहे थे। मैं बुराई नहीं करना चाहता। आखों देखी बात कह रहा हूं। आज मुसलमानों की जायदाद पर कब्जा किया जा रहा है। उसको खाली कराने का सरकार का आदेश नहीं है। 35 साल से इस पर तवोज्जह नहीं दी गई। इस प्रकार की कमेटी बना दी गई, ऐसे आदमियों को चेयरमैन बनाया जाता है जो उनसे प्यार, मोहब्बत नहीं करते। जो नाम के मुसलमान होते हैं। ऐसे आदमियों को चेयरमैन बनाया जाता है। हम चाहते हैं कि हमारी जायदाद चाहे वह कब्रिस्तान हो, चाहे दरगाह हो, चाहे मस्जिद हो, उसके लिये सरकार का फर्ज हो जाता है कि जिन लोगों ने कब्जा किया है, उनको कानूनी तौर से हटाने का अधिकार होना चाहिये। लेकिन नहीं, उनको कहते हैं मुकदमा दायर करो मुकदमे के बारे में हमको जानकारी मिली है। यह कैसा कानून है। बेशक अदालत ऊपर जाकर हमारे खिलाफ फैसला कर देती है। अलबत्ता इन लोगों की ताकत नहीं है जो मुकदमा दायर करें। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह ऐसा कानून बनाये कि जिन लोगों ने जायदाद पर नाजायज कब्जा कर रखा है उनको तुरन्त खाली करवाये। यह सरकार का असली कर्तव्य है, वरना मुसलमानों को धोखा दे रहे हो, सारे हिन्दुस्तान के मुसलमानों को धोखा दे रहे हो, मेरा यह यकीन है। बढ़ बढ़ कर बातें करते हो। कुछ दिन पहले आपकी तारीफ की थी लेकिन वह दिन दूर नहीं, आपका भी एक वक्त आयेगा, शायद मैं जिन्दा रहा तो आपको बताऊंगा कि आप उत्तर से दक्षिण में बैठोगे और ये लोग उधर बैठेंगे। इसलिये काम करो। दुनियां काम को चाहती है। देश को जिन्दा रखना चाहिये। देश की तरक्की होनी चाहिये। यह हैं बात। एक दूसरे की भलाई। एक दूसरे की बुराई से काम चलने वाला नहीं है।

एक आदमी की रिपोर्ट मिली है। जातिवाद की बात नहीं कह रहा हूं। हकीकतन बात कह रहा हूं।...

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। आप अपना बयान जारी रखें। इनको हक है कहने का।

श्री चाव खां : तहसील अनूपगढ़ का एक आदमी है जिसका नाम कुमेरबख्श है। उसको सरकार से पट्टा मिला और वह जमीन पर आज तक काबिज रहा। मरने के बाद वह जमीन उसकी औलाद के नाम होनी चाहिये लेकिन इसमें क्या हुआ। भजनलाल विश्नोई नाम के आदमी ने उस पर मुकदमा दायर कर दिया। मुकदमा दायर कर के उस गरीब को फंसा देते हैं। मुकदमा चला कर उस गरीब को बर्बाद किया जाता है। अदालत से उसके हक में फैसला हो जाता है। किस के हक में? मुसलमान की औलाद के हक में। लेकिन वह मामला फिर भी पेन्डिंग पड़ा रहा। जनता पार्टी की सरकार ने यह आदेश जारी कर दिया कि उनका नाम दर्ज किया जाये लेकिन उस पर आज तक अमल नहीं हुआ। मुझे यह बताया गया है कि इसके अन्दर एक सुनील नाम का हमारा एक साथी जो, यहां एम.एल.ए. है, द्वारा मदद उन लोगों को दी जा रही है। वह हमारे अध्यक्ष महोदय के रिश्तेदार हैं और हमारे अध्यक्ष महोदय नेक और संजीदे व्यक्ति हैं। क्यों उनको बदनाम कर रहे हो? क्यों गरीब मुसलमानों को तबाह करने जा रहे हो? उसका नाम तस्दीक नहीं किया जाता है। यह सरासर अन्याय है। इसके बारे में सरकार जांच करे। क्यों नहीं हुआ आखिर? क्यों उसके साथ झगड़ा किया जा रहा है? यह मैं आपको बताना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री चाव खां : दूसरी बात मैं आपको बताऊं...

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री चाव खां : उपाध्यक्ष महोदय, आप एक बात और बता दें यहां पर आरक्षण की बात देखो। जितने नीचे के लोग हैं, हिन्दू हैं उनके लिए आरक्षण किया जाता है। अगर मुसलमान हैं, मिरासी है तो उसके लिये नहीं है, धोबी मुसलमान हैं तो उसके लिये नहीं है, अगर वह नाम का मुसलमान है तो उसको आरक्षण में नहीं लिया जाता है। अंग्रेजों के जमाने में जागीरदार थे अब तो वे भिश्ती हो गये हैं पर मुसलमान का नाम है इसलिये आरक्षण नहीं दिया जाता है, उनको फायदा नहीं दिया जाता है। अरे गरीब हैं बेचारे। तुम्हारे को पानी पिलाते हैं, तुम्हारी खिदमत करते हैं इसलिये उनको आरक्षण में लिया जाना चाहिए। कहते हैं कि तरक्की कर रहे हैं। सरकार ने 35 बर्षों में तो कुछ किया नहीं है आगे करेगी तो देखा जायेगा अगर मैं जिन्दा रहा तो।

अब उपाध्यक्ष महोदय आदेश जारी कर रहे हैं कि बैठ जायें तो...

श्री हेमाराम चौधरी : विनम्र निवेदन कर रहे हैं, आदेश नहीं दे रहे हैं। दूसरों को भी मौका देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री चाव खां : आखिर में निवेदन करता हूं कि अभिभाषण के लिये, धन्यवाद देने की बात है तो जब तक मुसलमानों को दोनों आंखों से नहीं देखा जायेगा मैं तो

(श्री चाव खां)
धन्यवाद दूंगा नहीं। बस यही अर्ज कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सोहनलाल बंशीवाल।

श्री हेमाराम चौधरी : मेरा नाम है या नहीं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम नहीं है, भेज दें।

श्री हेमाराम चौधरी : गायब हो गया है क्या ? चीफ व्हिप साहब हैं नहीं अभी तो यहां पर।

श्री सोहनलाल बंशीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, जब मेरे बोलने की बारी आयी··

श्री हेमाराम चौधरी : बाड़मेर वालों पर तो आप ही कृपा कर दें। आप ही सक्षम हैं।

श्री छीतरलाल आर्य : मेरा नाम है या नहीं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : अपना नाम भिजवायें।

श्री सोहनलाल बंशीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं····

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम है या नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप प्रारम्भ करें।

श्री सोहनलाल बंशीवाल : ये बीच में XXXकरते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ये तो होता रहेगा। आप आरम्भ करें। आर्डर प्लीज।

श्री सोहनलाल बंशीवाल : यह सरकार कहती है कि छुआछूत मिटा रहे हैं। यह अखबार में निकला है 'जगतगुरू शंकराचार्य और जग्गू चमार'। यह आपकी सरकार की हालत है कि छुआछूत मिटाना चाहते हैं या जातिवाद को बढ़ाना चाहते हैं। अगर कोई ब्राह्मण भीख मांगता है तो हम उसको भिखारी नहीं कहते हैं उसको पंडित जी कहते हैं, अगर कोई बनिया चणे बेच रहा है तो उसको हम सेठजी कहते है, कोई ठाकुर है तो उसको हम ठाकुर साहब कहते हैं और ये लोग हमारे लोगों, हमारे नेता लोगों, जो एक राष्ट्रीय नेता थे, के सम्बन्ध में अखबार में निकाल रहे है 'जग्गू चमार' तो यह बड़े शर्म की बात है।

आप कहते हैं कि छुआछूत मिट रही है पर यह तो बढ़ रही है। यह मेरे घर का नहीं है आपका अखबार है।

एक माननीय सदस्य : आप तो अछूत नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बातें नहीं, माननीय सदस्य।

श्री सोहनलाल बंशीवाल : बाढ़ की बात आयी। बाढ़ आयी और सरकार ने जो कुछ किया उसके लिए कहा कि बहुत किया। ठीक है सरकार ने किया तो वह सरकार का कर्त्तव्य था, सरकार को करना चाहिये था, सरकार ने कोई अहसान नहीं

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री सोहनलाल बंशीवाल)

किया है। 17 तारीख को पानी आया, 18 तारीख को बरसात आयी और 19 तारीख को बाढ़ आयी। उस समय तो आपके नेता लोग शपथ ग्रहण कर रहे थे। आपने किसी को सम्भाला नहीं, कोई भूखा मर रहा था, कोई प्यासा मर रहा था, उसको 22 तारीख को हमने सम्भाला। आपके लोग, नेता लोग तो 26 तारीख को आये हैं। फिर आप दावा कर रहे हैं। अभी भी चाकसू में, निवाई में, टौंक में जमीन बरबाद हुयी पड़ी है उनको कोई सम्भालने वाला नहीं है। उनके लिए आप क्या कर रहे हैं। अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई-भतीजों को आप सहायता दे रहे हैं, उनके कुए साफ हो रहे हैं। मुझे कहना तो नहीं चाहिए था लेकिन भारद्वाज साहब अभी बहुत बड़ाई कर गये कि बड़ी सहायता दी। क्या खाक सहायता दी, जमीन में 6–6 फीट मिट्टी पड़ी है, कुए खुदे पड़े हैं उनको झोंपड़ी बना दी चार चार छप्पर डालकर कहते हैं कि उनकी झोंपड़ी बना दी। मैं यह नहीं कहता कि इन्दिरा जी वहां पर क्यों आयीं? इन्दिरा जी हमारी नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं वे आयीं कोई बात नहीं पर करोड़ों रुपया उसके लिए खर्च कर दिया। यह करोड़ों रुपया गरीबों के लिए देते तो उनका फायदा होता। वह किस काम आया, उनको दिखा दिया कि राजस्थान में बड़ा भारी काम किया। गरीबों के हिमायती बन गये।

दूसरा यह जो अभिभाषण दिया गया है इसमें हरिजनों को बहुत बड़े सब्ज बाग दिखाये गये हैं। इसमें निवेदन करना चाहता हूं कि···

श्री जयकृष्ण शर्मा : घर में ही झगडा हो जायेगा।

श्री सोहनलाल बंशीवाल : ये देखें आपके अभिभाषण में, मैं नहीं बोलता हूं···

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैं तो यह कह रहा हूं कि आपके घर में ही झगड़ा हो जायेगा इससे।

श्री सोहनलाल बंशीवाल : आपको चाहिए कि बीच में न बोलें। मैं आपके समय में नहीं बोलता हूं। आप कहें तो मैं बैठ जाऊ। नहीं बोलूं। मैं तो आपको यह बता रहा हूं कि आप गरीबों के कितने हिमायता बन रहे हैं। आज एस.सी. के साथ क्या हो रहा है? मैं अनुसूचित जाति का आदमी हूं, आप देख क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं···

श्री भंवरलाल शर्मा : ये पंडित जी हैं इसीलिए आपको नहीं बोलने दे रहे हैं।

श्री सोहनलाल बंशीवाल : शिड्यूल्ड कास्टस् को जमीनें अलाट कीं, हमारी सरकार ने कीं और हमारी सरकार के करने के बाद में हमारे लोगों को जो जमीनें मिलीं उनके नामांतरण पत्र में उनका नाम नहीं खोदा गया। बल्कि हमारे जनता पार्टी के राज में जो कुछ दी गयी थीं उनको भी आप छीन रहे हैं। अलाटमेंट हो रहा है, पट्टे दिये जो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है पर कब्जा उनका हो रहा है। दूसरे जो जमीन शिड्यूल्ड कास्ट की मोल ली हुयी है, शिड्यूल्ड कास्ट का आदमी शिड्यूल्ड ट्राइब्स की जमीन नहीं खरीद सकता है, शिड्यूल्ड कास्ट की जमीन मोल ली हुयी है दस बरस की वह आज छीनी जा रही है। शिड्यूल्ड कास्ट की जो जमीन गिरवी रखी है वह उसको जबरदस्ती देना नहीं चाहते हैं। शिड्यूल्ड कास्ट

(श्री सोहनलाल बंशीवाल)

की जमीन जो मोल ली हुयी है वह छीनना चाहते हैं, यह कैसा कानून है। आप कहते हैं कि आपने शिड्यूल्ड कास्ट के लिए अदालतें खोली हैं। अगर खोलनी है तो मोबाइल कोर्ट खोली होती जो कि गांव गांव जाकर तकलीफ सुनती। 400 मील पर अदालत है, जोधपुर में अदालत है, वहां पर कौन जायेगा, गांव का आदमी कैसे जायेगा। अपना केस करने के लिये उसके पास पैसा नहीं है, खर्च करने के लिये पैसा नहीं है। आप लोगों ने चार चार अदालतें खोल दी हैं, अदालतें खोलने से क्या होगा आपको मोबाइल कोर्ट खोलनी चाहिये जो तहसील वाइज जाकर केस सुने तो आपको पता लगेगा कि गरीबों के साथ क्या हो रहा है।

आपने छात्रावास खोल रखे हैं, जगह जगह। कभी आपने उन छात्रावासों को देखा है कि उनकी क्या हालत हो रही है। सरकार की तरफ से, आपकी सरकार की तरफ से नोटिस है कि आप छात्रावासों का दौरा करेंगे। मैंने जयपुर जिले के सारे छात्रावासों का दौरा किया और उसकी रिपोर्ट बनाकर भेजी है लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुयी है। लड़कों को कपड़े दे रखे हैं पहनने को वह धुलते नहीं हैं, धुलाये नहीं जाते हैं, और जो उनके बिस्तर हैं सोने बैठने के वह छात्रावास में आने के बाद से चाहे उनको आये 10–15 साल हो गये हों आज तक धुले नहीं हैं। उनको साबुन नहीं मिलता है, अच्छा कपड़ा नहीं मिलता है। उन लड़कों को किताबें नहीं मिलती हैं। यहां तक कि उनको पढ़ने के लिये लालटेन तक नहीं मिलती है। मैंने इन सारे छात्रावासों का दौरा करके छात्रावासों पर रिपोर्ट भेजी थी आपकी सरकार के पास लेकिन अब-तक उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

स्कूल के बच्चों के लिए आपके यहां से, सरकार के यहां से किताबें निकलती हैं परन्तु शिड्यूल्ड कास्ट के बच्चों को कोई किताब नहीं मिलती हैं, किसी को भी किताबें नहीं मिलती हैं। किताबें किसको मिलती हैं? मास्टरों के बच्चों या उनके रिश्तेदारों को। शिड्यूल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बच्चों को किताबें नहीं मिलती हैं।

(3.00 म. प.)

(श्री तकीउद्दीन, सभापति, पदासीन)

एक बात और कहना चाहता हूं। आपने एक कानून बनाया है कि खाद दी जायेगी 50 प्रतिशत कम पर शिड्यूल्ड ट्राइब्स को और 50 प्रतिशत उनको कन्शेसन मिलेगा, पर शिड्यूल्ड कास्ट को नहीं मिलेगा, । तो, श्रीमान् शिड्यूल्ड ट्राइब्स तो थोड़ा बहुत फिर भी अपना गुजारा कर लेता है पर शिड्यूल्ड कास्ट्स तो बहुत ही गरीब है। यह अन्याय का कानून है कि शिड्यूल्ड ट्राइब्स को छूट दें और शिड्यूल्ड कास्ट को नहीं दें। यह कैसा कानून है। जिन लोगों को आपकी तरफ से आवास के लिए जमीनें मिल रही हैं उन जमीनों पर लोग उनको बाड़ा नहीं बनाने देते हैं, न कब्जा करने देते हैं। आपके अधिकारी सुनते नहीं हैं। पटवारी गांव में जब जाता है तो जिस के चाहे खाना खाता है, राबड़ी पीता है, सुबह से शाम तक चाय पीता है और उसके नाम कर देता है। उनके नाम कब्जा नहीं होता है। यह एक तरह से धांधलेबाजी है। बड़ा भारी नाम कर रखा है, अखबारों में बड़ा भारी प्रचार कर रखा है। शिड्यूल्ड कास्ट्स को आसमान में पहुंचा रहे हैं, पता

(श्री सोहनलाल बंशीवाल)
नहीं जिन्दा या मरे हुए को आसमान में पहुंचायेंगे।

कितने हैण्ड पम्प लगाये। आपका पैसा खर्च हो रहा है। डांगी जी सुन रहे हैं वे भी शिड्यूल्ड कास्ट के हैं। वे कांग्रेस पार्टी के हैं तो क्या हुआ। मैं भी कांग्रेस में था। शर्म आनी चाहिए शिड्यूल्ड कास्ट के होने के नाते। इनको क्या पता शिड्यूल्ड कास्ट्स के साथ क्या हो रहा है। डांगी जी हंस रहे हैं मेरी बात पर। आपको पता नहीं है...

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री सोहनलाल बंशीवाल : शिड्यूल्ड कास्ट की लड़की को प्रधान का लड़का उठाकर ले गया और बलात्कार करने के बाद जान से मार दिया। आपको पता होना चाहिए, शर्म आनी चाहिए।

चाव खां जी बोल रहे थे कि एक तरफा बात मत करो। आप मुसलमानों को भड़काते हो, आर.एस.एस. वाले, जनता पार्टी वाले मुसलमानों के खिलाफ हैं। हमारी पार्टी किसी के खिलाफ नहीं है, सब में समानता चाहती है। गरीबों का भला चाहती है।

जिसके भी हैण्ड पम्प लगे। शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के यहां एक भी नहीं लगा। आप चाहे तलाश करवाइये, चाहे इन्क्वायरी करवाइये। किसी गांव में शिड्यूल्ड कास्ट के हैण्ड पम्प नहीं लगा। किसी के नहीं। आप कहते हैं सरकार हरिजनों के मोहल्ले में बिजली लगायेगी, पक्की सड़कें, चबूतरे और पत्थर के फर्श बनायेगी। आप बता दीजिए कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के यहां किसी मोहल्ले में बिजली हो, पक्का फर्श हो। मैं आपका गुनहगार हूं। आप पार्टी छोड़ दीजिए। आपका क्या तरीका है शिड्यूल्ड कास्ट के एम.एल.ए. होते हुए भी! क्या दान में एम.एल.ए. बने हो? जनता ने आपको वोट दिया है, हमको दिया है। हम काम चाहते हैं चाहे विरोधी पार्टी के हों लेकिन काम बराबर का चाहते हैं।

गांव में मारपीट करें और उनकी रिपोर्ट दर्ज कराने नहीं दी जाती है। अगर रिपोर्ट दर्ज कराने किसी तरह से जायें तो वहां के लोग पुलिस के दलाल कहते हैं, अच्छा 500 रुपये दो। थानेदार से कह देते हैं, उन लोगों को ठग लेते हैं। रिपोर्ट दर्ज कराने नहीं देते, किसी को गवाही नहीं देने देते! बड़ा जुल्म होता है, शर्म आनी चाहिए। अखबारों में देखते हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के साथ यह कर रहे हैं, यह फैसिलिटी दे रहे हैं लेकिन मेरे को पता नहीं कि कौनसी फैसिलिटी क्या मिल रही है, कितनों को मिल रही है। मेरे पास दो रिपोर्ट और भी हैं। एक दीपा नाम की औरत है, तहसील के अन्दर पूड़ा लेकर जा रही थी कि 5 आदमियों ने आग लगा दी। भंवरसिंह ने उसको बचाया, आज तक कोई कार्यवाही उस पर नहीं हुई है। अभी आपको रिपोर्ट बताता हूं। 9-2-82 को मेहंदीपुर के बालाजी के यहां पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। अखबारों में कहते हैं कि हम तो शिड्यूल्ड कास्ट्स को बहुत आगे लाना चाहते हैं। मुसलमान तो हमारे साथी हैं। कहते हैं बरबाद कर देगी, जनता पार्टी शिड्यूल्ड कास्ट्स को। मैंने कांग्रेस में भी रहकर देखा है। डांगी साहब, आप हंसते क्यों हो। आप हंस रहे हो।

एक माननीय सदस्य : शिड्यूल्ड कास्ट्स के बिरला आप कांग्रेस के टाइम में बने हो और अब और बढ़ते जा रहे हो।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, एक दूसरे को सम्बोधित करके न कहें।

श्री सोहनलाल बंशीवाल : मैं अपने कारोबार से या अपनी मेहनत से, बना हूं। मेरे बाप दादा ने टोपी धोयी, मेरी मां ने टोपी धोयी। मैंने कारोबार में कोई ब्लैक नहीं किया। टैक्स देता हूं। कांग्रेस ने कोई दान नहीं दिया, किसी ने कोई दान नहीं दिया, या जनता पार्टी ने दान नहीं दिया। गरीबों के भले के लिए जितना मेरे पास होगा करूंगा लेकिन आपने क्या किया, आप तो कुर्सी लेकर बैठ गये। अपना भला किया या अपनी पार्टी का भला किया। मैंने तो अपनी पार्टी के साथ गरीबों का भी भला किया। लेकिन आप सुनने वाले नहीं हैं। क्यों नहीं उस औरत की रिपोर्ट दर्ज की? पीपलहेड़ा गांव में एक आदमी राजपूत की 11 साल से जमीन जोत रहा है और अब 400–500 का लेबर हो गया है। अब जब कि फसल हुई है उसको चना नहीं काटने दिया जाता, फसल पर कब्जा नहीं करने दिया जाता, ये आप हरिजनों का उद्धार कर रहे हैं। थाने में हम भी रिपोर्ट करें या टेलीफोन करें तो हमारी सुनवाई नहीं होती। कहते हैं कि आप विरोधी पार्टी के एम.एल.ए. हो। आप लोगों के एम.पी. और एम.एल.ए. की सुनवाई होती है तो हमारी सुनवाई क्यों नहीं होती है। यह क्या मतलब हुआ। आपका आदमी दारू बेचे तो भी बच जाता है और हमारा आदमी कुछ गलती नहीं करे तो भी फंस जाता है। क्यों फंसाया जाता है। महाराज, ऐसी ठिठोलिया करोगे तो हरिजन, हरिजन नहीं रहेगा मुसलमान मिलेगा। यह समझ लेना, हरिजन हैं वह एक हो जायेंगे और आपको पता नहीं लगेगा, आपको भुगतना पड़ेगा। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के एम. एल. ए. और अन्य नेताओं को। इसलिए मैं कह देना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया, हरिजनों के लिए कुछ कहा है लेकिन मेरी तरफ से तो हरिजनों के लिए कुछ नहीं किया है, न ही करने वाले हो। सिर्फ एक वोट के लालच में हरिजनों को चिपका रखा है। वोट लेना और आराम से कुर्सी पर बैठ जाना और कुछ नहीं करना। हरिजनों को देना कुछ नहीं है। कोई पण्डित तेल मांगे या भीख मांगे, उसको हम पण्डित जी महाराज कहते हैं, कोई बनिया चाहे चने बेचे उसको हम सेठ जी महाराज कहते हैं, कोई मुसलमान फकीर हो उसको हम कहते हैं आइये मौलाना साहब, अगर कोई राजपूत कुदाल से खोदता है तो कहते हैं आइये ठाकुर साहब लेकिन हम से क्या कहते हैं, चमार कोली। यह तरीका है आप लोगों का। आप लोग जाति पांति में सुधार नहीं कर रहे हैं। जाति पांति का भेदभाव किया है। इस जाति पांति के भेदभाव के अन्दर हिन्दुस्तान का बेड़ा गर्क हो जायेगा, आपका बेड़ा गर्क हो जायेगा। मेरे साथ गरीब बहुत हैं जिनको सुबह की रोटी, शाम की रोटी नहीं मिलती, कपड़ा पहनने को नहीं मिलता। ये लोग तीन रुपये सैंकड़ा का सूद लेते हैं। लोन देते हैं 3 हजार का लेकिन तीन की जगह चार हजार दे दिया फिर भी जमा नहीं किया। पटवारी उनका कहा नहीं मानते हैं, पैसा खा जाते हैं। गिरदावर खा जाते हैं। वे नहीं

(श्री सोहनलाल बंशीवाल)

मानते हैं। तहसीलदार उनसे पैसा लेते हैं। हम लोग टेलीफोन करते हैं तो हमारी नहीं मानते हैं। हमारा भी संगठन होगा, आपको दिखा देंगे। इसलिए मैं आपके धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं। राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया उसके लिये हरिजनों की तरफ से मैं धन्यवाद देने वाला नहीं हूं। अंग्रेजों का राज भी देखा, उस वक्त अंग्रेजों के राज में बात और थी और आज हरिजनों का वोट लेने के लिए उनको गुमराह किया जा रहा है और पुलिस डण्डे बरसाती है, थाने में उनको तंग किया जा रहा है।

श्री सभापति : श्री भैरूंलाल मीणा।

श्री भैरूंलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : समापति महोदय, 20 फरवरी को राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण दिया। उस पर धन्यवाद प्रस्ताव कुम्भलगढ़ से आने वाले सदस्य महोदय ने रखा, मैं उसका समर्थन करते हुए

एक माननीय सदस्य : कुम्भलगढ़ से।

श्री भैरूंलाल मीणा : कुम्भलगढ़ से। आप बीच में टोका टोकी मत करिये क्योंकि आदिवासियों के बीच में हम रहते हैं, हम भी खुद आदिवासी हैं और उनकी बात को हम समझते हैं। आप तो केवल यहां पर नाटक करते हैं, उनकी पैरवी करते हैं परन्तु उनकी वास्तव में क्या दशा है वह आप नहीं जानते हैं, मजा लेते हैं। आप भी कल सदन से उठकर चले गये थे, मालूम नहीं है। अध्यक्ष महोदय, उदयपुर संभाग एक आदिवासी क्षेत्र है जिसमें कांग्रेस सरकार हो चाहे जनता सरकार, दोनों को, करीब 34 साल हो गये मैंने देखा है, वहां पर जो सिंचाई के साधन हैं वह पहले राजा महाराजाओं के जमाने के बांध बने हुए हैं। बांध में कोई ऐसा बांध नहीं बांधा गया केवल देवास पहाड़ियों से योजना बनाई गई उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। उस एरिया में जो पानी निकलता है वह पानी तेजी से बहकर नदियों में चला जाता है और आये दिन वहां अकाल पड़ता है। यदि उस पानी को रोका जाये तो मैं समझता हूं कुछ राहत मिल सकेगी। पानी भरा रहने से कुओं में पानी ऊपर रहेगा और आदिवासियों को लाभ मिलेगा। राहत और सुविधा मिल जायगी और कुछ रोजी भी मिल जायगी। मैं आपको बताऊंगा, मन्त्री महोदय हमारे क्षेत्र में आयें, आदिवासियों की हालत देखें। सरकार ने उदयपुर में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग खोल रखा है आदिवासियों के सुधार के लिए, आदिवासियों की माली हालत को सुधारने के लिये विभाग लगा रखा है। किन्तु मैंने वहां पर कोई कार्य जन जाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा किया हुआ नहीं देखा है उस विभाग का उद्देश्य है आदिवासियों को सीधा लाभ मिले। यह जरूर है, केवल मात्र उनको पम्प खरीदने के लिये, या कुए खोदने के लिए चार-पांच हजार रुपया ऋण दिया जाता है और दस बारह सौ रुपया अनुदान के रूप में इस विभाग द्वारा दिया जाता है लेकिन उससे उनको कोई लाभ नहीं होता। जो कुए खुदते हैं वह पूरे नहीं हो पाते हैं इसलिए न वह कर्जा उतार पायेंगे और न खेती कर पाते हैं। ऐसी हालत में उनको मामूली लोन देकर और कर्ज में डुबोया जाता है। यह सिंचाई योजना अगर उस विभाग को दी जाय तो छोटी-मोटी जो नदियां हैं जिनका पानी बहकर चला जाता है, इस विभाग का

(श्री भैरूंलाल मीणा)

जो पैसा है वह उसमें लगाया जाय तो मैं समझता हूं कि कुछ बांधों व नहरों के जरिये लोगों के कुए में पानी के सेजे ऊपर आने के कारण लाभ मिल जायेगा। इस तरह से इस सिंचाई योजना को उदयपुर संभाग में सरकार की तरफ से प्राथमिकता देते हुए लागू करना चाहिये जिससे वहां के लोगों को राहत मिल सके। जंगल का क्षेत्र होने की वजह से वहां के आदिवासियों की हालत मैं बताऊं, आप कभी शाम को उदयपुर से सलूम्बर एवं रतनपुर की तरफ निकल जाइये, रात के समय में 11, 12 बजे निकलेंगे तो सड़क के किनारे आप देखेंगे, औरतें, आदमी एक-एक कपड़े में चाहे सर्दी हो चाहे बरसात, सोते रहते हैं लकड़ी का भारा लेकर, ट्रक वाले आवें या बस वाले आवें और उसकी लकड़ी लेकर कुछ दें तो उसका गुजारा हो सके। रात के तीन-चार बजे तक और कभी-कभी तो सुबह ट्रक वाले निकलते हैं और लकड़ी लेकर जाते हैं। ऐसी हालत है, जब लकड़ी बेचेंगे फिर घर पर जायेंगे, आटा वगैरह ले जायेंगे और गुजारा करेंगे। श्रीमन्, झाडोल तहसील के लोग बांस और लकड़ी जंगल से काटकर के रात भर भारा बांधकर जयसमन्द की तरफ जाकर बेचते हैं। वह क्यों बेचते हैं, उनकी हालत ऐसी है कि रात रात भर चल करके, नेशनल हाई वे की तरफ से जाना पड़ता है, वह छुपकर बैठे रहते हैं जंगल में और फिर रात होती है तब अगले क्षेत्र में बेचकर आते हैं फिर वापस घर जाते हैं। इस प्रकार की उनकी हालत है। यह पेट के खातिर सही हो या गलत कार्य करना पड़ता है। लकड़ी बेचने वाले, कोयला बेचने वाले, बराबर बेचते रहते हैं और ऐसी कण्डीशन में बेचते हैं। जंगलात विभाग लगा रखा है इनको पकड़ने के लिए, रोकने के लिए। जो जैसी भी सुविधा है वह क्या करते हैं जब लकड़ी की या कोयले की जरूरत होती है अधिकारियों को तो वह निकल जाते हैं, और सारी रोड पर जो लकड़ी गरीबों के पास पड़ी रहती है उसको उदयपुर लेकर जाते हैं। ट्रक भरकर अधिकारी अपने घर ले जाते हैं। इसका उनको पता है, लकड़ी और कोयले की अधिकारियों को सुविधा मिली हुई है। उनको भी कह दिया कि आप बैठते हो उससे क्या हुआ, हम लेकर जाते हैं। उनका शोषण हो गया और वह लकड़ी कोयला बेचते रहते हैं और निकल भागते हैं। और लकड़ी लेकर चले गये तो लकड़ी कोयला वन अधिकारी को मिल गया। उस गरीब का शोषण हो रहा है।

मैं नाजायज शराब के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहूंगा कि बाजार में महुआ बेचने के लिए लाइसेंस दिया जाता है व्यापारियों को। अच्छे-अच्छे व्यापारी महुए की दुकान लगाकर बैठते हैं और वे बेचते हैं। आदिवासी महुआ लेकर के जाते हैं और ले जा करके, आज के जमाने में आप भी जानते हैं महुआ कोई खाता है, उसकी शराब बनती है, उनको कोई फायदा नहीं होता, व्यापारी खरीद लेते हैं, बाजार में बेचते हैं और आबकारी विभाग उनको पकड़ने जाते हैं। उनको मालूम है दारू मिल सकती है। कहां से महुआ आता है और कौन उसको खरीदता है, सब मालूम होता है। मगर उसकी जरूरत पड़ती है तो आदिवासियों को पकड़ लेते हैं और पकड़ने पर सर पर मटका रख कर उसको लेकर कोर्ट में जाकर केस चलाते

(श्री भेरूलाल मीणा)

हैं। जब कोर्ट भी देखती है, महुआ उबला हुआ लेकर आते हैं, सरकार जानती है इस महुए से शराब बनती है और आदिवासी केवल माध्यम है, उनको पकड़ा जाता है, केसेज चलते हैं, नाजायज पैसा लेकर उनको छोड़ भी दिया जाता है। ऐसी कण्डीशन में एक महीने में एक बार भी पकड़ में आ गये तो 500 रुपया जुर्माना हो जाता है, सौ रुपये की कमाई होती है। सब जानते हैं नाजायज काम है, हम भी जानते हैं, सरकार भी जानती है, अदालत भी जानती है। महुआ लाने वाले को पकड़ कर लाते है, सबूत पेश करते हैं और इधर से व्यापारियों को महुआ बेचने के लिये लाइसेंस दिया जाता है और निकालने वालों को नाजायज तंग करते हैं। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की नीति नहीं होनी चाहिये। या तो उनको भी लाइसेंस दिया जाय या महुआ बेचने वालों का लाइसेंस भी केन्सिल किया जाय। जिससे क्या होगा, वह बाजार में नहीं जायेगा, आदिवासी भी नहीं निकालेगा। या फिर छूट दी जाये, जिससे आदिवासी उसको बाजार में बेचता है तो यह भी एक आदिवासियों का अपने कार्य की ओर ले जाने वाला धन्धा है। लकड़ी बेचना भी इसी प्रकार का धन्धा है। तो इस प्रकार आदिवासी के लिए जीविका बन जाती है। आदिवासी के पास जमीन कम होती है, जब वह कर्जा लेता है तो उसको वसूल करने के लिए इन्सपैक्टर चला आता है और वह इनको तंग करता है, दबाता है, गाली देता है। वह अपनी इज्जत बचाने के लिए जो जमीन होती है, अच्छी जमीन होती है वह बेच देता है और उसको जो सम्पन्न आदमी, जो बनिया होगा, वह गिरवी रख लेगा या जो पैसे वाला होगा वह उस अच्छी जमीन को खरीद लेगा। जमीन बेचकर वह अपनी जान छुड़ाता है। उसके बाद आदिवासी क्या करता है कि कहीं जंगल में जाकर जो जमीन होती है, बेकार जमीन, उसको खोदकर, मेहनत करके बनाता है। उस जमीन को बनाने के बाद जंगलात वाले अलग से आ जाते हैं कि तुम ने जंगल की जमीन पर कब्जा कर लिया, हमारा जंगल काट दिया। रेवेन्यू वाले आ जाते हैं कि तुमने नाजायज कब्जा कर लिया, यह सरकार की जमीन है। वह बराबर कमाता है, लेकिन जो कुछ उसने मेहनत करके कमाया होता है, जंगलात वाले उससे पेनल्टी लेते हैं, रेवेन्यू वाले उससे पेनल्टी लेते हैं। लेकिन उस जमीन को रेगुलेराइज नहीं कर सकते। तो यह एक कोर्स हो गया है कि जो वह कमाता है वह रेवेन्यू, जंगलात और पटवारी को देता रहेगा और उसकी माली हालत कभी नहीं सुधरेगी। वह मेहनत करके जो अपने खाने के लिए जुटाता है, तो वह सारा उनको दे देता है। मेरा निवेदन है मैं यह नही कहता कि उनके पास जितनी जमीन है सब अलाट कर दी जाये, लेकिन जहां इस प्रकार के लोग हैं वहां पर जो अच्छी जमीन उनके पास है वह आदिवासियों को अलाट कर दें। जिससे उन आदिवासियों और पिछड़े वर्ग के लोगों को फायदा हो और दूसरा बीच में आकर उनको परेशान नहीं करे। बड़ी खुशी की बात है सरकार ने बढ़िया शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ स्कूलों को चेंज किया। हमारे क्षेत्र में भी एक सैकन्डरी स्कूल खुला, प्राइमरी स्कूल को तो जिस तरह से पैसा बांट दिया, पंचायत समिति द्वारा वह सब जानते हैं। लेकिन सीनियर स्कूल के अन्दर जहां एक कमरा बनाने का

(९४)

(श्री भैरूलाल मीणा)

बात आई उसके अन्दर पहले तीस हजार रुपये देने थे। सरकार की आर्थिक स्थिति खराब होने से उसको पन्द्रह हजार कर दिया। अब पन्द्रह हजार कर देने से क्या हुआ कि शिक्षा विभाग ने टेण्डर दे दिया चूना, पत्थर, रेती खरीदने के लिए। टेण्डर दे दिया कि तुम फलां स्कूल में जाकर यह सामान डाल दो और उधर उसके इन्चार्ज हैड मास्टर को कह दिया कि तुम पन्द्रह हजार जमा करो और कमरा बन जायेगा। हैड मास्टर कहां से वह पैसा लाता। उसको चन्दा लेने के लिए कहा गया। हैड मास्टर के द्वारा जो हो सकता था, किसी के पास से चार, पांच हजार रुपये लाये और जमा करवा दिये। तो वह चार हजार रुपये भी और पन्द्रह हजार रुपये भी गये। जो चूना, पत्थर, वगैरहा लाया गया था वह वहीं पड़ा रहा। यह होना चाहिये या कि वहीं पूछ लिया जाता कि तुम जन सहयोग से इतना पैसा इकट्ठा कर सकते हो, यह कमरा बना सकते हो। तो हम यह पैसा देंगे। अब तक वह कमरा भी बन जाता और पैसे का भी उपयोग होता लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पन्द्रह हजार भी चला जायेगा, सामान भी वहीं पड़ा रहेगा और ठेकेदार फालतू सामान डाल कर चला जायेगा।

(3.22 म.प.)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत, सभापति, पदासीन)

यह होना चाहिये कि सामान वहीं पड़ा रहे या उसको भवन के निर्माण में लगाया जाये अन्यथा इसका नतीजा अच्छा नहीं रहेगा। कल तक आदिवासियों के पिछड़े वर्ग को जो कर्जा दिया गया, ये बहुत पुराने हैं, नये आदमी होशियार हैं अनुदान भी लेते हैं और समय पर, जहां तक मैंने देखा, 90 प्रतिशत आदमी वापस भी कर गये, लेकिन पुराने आदमी, जिनको कर्जा दिया है, गरीब हैं, उनकी हालत ऐसी हो गई कि उनका मकान, खेत सम्पत्ति सब कुछ नीलाम कर दिया जाये तो भी कर्जा नहीं चुक सकता। ऐसे लोग भी हैं। मैंने खुद घूम फिर कर देखा। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को सरकार पूर्ण रूप से कर्जा माफ नहीं कर सकती है, फिर भी जो पिछड़े लोग हैं, उनका ब्याज माफ कर दे। उनको कम से कम यह सुविधा हो जायेगी कि वह जो मूल रकम है उसको भर देंगे, ब्याज नहीं देना होगा। इससे उनका सुधार होगा। यह सही मायने में पिछड़ों को आगे लाने वाली बात है। वह सही बैठ जायेगी।

पशु चिकित्सा के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। मैं कल पशु चिकित्सा मंत्री महोदय से मिला था। उन्होंने मुझे कहा कि कोई फन्ड में पैसा नहीं है, बजट में भी पैसा नहीं है। हम पशु चिकित्सालय खोलने की स्थिति में नहीं हैं। एक तरफ हम बकरी, बैल, भैंस खरीदने के लिए कर्जा देते हैं। उसको खरीद भी लेता है वह आसामी से। जहां पर वह बीमारी है आप जानते हैं खाने की कमी, चारे की कमी, जिससे जानवर मर जाता है और वह जानवर मरता है तो किसान कर्जे में डूबता है। तो मेरा कहना यह है कि हमारे वहां 62 किलोमीटर की परिधि में कहीं भी पशु चिकित्सालय नहीं है ऐसी और जगह भी हो सकती है। मैं नहीं कह रहा कि दूसरी जगह नहीं है, कई जगह हो सकती है, लेकिन

(श्री भैरू लाल मीणा)

उस क्षेत्र में मैं घूमता-फिरता हूं इसलिए मैं जानता हूं वहां पशु मरते हैं। किसान पशु खरीद कर ले गये वह पशु मर गया और कर्जा किसान के सर पर ही रहा। इससे पशु भी चला गया, धन भी चला गया। इस हिसाब से मैं सुझाव देना चाहूंगा। मैं जानता हूं कि बजट की कमी है सरकार के सामने, तो उसके लिए चलता-फिरता एक पशु चिकित्सालय नियुक्त कर दिया जाये उस एरिया में ताकि वह समय पर जाकर के पशुओं का इलाज कर सके और उनको राहत मिल सके।

बिजली के मामले में बहुत से सदस्यों ने कह दिया है, अकाल राहत के बारे में भी सदन में आवाज उठी है। सरकार जानती है कि बिजली की कमी है। बिजली की कमी के कारण जो कारखाने चलते थे वे कारखाने भी शून्य हो गये। हम एक तरफ कहते हैं कि जो मजदूर बेकार बैठे हुए हैं, जिनको राहत नहीं मिलती है उनको दी जाये। दूसरी तरफ मजदूर कारखाने बन्द होने से बेकार हो गये। मैं नहीं कहता हूं कि किस की कमी कहां है। यह भी एक समस्या हमारे सामने खड़ी हो गई है कि जो मजदूर काम में लगे हुए थे वह भी बेकार हो गये। हमारे सामने दो बात आ गई कि जिनको राहत मिली और जिन्हें राहत नहीं मिली वह भी बेकार हो गये। सरकार इसकी ओर पूर्ण रूप से ध्यान दे।

जैसा मैंने बताया कि पानी की समस्या जैसलमेर, बाड़मेर या पश्चिम राजस्थान में है, इस क्षेत्र में भी है, लेकिन कुछ कम है। जहां तक मैं समझता हूं यह स्थिति भी यहां आने वाली है। समय रहते पानी की व्यवस्था, छोटे-मोटे बांधों की व्यवस्था, हो तो उपयुक्त रहेगा। मेरे क्षेत्र में उदयपुर के पास कोण्डाल है और उधर टीडी है बीच में जो दो पंचायत आती हैं उनमें बिजली की लाइन नहीं है। मैं चाहूंगा उस क्षेत्र में भी बिजली की कमी है इसलिये उस एरिया में बिजली की लाइन बिछायी जाये ताकि आदिवासी क्षेत्र को फायदा पहुंचे।

जनता पार्टी ने भी काफी स्कूल खोल दिये, कांग्रेस सरकार ने भी काफी स्कूल खोल दिये, किन्तु उन स्कूलों के अन्दर अध्यापक नहीं हैं। अध्यापक न होने के कारण नाम मात्र के स्कूल खुले और कह दिया कि हमने आपके क्षेत्र में बड़े स्कूल खोल दिये हैं। अध्यापकों की कमी के कारण वहां के विद्यार्थियों को शिक्षा नहीं मिलती है। मैं कुछ काम की बात करता हूं। वहां करीब 240 लड़के हैं और 4 अध्यापक हैं, उनमें भी लेडीज हैं, अध्यापिकायें हैं, वे उदयपुर की रहने वाली हैं। सुबह 10-11 बजे आ गईं और तीन बजे वापस रवाना। तो इस प्रकार मैं समझता हूं कि अध्यापकों की भर्ती के समय यह देखा जाना चाहिये कि क्षेत्रीय पढ़े-लिखे लोग हों उनको ही उस क्षेत्र में नौकरी दी जाय ताकि वे आने-जाने की तकलीफ न करें और उस क्षेत्र में रहकर अपने बच्चों को पढ़ा सकें।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जहां पर सरकारी कारखाना हो या सरकारी दफ्तर हो वहां पर जो आदिवासी या पिछड़े वर्ग के लोगों को लेने का सवाल है, यह बात जरूर है कि उनका आरक्षण है उनको लेने के लिये सुविधायें हैं, सब कुछ होते हुये भी एक चीज जो मैंने देखी, उनके

(श्री भेरूंलाल मीणा)

सामने जो बाधा आती है वह है टंकण फल, टाइपराइटर मशीन की। वह यदि 20 या 40 स्पीड एक मिनट में टाइप नहीं करता है तो उसको नौकरी में क्लर्क की जगह नहीं मिलती है। मैं चाहूंगा कि जब सब तरफ से आरक्षण है या सुविधा दी जाती है लेकिन गांव के लोगों को टाइप सीखने के लिये मौका नहीं मिलता है, शहरों के लोग टाइप सीख जाते हैं उनकी जल्दी से टाइप स्पीड बन जाती है और गांव के लोगों को टाइप का दर्शन ही नहीं होता है तो भर्ती होने में तकलीफ होती है। मैंने खुद देखा, हिन्दुस्तान जिंक में कई बार पर्सनली दो-दो बार इन्टरव्यू दिलाया। किन्तु वह टाइपराइटर की वजह से फेल हो जाते हैं। मेरे दिल में बड़ी पीड़ा होती है, पढ़े-लिखे बी. काम., एम. काम., बी.ए. लड़के भी वहां पर नौकरी हासिल नहीं कर पाते। कारण एक ही है। वह टंकण का मामला अड़ जाता है इसलिये मैं चाहूंगा कि इस पर विचार करें, उनके लिये कोई सुविधा हो जाय जिससे उनको आसानी से नौकरी मिल जाय।

उदयपुर से रतनपुर जो राष्ट्रीय मार्ग नं. 8 है उसके दोनों तरफ जो ली जाने वाली जमीन है, मैंने दूसरी जगह भी देखा है, मैंने खुद नापकर देखा है और जगह बंगाल में गया उधर भी मैंने देखा बिहार में भी गया, राष्ट्रीय मार्ग के दोनों तरफ ली जाने वाली जमीन को मैंने नापकर देखा और पार्लियामेंट में प्रश्न पूछकर भी देखा कि जमीन कितनी ली जानी चाहिये दोनों साइड्स . . .

एक माननीय सदस्य : आप गये थे पार्लियामेंट में ?

श्री भेरूंलाल मीणा : मैं बोल रहा हूं, आप बोलो मत।

तो उसमें उत्तर मिला कि 30 से 60 मीटर तक जमीन ली जा सकती है। उसमें यह भी साफ था कि जहां ग्रामीण एरिया हो और काश्त की जमीन हो वहां 30 मीटर ही ली जाय और जहां जंगल हो या किसी को तकलीफ नहीं होती है तो वहां पर 60 मीटर जमीन ली जानी चाहिये। इसके बावजूद भी मैंने दो तीन जगह नापकर देखा, 45 मीटर की पट्टी पूरी मिला ली किन्तु उदयपुर से रतनपुर की रोड पर 60 मीटर की पट्टी। मैंने पूछा भी, भाई इस तरह का क्यों जब कि आदिवासी क्षेत्र है, उनकी जमीन लेने में उनका नुकसान होता है, बेघर होते हैं तो उन्होंने कहा ऐसा ही होगा। तो यह स्पेशल आदिवासियों को, पिछड़े को आगे लाने के बजाय इस प्रकार से कैसे हो गया कि जहां पर 30 मीटर लेना चाहिये था वहां 60 मीटर ली जा रही है। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस विषय में ध्यान देकर उन आदिवासियों की जो थोड़ी बहुत जमीन है 60 के बजाय 30 मीटर ही ली जाय जिससे उनकी कुछ जमीन बच जाय और उन्हें जीवन चलाने में सहायता मिले।

अन्त में मैं उदयपुर में हिंदुस्तान जिंक द्वारा उद्योग चलता है, जिन्क स्मेलटर है, जावर माइन्स दरीबा माइन्स वहीं चलती है पुराने माइन्स जावर में ही हैं। अभी सुना है कि सुपर स्मेल्टर लगाने की बात है, पहले भी हमने मांग की थी, उदयपुर की जनता ने भी मांग की थी, आदिवासी क्षेत्र है उदयपुर उसमें यह जिंक स्मेलटर सुपर

(श्री भैरूलाल मीणा)
स्मेल्टर लगाया जाय जिससे आदिवासियों को लाभ मिले, उनको नौकरी में सुविधा मिले और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो। मैं चाहूंगा कि यह सुपर स्मेल्टर उदयपुर में ही लगे।

पानी की कमी का जहां तक सवाल है, देवास है, वहां पानी मिल जायगा, उस जगह पहले सर्वे भी किया गया है; जमीन लेने के लिये सराड़ा तहसील तैयार है। अन्त में :

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं चाहूंगा कि देवास योजना श्री सुखाड़िया साहब की अपने करकमलों द्वारा बनाई गई योजना थी। हम चाहेंगे कि सुखाड़िया साहब जिस प्रकार अच्छे स्वभाव और हंसमुख थे और उन्होंने जो योजनायें बनाई उसमें वह भी एक योजना है उस योजना को पूर्ण किया जायगा तो उदयपुर ही नहीं बाहर के सभी क्षेत्रों में आदिवासी एरिया को लाभ होगा। मैं सरकार से चाहूंगा कि देवास योजना का फिर से जल्दी से जल्दी कार्य प्रारंभ करे और उसको पूरा करने की कोशिश करे।

अन्त में मैं राज्यपाल के अभिभाषण का स्वागत करते हुये अपनी बात को यहां समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री कनकराज।

श्री कनकराज मेहता (सांचोर) : सभापति महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण दिनांक 20 तारीख पर मैं अपने भाव व्यक्त करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हर राज्य की यह परम्परा रहती है कि सत्र शुरू होने से पहले राज्य को अपने गत वर्ष का लेखा जोखा और आने वाले वर्षों के कार्य की भावी रूप रेखा प्रस्तुत करनी पड़ती है। उस हिसाब से राजस्थान में भी यह कार्य किया गया है। गत वर्ष के अन्दर जो अच्छे कार्य हुए हैं उस संबंध में मुझे कहना है कि जो परिवार नियोजन का कार्यक्रम है वह काफी अच्छा चला और उसमें सरकार की प्रगति अच्छी रही है। इस संबंध में मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि यह मुख्य राष्ट्रीय समस्या है और इस समस्या का ध्यान नहीं रखा गया तो राष्ट्र का चलना बड़ा मुश्किल हो जायगा।

साथ में अगले वर्ष के लिये रूप रेखा, विकास के संबंध में बताई उस संबंध में मुझे यह निवेदन करना है कि आज सरकार के समक्ष ओवरड्राफ्ट का मसला जो 340 करोड़ का है वह मसला हल नहीं हुआ तो जो सरकार द्वारा घोषणा की गई है और जो आने वाले वर्ष के कार्य की रूपरेखा बताई गई है उसका पालन होना और उसका क्रियान्वयन होना असंभव सा मालूम होता है जिससे मुझे राजस्थान का भविष्य धूमिल नजर आ रहा है।

मेरा निवेदन यह है कि सरकार ने चुनाव तो करायें, बड़ा अच्छा किया, काफी समय से चुनाव नहीं हो रहे थे, पंचायती चुनाव हो गये, समितियों और जिला परिषदों के हो गये लेकिन अब देखना यह है कि इस पंचायती चुनाव से उपलब्धियां क्या हो रही हैं। सरकार ने कई बातें की हैं लेकिन उन की कथनी और करनी के अन्दर बड़ा भारी फर्क है। आज हमारे जो चुने हुये व्यक्ति हैं भले सरपंच हों, प्रधान हों या

(98)

(श्री कनकराज मेहता)

एम. एल. ए. हों उनकी कहां तक मान्यता रखी जाती है, उनको कौन कौन से कार्यों में शामिल किया जाता है और उनकी मंशा की कहां तक मान्यता रखी जाती है, यह देखना जरूरी है। आप जानते हैं कि जहां जहां भी जो कार्य हुये हैं उनके अन्दर सरपंचों की अवहेलना की गई, प्रधानों से पूछा नहीं जाता है और न उनसे राय ली जाती है। नौकरशाही की जहां मंशा होती है वहीं काम किये जाते हैं जैसे एड पोस्ट खोलना, सड़कें बनाना, बोरिंग करना व स्कूल खोलना आदि। इसकी कोई नीति निर्धारित नहीं की जाती है इसलिए जब तक ठीक ढंग से नीति निर्धारण नहीं होगा तब तक जो विकास का काम हम करना चाहते हैं वह हम ठीक ढंग से नहीं कर पा सकेंगे। इसमें बहुत ही पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जाता है, यह मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है। इस रवैये के अन्दर सुधार करना नितान्त आवश्यक है।

मेरे क्षेत्र के अन्दर हालांकि राज्य सरकार ने 76 गांव अकालग्रस्त घोषित किये हैं लेकिन मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो 76 गांव हैं उनमें कोई विकास या राहत के काम अभी तक चालू नहीं किये गये हैं। इसके लिए मेरा निवेदन है कि यह जनता के साथ सरकार का धोखा नहीं तो क्या है। यदि राहत कार्य नहीं खुले तो अकाल में जो राहत उनको मिलनी चाहिये वह राहत उन्हें नहीं मिलेगी। इससे तो अच्छा यह होगा कि सरकार स्पष्ट कह दे कि आपके क्षेत्र में कोई राहत कार्य नहीं खोला जायेगा ताकि वहां की जनता खुद ही अपने साधनों, अपनी जीविका को ढूंढने के लिए इधर-उधर चली जावे। सरकार का नैतिक दायित्व है कि राहत कार्य आरम्भ करे। जब तक राहत कार्य वहां पर नहीं खोले जावेंगे तब तक वहां की जनता को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। मेरा, सभापति महोदया, पुरजोर निवेदन यह है कि गत वर्ष सांचौर के अन्दर बहुत से राहत कार्य खोले गये थे लेकिन जब वर्षा हुई तो अकाल राहत कार्य बन्द हो गये जिससे काफी कार्य अधूरे पड़े हुए हैं। तो मेरा यह निवेदन है कि उन अधूरे कार्यों पर सरकार का जो लाखों रुपया अभी तक खर्च हुआ है वह सारा ही व्यर्थ हो जावेगा। सरकार का जो खर्चा वहां हुआ है उसका जनता को न तो कोई लाभ होगा और न ही हमारा मुल्क ही आगे बढ़ सकेगा। मैं कहता हूं कि यह जनता के साथ बहुत बड़ा भारी धोखा होगा। मेरा यह भी निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में काफी बान्ध बनाने के लिए कार्य शुरू किये गये थे लेकिन वे काफी बांध अभी अधूरे ही पड़े हुए हैं। उनके ऊपर जनहित में सरकार का लाखों रुपये का खर्चा हुआ। अगर उन अधूरे कार्यों को पूरा नहीं किया गया तो मेरे खयाल से जिन उम्मीदों से उन बांधों के कार्य को शुरू किया गया था वह पूरी नहीं होगी और जो काश्तकारों को फायदा होने वाला था काश्तकार उन फायदों से वंचित रह जायेंगे। सरकार को लाखों रुपयों का घाटा भुगतना पड़ेगा। मेरा सरकार से यह निवेदन है कि गत सालों के अन्दर जो अधूरे कार्य रहे हैं उनको राज्य सरकार शीघ्रातिशीघ्र पूरा करवा कर वहां की गरीब जनता को राहत दिलावे।

(श्री कनकराज मेहता)

सभापति महोदया, अभी यहां पर रेवेन्यू मिनिस्टर साहब विराजे हैं मैं उन्हें यह बता देना चाहता हूं कि पिछले चार सालों के अन्दर हमारे यहां पर दो रेवेन्यू अधिकारी सांचौर में ऐसे आये जो सांचौर की पड़त भूमि, गोचर भूमि और नदियों, नालियों की कीमती जमीनों को बेच करके चले गये। क्या यह आपको पता नहीं है कि उनके खिलाफ में बहुत सी शिकायतें भी हुई थीं। उनके खिलाफ में इस्तगासे भी फर्जी कार्यवाही करने के पेश हुए। उन्होंने वहां पर काफी गड़बड़ियां कीं, उसका कारण यह था कि उन दोनों की रिटायरमेंट एज नजदीक थी और वह वहीं से रिटायर हुए। उनको रिटायरमेंट की स्टेज पर सांचौर में भेजा गया था। उन्होंने देखा कि मौका अच्छा है और जो सरकार की जमीन पड़ी है वह अपने लिए है। उन्होंने बेच डाली, एक ही दिन में केस रजिस्टर करके फैसले भी उसी दिन कर दिये। अगर वह भूमि गरीबों को आवंटित की जाती तो उसका गरीब लोगों को लाभ मिलता लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अधिकारी लाखों रुपयों को बटोर कर सांचौर से चले गये। जो नियमन की कार्यवाही करनी थी वह कार्यवाही भी नहीं की और जो जमीन थी उसको गलत तरीके से रेगुलराइज करके लाखों रुपये का घोटाला करके चले गये। मेरा निवेदन है, सभापति महोदया, हमारी सरकार बहुत ही अच्छी योजनायें बनाती है लेकिन उनकी क्रियान्विति की तरफ अगर देखें तो रोना आता है। अगर सरकार उसमें सुधार नहीं लाती है और अपनी कथनी और करनी में अन्तर रखेगी तो जनता को जो फायदा होने वाला है वह फायदा नहीं मिल सकेगा। यहां पर जो ऐलान किया जाता है, जो यहां पर घोषणायें की जाती हैं उनसे कोई फायदा जनता को नहीं मिलने वाला है। सरकार की कथनी और करनी में फर्क है जब तक यह फर्क नहीं मिटेगा तब तक चुने हुए लोगों की चुनी हुई सरकार से जो आशायें जनता लगाये हुए बैठी है उससे उनको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। इसलिए सरकार को इस ओर पूरी तरह से ध्यान देना चाहिये।

सभापति महोदया, जो ओवर ड्राफ्ट की बात यहां पर कही गयी है उसके लिए मेरा निवेदन है कि ओवर ड्राफ्ट जो हुआ है उसका कारण यह है कि सरकार के द्वारा जो खर्चा किया जाता है वह सारा अव्यवस्थित ढंग से खर्चा हो रहा है। बेलगाम खर्चा सरकार द्वारा किया जा रहा है, काफी खर्च व्यर्थ हो रहा है और उसका जनता को कोई लाभ नहीं मिलता है। सरकार की नौकरशाही ही इसका फायदा उठा रही है। आज नौकरशाही हावी हो रही है। नौकरशाही देखती है कि क्या कानून बना, उस कानून में अपने कमाने की कहां गुन्जाइश है। वह गुन्जाइश को ढूंढते हैं और गुन्जाइश को ढूंढ कर उस कानून से फायदा उठाते हैं। उसका सारा फायदा जो जनता को मिलना चाहिये वह नौकरशाही को ही मिलता है जनता को कुछ नहीं मिलता। आज जो सरकार टैक्स लगाकर अपना खजाना भरना चाहती है, टैक्स इसी उद्देश्य से लगाये जाते हैं और योजनायें भी बनायी जाती हैं लेकिन उन टैक्सों को इवेड करने के रास्ते सरकारी अधिकारियों से छिपे हुए नहीं हैं। वह देखते हैं कि यह छोटी सी नाली जो सरकारी खजाना भरने को जा रही

(श्री कनकराज मेहता)

है उसको किस ढंग से मोड़ा जाय, उसको किस ढंग से तोड़ा जाय जिससे उसका फायदा कामन पूल में न जाकर उनकी जेबों में चला जाय। ऐसी सरकार के अधिकारियों की नियत रहती है। सेल्स टैक्स, एक्साइज और आक्ट्राय ड्यूटीज सरकार लगाती है उसके अन्दर भी काफी गोलमाल होता है। वह टैक्स का काफी पैसा उन सरकारी अधिकारियों की जेबों में जाता है। इस प्रकार एक तरफ तो जनता को टैक्स लगाकर मार डाला जाता है, और दूसरी ओर सरकारी अधिकारी अपनी जेबें भर रहे हैं। मेरा यह निवेदन है कि इसको तुरन्त बन्द किया जाये। आज इनकम टैक्स को लें, सेल्स टैक्स व अन्य टैक्स जो लगाये जाते हैं उसका पूर्ण लाभ ही जनता को और सरकार को नहीं मिलता है। बैठने वाले बसों में बैठते हैं और पैसे भी देते हैं मगर वह राशि काफी अंश में सरकारी खजाने में नहीं जाकर सरकारी रोडवेज के कन्डक्टरों की जेबों में जाती है। यही कारण है कि हमारी राजस्थान की रोडवेज इतने घाटे में जा रही है। आज हमारे पड़ोसी राज्य गुजरात को आप देखें तो आपको पता लगेगा कि गुजरात रोडवेज मुनाफा लाखों रुपये का कमा रही है। हमारी सरकार की रोडवेज घाटे में जा रही है। लोगों पर सरकार टैक्स पर टैक्स लगा रही है पर उससे क्या होता है, पब्लिक को कोई सुविधा नहीं मिलती है। वह तो टैक्स से दबी जा रही है। सरकार जो स्कीमें चलाती है वह होती तो बहुत अच्छी हैं पर उनका इम्प्लीमेंटेशन जिस सही ढंग से होना चाहिये वह नहीं होता है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। 20 सूत्री कार्यक्रम की स्कीम बहुत ही अच्छी स्कीम है पर उसका इम्प्लीमेंटेशन नौकरशाही ठीक तरह से नहीं कर रही है। अधिकारी गाड़ियों में बैठ बैठ कर घूमते हैं जहां कहीं उनको मौके पर पहुंचना होता है वहां तो नहीं पहुंचते हैं। पब्लिक तो वहां पर इकट्ठी हो जाती है, पशु लेकर लोग आ जाते हैं पर अधिकारी समय पर नहीं पहुंचते हैं। जनता को लाभ जो मिलना होता है नहीं मिलता है। नौकरशाही हावी होती जा रही है। मेरा निवेदन है कि सरकार की जो स्कीम्स होती हैं उनके अन्दर अच्छाइयां होती है पर उनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरीके से नहीं होने के कारण, ठीक ढंग से उनका फोलोअप नहीं होने के कारण खामियां रह जाती हैं। मेरा निवेदन है कि उन खामियों को मिटाने की जरूरत है। जब तक वह खामियां नहीं हटेंगी तब तक जनता को कोई लाभ नहीं मिलेगा।

सभापति महोदया, समय कम है, इसलिये राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो अच्छी स्कीम्स हैं जैसे परिवार नियोजन, 20 सूत्री कार्यक्रम, पंचायतों के चुनाव, क्रूड डीजल आदि की तकलीफ न होने की उनकी तो मैं सराहना करता हूं और जो खामियां हैं उनका मैं विरोध करते हुए सरकार को आगाह करता हूं, जो नौकरशाही सरकार पर ज्यादा हावी हो रही है उसको अगर ठीक नहीं किया गया तो यह सरकार की योजनाएं ठीक तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेंगी। अन्त में मैं धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : श्री कमला भाई भील।

श्री कमला भाई भील (लसाड़िया) : सभापति महोदया, 20 फरवरी को राज्यपाल महोदय ने जो सदन में अभिभाषण दिया उस

(श्री कमला भाई भील)

पर राज्य सरकार की ओर से धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ, उसका मैं समर्थन करता हूं। राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में सबसे बड़ी बात जो कही, वह पंचायती राज चुनावों के बारे में कहा। पंचायत चुनावों के अन्दर जो विजय हुई उससे स्पष्ट है, चाहे गांवों की जनता हो, चाहे शहर की जनता हो, हमारे देश की जनता ने हमारे देश की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी की नीतियों में अपनी आस्था व्यक्त की है। तो आज राजस्थान के अन्दर जो पंचायत समितियों और जिला परिषदों के अन्दर भारी बहुमत से प्रधान या प्रमुख विजयी हुए हैं वह हमारे भारत की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी की विजय है।

इसके साथ सरकार के सामने कई प्रकार की समस्यायें होती हैं मगर सबसे बड़े दुःख की बात है कि आज सरकार का कहना है कि पिछड़े को प्राथमिकता दो। मैं इस हाउस के अन्दर जब जब माननीय सदस्य अपना अपना भाषण करते हैं तो उनको गहराई से सुनता हूं। हमेशा बातचीत होती है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को प्राथमिकता दी जाये। मेरी यह मान्यता है कि यह बातें उन लोगों के लिए पुकारी जा रही हैं मगर वह बातें सिर्फ हाउस में ही नजर आ रही हैं क्योंकि हम क्षेत्र के अन्दर जायें और खेत के अन्दर देखें तो आज आदिवासियों की हालत खराब है। पानी के अभाव में, अन्न के अभाव में, रहने के लिए हाउस के अभाव में और वस्त्र के अभाव में रहते हैं मुश्किल से आदिवासियों को पेट भरने के लिए भोजन भी एक दिन में एक टाइम का मिलता है। तो राजस्थान में 26 जिले हैं मगर सबसे पिछड़ा या बैकवर्ड देखा जाये तो हमारा उदयपुर जिला है क्योंकि उदयपुर जिले के अन्दर समतल क्षेत्र नहीं है, पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र होते हुए बहुत सारे आदिवासी भूमिहीन हैं। उनके पास जमीनें नहीं हैं और दूसरी तरफ देखा जाये तो उनके जीवन के लिए कोई सहारा नहीं है।

माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एक पहाड़ी क्षेत्र, एक बहुमूल्य आदिवासी क्षेत्र में आज गरीबों को ऊपर लाने के लिए हमारे देश की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी काफी प्रयास कर रही हैं। मगर हम यहां से हमारे क्षेत्र में जायेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारी भुखमरी है। आज उन गरीबों के साथ फोरेस्ट विभाग की ओर से बहुत सारी ज्यादतियां की जा रही हैं। आज जमीन के बिना वह लोग क्या करें? जमीनें उनके पास नहीं होने से फोरेस्ट विभाग के अन्दर वह 20 सालों से काश्त करते आ रहे हैं मगर उससे क्या होता है। उन लोगों के ऊपर फोरेस्ट विभाग द्वारा पुलिस में केस दायर कराया जाता है। आज सलूम्बर में मुन्सिफ कोर्ट के अन्दर 300 मिसलें उनके खिलाफ चल रही हैं। आज धरियावद मुन्सिफ कोर्ट के अन्दर 200 मिसलें हैं। उन लोगों के ऊपर जुर्माने किये जा रहे हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है। यह स्थिति उन आदिवासियों की है। मैं, सभापति महोदया, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जितने आदिवासी हैं उन्होंने यदि फोरेस्ट के अन्दर आज 20 साल से मकान बना लिया है, कुआ खोदा है, मेडबन्दी की है उन लोगों ने तो फोरेस्ट

(श्री कमला भाई भील)

विभाग की जमीन राजस्व विभाग में लेकर उन भूमिहीन आदिवासियों के नाम से अलाटमेंट करने की कार्यवाही की जाये।

दूसरा प्रश्न यह है कि हमारी सलूम्बर तहसील, दरियावद तहसील और सराड़ा के अन्दर जंगल हैं। आज बात यह है कि वृक्षारोपण के बारे में काफी खर्च किया जा रहा है मगर मैं देखता हूं, यदि आप देखें तो वन संपदा मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है वह किसी जगह नहीं होगी या फिर प्रतापगढ़ में है। तो मैं, सभापति महोदया आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जितने वृक्ष हैं मैं आपको दावे के साथ निवेदन करता हूं कि मैं मेरे क्षेत्र से बाहर नहीं जाने दूंगा। आप देखते हैं कि मेरे क्षेत्र में पहाड़ हैं। आप अपने-अपने जंगल को सुरक्षित रखिये। हमारे यहां की सम्पत्ति दूसरे लोग खा जाते हैं और वह गरीब आदिवासी मारे जा रहे हैं। दूसरे इसके साथ क्या है कि जो व्यापार मण्डल सरकार ने कायम किये हैं यह व्यापार मण्डल बाद में जंगलों को नहीं पनपायेंगे, जंगलों को नष्ट करेंगे। इसलिए सभापति महोदया, मेरा आपसे निवेदन है कि इन व्यापार मण्डलों को बन्द करवा दिया जाये।

इसके साथ ही आज आदिवासी जंगलों की रक्षा करते हैं। आग लग जाती है तो वह भाग कर उस जंगल को सुरक्षित रखते हैं और बुझाते हैं अग्नि को। तो मकान बनाने के लिए, खेतों के अन्दर काम में लाने के लिए हल और जूड़ा और रहट सब के लिए उनको 1975-76 में लकड़ी के लिए फ्री पास मिलते थे आज वह उनका हक समाप्त कर दिया गया है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उनको जंगलों से मकान बनाने के लिए, उनकी खेती के काम में लाने के लिए लकड़ी के लिए फ्री पास मिलने चाहिए।

सभापति महोदया, आज इधर देखा जाये तो अकाल है, लोगों को खाने के लिए नहीं है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जो कोआपरेटिव सोसायटीज का कर्जा लिया हुआ है या स्टेट बैंक से लिया हुआ है, पंजाब नेशनल बैंक से लिया हुआ है। लगातार अकाल पड़ता आ रहा है। आज एक तरफ सरकार कह रही है कि पिछड़े को प्राथमिकता दी जाये दूसरी तरफ उन्हीं आदिवासियों की जमीन नीलाम की जा रही है, यह कहां तक वाजिब है। पिछड़े हुए लोग कब आगे बढ़ सकेंगे जब कि मेरे क्षेत्र में 20 आदिवासियों को जमीन नीलाम की गयी है।

माननीय सभापति महोदया, आज विद्युतीकरण हो रहा है, शिक्षा भी हुई, सड़कें भी हुई मगर यह कहां हो रही हैं। यह शहरों में हो रही है। यह बिजली की बात करेंगे गांवों में तो गांव के लोग आसमान से पड़ती है उसको बिजली बोलते हैं। यह भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो यह सारा विकास हो रहा है यह विकास शहरों में हो रहा है, यह गांव में नहीं हो रहा है। आज सड़कें हो रही हैं तो शहरों में हो रही हैं, आज बिजली दी जा रही है तो शहरों में दी जा रही है, आज शिक्षा के लिए मिडिल स्कूल है, सैकन्डरी स्कूल है वह कहां दिये जा रहे हैं, शहरों को दिये जा रहे हैं। गांवों को क्या दिया जा रहा है ? कुछ नहीं। मुझे इस बात का दुःख है। पिछड़े को ऊपर लाने की बात करिये। यह

(श्री कमला भाई भील)

बात मत करें कि आज गांवों में सड़कें बना रहे हैं, अस्पताल बना रहे हैं। आज गांवों में स्कूल बिल्कुल नहीं हैं। तो मुझे इस बात का दुःख है कि आप बार बार कहते हैं कि हम यह आदिवासियों के लिये यह कर रहे हैं मगर वह नहीं के बराबर है।

सभापति महोदया, आज जमीन की बात की, इसमें काफी कठिनाइयां हैं। 20 साल पहले से काश्त करते आये हैं लोग उनकी आज तक जमीन खाली नहीं की गई। उधर माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बताया गया है कि..

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

आज राजस्व विभाग की ओर से बहुत से कार्य किये गये हैं मगर मैं देखता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तहसील दरियावद के अन्दर आदिवासियों के खिलाफ 1200 केसेज हैं। आज तक वे लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। 40-50 मील तक चल कर आते हैं लेकिन आज तक कोई नामांतरण नहीं हुआ है। इसलिये यह सरकार अगर इन आदिवासियों को ऊपर लाना चाहती है तो जैसा कहे वैसा करे वरना इसका नाम ही छोड़ दे।

आज पानी की समस्या है। आज हैण्ड पम्प कहां लगाये जा रहे हैं। सड़कों पर लगाये जा रहे हैं। आज मेरे क्षेत्र में बाड़ा, पिडापर करके गांव है जिस गांव के अन्दर एक हजार की आबादी है मगर उस जगह सड़क नहीं है। पानी की भयंकर समस्या है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिये इन सारी बातों में कथनी और करनी में फर्क है। मैं यह चाहता हूं कि कहें वैसा हो।

कोऑपरेटिव सोसायटी के अन्दर आज क्या हो रहा है। अकाल पड़ते आये हैं फिर भी उन लोगों पर बारम आटे चलाये जा रहे हैं। वसूली की बात हो रही है। क्या इन आदिवासियों को सुधारने की बात करेंगे या खतम करने की कार्यवाही करेंगे?

दूसरा यह है..

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

माननीय सभापति महोदया, ...

श्री सभापति : 15 मिनट हो गये।

श्री कमला भाई भील : दो मिनट।

जिस समय सेंटलमेंट हुआ उस समय में 5 भाई थे। बड़े भाई के नाम से जमीन खाते में थी छोटे भाई के नाम करनी है तो उसका क्या हुआ। भाइयों का बंटवारा करने का उप जिलाधीश को अधिकार है। उप जिलाधीश क्या करते हैं। कार्यालय में उनको बुलाते हैं तो हमारे आदिवासी बहुत दूर नहीं जा सकते हैं। इसलिये यह एक अभियान के तौर पर चलाया जाये। हर पंचायत में जाकर भाइयों का बंटवारा, नामान्तरण किया जाये। इसकी सुविधा हो जाये तो आदिवासियों को लाभ मिल सकेगा।

दो मिनट और।

मेरा क्षेत्र पहाड़ी है जहां तालाब बनाने जैसे मौके हैं उस जगह तालाब बनाये जायें, जहां दूसरे मौके हैं उस जगह एनीकट बनाये जायें ताकि वह जमीन सिंचित हो सके।

(१०४)

(श्री कमलाभाई भील)

दूसरा यह है कि सोम, डोकन नदियों में नदी के किनारे-किनारे लिफ्ट लगाई जाये तो आदिवासियों की जमीन सिंचित हो सकती है और वे लोग आगे बढ़ सकते हैं। वास्तव में सरकार विकास चाहती है तो यह कार्य हाथ में लिये जायें तो वहां के पिछड़े हुए आदिवासी ऊपर आ सकते हैं· · ·

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

एक मिनट और। माननीय सभापति महोदया, . . .

श्री कैलाश मेघवाल : आप अच्छा बोल रहे हैं, बोलिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपका समय जा रहा है। या तो आप बोलें, या बैठ जायें।

श्री कमला भाई भील : माननीय-सभापति महोदय, बोलना तो बहुत था मगर आपने घंटी बजा दी है।

श्री कैलाश मेघवाल : बोलें आप · · ·

एक माननीय सदस्य : एक व्यवस्था का प्रश्न है। प्रतापगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य हाउस में बड़े मूड में हैं· · ·

श्री सभापति : इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है।

श्री कमला भाई भील : मुझे बोलना तो बहुत था मगर समय कम है। इसलिये माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया उसका मैं समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री घनश्याम तिवाड़ी। कृपया समय का ध्यान रखें। उम्मीद है आप सहयोग देंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : पूरा सहयोग करूंगा।

सभापति महोदया, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय सरकार ने एक बात कही कि राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक हो रही है। यह बात सबसे ज्यादा मुझे अखरी। राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है, राज्य में रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा हो, वे ठीक ढंग से रह सकें, ठीक प्रकार से काम कर सकें। राज्य का यह एक प्राथमिक कर्तव्य है लेकिन जब से यह सरकार आई है इसको नई कह लीजिये या पुरानी कह लीजिये, मेरी समझ में तो न यह नई है न पुरानी, क्योंकि एक ही बात है कि स्वयं सरकार चलाते नहीं हैं, ऊपर वाले सरकार चलाते हैं उन्हीं के बूते के माध्यम से सरकार चलती है। लेकिन जब से यह सरकार आई है, आते ही सबसे पहले इन्होंने काम किया, वह यह किया कि राज्य में कानून और व्यवस्था की जो स्थिति थी उस स्थिति को नष्ट कर दिया। जिस प्रकार के आंकड़े प्राप्त हुए, सभापति महोदया, उससे यह पता लगता है कि 1981 के अन्दर राजस्थान में कई कीर्तिमान कायम हुए। राजस्थान में बीस संकल्पों की किताब छपाई है, बहुत सुन्दर किताब है। राजस्थान के राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की सफेद पन्नों में किताब छपकर आई है और काले अक्षरों से जिस प्रकार सरकार का गुणगान उसमें किया गया है, उसी प्रकार से साम्प्रदायिक सामंजस्य था, उसको समाप्त करने

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

का सब से पहला काम शिवचरण माथुर साहब की सरकार ने किया है। जिस प्रकार सफेद पन्नों पर काले अक्षर लिखे हुए हैं उसी प्रकार राजस्थान के साम्प्रदायिक सौहार्द के सफेद कागज पर कालिमा का टीका लगाया है। कल जैसा कि राज्य मंत्री महोदय ने राज्य सभा में बताया कि राजस्थान में साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं। राजस्थान में 14 साम्प्रदायिक दंगे हुए जिनमें दो आदमी मारे गये। यह पहला साल है जब राजस्थान में इतनी बड़ी तादाद में साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं। राजस्थान में आज तक कभी साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए थे। दो आदमी मारे गये। सभापति महोदया, मैं निवेदन करूं, हम सीकर रोड पर जाते हैं तो चौमूं के स्टैण्ड पर टूटी हुई मस्जिद की जो ईंटें हैं वह साम्प्रदायिकता की कहानी कहती हैं। उसके आगे जब जाते हैं तो कब्रिस्तान की एक-एक फूटी ईंट बता रही है कि राजस्थान में किस प्रकार कानून और व्यवस्था की स्थिति बना कर रखी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय चौमूं में दंगे चल रहे थे, समाप्त हो गये थे उसके एक दिन बाद मैं यहां जयपुर से चला था। बस का चालक था मोहनलाल सैनी उस बस में बैठकर गया। चौमूं स्टेण्ड से आगे के लिये निकले और 10 कदम ही आगे निकले होंगे कि 150–200 आदमियों ने घेर लिया। घेर कर कहा इस बस में जितने मुसलमान हैं वे नीचे उतर जावें। मैंने विरोध किया कि मुसलमान नीचे नहीं उतरेंगे। मेरे विरोध करने के बावजूद वहां पर जो दो मुसलमान थे–एक था सुजानगढ़ का बिसायती और एक था बीकानेर का उनका गला पकड़ कर हमारे सामने नीचे उतारा गया और उनको सरियों से मारा गया। 60 आदमी उस बस में बैठे हुए थे, पुलिस खड़ी हुई थी दूर, कोई उनको बचाने के लिये नहीं आया। मैं नीचे उतर कर आ गया तो उन्होंने कहा, आप क्यों आये हैं। मैंने अपना परिचय दिया। मुक्कियों से उनके हाथ-पैर टूटने के बाद उनको गोविन्दगढ़ के थाने में ले गया। गोविन्दगढ़ के थाने में ले जाने के बाद उन सारे लोगों ने घेर लिया। गोविन्दगढ़ के थानेदार से मैंने कहा, एस.पी. साहब से मेरी बात कराओ तो उन्होंने बात कराने से इन्कार कर दिया। मैंने टेलीफोन उठाया, इस बात का गांव में सबूत है। मैंने यह भी कहा कि गवाह के रूप में पेश करूंगा। जब टेलीफोन एक्सचेन्ज से बात हुई तो उन्होंने कहा, किसको पीट रहे हैं। मैंने कहा, मुसलमानों को पीट रहे हैं। तब जवाब मिला कि आपको क्या तकलीफ हो रही है। उसके बाद वायरलैस से बात कराई। नमो नारायण मीणा उस समय मौजूद थे चौमूं के अन्दर। उनसे मैंने बातचीत की, उसकी रिपोर्ट है तब उनकी मरहम पट्टी करा कर ले गया और सीकर के अस्पताल में भर्ती कराया। यह साम्प्रदायिक शान्ति स्थापित की है। यह है आपकी साम्प्रदायिक शान्ति का नमूना।

इसी तरह जोधपुर में निम्बाहेड़ा काण्ड हुआ राजस्थान में जिसकी मीटिंग की सूचना भी दी। कांग्रेस के बैठने वाले माननीय सदस्य उनके श्वसुर और लड़के के श्वसुर ने मिलकर मीटिंग बुलाई मीटिंग हुई और उस मीटिंग के बाद जोधपुर में साम्प्रदायिक दंगे हुए। यही नहीं, कांग्रेस के गुट एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे कि इन्होंने साम्प्रदायिक दंगे कराये। एक के बाद एक बम विस्फोट

(106)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हुआ। चौमूं में बम विस्फोट हुआ। इस तरह राजस्थान में साम्प्रदायिक दंगों की शुरुआत शिवचरण माथुर की सरकार ने की। यह पहला काम था जो उन्होंने शुरू किया।

सभापति महोदया, बमों का विस्फोट हुआ और चौमूं में 8 महीने बाद भी शांति स्थापित नहीं कर सके। चौमूं में नगर–पालिका के चुनाव होने वाले थे उस चुनाव के टाइम पर इनको कांग्रेस का टिकट लेने वाला कोई नहीं मिला। चौमूं में मुसलमानों ने कहा, नहीं चाहिए टिकट और यह ऐलान किया कि सारे राजस्थान के मुसलमानो, नगरपालिका के चुनावों का बहिष्कार करो। नगरपालिकाओं में आज भी इस प्रकार का वातावरण बना हुआ है। आज भी चौमूं में कटुता है। चौमूं में वैमनस्यता की जो भावना पैदा की गई है वह भावना भी कांग्रेस के लोगों ने वहां जाकर पैदा की है। इसका परिणाम है, चौमूं से आने वाले जो माननीय सदस्य हैं उनको वहां के लोगों ने बाजार में पकड़ कर उनकी दुर्गति की। एक के बाद एक काण्ड हुआ है।

जोधपुर की घटनायें क्या थीं। जोधपुर की घटना एक छोटी सी घटना थी। निम्बाहेडा की घटना थी। वहां पर बूढ़े आदमी को नमाज पढ़ते हुए पकड़ा गया। इसके बाद सारा काण्ड जोधपुर के लोगों ने कराया। इसी तरह बारां के बम काण्ड की जांच नहीं की। बम काण्ड किसने किया, किन लोगों ने किया और राजस्थान में कहां से बम आये। बम की सामग्री चौमूं में जयपुर से गई। जयपुर से किस कारण से गई और बारां तक यह कैसे पहुंच गई। मैं पूछना चाहता हूं इसके लिये किसको गिरफ्तार किया गया है और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है। कुल मिला-कर इस राजस्थान सरकार ने अशान्ति पैदा की है, राजस्थान की साम्प्रदायिक भावना पर पलीता लगाया है।

सभापति महोदया मैं दूसरा निवेदन करना चाहता हूं, इसके साथ-साथ महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं घटीं, एक के बाद एक घटनायें घटती गईं। कितनी ही महिलाओं को दहेज के कारण जला कर मार रहे हैं। इसके पहले राजस्थान के इतिहास में कभी ऐसी घटनाएं नहीं घटीं। वे घटनाएं घटीं तो घटी उसके बाद पुलिस ने कार्यवाही नहीं की। जोधपुर में माहेश्वरी परिवार की एक महिला को जला कर मारा गया। महामन्दिर थाने पर प्रदर्शन किये गये। हजारों लोगों के सामने यह घटना घटी लेकिन कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई क्योंकि जिस महिला को मारा गया था उसका श्वसुर कांग्रेस का नेता था। एक के बाद एक घटना हुई। राजनैतिक दबाव में, राजनैतिक प्रताड़ना के आधार पर लोगों की एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हुई। फैक्ट्स के साथ बोल रहा हूं। मेरे पास समाचार-पत्र है, उसके परिवार के सबूत हैं···

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अदालत में देख लेना।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : काफी प्रदर्शन हुए···

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप लोगों की सिफारिशें भी चल रही हैं बचाने के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदया, महिलाओं की इस प्रकार की घटनाओं के साथ बलात्कार की भी अनेक घटनाएं हैं। महिलाओं के साथ बलात्कार की लोमहर्षक घटनाएं इस पीरियड में हुई हैं। शायद थोड़ी बहुत भी लज्जा होती तो यह सरकार इस गद्दी पर नहीं होती। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आबू पर्वत पर शरदोत्सव के नाम पर एक आयोजन हुआ उसमें गिरासिया, भील बालिकाओं को पकड़-पकड़ कर लाया गया और मिस अरावली नाम की एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सभापति महोदय, मैं नहीं बोल रहा हूं, कांग्रेस के एम.एल.एज. की आवाज बोल रही है। माननीय देवी सहाय गोपालिया और माननीय भूराराम के इस बारे में बयान हैं और अखबारों में छपे हैं। उनका कहना है कि अगर उन बालिकाओं को पकड़ कर कमरे में बन्द नहीं करते तो उनके साथ बलात्कार होता। बलात्कार हुआ नहीं लेकिन यदि कमरे में बन्द नहीं करते तो अवश्य ही उनके साथ घटना होती, बलात्कार की घटना हुई होती। 100 बच्चियों को पकड़ कर लाया गया था। बच्चियां 16 से 20 वर्ष की उम्र की थीं। उनका नंगा नाच, नंगा डान्स करवाया है। कामुक अधिकारियों ने और सरकार के पर्यटन अधिकारियों ने जो आयोजन किया था वह उसी उद्देश्य को लेकर किया गया था। उनके साथ जिस प्रकार निर्लज्जता का व्यवहार किया गया उससे जनता भड़क उठी और भड़कने के बाद उनको पकड़-पकड़ कर बन्द किया, नहीं तो न मालूम उनकी क्या स्थिति होती। सभापति महोदया, इस प्रकार के शर्मनाक काण्ड हिन्दुस्तान के इतिहास में नहीं हैं।

(4.15 म.प.)

(श्री अहमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

सरकार ने सामूहिक बलात्कार काण्ड करने की साजिश की थी। शिवचरण माथुर की सरकार ने सामूहिक बलात्कार का सबसे पहला यह काण्ड किया था। आपके राज्य में लोहागढ़ में नारी निकेतन में क्या हुआ? सरकारी अधिकारियों ने नारी निकेतन में घुस कर बलात्कार किया। आपके मंत्री माननीय चेतराम जी के बयान हैं। जिस राज्य में इस प्रकार नारियों की दुर्गति की जा रही हो, बलात्कार किये जा रहे हों, महिलायें जलाई जा रही हों उस राज्य के राज्यपाल महोदय अपने अभिभाषण में कहते हैं, कानून और व्यवस्था ठीक चल रही है। हो सकता है, कानून और व्यवस्था आप किसी दूसरी चीज को मानते हों। किसको कानून मानते हैं, किसको व्यवस्था मानते हैं? आपकी परम्पराएं तो दूसरी हैं और मुझे उन परम्पराओं का ध्यान है। जब जनरेल सिंह को पकड़ा गया और उनसे कहा गया कि आपने जो विमान चुराने वाले हैं उनका समर्थन क्यों किया तब उन्होंने कहा, क्या करता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भी विमान चुराने वाले को पुरस्कृत किया है। देवेन्द्र पाण्डे, जिन्होंने विमान का अपहरण किया था, को कांग्रेस का टिकट देकर एम. एल. ए. चुनवाया है। क्या यही आपकी संस्कृति का प्रतीक है, डकैतों का संरक्षण करना, लूट मार करने वालों का संरक्षण करना, बलात्कार करने वालों का संरक्षण करना। उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इसके साथ साथ ग्रार. ए. सी. के जवानों ने कोटा के ग्रन्दर बलात्कार किया ग्रौर बलात्कार का विरोध करने के बाद में उसकी मां को ग्रौर उसके बाप को गोली से मारा। वे ग्राज कोटा के ग्रन्दर तड़प रहे है। ग्रार.ए.सी. के जवानों ने बलात्कार किया, सरकारी ग्रधिकारियों ने बलात्कार किया, बलात्कार का कैम्प लगाया। सरकार के तहत चलने वाले समाज कल्याण विभाग में नारी निकेतन में इस प्रकार का काण्ड हुग्रा। इन सारी घटनाग्रों के घटने के बाद सरकार की ग्रोर से कोई कार्यवाही नहीं हुई।

जयपुर में ग्रौर भरतपुर में नारी निकेतन से महिलाग्रों को किसने फरार किया? पता है इसका ग्रापको? नहीं। ग्रापके पास इसका कोई जवाब नहीं है। एक के बाद एक घटनाएं ग्रापके इस राज्य में घटी, ग्राबू पर्वत पर जिस प्रकार का काण्ड हुग्रा, उपाध्यक्ष महोदय, उस काण्ड पर मैं चाहूंगा मंत्री महोदय जवाब दें। कांग्रेस के एम. एल. एज. ने बयान दिये लेकिन सरकार की ग्रोर से उनका कोई खण्डन नहीं किया गया। उसकी जांच करके किसी ग्रधिकारी को सस्पेन्ड नहीं किया गया ग्राज तक। वहां की भील बालिकाग्रों ने जो रिपोर्ट दर्ज करवाई थी उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। क्या ग्राप पर्यटन का विकास इसी प्रकार करना चाहते हैं। भारत की महान नारियों के सतीत्व को बेचकर पैसा कमाना चाहते हैं। जनता पार्टी के शासन काल में इन शिविरों को लगाना बन्द कर दिया था लेकिन कांग्रेस का शासन तो इन बलात्कारों को करने की साजिश करता है।

उपाध्यक्ष महोदय, हत्याग्रों का दौर राजस्थान में इस प्रकार का चला है जिसकी कोई चर्चा नहीं की जा सकती है। एक के बाद एक झगड़े हुए। सामुहिक गुण्डाइज्म को माननीय शिव चरण माथुर की सरकार ने बढ़ाया है। रेबारी ग्रौर ग्रामीणों के झगड़े, लोहागढ़ ग्रौर भरतपुर के झगड़े ग्रौर गांवों-गांवों में इस प्रकार के झगड़े हुए हैं जिनमें 20 व्यक्तियों की हत्यायें हुई हैं ग्रौर लाखों रुपयों का नुकसान हुग्रा है, लाखों भेड़ें मारी गईं। इस प्रकार की घटनाएं राजस्थान में एक ग्राध होती थी लेकिन ग्रब तो जोधपुर से बूंदी तक हत्याग्रों का सिलसिला चल रहा है, सारे राजस्थान में हत्याग्रों का दौर चल रहा है। उनको रोकने के कोई प्रयत्न नहीं किये गये। जब कि इस बात का पता था कि रास्ता इधर से है, लोग इधर से जायेंगे लेकिन सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। मुख्य मंत्री ने तो जनता पार्टी के टाइम पर कहा कि जुल्म हुए लेकिन इनके टाइम में तो सामुहिक कांड ग्रगर बढ़े हैं तो वे माथुर साहब की सरकार में बढ़े हैं। यह पहला संकल्प था ग्रौर दूसरे संकल्प में क्या नहीं किया। साम्प्रदायिक दंगे कराये। ग्राप भी फतहपुर पधारे थे, ऐसा शहर जिसमें कभी साम्प्रदायिक सामंजस्य खराब नहीं हुग्रा, उसमें साम्प्रदायिक दंगे कराये। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि ग्राप वहां पधारे थे, ग्रापने वहां की सारी स्थिति को देखा, उसमें क्या हुग्रा, किन-किन को मारा गया, किनको नुकसान हुग्रा। ग्राप गये चौमूं में, ग्रापने देखा होगा चौमूं में मजहब के टुकड़े-टुकड़े हुए पड़े हैं। यह सब किसके राज्य में हुग्रा। उसके ग्रागे कब्रिस्तान के टुकड़े किसके राज्य में हुए। ग्रापको पता है कि नहीं निम्बाहेड़ा का कांड ग्रौर जोधपुर का कांड हुग्रा। कहां गयी सारी सेवा।

एक माननीय सदस्य: यह गलत है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह सही बात है, उनके श्वसुर ने पर्चा निकाला और उनके बेटे ने दूसरा पर्चा निकाला, इसके बाद क्या हुआ, किसने जांच करायी ? मैं कहता हूं अगर हिम्मत है, अगर ये कहते हैं कि हम ठीक काम कर रहे हैं तो खड़ा हूं इनके सामने, जांच कराओ और इन्क्वायरी बैठाओ। लेकिन दम नहीं है क्योंकि दामन गलत है, इनका दामन गंदा है, इसलिये आप जांच नहीं करा सकते · ·

एक माननीय सदस्य : वापस क्या आ गये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय के आने पर वापस आये हैं जिन्होंने मौके पर स्थिति देखी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज भी चौमूं की हालत बुरी है, चौमूं के मुसलमानों ने नगरपालिका के चुनावों के बहिष्कार की बात की थी इसलिए वहां पर चुनाव स्थगित कर दिये गये।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं थोड़ा कानून और व्यवस्था के बारे में आपको निवेदन करना चाहूंगा। अभी पिछले दिनों जिस प्रकार की हत्या भरतपुर में की गयी है, एक गृहिणी जो घर में अपना काम कर रही थी, सरे आम दोपहर के टाइम पर घर में घुसकर उसकी हत्या करके सम्पत्ति लूट ली उसके बाद एक भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सके। इस प्रकार की निकम्मी सरकार अगर यह कहती है और राज्यपाल के अभिभाषण में कहलाती है कि हमने इस प्रकार के काम की शान्तिपूर्ण व्यवस्था बनाये रखा है तो इससे बड़ी कोई गलत बात नहीं हो सकती। डकैती की घटनायें जिस प्रकार की राजस्थान में हुई हैं, आज के पहले कभी नहीं हुई। जब माननीय प्रद्युम्नसिंह जी एम. एल. ए. थे, (डकैती का क्षेत्र सीमित था, वह भरतपुर जिले तक ही सीमित था लेकिन उसके बाद जब वे गृह मंत्री बने तो डकैतों का क्षेत्र भी विस्तृत हो गया। वे जयपुर में आकर भी डकैती डालने लगे। यह पहला अवसर होगा जब जयपुर जिले में 20 डाके डाले गये। गृह मंत्री बनने के बाद प्रद्युम्नसिंह जी के · ·

एक माननीय सदस्य : आप लोग डलवा रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, हम डलवा रहे हैं क्योंकि हमने इनको गृह मंत्री बनाया है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले साल कितने दंगे हुए, रिकार्ड। राजस्थान में 300 बलात्कार के केस रजिस्टर हुए हैं, जो आज से पहले कभी नहीं हुए। पिछले साल का यह कानून और व्यवस्था का उदाहरण है इस सरकार का। चोरी, डकेती, लूटपाट, आगजनी, ये सब घटनाएं हो रही हैं। और तो और अपराध करने वालों को सजा नहीं प्रमोशन मिलता है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा सर्जीकल कैम्प के अन्दर एक श्यामलाल मास्टर की पत्नी आपरेशन कराने के लिए आयी थी, आपरेशन हुआ था, वहां के डाक्टर और कम्पाउन्डर और कम्पाउन्डर और डाक्टर ने बलात्कार किया। इसकी रिपोर्ट दर्ज हुई, इसके बाद में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उस व्यक्ति को एल.डी.सी. से यू.डी.सी. बनाकर प्रमोट कर दिया गया। वहां के सारे लोगों ने ज्ञापन दिया था कि इस प्रकार की कार्यवाही हुई है लेकिन उसके बाद उसको प्रमोशन दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ट्रकों के मामले में। रेलों और

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

ट्रकों की जितनी डकैतियां शिवचरण माथुर साहब की सरकार बनने के बाद हुई हैं, उतनी पहले कभी नहीं हुईं। अभी देवली के पास जो घटना हुई थी, 12 डिब्बों को एक साथ एक के बाद एक करके लगातार लूटा गया, एक के बाद एक करके 4 घण्टे तक लूटपाट होती रही, 30 हजार रुपयों का सामान लोगों का लूटकर ले गये। न पुलिस आयी न और कोई आया। अभिभाषण में पिछली बार कहा था राज्यपाल ने कि नेशनल हाईवे और बड़े राष्ट्रीय हाईवे हैं, वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था की जायेगी कि पुलिस वहां गश्त करती रहे। पुलिस की गश्त क्या इसी बात के लिए थी कि ट्रकों को लूटते रहे। लूटें बसें, ट्रक और ट्रेन। इन तीनों की डकैतियों में सर्वोच्च काम किया है। इन्होंने अपनी सर्वोच्च प्रतिष्ठा हासिल की है। हिन्दुस्तान की सरकार में सबसे ज्यादा बसों और ट्रेनों की लूट हुई है या ट्रकों की लूट हुई है तो राजस्थान में हुई है और आपकी माथुर साहब की सरकार आने के बाद हुई है। इस सरकार के आने के बाद में ट्रकों की लूट हुई है। बसें भी लूटी गयीं। अभी अहमदाबाद और ब्यावर से आने वाली बस थी, उसको लूटा गया। एक के बाद एक बसें लूटी गईं, एक के बाद एक ट्रकों को लूटा गया, एक के बाद एक ट्रेनों को लूटा गया, एक के बाद एक डकैतियां पड़ती गयीं। जयपुर जैसा शहर, जयपुर जैसा क्षेत्र, जहां पहले कभी डकैतियें नहीं पड़ती थी, में इस साल 20 डकैतियों की घटना हुई। सांगानेर में डाका डाला गया, जयपुर मे डाका डाला गया और डाके भी डाले गये लेकिन डाका डालने के बाद डाकुओं को गिरफ्तार नहीं किया गया। इसका कारण समझ में नहीं आता। फिर यह सरकार कहती है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति मजबूत कर दी है···

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार नहीं है। सुनना नहीं चाहते अपनी बुराई। आप देख लीजिये, मेरे खयाल से सामने की सारी सीटें खाली पड़ी हैं।

एक माननीय सदस्य : सरकार आपको सुन रही है। आप अपनी बात कहिएगा।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैं बैठा हूं, साहब। आराम से बैठिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कल माननीय मेघवाल साहब कह रहे थे कि हरिजनों के साथ अत्याचार हुए। मै वह बात नहीं कहना चाहता। मैं इतनी बात कहना चाहता हूं कि सरकार की दीवार इसी पर टिकी हुई है। सबसे पहले धौलपुर में 3–4 आदमियों को गोली से उड़वा दिया गया। उसके बाद लोग गांव खाली करके चले गये और आज तक एक भी आदमी वापस नहीं आया है। न गोली मारने वालों को पकड़ा, न ही गांव वालों को वापस लाकर बसाया। इनकी यो शुरुआत यही होती है, इनके लिए कानून और व्यवस्था का मतलब यही है कि इनके आदमी हैं वे डाका डालें, उनको संरक्षण दिया जाय, इनके जो आदमी हैं, वे बदमाशी करें, लूटपाट करें और हत्या करें और उनको संरक्षण देने की राजनीति करें। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि बस आ रही थी, बस में दो आदमी बैठे हुए थे, दिन के दो बजे की बात थी, बडौली नाम का गांव था, पुलिस की चौकी थी। उसके बाद में

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

2 आदमियों को बस में से उतारा गया और बस में से उतार कर उनका मर्डर कर दिया गया। आज तक सरकार ने इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की। इसके अलावा सीकर जिले में फतेहपुर नाम का एक गांव है, जहां पर आप भी पधारे थे, वहां निर्मल जी नाम के एक वैद्य थे, दिन के अन्दर उनके घर में घुसकर उसके हाथ पांव बांध कर उस व्यक्ति की हत्या करके उसकी सारी सम्पत्ति लूटकर ले गये। आज दो महीने होने को आये, एक भी आदमी नहीं पकड़ा गया, एक भी पुलिस ने कार्यवाही नहीं की। मैं स्वयं जाकर मिला, थानेदार से बात की, डी.एस.पी. से बात की। उन्होंने कहा कि इन्क्वायरी करा रहे हैं, किस बात की इन्क्वायरी कर रहे हो, क्या इन्क्वायरी कर रहे हो। क्या आप लोगों को पकड़ नहीं सकते। हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं, उनकी रोकथाम के लिए केन्द्रीय सरकार ने निर्देश दिये थे और निर्देशों के ऊपर राजस्थान सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। बसों की लूटपाट, ट्रकों की लूटपाट, इसके विरोध में बारां बन्द रहा उसके बाद सरकार की नींद खुली लेकिन उसके बाद आज तक एक भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह तो होता ही रहा, इसके साथ सबसे बड़ी ज्यादती की पत्रकारों के साथ। पत्रकार गजानन्द शर्मा, जिनका विधान सभा में प्रश्न उठा था, को माणक चौक थाने के इन्चार्ज शिवदत्त शर्मा ने पिटाई की। पिटाई की बात जब हमने कही तो सरकार ने कहा कि हम जांच करेंगे। जांच करने को सरकार ने आई.जी.पी. को लिखा। आई.जी.पी ने जांच करके कहा, वह मैं यहां पढ़ कर सुनाना चाहता हूं, आई.जी.पी. ने जांच करके कहा :

"Shri Gajanand Sharma, a Vaidya and associate editor of 'Joshila Watan', a weekly news paper, in his complaint, had levelled allegations of non-registration of his case man-handling of the complainant and his associate by the SHO Shri Shiv Datt Sharma and his staff in police Station, Manak Chowk and manipulation of police record etc. The matter was also taken up by the Rajasthan Saptahik Patra Sampadak Sangh and the Bhartiya Janta Yuva Morcha, with the Government. It had assumed further importance with the complainant Shri Gajanand Sharma sitting in Dharna outside the Vidhan Sabha in September, 1981.

From the enquiry report submitted by the Additional S. P., Rural, Jaipur, the main allegations, including those of non-registration of the case on complaint made by Shri Gajanand Sharma and his man-handling by the S. H. O. Police Station, Manak Chowk, Shri Shiv Dutt Sharma, stand *Prima facie* made out."

यह लिखा है, यह लिखकर उन्होंने कहा है :

"In view of the serious nature of the all.gat'ons, it is proposed to initiate a departmental enquiry under rule 16CCA Rules against S. H. O. Shri Shiv Dutt Sharma. It is also considered desirable to shift him from police station, Manak Chowk,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

a fair and impartial departmental enquiry."

मैंने यह पत्र लिखा कि शिवदत्त शर्मा ने गजानन्द शर्मा, पत्रकार को पकड़ा, उनको थाने में ले जाकर मारा। यह बात प्राइमा-फेसी प्रूव हो चुकी है। इसके बाद उनका ट्रान्सफर करने के लिए लिखा लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए दुःख है कि उनका आज तक आई.जी.पी की रिपोर्ट के बाद में भी ट्रांसफर नहीं किया गया।

पत्रकारों के साथ पिटाई, महिलाओं के साथ बलात्कार, डकैतों को संरक्षण, डकैती की घटनाएं बढ़ना, साम्प्रदायिक तनाव पैदा करना, साम्प्रदायिक सौहार्द समाप्त करना, लूट पाट और डकैतों को प्रोत्साहन देना, ये सारे काम सरकार ने किये इसलिए, सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह किस प्रकार की सरकार है? राज्यपाल का जिस प्रकार का अभिभाषण है कि यहां शांति और व्यवस्था की स्थिति बनी हुई है। जैसा मैंने पहले निवेदन किया था कि डाकुओं ने अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार किया है। डाकुओं का कार्य क्षेत्र पहले भरतपुर और धौलपुर जिले तक था लेकिन माननीय गृह मंत्री के बनने के बाद में डाकुओं ने कार्य क्षेत्र का विस्तार जयपुर तक करके जयपुर तक हाथ मारना शुरू किया है और उनके कार्य क्षेत्र का विस्तार होता जा रहा है। तो यह प्रगति है और कानून और व्यवस्था की इस प्रकार स्थिति है। इस प्रकार से सारे प्रान्त में इस प्रकार का वातावरण राजस्थान में होता जा रहा है। राजस्थान में तो जंगल का राज है उसकी मिसाल नहीं मिलती है। अगर सरकार ईमानदार है तो मेरी बात का जवाब दें। रविन्द्र सरोवर जैसा आबू पर्वत पर भयंकर काण्ड हुआ, लोहागढ़ में क्या हुआ। एक एक घटनायें इस प्रकार की हैं कि जो सरकार का पर्दाफाश कर देंगी कि किस प्रकार की सरकार है। डकैतियों की घटनायें जो पिछले बीस सालों में हुई हैं दो वर्षों सालों की मिला कर आगे हैं। बलात्कार की घटनायें डकैतियों की घटनायें, चोरी की घटनायें, राहजनी की घटनायें, बसों को लूटने की घटनायें, ट्रकों के लूटने की घटनायें, रेलगाड़ियों को लूटने की घटनायें- इनसे बीस संकल्प का कार्यक्रम पूरा किया गया है। पुराना बीस सूत्री कार्यक्रम पुराना हो गया था, नया बीस सूत्री संकल्प कार्यक्रम इस आधार पर दिया गया है कि लूटो, खाओ, घरों को भरो, हत्यारों का संरक्षण करो, हत्यारों को पकड़ो मत, डाकुओं को संरक्षित करो। राजस्थान में कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। राजस्थान में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। इसलिए यह सरकार राजस्थान में जंगल का राज कायम करना चाहती है। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया था कि सरदार जरनैलसिंह भिण्डरवाला ने कहा कि इन्दिरा गांधी जब हवाई जहाज उड़ाने वालों को पुरस्कृत कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं बढ़ाई करूंगा हवाई जहाज उड़ाने वालों की। यह सरकार ऐसी है कि जो डाकुओं को पत्र लिखती है कि हमारा आपने सहयोग करके चुनाव कराये उसके लिए धन्यवाद। जो सरकार डाकुओं को धन्यवाद के पत्र लिख सकती है, जो हवाई जहाज उड़ाने वालों को पुरस्कृत करती है, जो डाकुओं का संरक्षण करती है, उसके राज में कानून और व्यवस्था की स्थिति नहीं सुधर सकती। मैं एक ही बात

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कहना चाहता था कि राजस्थान में जंगल राज है। राजस्थान में आज कोई भी सुरक्षित नहीं है, न महिला सुरक्षित है। जनता पार्टी के राज के समय माननीय गृह मंत्रीजी कहा करते थे कि महिला रात के टाइम में घर से नहीं निकल सकती। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी महिलाओं की बात करते थे, आपके राज में तो रात में मर्द भी बाहर नहीं निकलते। मर्दों का बाहर निकलना बन्द हो गया है। औरतों की तो बात छोड़िये। सारे मामले पत्रकारों की पिटाई से लेकर जब से आप पधारे हुए हैं, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, माननीय गृह मंत्रीजी, पिछले विधान सभा सत्र में आपने आश्वासन दिया था गजानन्द शर्मा की पिटाई के बारे में। आपने जांच कराई थी। आपने आई.जी.पी. को पत्र लिखा था। आई.जी. ने जांच करके आपको पत्र लिखा लेकिन उसके बावजूद आपने शिवदत्त शर्मा का ट्रांसफर नहीं किया। उसके खिलाफ इन्क्वायरी नहीं करवाई। आपने आई.जी.पी. से ज्यादा शिवदत्त शर्मा को महत्व दिया। मैंने आई.जी.पी. का पत्र पढ़ कर सुना दिया। थानेदार का ट्रांसफर आप नहीं कर सके लेकिन आई.जी. को जरूर हटा दिया। यह तो आपकी करामात है। इस प्रकार का वातावरण आज राजस्थान में बना हुआ है।

संक्षेप में मैंने पांच बातें कही हैं और मैं चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी जवाब दें। मेरे आरोप हैं। आरोप नम्बर एक यह है कि आपके राज में साम्प्रदायिक अशांति पैदा हुई। साम्प्रदायिक, सौहार्द का वातावरण समाप्त हुआ। 14 साम्प्रदायिक दंगे हुए। चौमू में आज तक भी साम्प्रदायिक सौहार्द स्थापित नहीं हुआ। जोधपुर के अन्दर और चौमू के अन्दर दंगा कराने वालों में कांग्रेस के नेता और कांग्रेसी विधायकों का हाथ था। इस बात की इन्क्वायरी करवाई जावे। जो आरोप मैंने लगाये हैं कि पत्रकारों की पिटाई हुई, पत्रकार की पिटाई हुई, उसके खिलाफ पुलिस की जांच हुई। आई.जी.पी. ने जांच की। उसका ट्रांसफर करने के लिए कहा लेकिन ट्रांसफर नहीं किया। मैंने आरोप लगाया है कि आबू पर्वत पर जो काण्ड हुआ वह घृणित काण्ड था। गिरासिया और भील बालिकाओं के साथ बलात्कार किया गया। कांग्रेस के एम.एल.ए. देवीसहाय गोपालिया और भूराराम ने बयान दिये हैं। डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी कराने की बात को तो छोड़ो, आपने कुछ नहीं किया। मैंने चार्ज लगाया है कि आपके राज में डकेतियां बढ़ी हैं। बसों की डकेतियां बढ़ी हैं, रेलों की डकेतियां बढ़ी हैं। मैंने जो-जो चार्ज लगाये हैं, आपकी सरकार में अगर दम हो, अगर आपकी सरकार में सामर्थ्य हो तो जवाब दें। आप राज्यपाल के अभिभाषण में यह कहना चाहते हैं कि कानून और व्यवस्था की स्थिति कायम है तो मेरी एक-एक बात का जवाब दीजिए और अगर आप जवाब नहीं देकर टालना चाहें तो आपकी मर्जी है। मैंने, उपाध्यक्ष महोदय, आपके सामने प्रमाणित कर दिया कि राजस्थान में राज नहीं है। राजस्थान में आज जंगल का राज है। इस जंगल के राज के अन्दर जिस प्रकार से सफेद पृष्ठों के अन्दर काले अक्षरों में यह किताब लिखी गई है उसी प्रकार से आज आपने राजस्थान के अन्दर साम्प्रदायिक

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सौहार्द का वातावरण समाप्त किया है।XXX आपने बलात्कार के कैम्प कायम किये। आबू पर्वत का जो आयोजन था वह आपके पर्यटन विभाग ने कराया था और पर्यटन विभाग द्वारा, मेरा सौभाग्य है कि मुख्य मंत्रीजी आज यहां मौजूद हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी सरकार पर मेरा चार्ज है कि आपकी सरकार ने बलात्कार के कैम्प आयोजित किये। बलात्कार का कैम्प आबू पर्वत में आयोजित किया। गिरासिया और भील बालिकाओं को पकड़-पकड़ कर ले गए और वहां पर उनका नंगा नाच कराया गया। उनके साथ बलात्कार किए गए और उसके बाद में कांग्रेस के एम.एल.एज. के स्टेटमेंट आए। उन्होंने उनको पकड़ कर कमरों में बन्द किया, नहीं तो आपके अधिकारी उनके साथ बलात्कार करते। कइयों ने बलात्कार किये हैं। इस प्रकार की घटनायें पहली बार राजस्थान में हुई हैं। रविन्द्र सरोवर काण्ड को आपने मात कर दिया है। आप क्या कहते हैं कि राजस्थान में कानून और व्यवस्था की स्थिति है। आपकी यही संस्कृति है कि आप हवाई जहाज को उड़ाने वालों को पुरस्कृत करते हैं। यह मेरा आप पर चार्ज है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि आबू पर्वत काण्ड की बात है उसमें जो अधिकारी दोषी हैं उनको निलंबित किया जावे और अगर उनमें थोड़ी सी भी नैतिकता है तो मैं कहता हूं कि माननीय शिवचरणजी माथुर को यहां पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। जो व्यक्ति पर्यटकों को बुलाकर, × × × पर्यटकों को बुलाना चाहते हैं आप? यह आपका राज है? इस प्रकार का राज आपने कायम किया है। आबू पर्वत की घटना पर अगर आपमें सामर्थ्य हो, आपमें शक्ति हो और आपमें जरा भी नैतिकता हो तो आप इस बात का जवाब दीजिये···

श्री परसराम मदेरणा : आबू में तो दो साल से प्रतियोगिता ही नहीं हुई है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आबू में इस प्रकार की प्रतियोगिता हुई है।

श्री परसराम मदेरणा : यह नहीं हुई है। यह अखबारों में जो बात हुई है वह तथ्यों पर आधारित नहीं है। मैंने जानकारी की है, उसके बाद में निवेदन कर रहा हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपके कांग्रेसियों के स्टेटमेंट हैं।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं-नहीं, इसको आप वेरीफाई कर लीजिये। कहने को किसी ने क्या बात कह दी है। मैंने इस फैक्ट को वेरीफाई किया है, पिछले दो सालों में कोई प्रतियोगिता नहीं हुई है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : यह घटना 1979 में हुई है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : श्री देवीसहाय गोपालिया विधायक और भूरारामजी, जो कांग्रेस के विधायक हैं, के स्टेटमेंट आये हैं कि इस साल प्रतियोगिता हुई है आबू में।

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सरकार द्वारा कोई ऐसी प्रतियोगिता आयोजित नहीं की गई थी।

श्री परसराम मदेरणा : यह बात अखबारों की खबर थी और उसको मैंने वेरीफाई किया है उसके आधार पर कह रहा हूं कि पिछले दो सालों से नहीं हो रही है और जब नहीं हो रही है तो आप शिवचरणजी माथुर पर चार्जेज किस बात के लगा रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : दो साल पहले जनता पार्टी के राज में यह बन्द कर दी गई थी और उसके बाद में पुनः आयोजन किया गया है। आज आप इस बात को मना कर सकते हैं लेकिन आपको···

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कोई वाद-विवाद नहीं होगा। बयान जारी रहे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह बात तथ्यों से परे है।

श्री परसराम मदेरणा : ऐसी कोई घटना घटी या नहीं घटी, माननीय सदस्य जानते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : घटी है।

श्री परसराम मदेरणा : मैं समझता हूं कि नहीं घटी और अगर घटी तो जनता पार्टी के शासन में घटी। यह आपके शासन-काल में घटी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी नोट कर लें और बाद में जवाब दें। बीच में टोका-टाकी नहीं करें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अगर तथ्यों पर बात न की जाय तो उसका क्या किया जावे। अभी जैसा कहा कि शिवदत्त का ट्रांसफर नहीं किया···

श्री उपाध्यक्ष : आपको मौका मिलेगा।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : ये भाषण कर रहे हैं और आप बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप बाद में कहिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कभी का ट्रांसफर कर दिया है। तथ्यों का पता नहीं है माननीय सदस्य को।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मुझे तथ्यों का पता है कि शिवदत्त के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जा रही है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मगर मैं आपसे कहता हूं कि एक माह से अधिक ट्रांसफर किये हुये हो जावेंगे, तो आप क्या कह रहे हैं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : डिपार्टमेन्ट के द्वारा सस्पेंड करना चाहिये था। जब आपको आई.जी.पी. ने लिखा···

श्री प्रद्युम्न सिंह : अभी तो कह रहे हैं कि ट्रांसफर नहीं किया, अब कह रहे हैं कि सस्पेंड करना चाहिए था। मतलब यह कि जब कोई बात क्लियर कर दें तो आप कहें कि आपको यह करना चाहिए था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माणक चौक और छोटी चौपड़ पर ट्रांसफर नहीं है। जब आई.जी.पी. ने यह कह दिया कि राजस्थान

(116)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
के पत्रकारों की पिटाई की गई, पत्रकार को पीटा है और प्रूव हो गया तो आप उसको सस्पेंड नहीं कर सकते क्योंकि आपके कहने से यह वारदात करते थे। आपके हौसले से वारदात करता था मुझे पता है इस बात का। ...

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मंत्री महोदय, यह पता कर लीजिए कि तबादला हुआ था तो फिर रुकवाया किसने। यह भी जांच करवा लें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : तबादला किसने रुकवाया ? तबादला तो कभी का हो चुका। किसने रुकवाया तबादला ? बिलकुल गलत बात है यह।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : फाइल बोलेगी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, फाइल बोलेगी। मैं आपको इस बात के लिए आमन्त्रित करता हूं पत्रावली देख लिजिए। आप पत्रावली देख लीजिए कि किसी भी दफ्तर के अन्दर तीन दिन से ज्यादा रुकी हो। आप पत्रावली देख लीजिए। मैं आपको इस बात का न्योता देता हूं। चैलेंज नहीं करता लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं। मैं फाइल ले आऊंगा, आप फाइल देख लीजिए। हालांकि मुझे सफाई देने की आवश्यकता नहीं है लेकिन आप बेबुनियाद आरोप यहां पर लगा रहे हैं। आपको जोश किसी और वजह से आ रहा हो तो परफार्मेंस कहीं और दिखाइयेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने 79 में आरोप लगाया था। आपकी सरकार के समय सरदारों की बरात को थानों में पिटवाया, अण्डर पुलिस कस्टडी पिटवाया।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, जब इस तरह की बात करते हैं तो गुस्सा आता है। इन्होंने उन अपराधियों को सजा तक नहीं दी। शर्म आनी चाहिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपका राज तो राम राज था। कुछ हुआ ही नहीं। इतने कतल हुए। चतुर्वेदीजी का कतल हुआ, दास गुप्ता का क्या हुआ ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय मंत्री महोदय बतायें कि किसने ऐसे बलात्कार किए, किसने इस तरह के काम किए ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपने तो, माननीय, गृह मंत्रीजी, रिकार्ड कायम किये हैं। आपने तो यह रिकार्ड कायम किया है कि आज तक जितने दो सालों में बलात्कार राजस्थान में नहीं हुए उतने बलात्कार आज 81 में हुए हैं। आपने यह रिकार्ड कायम किये हैं। आपके राज में पांच ....

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपके समय में कितने काण्ड नहीं हुए ? आपके लिए तो कहने में लगाम ही नहीं है। जो मर्जी आये आप कहते जाइये।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय मन्त्री जी को ताड़ना दीजिये कि बीच में बोल रहे हैं बार-बार।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैंने एक बात कही थी। माननीय गृह मन्त्री के जयपुर में आने के बाद कार्य क्षेत्र में विस्तार कर दिया है, आप उत्तेजित हो गये, आपको उत्तेजित करने जैसी बात नहीं है।

मैं निवेदन कर रहा था, राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति नष्ट बिलकुल प्राय: सी है, जंगल का राज है। दूसरा पाइन्ट निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जो औद्योगिक वातावरण बना था, उस औद्योगिक वातावरण को किसी ने नष्ट किया है और राजस्थान में आज हुए उद्योग धन्धे वापस जा रहे हैं, उसका श्रेय राजस्थान की वर्तमान सरकार को है। दो साल में, 70 अरब के आर्थिक उत्पादन का लॉस बिजली की कमी से राजस्थान को हुआ। दो साल में किसी भी नयी इण्डस्ट्री को बिजली नहीं दी। राजस्थान में जो काम किया गया, बिजली की सबसे बड़ी कमी है, उसमें सबसे बड़े जो अपराधी हैं, वह माननीय मुख्य मन्त्री हैं। उस समय योजना मन्त्री थे। जब राजस्थान में प्राइवेट जनरेशन की बात चल रही थी उस समय उसका घोर विरोध किया था, आज वह कह रहे हैं, प्राइवेट जनरेशन होना चाहिये। अगर उस समय की प्राइवेट जनरेशन की स्थिति होती तो राजस्थान के उद्योगों की यह हालत नहीं होती। राजस्थान के उद्योग धन्धे चौपट हो गये। राजस्थान में नये उद्योगों का पंजीकरण नाममात्र का है। राजस्थान में लघु उद्योगों की बिजली बिलकुल बन्द करदी। राजस्थान के 36 लाख लोग बेकार हो गये। उस सबका श्रेय माननीय मुख्य मन्त्री को है। राजस्थान में जिस प्रकार उद्योगों की हालत खराब कर दी, जिस प्रकार मजदूरों की हालत खराब कर रखी है, उस तरह से पावरलूम की कर रखी है। आज किशनगढ़ का पावरलूम उद्योग एक तरह से चौपट हो गया है। आज पावरलूम के लोग उद्योग छोड़ कर जा रहे हैं। तीस लाख की पार्टियों के दिवाले निकल गये हैं। यह सबसे बड़ा काम किया है। दिवालों निकालने का काम तो होता रहेगा, जब तक हमारे वित्त मन्त्री, माननीय चन्दन मल जी वैद हैं तब तक दिवाला निकलता रहेगा। क्योंकि हमारी तरफ के रहने वाले हैं, उनके बारे में एक कहावत है कि मुफ्त का चन्दन नित मेरे मन्दन चाहे जितना मल।

इनका काम एक ही है कि अपने लोगों को कैसे न कैसे फायदा पहुंचाया जाय चाहे वह अग्रसेन पंथी हो, चाहे हैंडलिंग एजेन्ट हो इसके अलावा उनका कोई काम नहीं है। आज 340 का ओवर ड्राफ्ट इनकी गुमान है। राजस्थान में सबसे पहला काम किया है, माननीय चन्दन मलजी ने किया है। मैं कहना चाहूंगा, माथुर साहब, जहां–जहां चन्दन मल जी वित्त मंत्री रहेंगे उसका बंटाधार होगा। पहाड़िया सरकार में थे, पहाड़ियाजी के पलीता लगाया और आपके लगायेंगे, इसलिये आप संभल जाइये। जहां–जहां चन्दन मलजी हैं वहां वहां बंटाधार है, और जिधर से निकल जाते हैं, वहां भी बेड़ा गर्क हो जाता है।

हमारे जिले में किस प्रकार का वातावरण कर रखा है, किस प्रकार के काण्ड

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

उन्होंने कराये हैं, उसका उदाहरण है।

ऊपर से मन के साफ हैं, बहुत स्वच्छ हैं। मैं स्थानान्तरण नहीं करता। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने सीकर जिले के एक आदमी के कहने से कम से कम 50 ट्रांसफर कराये हैं। एक-एक व्यक्ति का वार्ड बता कर प्रमाणित कर सकता हूं। इस वक्त नाम ले सकता हूं और सदन में प्रमाणित कर सकता हूं। राजस्थान को सबसे ज्यादा घाटा पहुंचाया आर्थिक योजनाओं पर, पूंजी पतियों पर आधारित, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाली योजनाएं, राजस्थान का दिवाला निकालने का काम वित्त मंत्रीजी ने किया है। तो मेरा निवेदन करना यह है कि राजस्थान में कानून का राज समाप्त हो गया है, राजस्थान में जंगल का राज है। राजस्थान में कोई सुरक्षित नहीं है। राजस्थान में उद्योग धंधे चौपट हो गये हैं। राजस्थान को दिवालिया किसी ने किया है तो इसका श्रेय वर्तमान सरकार को है। मैंने जो आरोप लगाये मैं चाहूंगा, माननीय मुख्य मंत्री आरोपों का जवाब देते समय अपने भाषण में उन आरोपों का जवाब दें। आपने समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हेमाराम चौधरी।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आॅर्डर।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं, अभी जब माननीय सदस्य सीकर से पधारने वाले भाषण दे रहे थे अपना, उस वक्त माननीय राजस्व मंत्री ने, पर्यटन मंत्री से यह कहा कि इस तरह की अभद्र घटनाएं जो आबू पर्वत के समारोह से सम्बन्धित बलात्कार की यदि हुई हैं, उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं 78–79 में जनता पार्टी के कार्यकाल में हुई हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे और सदन से पूछना चाहती हूं, हम लोग क्या माननीय मंत्री महोदय के स्टेटमेन्ट को बहुत रेस्पान्सिबल स्टेटमेंट मानें? एक बात।

दूसरी बात अगर आपका ऐसा मत है, तो आपको इसके लिये फैक्ट्स यहां टेबल पर ले करना होगा जो स्टेटमेंट आप बता रहे हैं उसको प्रूव करने के लिये।

दूसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं, आन कान्ट्रेरी, मेरा चार्ज यह है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में टूरिज्म से सम्बन्धित जिन दो अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने का क्लेम यह गवर्नमेंट करती है, वह अवार्ड भी पिछली सरकार के समय में मिले। न पहले कभी मिले थे, न अब मिलने की कोई संभावना है कम से कम इनके कार्यकाल में तो।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : पाइन्ट आफ आॅर्डर नहीं था।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : यह किस्सा 79 में हुआ था। इस साल 79 का जिक्र करके, यह जो आर्टिकल आया जिस पर घनश्यामजी ने इतनी चर्चा की, उसके बाद में यू.एन.आई. को लिखा भी था, उसे वापस एक माफी तौर पर, टेलिफोनिक कन्वर्सेशन मेरे से भी हुई और हमने उस बात को पूरी तरह से

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)
देख लिया है। यह जो आप फर्मा रहे हैं 78-79 का किस्सा है, विद्याजी को भी पता है।

श्रीमती विद्या पाठक : यह आर्टिकल नहीं है। क्या आप उसको टेबल पर ले करेंगे ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह आर्टिकल नहीं था।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आप जो बता रहे हैं, आपको पता नहीं है। यह आर्टिकल था जो आप पढ़ रहे थे अभी।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री परसराम मदेरणा : मैं समझता हूं, पर्यटन मंत्री···

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री हेमाराम चौधरी।

श्री परसराम मदेरणा : हाउस की टेबल पर कुछ रखना है क्या, इनके स्पष्टीकरण के बाद ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आदेश चाहता हूं। क्योंकि माननीय सदस्या, सांगानेर से आने वाली, चाहती थी कि राजस्व मंत्री ने, पर्यटन मंत्री ने जो कुछ भी बात कही है वह हाउस की टेबल पर रखें।

श्री उपाध्यक्ष : It was not a point of order. I reject it.

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय मंत्री महोदय, सरकार आपके पास है जांच करवा लीजिये। तथ्य टेबल पर रखवा दीजिये।

श्री हेमाराम चौधरी : राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण इस सत्र में पढ़ा उसका श्री हीरालाल देवपुरा ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया, उसका मैं तहे दिल से समर्थन करता हूं। उसके बारे में कुछ अपने सुझाव भी रखता हूं।

राज्यपाल के इस अभिभाषण में पीने के पानी के बारे में भी उल्लेख किया है जिसके अनुसार राजस्थान में 2700 गांवों का लक्ष्य था उसको बढ़ाकर 3500 गांवों को पानी पहुंचाने का लक्ष्य किया है। तो, यह जो 3500 गांवों में पानी पहुंचाने का लक्ष्य है, उसके अनुसार हमारे बाड़मेर जिले के अन्दर, और जगह तो कुछ जगह हुआ होगा, लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर तो इस वर्ष एक भी गांव के अन्दर पानी नहीं पहुंचाया गया है।

इसी तरह से मेरा यह निवेदन है कि पीने के पानी की जो समस्या है, वह सबसे अधिक जटिल समस्या कहां पर है, इसकी छानबीन करके, इसको देखते हुए यदि योजना स्वीकृत की जाय और उसके अन्दर गांवों को पानी पहुंचाया जाय तो सबसे ज्यादा उपयोगी होगा न कि इस तरह की योजना जिसके ऊपर बहुत कम खर्च आता हो और कम खर्च से उन गांवों में पानी उपलब्ध करा दिया जाय और जिन गांवों के लिये पीने के पानी की बहुत मंहगी योजना हो, खर्च बहुत ज्यादा होता हो, उनको हाथ में नहीं लें, यह बात ठीक नहीं है। क्योंकि जिन गांवों में पीने के पानी की योजना मंहगी है, इसका कारण उस गांव के 30-40 मील के नजदीक में सतह में मीठा पानी नहीं होने की वजह से दूर से पानी लाना पड़ता है, ट्यूब वैल

(श्री हेमाराम चौधरी)

40 किलोमीटर दूर के गांव में लगाने पड़ते हैं। इसलिये वह योजना मंहगी पड़ती है। सरकार जो योजना मंहगी पड़ती है, उन योजनाओं को न लेकर सस्ती योजना को लेकर के ज्यादा गांवों को पानी से जोड़ने का लक्ष्य रखती है। वह अपने इस दृष्टिकोण को बदले और उन गांवों को पानी पहुंचाये। जहां सतह में खारा पानी है और 30-40 किलोमीटर के एरिया में कहीं भी सतह में मीठा पानी नहीं है उन लोगों की जो पीने के पानी की हालत है उस पर ज्यादा ध्यान दें। वैसे पानी की समस्या के बारे में सभी माननीय सदस्य अपनी-अपनी चिन्ता व्यक्त करते हैं। पूरे राजस्थान के सदस्य यह कहते हैं हमारे यहां पीने के पानी की समस्या का हल हो। सबसे पहले उन गांवों में पीने के पानी की समस्या हल होनी चाहिये जहां पर सबसे गंभीर समस्या है। इसके लिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह उन गांवों को पहले ले, जहां टैंकरों से पानी जाता है। जहां 30-40 किलोमीटर में मीठा पानी नहीं है। हमारे जिले के अन्दर भी इस तरह के गांव हैं, जिनके अन्दर नीचे सतह में खारा पानी है और मीठा पानी नहीं है। वहां पर पाइप लाइन के जरिये पानी पहुंचायें।

इसी तरह पीने के पानी के अन्दर सबसे जटिल समस्या हमारे बाड़मेर, जैसलमेर जिले में है। इसी तरह पीने के पानी की समस्या भरतपुर, जयपुर अलवर में हैं, इन जिलों में पीने के पानी की समस्या माननीय सदस्य बता रहे हैं। लेकिन मैं इन जिलों में कई गांवों में कई जगह गया हूं, सब जगह कुएं लगे हैं और हरियाली है। तो, फिर पीने के पानी की समस्या कैसे है? हमारे वहां पर कोई इरिगेशन नहीं है। पीने का पानी ही नहीं है तो इरिगेशन का प्रश्न नहीं उठता। यहां इरिगेशन हो रही है तो भी पीने के पानी की समस्या है। यह बात समझ में नहीं आती। वह भी कहते हैं कि पीने के पानी की समस्या है। उनकी भी योजनाएं स्वीकृत कर दें तो पैसा उन पर खर्च हो जाता है। सरकार के पास सीमित साधन हैं। सरकार सीमित साधनों से सही ढंग से उपयोग करके लाभप्रद योजना डाले तो उसका लाभ हमारे जिले को मिल सकता है। यदि वह पैसा इस तरह से कम उपयोगी योजनाओं पर खर्च कर दिया जाता है तो हम उस लाभ से वंचित रह जाते हैं क्योंकि जितना पैसा सरकार के पास है उससे ही लाभ पहुंचाया जा सकता है।

इस तरह से हमारे जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां सबसे कम डिस्पेंसरी, सबसे कम एड-पोस्ट हैं, चिकित्सा सुविधाएं बहुत कम हैं।

(4.49 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

बहुत सारे स्थान डाक्टर, कम्पाउण्डर, नर्स नहीं होने की वजह से खाली पड़े हैं। बीमारों का इलाज नहीं हो पा रहा है। सबसे ज्यादा यहां पद खाली हैं। हमारे यहां कुल 23 डाक्टर, 38 कम्पाउण्डर और 27 नर्सों के स्थान खाली हैं इतने किसी भी जिले में खाली हों तो बता दें। इस प्रकार हमारा जिला सब जिलों से पिछड़ा हुआ जिला है।

इसी तरह से शिक्षा के मामले में तो 1981 की जनगणना के अनुसार सबसे

(श्री हेमाराम चौधरी)

पिछड़ा हुआ जिला बाड़मेर जिला है। शिक्षा की दृष्टि से जो जिला सबसे पिछड़ा हुआ हो उसके लिये विशेष रूप से स्कूलों का ज्यादा प्रावधान रखें तभी जो शिक्षा में पिछड़ा हुआ है वह जिला आगे आ सकता है। जब तक यहां विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया जायेगा तब तक हमेशा यह जिला पिछड़ा ही रहेगा। जिस प्रकार से अभी स्कूलें खोलते हैं 1–1, 2–2 क्षेत्रवार इस तरह से देंगे तो हम तो पिछड़े हुए हैं, पिछड़े ही रहेंगे कभी बराबर नहीं आ सकते अन्तर बना ही रहेगा। ज्यादा अन्तर होने की तो शिक्षा में गुंजाइश कम है लेकिन जो अन्तर रह गया है उस असमानता को दूर करने के लिये विशेष ध्यान दें। राजस्थान में 457 हायर सैकण्डरी स्कूल हैं और आपने कहा कि प्रशासनिक दृष्टि से हम पंचायत समितियों के हिसाब से लेते हैं तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो पंचायत समितियां हैं और उनमें भी एक हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं है। तो क्या उनमें एक भी हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं लिया जाना चाहिये? क्या वहां के लोगों के बच्चे हायर एजूकेशन प्राप्त नहीं करना चाहते हैं? यह सुविधा उनको क्यों नहीं है? इसलिये यह आज तक सौतेला व्यवहार हुआ है उसको समाप्त करके विशेष ध्यान दिया जाय और इस क्षेत्र में हायर सैकण्डरी स्कूल का प्रावधान रखा जाय और जिन पंचायत समितियों में एक भी हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं हैं उनको दें ताकि वहां के बच्चे हायर एजूकेशन प्राप्त कर सकें। इसी तरह से करीब दो हजार सैकण्डरी स्कूल राजस्थान में हैं। इसका मतलब एक पंचायत समिति में आठ सैकण्डरी स्कूल होने चाहिये उस हिसाब से हमारे यहां 4-4 सैकण्डरी स्कूल हैं। तो शिक्षा के मामले में फिर प्राइमरी स्कूलों के मामले में निवेदन करूं कई ऐसे गांव हैं जहां बिलकुल ही स्कूल नहीं हैं जिनकी आबादी 400-500 के आसपास है। तो हमारे जिले की तरफ जो शिक्षा की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है, मैं विशेष निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक ध्यान नहीं देंगे तब तक यहां फैमिली प्लानिंग कार्यक्रम भी सफल नहीं हो सकता। क्योंकि इसको सफल बनाने के लिये शिक्षा की बहुत आवश्यकता है शिक्षित लोग ही इसको ज्यादा मानते हैं। जहां गांवों में बिलकुल अनपढ़, अशिक्षित हैं वे इस कार्यक्रम में विश्वास नहीं करते हैं, जहां पर शिक्षा ज्यादा है वहां पर इसका पालन ज्यादा हुआ है और जहां शिक्षा नहीं है वहां कतई पालन नहीं हो रहा है। इसी तरह से हमारे जिले में, शिक्षा की दृष्टि से तो पिछड़ा हुआ है ही लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे ज्यादा जनसंख्या यहां बढ़ी है क्योंकि हमारे यहां शिक्षा का अभाव रहा है। इसलिये लोग परिवार कल्याण कार्यक्रम को समझ नहीं पाते हैं और जो दूरबीन नसबन्दी आपरेशन है उसका प्रयोग महिलाएं बहुत कम करती हैं इसी वजह से जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। गरीबी बहुत है अकाल पड़ते रहते हैं। एक-एक आदमी के 5-7-10 बच्चे हो जायेंगे और अकाल हर साल पड़ता गया तो उनके बच्चों का क्या होगा? इसलिये ये शिक्षा की तरफ ध्यान दें प्राइमरी स्कूल ज्यादा खोलें तो उनको समझाया जा सकता है इस दूरबीन नसबन्दी आपरेशन के बारे में। इसलिये मेरा शिक्षा मंत्री जी और मुख्य मंत्रीजी से यही निवेदन है कि हमारे सबसे ज्यादा पिछड़े हुए जिले को आगे लाने के लिये जो शिक्षा है उसको बढ़ाने का

(श्री हेमाराम चौधरी)

विशेष प्रयास करें तभी यह संभव होगा।

बिजली के बारे में हमारा जिला पिछड़ा हुआ है आंकड़े उठा कर देख लें। आंकड़ों के अनुसार सबसे कम बिजली हमारे जिले के 67 गांवों में मिली है। बिजली का लक्ष्य 11 सौ से बढ़ा कर 15 सौ गांवों का किया गया है लेकिन हमारे जिले में सिवाणा क्षेत्र के गांवों को बिजली पहुंचाई गई होगी लेकिन मेरे क्षेत्र में तो इस बार यही मेरा सौभाग्य समझता हूं कि पूरे क्षेत्र में एक गांव को बिजली से जोड़ा गया है इसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। लेकिन वह थोड़ा विशेष ध्यान दें ताकि आने वाले समय में जब हर वर्ष गांवों को बिजली से जोड़ रहे हैं तो हमारे यहां भी बिजली से गांवों को जोड़ें ताकि हम जो पिछड़े हुए हैं, आगे बढ़ सकें। क्योंकि जो आदमी सबसे पिछड़ा हुआ है उसको सरकार आगे लाना चाहती है, उसको आर्थिक सहायता देकर ऊंचा उठाना चाहते हैं तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा बाड़मेर जिला सबसे पिछड़ा हुआ है राजस्थान के 26 जिलों में सबसे पिछड़ा हुआ हमारा जिला है। हर दृष्टि से पीने के पानी, चिकित्सा, शिक्षा और बिजली हर प्रकार से पिछड़ा हुआ होने की वजह से मेरा निवेदन है कि हमारे जिले को पिछड़ा हुआ जिला घोषित किया जाय और जिस तरह से ट्राइबल एरिया को आपने राजस्थान में घोषित किया है उसके लिये विशेष प्रोग्राम बनाया है गवर्नमेंट से अप्रूव करा कर सेंटर से बजट मिलता है उसी तरह से हमारे जिले की सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमण्डेशन करें और अलग से व्यवस्था करके इसको पिछड़ा हुआ जिला घोषित करके विशेष प्रयास करें तभी हमारा पिछड़ापन दूर हो सकता है। हम भी दूसरे जिलों के बराबर आ सकते हैं और हमारी स्थिति ठीक हो सकती है। फेमिली प्लानिंग कार्यक्रम में सफल हो सकते हैं अन्यथा हम फेमिली प्लानिंग कार्यक्रम में तो कभी सफल नहीं हो सकते।

आज अकाल की बातें सभी करते हैं लेकिन सबसे ज्यादा अकाल कहां है यह देखने की बात है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिये समय बढ़ाना है। बैठक का समय माननीय सदस्य श्री हेमाराम के भाषण की समाप्ति तक के लिये बढ़ाया गया।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री हेमा राम चौधरी : अकाल के बारे में निवेदन करूं, सभी माननीय सदस्य यही निवेदन करते हैं कि हमारे यहां भयंकर अकाल है, लोग भूख से पीड़ित हैं, पीने के पानी की समस्या है। लेकिन अगर सही माने में देखा जाय तो सबसे ज्यादा अकाल पश्चिमी राजस्थान में है जैसलमेर में भी यही स्थिति है, जोधपुर में भी और पश्चिमी राजस्थान में तो लगातार अकाल पड़ रहा है। दो तीन जिले हैं वहां के जो लोग हैं उनको देखें जब बाड़मेर से रवाना होते हैं, जयपुर आते हैं तो जोधपुर से आगे निकलते हैं तो कहीं हरियाली नजर आती है उससे पहले तो कहीं हरियाली नजर ही नहीं आती। इसलिये जहां डबल क्राप एरिया है वहां भी अकाल घोषित होता है और सिंगल

(श्री हेमाराम चौधरी)

काप एरिया में भी अकाल घोषित होता है तो आप एक बात ध्यान में रखें कि जहां कबल काप वाले तो बिजली बिजली चिल्ला रहे हैं, हम कभी बिजली की बात नहीं करते तो जितना पैसा बिजली में खर्च करते हो दूसरी योजनाओं में खर्चा करते हो, सिंचाई की योजना में खर्च कर रहे हो तो हमारे वहां पर अकाल की भयंकर स्थिति है उससे निपटने के लिये वहां पर भी पैसा खर्च करें और उसको ठीक से काम लें जिससे काम भी हो और लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। तो अकाल वह पर पिछले लगातार चार सालों से पड़ रहा है। हमारे जिले में पिछली बार अकाल था, 2025 और 2026 में भी अकाल पड़ा था और यह अकाल चौथा अकाल है इसका बहुत ज्यादा असर लोगों पर पड़ा है, लोगों की माली हालत इतनी खराब हो गई है कि आज उनके पास न तो खाने को अनाज है और नाही उनके पास कोई रोजगार है। उनके जो मवेशी हैं, उसके लिये उनके पास चारा नहीं है। इस तरह उनके मवेशी और उनकी खुद की हालत खराब है। उस हालत को देखते हुए सरकार हमारी तरफ विशेष ध्यान दे। सबकी तरफ ध्यान दे मगर जिसकी जैसी स्थिति है उसको देखते हुए निष्पक्षता से काम करेंगे तो राहत मिल सकती है। वैसे तो अकाल की सभी मांग करते हैं। अकाल के अन्दर किसी तरह से सब गांव अकालग्रस्त घोषित करवा लेते हैं जिससे जो ज्यादा पीड़ित हैं उसको राहत नहीं मिलती है। मेरा यह निवेदन है कि हमारे जिले की अकाल की भयंकर स्थिति है। उससे निपटने के लिए प्राथमिकता देकर हमारे अकाल को दूर करें।

चारे की कमी है। इसके बारे में थोड़ा निवेदन करूं। चारा मिलना मुश्किल है। चारा है भी नहीं। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो सस्ते दालों की दुकान है, जो गौ सेवा संघ के माध्यम से चलाई जाती हैं, वे दालों की दुकानें हमारे जिले में ज्यादा से ज्यादा खोली जावें जिससे राहत मिलती है मवेशी को। ज्यादा मवेशी होती है वे लोग तो बाहर चले जाते हैं लेकिन जिन लोगों ने एक-एक दो-दो, तीन-तीन मवेशी पीछे रखी हैं उनके लिये ये दालें बहुत उपयोगी होंगी। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि दालों की दुकानें हमारे यहां पर ज्यादा से ज्यादा खोली जावें। चारे की बात करते हैं लेकिन चारे का प्रबन्ध करना बहुत कठिन है। दालों का प्रबन्ध करना आसान है। इसको किया जा सकता है। जो बात की जा सकती है उसके लिये सरकार से निवेदन है। सरकार इसकी तरफ विशेष ध्यान दें।

इसलिये मेरा यह निवेदन है कि हमारे जिला बाड़मेर की जो स्थिति है उसको देखते हुए वहां पर पीने के पानी की तरफ सब से ज्यादा विशेष ध्यान दें। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है वह है पीने के पानी की। अगर पीने का पानी उपलब्ध नहीं होता है तो उसको कोई भी दूसरी बात नहीं सूझती है। वहां का इन्सान 30/40 किलोमीटर से पानी लाकर पीता है। उसके लिए बहुत कठिन है। सभी माननीय सदस्य पक्ष, विपक्ष के हरिजनों के हित की बात करते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा, अगर आप हरिजनों का भला चाहते हैं तो वहां पर पीने के पानी का इन्तजाम कर दें। सबसे ज्यादा तकलीफ हरिजनों को है। उनके पास ऊंट नहीं हैं,

(श्री हेमाराम चौधरी)

छकड़ा नहीं है। सबसे ज्यादा उनको परेशानी है। गांव में पीने के पानी की व्यवस्था कर देते हैं, टंकी बनवा देते हैं तो सबसे ज्यादा गरीब आदमी को इसका लाभ होगा। जो साधन सम्पन्न हैं, वे टांका बनवा सकते हैं, ऊंट से या किराये से पानी डलवा सकते हैं, लेकिन वे लोग जिनके पास साधन नहीं है, पैसा नहीं है, उनकी हालत सबसे ज्यादा खराब है। इसलिये मेरा निवेदन है कि वहां पर पीने के पानी की तरफ सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाय। जैसी कि हमारे यहां पर कहावत है: अगर पीने का पानी उपलब्ध हो जावे तो आधो अकाल समाप्त मान्यो जावे। इण वास्ते म्हारो निवेदन है कि अगर पाणी की व्यवस्था सरकार कर दीरावे तो आधो काल तो म्हारो हमेशा के लिए समाप्त हो जावे। आधा अकाल वैसे ही रहता है। सरकार मदद दे, मदद नहीं दे, पीने के पानी की कमी दूर कर दे। हमारे यहां का आदमी पंजाब मजदूरी करने को जाता है लेकिन पीने के पानी की समस्या है उसको देखते हुए वह घर नहीं छोड़ सकता। अपने बच्चों को मवेशी को प्यासा देख कर दूर मजदूरी करने के लिये नहीं जा सकता है। इसलिये मेरा विशेष निवेदन है कि पीने के पानी का स्थाई हल करने के लिये सरकार ज्यादा से ज्यादा खर्च करे।

इतना कहते हुए मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और राजस्थान के अन्दर, बजट के अन्दर प्रावधान है, उसमें हमारे जिले का विशेष ध्यान रखें। सरकार काम करे। विकास हो रहा है जितना पैसा खर्च हो रहा है, काम हो रहा है लेकिन हमारा जिला सीमान्त जिला है, रेगिस्तानी जिला है, अकाल से पीड़ित जिला है उसको मदद दीरावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल दिनांक 26 फरवरी, 1982 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनंतर सदन की कार्यवाही म. प. 5.05 बजे शुक्रवार दिनांक 26 फरवरी, 1982 के म.पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

तारांकित प्रश्न संख्या 65 की सूची

सूची

1.	सीकर	1.	शास्त्री नगर आवासीय योजना।
		2.	देवीपुरा रोड़ योजना।
		3.	जिलाधीश निवास योजना।
		4.	शास्त्री बाजार व्यावसायिक योजना।
2.	बारां	1.	रावण जी का चौक के पास योजना।
		2.	रेलवे स्टेशन के सामने की व्यावसायिक योजना।
		3.	मंगरोल रोड पर पुराने अड्डे की व्यावसायिक योजना।
3.	चूरू	1.	सैनिक बस्ती स्कीम।
		2.	इन्दिरा कालोनी।
		3.	ऊन मिल के पीछे की योजना।
		4.	बस स्टेण्ड स्कीम।
		5.	जौहरी सागर तालाब।
4.	पाली	1.	गांधी नगर (रोटरी नगर)।
		2.	सिंधी कालोनी (पुरुषार्थी नगर)।
		3.	स्टेशन रोड़ व्यावसायिक केन्द्र।
5.	भीलवाड़ा	1.	राधाकृष्णन योजना।
		2.	बापू नगर पार्ट– II योजना।
		3.	ट्रक ट्रान्सपोर्ट।
6.	नाथद्वारा	1.	नेशनल हाईवे स्कीम नं. 8।
		2.	लोढा घाटी योजना।
		3.	तेलियों का तालाब स्कीम।
		4.	नेशनल हाईवे शॉपिंग सेन्टर स्कीम नं. 8।
		5.	सड़क निर्माण बस स्टेण्ड से मन्दिर तक का कार्य।
		6.	सड़क निर्माण बस स्टेण्ड कार्य तेलियों का तालाब।
		7.	यादव बस्ती लिंक रोड।
7.	सुमेरपुर	1.	स्टेट हाईवे मण्डी रोड स्कीम।
		2.	ट्रक ट्रांसपोर्ट बाजार।
8.	बाड़मेर	1.	महावीर नगर पार्ट–II स्कीम।
		2.	शॉपिंग सेन्टर महावीर नगर पार्ट–I।

126

9.	गंगानगर	1.	जवाहर नगर योजना ।
		2.	बस स्टेण्ड शॉपिंग सेन्टर ।
		3.	लिंक रोड निर्माण योजना ।
10.	जैसलमेर	1.	इन्दिरा कालोनी ।
		2.	गांधी नगर विस्तार योजना ।
		3.	रेलवे स्टेशन के सामने की व्यावसायिक योजना ।
		4.	डिब्बूपारा सड़क निर्माण क्षेत्र ।

परिशिष्ट 2

तारांकित प्रश्न संख्या 69 की सूची

जमवारामगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के विद्यालयों की सूची :—

(1) प्राथमिक विद्यालय	–	65
(2) उच्च प्राथमिक विद्यालय	–	25
(3) माध्यमिक विद्यालय	–	9
(4) उच्च माध्यमिक विद्यालय	–	1

(1) प्राथमिक विद्यालय

1. भान्दी
2. बस्सी
3. भगवानपुरा
4. घोरेट
5. रामपुर
6. शंकरपुर
7. सायपुर
8. रासावाला
9. राम्पावाला
10. मयावाला
11. पातालवास
12. नामावाला
13. महगोर
14. फोलीवाड़
15. खरड़
16. गोपालयावास
17. उगेना
18. वीरासना
19. गठवाड़ी
20. रतनपुरा
21. धीरावास
22. केला का वास
23. भजबपुरा
24. धावनवास
25. चारणवास
26. भोजपुरा
27. गेरडीया की ढाणी
28. डोटा डूंगर
29. भानोता
30. रामपुरावास चावण्डिया
31. दौलतपुरा
32. दीपपुरा
33. भावपुरा
34. चावण्डिया
35. जगमालपुरा
36. नागल तुलसी दास
37. डागरवाड़ा खुर्द
38. गुवाड़ी
39. बगरवाड़ी
40. पालेड़ा
41. नारदपुरा
42. चैनपुरा
43. नायला
44. रानियावास
45. कावरिया की ढाणी
46. चावण्ड का मठ
47. शहोरी

48. नयावास
49. गोपालगढ़
50. जमवारामगढ़
51. नरपतियास
52. मतूपपुरा
53. बांदिया वालान
54. घाऊपुरा
55. साऊ

(2) उच्च प्राथमिक विद्यालय

1. डांगरवाड़ा
2. थली
3. घोला
4. बोबाड़ी
5. ताला
6. काली पहाड़ी चारनवास
7. टोडामीना
8. थोलाई
9. नेवरा
10. धूलाराव जी
11. बूझ
12. नटाटा
13. जयचन्दपुरा
14. पापड़
15. महुगी
16. नीमला
17. दूलगढ़
18. लांगड़ीवास
19. सांयपुरा
20. फूटोलाव
21. मालावाला
22 भावनी
23. बासना
24. बहलोड़
25. सानकोटड़ा

(3) माध्यमिक विद्यालय

1. मान्धी
2. भानपुर कलां
3. थावण्डिया
4. घटवाड़ी
5. खोवारानी जी
6. नायला
7. नोनपुरा
8. रायसर
9. साइवाड़

(4) उच्च माध्यमिक विद्यालय

1. जमवारामगढ़

परिशिष्ट 3

तारांकित प्रश्न संख्या 71 का प्रतिवेदन

संचालक मण्डल का प्रतिवेदन

अंशधारी
राजस्थान स्टेट-एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड,
जयपुर।

महानुभाव,

कार्पोरेशन के संचालकगण 31 मार्च, 1981 को समाप्त हुए बारहवें वर्ष के कार्य का प्रतिवेदन अंकेक्षित तुलन-पत्र एवं लेखे सहर्ष प्रस्तुत करते हैं।

(अ) वित्त :

1. अंश पूंजी:–कार्पोरेशन की अधिकृत पूंजी पांच करोड़ रुपये है जो 100-100 रुपयों के समता अंशों में विभाजित है। कार्पोरेशन के केवल दो अंशधारी भारत के राष्ट्रपति और राजस्थान के राज्यपाल हैं। दिनांक 31-3-81 को भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा प्रदत्त अंश पूंजी की स्थिति निम्न प्रकार थी:—

1. भारत सरकार	1,87,77,500 रुपये
2. राजस्थान सरकार	2,05,44,900 रुपये
	3,93,22,400 रुपये

वर्ष 1980–81 में भारत सरकार व राज्य सरकार दोनों से ही अंशदान के रूप में कोई राशि प्राप्त नहीं हुई।

2–6 ऋण : 1 अप्रेल, 1980 को ऋणों के 57.90 लाख रुपये के शेष आगे लाये गये। चालू वर्ष में कार्पोरेशन द्वारा निम्नांकित ऋण लिये गये।

रुपये लाखों में

1. मुख्य मंत्री सहायता कोष से	6.00	(अल्पावधि ऋण)
2. राज. राज्य बीज निगम से	30.00	(अल्पावधि ऋण)

(130)

3. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर से	63.41	(मध्यम अवधि ऋण बुलडोजर्स क्रय करने हेतु)

वर्ष 1980–81 में कार्पोरेशन द्वारा 37.00 लाख रुपये के ऋण का तथा 14.40 लाख रुपये के ब्याज का भुगतान किया गया। दिनांक 31-3-81 को ऋणों की कुल राशि 120.31 लाख रुपये थी।

3. वित्तीय परिणाम :–वर्ष 1980–81 में कार्पोरेशन को 42.12 लाख रुपयों की हानि हुई। पिछले वर्ष से सम्बन्धित प्राप्तियों एवं व्ययों को समायोजित करने एवं चालू वित्तीय वर्ष की हानि को जोड़ने के पश्चात् कार्पोरेशन की संचित हानि 31-3-81 को 84.45 लाख रुपये हो जाती है इसलिये संचालकगण अंशधारियों को किसी प्रकार के लाभांश का प्रस्ताव नहीं करते हैं।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निगम का कुल टर्न ओवर रुपये 928.00 लाख रहा जबकि पिछले वर्ष यह राशि 854.00 लाख रुपये थी। हालांकि निगम को पिछले वर्ष के लाभ रुपये 11.42 लाख के बदले इस वर्ष 42.12 लाख रुपये की हानि हुई है।

4. सार्वजनिक कोष में निगम का योगदान :—सार्वजनिक कोष में कार्पोरेशन द्वारा वर्ष 1980-81 में निम्नलिखित योगदान किया गया :

राजस्थान बिक्री कर	13.43 लाख रुपये
केन्द्रीय बिक्री कर	0.08 लाख रुपये
उत्पादन शुल्क	4.39 लाख रुपये

(ब) कार्पोरेशन की गतिविधियां :—वित्तीय वर्ष 1980-81 के दौरान कार्पोरेशन की गतिविधियों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है।

(1) कृषि उपकरणों का उत्पादन :

– ट्रेक्टर के कलपुर्जे
– टावर मेम्बर्स का निर्माण
– फेंसिंग सामान
– गोबर गैस संयन्त्रों का निर्माण
– अनाज की कोठियों का निर्माण
– ट्रेक्टर चालित सभी प्रकार के कृषि उपकरणों का निर्माण
– कचरा ढोने की ठेलियों का निर्माण
– मैला ढोने की टंकियों का निर्माण
– कचरा पात्र का निर्माण

(2) शहर के कूड़े करकट से कम्पोस्ट खाद का उत्पादन

(3) किराये पर मशीन देने की सेवाएं:–

– बुलडोजरों द्वारा भू-समतल कार्य

(131)

– ट्रैक्टर किराये पर देना

– कम्बाइन हारवेस्टर का प्रयोग

– वाहनों की मरम्मत एवं सर्विसिंग का कार्य

(4) व्यापार :—ट्रैक्टर्स, अतिरिक्त कलपुर्जे, लोहार एवं स्पात, बैट्रीज, फ्यूल–इंजिक्शन मरम्मत, पौध संरक्षण उपकरण, कीटनाशक दवाइयां, खाद, कम्पोस्ट खाद, टायर ट्यूब्स, कांटेदार तार, गार्डन टूल्स, हैण्ड टूल्स, बिजली एवं डीजल से चालित विभिन्न प्रकार के पम्प सैट्स एवं उनकी विविध सामग्री तथा पम्प हाउस (निरीक्षक चौकी)।

(5) कृषि फार्म्स :

(1) कृषि उपकरण : कृषि उपकरण यंत्रालय, जो कि भो-वाड़ा में स्थित है, के द्वारा ट्रैक्टर चालित उपकरणों जैसे डिस्क हैरो, डिस्क प्लाऊज, कल्टीवेटर्स लेवलर्स, ट्रैलर एवं टैंकरों का निर्माण किया जाता है। इसके अतिरिक्त यहां फ्रन्ट एक्सल, रिवगिंग ड्रावर, ट्रैलर कपलिंग एवं 3 पाइण्ट लिंकेज एसेम्बलीज जैसे एच. एम. टी. ट्रैक्टर्स के लिये पुर्जों का निर्माण भी किया जाता है। यंत्रालय द्वारा विविध जाब कार्य जैसे राजस्थान सरकार के वन विभाग के लिये फेन्सिगपोल, विद्युत मण्डल हेतु ट्रान्समिशन टावर तथा जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मण्डल हेतु सी आई. डिटेचवल जोइन्स का भी निर्माण किया जाता है। वर्ष 1980–81 में कृषि उपकरण फैक्ट्री में कुल उत्पादन 59.37 लाख रुपये का हुआ एवं विक्रय 51.84 लाख रुपये का हुआ जबकि पिछले वर्ष कुल उत्पादन 116.87 लाख रुपये एवं विक्रय 115.62 लाख रुपये का रहा। यंत्रालय में पिछले वर्ष की तुलना में कम उत्पादन का मुख्य कारण वर्ष 1980-81 के दौरान बिजली की कटौती का रहा। साथ ही एच. एम. टी. पुर्जों तथा फेन्सिग पोल्स के क्रय आदेशों की भी अत्यधिक कमी रही।

(2) शहरी कूड़े करकट से कम्पोस्ट खाद का उत्पादन : कम्पोस्ट संयंत्र जो ग्राम बृजलालपुरा जिला जयपुर में जुलाई, 1979 से कार्य कर रहा है, शहर के कूड़े करकट से कम्पोस्ट खाद उत्पादन करने हेतु राज्य में लगाया गया प्रथम संयंत्र है। इस संयंत्र द्वारा इस वर्ष में 10,095,445 टन गारबेज प्रोसेस किये गये तथा 3437.7 टन कम्पोस्ट 4.99 लाख रुपये का विक्रय किया गया। पिछले वर्ष की तुलना में कम्पोस्ट की बिक्री बढ़ी है, परन्तु अभी तक संयंत्र की उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाया है। इस हेतु नगर परिषद् जयपुर से कूड़े करकट की निर्धारित मात्रा प्राप्त करने के लिये तथा राज्य सरकार से कम्पोस्ट के यातायात अनुदान के लिये कार्यवाही की जा रही है।

(3) किराये पर मशीन देने की सेवायें : कार्पोरेशन के पास 85 बुलडोजर्स, 18 कम्बाइन हारवेस्टर व 46 ट्रैक्टरों का बेड़ा है जो कि राज्य में एवं राज्य के बाहर कार्यरत है। बुलडोजर्स से इस वर्ष आय 148.24 लाख रुपये रही जबकि पिछले वर्ष यह आय 150.03 लाख रुपये रही। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष 10 बुलडोजर्स और क्रय किये गये थे परन्तु कार्य पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलने से इनसे अपेक्षित आय प्राप्त नहीं हो सकी। ट्रैक्टरों से आय गत वर्ष की आय 4.46 लाख रुपये की तुलना में चालू वर्ष में 3.97 लाख रुपये रही,

(132)

कम्बाइन हारवेस्टरों से आय गत वर्ष की आय 11.38 लाख रुपये की तुलना में चालू वर्ष में 6.06 लाख रुपये रही। इसमें कमी का मुख्य कारण राज्य में अकाल की स्थिति का रहा क्योंकि फसल के अभाव में इन मशीनों को पूर्णरूपेण कार्य नहीं मिल सका।

(4) व्यापार : कार्पोरेशन कृषि उपकरण, लोहा एवं इस्पात, ट्रेक्टर्स, खाद अतिरिक्त कल पुर्जे, पोध संरक्षण, कीटनाशक दवाइयां, पम्प सैट्स, टायर ट्यूब्स, कांटेदार तारों तथा पम्प हाउस का विक्रय कर रहा है। कार्पोरेशन एच. एम. टी. जीटर, हिन्दुस्तान इन्टरनेशनल ट्रेक्टर्स का अधिकृत विक्रेता है। इस गतिविधि से वर्ष 1980-81 एवं में विक्रय 761.73 लाख रुपये का हुआ जो गत वर्ष की तुलना में 86.06 लाख रुपये अधिक रहा।

(5) फार्म्स : कृषि विभाग द्वारा अगस्त, 1976 में व इसके पश्चात् 19 फार्मों को निगम को हस्तान्तरित किया गया था। इन सब का कुल क्षेत्रफल 1521.70 हैक्टेयर निगम के पास था। जिसमें 1087.20 हैक्टेयर क्षेत्र कृषि योग्य था व इसमें से 975.70 हैक्टेयर में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी। परन्तु वर्ष 1979-80 में अधिक उपज वाले फार्म उम्मेदगंज फार्म (कोटा) को, उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर तथा श्रीकरणपुर फार्म (गंगानगर) व सेवर फार्म (जिला भरतपुर) को कृषि विभाग को स्थानान्तरित कर दिया गया। इसके फलस्वरूप 711.80 हैक्टेयर क्षेत्र स्थानान्तरित हो गया। अब निगम के पास केवल 15 फार्म हैं जिनमें केवल 809.90 हैक्टेयर कृषि क्षेत्र रह गया है। इसमें से कृषि योग्य क्षेत्र केवल 694.40 हैक्टेयर ही है। इस वर्ष में अकाल की दशा के कारण खरीफ फसल मात्र 299.69 हैक्टेयर तथा रबी फसल मात्र 366.49 हैक्टेयर में बोई जा सकी है। फार्मों से इस वर्ष मात्र 12.82 लाख रुपये की आय हुई है।

नई परियोजनाएं :

कार्पोरेशन निम्नलिखित परियोजनाओं द्वारा अपने कार्यकलापों का विस्तार कर रहा है :-

1. कम्पोस्ट संयंत्र, जोधपुर : इस संयंत्र का निर्माण कार्य पूरा हो गया है एवं परीक्षण के तौर पर इसका उत्पादन दिसम्बर, 81 में होने की संभावना है।
2. मिल्क कैन संयंत्र : इसके लिये जो मशीनें आयात करनी हैं, उनके लिये आयात लाइसेन्स के लिये आवेदन कर दिया गया है।
3. ऑयल एक्सट्रेक्शन प्लांट : इस प्लान्ट के लिये राज्य सरकार से स्वीकृति अगस्त, 1981 में प्राप्त हुई है। इसके बाद इस प्लान्ट हेतु जमीन खरीद ली गई है तथा मशीनरी खरीदने के लिये अनुबन्ध कर दिये गये हैं।
4. कीटनाशक दवाइयों का संयंत्र : इस परियोजना का अनुमोदन संचालक मंडल द्वारा अपनी 89 वीं बैठक दिनांक 26-9-81 में किया गया तथा अब राज्य सरकार के पास अनुमोदन हेतु भिजवा दिया गया है।

5. भूमि समतल परियोजना का विस्तार : मार्च, 1981 तक इस परियोजना के अन्तर्गत 14 बुलडोजर्स क्रय किये जा चुके थे। इस परियोजना के तहत बाकी बचे 6 बुलडोजर्स का क्रय करने का विचार कार्य में कमी को देखते हुए त्याग दिया गया है। इनके स्थान पर अब 4 मोटोराइज्ड स्क्रेपर्स, 1 पुसर तथा 1 ड्रेग लाइन आदि मशीनें खरीदने का विचार है ताकि भूमि समतल से सम्बन्धित मशीनों की सभी मांगों को पूरा कर लें तथा वर्तमान बेड़े और अधिक सक्षम हो सकें।

कर्मचारी विवरण :—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 2(ए), कम्पनीज (पर्टीकूलर्स आफ एम्प्लायर्स) रूल्स, 1975 के साथ पढ़ने पर, के अन्तर्गत चाही गई सूचना, जो कि इस प्रतिवेदन का एक भाग है, अनुसूची डी.आर.–1 पर उपलब्ध है।

संचालक मण्डल :—सर्व श्री शेरसिंह, मायाराम, मांगीलाल चौधरी, अमरसिंह राठौड़, राजेन्द्र जैन, पी. एन. पनगोत्रा एवं एम.डी. अस्थाना का जिन्हें प्रतिवेदन वर्ष में नियुक्त किया गया है, हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इसके साथ ही कार्यकाल की समाप्ति पर सर्वश्री एस. एल. जोशी, तेज कुमार, एच. डी. बंसल. डा. ए. एच. कालरों, गुरूदीप सिंह एवं श्रीमती कुसुम प्रसाद का भी आभार प्रदर्शित करते हैं, जिन्होंने अपने संचालन काल में मूल्यवान सेवा एवं मार्गदर्शन प्रदान किया।

स्वीकारोक्ति :—संचालकगण इस अवसर का लाभ उठाते हुए कार्पोरेशन के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा प्रतिवेदन वर्ष में किये गये निष्ठावान प्रयासों, दिखाये गये उत्साह के लिये उनकी सेवाओं की प्रशंसा व्यक्त करते हैं। औद्योगिक एवं श्रम सम्बन्ध भी सामान्यतः वर्ष पर्यन्त सौहार्दपूर्ण रहे।

संचालक मण्डल की आज्ञानुसार एवं उनकी ओर से

ह.

(वैद्य भैरूंलाल भारद्वाज)

5–12–81.

अध्यक्ष

अनुसूची—डी-आर-1

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2ए), कम्पनीज (पर्टीकूलर्स आफ एम्प्लाइज) रूल्स, 1975 के साथ पढ़ने पर, के अनुसार सूचना तथा संचालकों के प्रतिवेदन (31 मार्च, 1981 को समाप्त हुए वर्ष के) का अनुभाग

(अ) ऐसे कर्मचारियों का नाम जो कि पूर्ण वित्तीय वर्ष में नियोजित रहे तथा जिनका वेतन 36,000 रुपये वार्षिक से कम न हो–कोई नहीं।

(ब) उन कर्मचारियों के नाम जो कि वित्तीय वर्ष के एक भाग में नियोजित रहे और जिनका कुल वेतन 3000/–रुपये मासिक से कम न हो–कोई नहीं।

परिशिष्ट 4

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

पंचायत समिति सम का विभाजन कर पंचायत समिति फतेहगढ़ का गठन करना

72. श्री अमीन खां (शिव): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से पंचायत समिति सम, जिला जैसलमेर का क्षेत्र सबसे बड़ा है ?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, सम के बड़े क्षेत्रफल के कारण प्रशासन को व जन प्रतिनिधियों को हर समय अनेक कठिनाइयां महसूस होती हैं ?

(3) क्या सरकार सम पंचायत समिति का विभाजन कर एक नई पंचायत समिति फतेहगढ़ का गठन करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

राजस्थान नहर निर्माण-स्टेण्डर्ड एवं सब-स्टेण्डर्ड ईंटों का माप दण्ड

73. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या राजस्थान नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर निर्माण के लिये ईंट भट्टों से काफी ईंटें अस्वीकार की जाती हैं ? यदि हां, तो ईंटों के अस्वीकार किये जाने के क्या मापदण्ड हैं ?

(2) क्या यह सही है कि ऐसी अस्वीकार की गई ईंटें अन्य विभागों को बेची जाती हैं यथा सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपनिवेशन विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ?

(3) ऐसी अस्वीकार की गई ईंटें जो नहर के निर्माण योग्य नहीं मानी जाती उन्हें अन्य विभागों में डिग्गियों के निर्माण हेतु क्यों दी जाती हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। ईंटों को अस्वीकार करने के मापदण्ड सचिव, राजस्थान नहर मण्डल जयपुर के पत्र क्रमांक एफ 4 (93) रानम/60-आई, दिनांक 6/7 जून, 1966 के अनुसार निर्धारित है। प्रतिलिपि संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) ऐसी कोई जानकारी इस विभाग को नहीं है।

From

The Secretary,
Rajasthan Canal Board,
Jaipur.

To,

The Chief Engineer,
Rajasthan Canal Project,
Jaipur.

No. F. 4(93) *RCB/60-I/* *Jaipur* 6/7*th June*, 1966

Sub:—Bricks/Tiles not coming upto specifications found in stocks made by the contractor and offered for acceptance as pucca bricks/tiles.

Sir,

I am directed to refer to your letter No. 65-A/RCP/2126 dt. 7-4-64 on the subject noted above, and to say that the matter has been examined in this office in consultation with the Financial Adviser, R. C. B. and the following procedure based on the suggestions made in your letter is laid down for accounting and use of rejected bricks/tiles on Rajasthan Canal Project:—

1. *Accounting of Rejected Bricks/Tiles*:—At the time of taking over the bricks and tiles from the contractor, the Inspecting Officer, who should not be below the rank of Sub-Divisional Officer, should select one stack in a group of 5 stacks containing 1,000 bricks in each stack. He should open out 20% of the pucca bricks/tiles from the stack and then classify 200 bricks/tiles from the top to bottom in the body of the stacks. During the classification, the rejected stuff sorted out becomes the average which should be applied to all the 5 stacks in that group.

   The rejected bricks/tiles should be entered in the Measurement Book without value and then taken on stock under the nomen clature 'Rejected Tiles/Bricks without value'. No payment should be made to the bricks/tiles supplying contractor for the rejected material.

2. *Use of rejected Bricks/Tiles in lining/Masonry Works.*—The use of rejected bricks/tiles is not permissible in the lining or masonry works either on the Main Canal or Distributaries.

   They may, however, be made use of on unimportant works like ramps, soling, dowl etc.

3. *At what stage all Bricks/Tiles not coming upto Specifications Physically Separated from accepted Material.*—They should be got separated at the kiln itself. Since the lining or masonry works contractor has to handle them individually on transport, they can easily be sorted out at the kiln and the rejected left there.

4. *Whether Lining/Masonry Contractors should be paid for carriage of rejected Bricks/Tiles from kiln to the site of work.*—Since

(136)

such material is to be sorted out and left at the kiln by the lining or masonry contractor himself the question of payment for carriage of such material does not a rise.

5. *Whether Rejected Bricks/Tiles should be included in the total for determination of consumption Materials.*—The rejected bricks/tiles should not be included in the total consumption on lining and masonry works.

6. *In case the rejected Bricks/Tiles are carted to site of work and they are sorted there whether Contractor should account for the same in the form of basis of Bricks/Tiles.*—If inspite of above instructions, the contractor carriages the rejected or likely to be rejected stuff to the site, he is not to be paid for the transport of such stuff. Such material will, however, be properly stocked at work site and taken on returns as material without cost.

I am to request that suitable instructions on the lines indicated above may kindly be issued for guidance of the various project officers, under intimation to this office.

Sd/-

Sumer Singh

Deputy Secretary, R. C. B., Jaipur.

ग्राम ऋषभदेव (उदयपुर) में ऋषभदेव के मंदिर के गहनों का सत्यापन

74. **श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर):** क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर जिले के ऋषभदेव गांव में भगवान ऋषभदेव के मन्दिर के गहनों का सत्यापन 1977 से 1981 तक कब-कब किया गया ? सत्यापन किस-किस अधिकारी ने किया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नवम्बर 1979 में सत्यापन के समय 38 तोले का हार गायब पाया गया था और तभी से सत्यापन का कार्य रोक दिया गया व इस मन्दिर के गहनों का अब तक सत्यापन नहीं हुआ ?

(3) क्या यह सही है वर्ष 1980 से 31 दिसम्बर, 1981 तक मन्दिर में आरती व अन्य सामग्री की चोरी हुई है ? यदि हां, तो किन-किन वस्तुओं की चोरियां हुई ? कृपया चोरी गई वस्तुओं की सूची सदन की मेज पर रखें एवं चोरी की यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई हो, तो उसकी प्रतिलिपि भी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जांच समिति के अधिकारियों के नाम व जांच की तिथियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

ग्राम धूलेव (ऋषभदेव) जी के मन्दिर के भौतिक सत्यापन हेतु गठित अधिकारियों की समिति निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	अधिकारी का पद	भौतिक सत्यापन की अवधि
1.	श्री शिवनारायण तिवारी, विशेषाधिकारी, देवस्थान विभाग, मुख्यावास, उदयपुर	दिनांक 11-10-79, 16-10-79 से 18-10-79, 25-10-79 से 27-10-79, 14-11-79 से 17-11-79 तथा
2.	श्री बृजमोहन शर्मा, सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर	13-12-79 व 7-2-80 से 8-2-80 तथा 13-2-80 से 14-2-80 तक अर्थात् 11-10-79 से 14-2-80 तक
3.	श्री शोभराज मलकान, लेखाधिकारी, देवस्थान विभाग, जयपुर	उपरोक्तानुसार विभिन्न दिनांकों में भौतिक सत्यापन का कार्य सम्पादित किया गया।

इसके अतिरिक्त उक्त अधिकारियों के सहयोग हेतु मन्दिर श्री ऋषभदेव जी के प्रभारी अधिकारी, श्री गोविन्दसिंह चूण्डावत एवं फार्स आफिसर भोपालसिंह भी वक्त भौतिक सत्यापन उपस्थित रहे। राज्य सरकार द्वारा गठित सत्यापन समिति के सदस्यों में एक स्वर्णकार भी दैनिक पारिश्रमिक पर वक्त सत्यापन साथ रहा।

सांचौर में भूमि विकास बैंक की शाखा खोलना

75. श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) व श्री हरिसिंह (फुलेरा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सत्य है कि सांचौर में अभी तक भूमि विकास बैंक की शाखा नहीं खोली गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि सांचौर में भूमि विकास बैंक की शाखा खोलने के सारे आधार मौजूद हैं ?

(3) क्या सरकार अब सांचौर, जिला जालौर में भूमि विकास बैंक जालौर की शीघ्र ही शाखा खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो उक्त बैंक की शाखा सांचौर में कब तक खोल दी जायगी ?

उत्तर

(1) जी हां। सांचौर क्षेत्र में कृषि पुर्नवित्त एवं विकास निगम के द्वारा स्वीकृत कोई योजना क्रियान्वित नहीं की जा रही है। इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना शाखा नहीं खोली जा सकती।

(सहकारिता मंत्री)

(2) जांच की जा रही है।

(3) रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में बैंक से पत्रादि दिनांक 23-2-82 को ही प्राप्त हुये हैं जिनकी जांच की जा रही है। यदि शाखा खोलना उपयुक्त पाया गया तो रिजर्व बैंक को स्वीकृति हेतु सिफारिश की जायगी।

खाद्यान्नों एवं तिलहनों के उत्पादन का लक्ष्य

76. श्री यदुनाथ सिंह (नदबई): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में वर्ष 1981-82 के लिए खाद्यान्नों, दलहन एवं तिलहन की फसलों की उपज के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

(2) राज्य में खाद्यान्न, दलहन एवं तिलहन की फसलों की औसतन प्रति हैक्टेयर पैदावार क्या है ? क्या यह राष्ट्रीय स्तर से नीचे है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) राज्य में खाद्यान्न, दलहन एवं तिलहन की फसलों की प्रतिवर्ष वृद्धि दर क्या है ? क्या यह राष्ट्रीय स्तर से नीचे है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 1981–82 के लिए उत्पादन लक्ष्य खाद्यान्नों का 91.40 लाख टन व तिलहन का 6.90 लाख टन निर्धारित किया गया था, बाद में जलवायु व सिंचाई के सीमित साधनों को देखते हुए लक्ष्यों को पुनः संशोधित कर खाद्यान्न 82 लाख टन, तिलहन 7.10 लाख टन किया गया।

(2) खाद्यान्न, दलहन एवं तिलहन की फसलों की औसतन प्रति हैक्टेयर पैदावार राज्य व राष्ट्र की निम्न प्रकार है :––

(औसत उपज किलो प्रति हैक्टेयर में)

	फसलें	राज्य	राष्ट्र
खाद्यान्न–	1–गेहूं	1865	1649
	2–जौ	1485	1231
	3–मक्का	872	1137
	4–बाजरा	231	466
	5–ज्वार	338	673
दलहन–	1–चना	965	692
	2–खरीफ की दालें	151	381
तिलहन–	1–मूंगफली	600	797
	2–राई व सरसों	615	412
	3–तिल	70	156

(कृषि मंत्री)
खरीफ की फसलों में औसत उपज राष्ट्रीय औसत से कम होने का मुख्य कारण 90 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र का असिंचित होना है जो जलवायु पर निर्भर करता है।

(3) राज्य में खाद्यान्न, दलहन एवं तिलहन की फसलों की वार्षिक वृद्धि दर राष्ट्रीय वृद्धि दर की तुलना में निम्न है :—

	राज्य	राष्ट्र
1–खाद्यान्न	3.6 प्रतिशत	2.77 प्रतिशत
2–दलहन	6.0 ,,	0.54 ,,
3–तिलहन	6.2 ,,	1.62 ,,

राजकीय औषधालय (रानीवाड़ा) के भवन का निर्माण

77. श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रानीवाड़ा राजकीय औषधालय पहले वड़ा गांव प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का एक उपकेन्द्र था जो बाद में क्रमोन्नत कर औषधालय में परिवर्तित किया गया तथा स्टाफ भी पूरा लगा दिया गया था परन्तु अभी तक चिकित्सालय योग्य भवन का निर्माण नहीं किया गया है जिससे मरीजों के बैठने व ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है ?

(2) क्या सरकार द्वारा भवन निर्माण के लिए कोई राशि स्वीकृत की गई है ? यदि हां, तो कार्य क्यों नहीं करवाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं तथा कब तक इस चिकित्सालय के भवन का निर्माण कार्य करवाया जायगा ?

उत्तर

(1) ग्राम रानीवाड़ा जिला जालौर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का एक उपकेन्द्र 1966 से कार्यरत था। वित्तीय वर्ष 1977-78 में एक डिस्पेन्सरी स्वीकृत कर स्टाफ लगाया गया था। भवन व्यवस्था जन सहयोग से ही की जानी थी जो अब भी अपेक्षित है। अभी डिस्पेन्सरी ग्राम पंचायत द्वारा प्रबन्ध किये गये भवन में चल रही है।

(2) जी नहीं। वित्तीय प्रावधान के अभाव में राशि स्वीकृत नहीं की गई। जन सहयोग मिलने पर भवन निर्माण सम्भव होगा।

जिला झालावाड़ के दुधालिया ग्राम में नया पशु चिकित्सालय खोलना

78. श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला झालावाड़ में किन-किन स्थानों पर पशु चिकित्सालय हैं ? कृपया

(१५०)

(श्री बालचन्द आर्यवीर)
सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार डग विधान सभा क्षेत्र में दुधालिया ग्राम में नया पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सूची (क) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) दुधालिया ग्राम में नया पशु चिकित्सालय धनाभाव के कारण खोलना संभव नहीं है। आगामी बजट में प्रावधान पर निर्भर करेगा।

सूची (क)

झालावाड़ जिले में कार्यरत संस्थाओं की सूची

पशु चिकित्सालय:—

1—पशु चिकित्सालय, झालावाड़
2—पशु चिकित्सालय, बकानी
3—पशु चिकित्सालय, असनावर
4—पशु चिकित्सालय, खानपुर
5—पशु चिकित्सालय, अकलेरा
6—पशु चिकित्सालय, डग
7—पशु चिकित्सालय, मनोहर थाना
8—पशु चिकित्सालय, पिड़ावा
9—पशु चिकित्सालय, भवानी मण्डी
10—पशु चिकित्सालय, पचपहाड़

पशु औषधालय—

1—पशु औषधालय, गंगधार
2—पशु औषधालय, सुनेल टप्पा
3—पशु औषधालय, घाटोली
4—पशु औषधालय, झालरापाटन

चल पशु चिकित्सा इकाई—

1—चल पशु चिकित्सा इकाई, झालावाड़

पंचायत समिति नागौर एवं मूण्डवा में भू-गर्भ जल सर्वेक्षण

79. श्री महाराम चौधरी (नागौर): क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति, नागौर एवं मूण्डवा, जिला नागौर में भू-गर्भ जल सर्वेक्षण के आधार पर लघु/सीमान्त काश्तकारों के लिये नलकूप बेधन एवं वर्तमान कुओं के सुधार के लिये कोई योजना बनाई गई है? यदि हां, तो जिन गांवों के लिये योजना बनाई गई है, कृपया उन गांवों के नाम की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ग्राम खींवसर, पंचायत समिति मूण्डवा के लघु/सीमान्त काश्तकारों के लिये नलकूपों का बेधन करने के लिये ऋण आवेदन-पत्र आमन्त्रित किये गये हैं? यदि हां, तो किन-किन काश्तकारों से? कृपया नाम, पिता का नाम व जमीन का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति नागौर एवं मूण्डवा, जिला नागौर में भू-जल सर्वेक्षण के आधार पर लघु/सीमान्त एवं अन्य काश्तकारों के लिए डग-कम बोर वैल, नये कुएं, वर्तमान कुओं को गहरा कराने के लिए एवं पम्प सैट्स के लिए एक लघु सीमान्त योजना बनाई गई है। योजना के अन्तर्गत गांवों की सूची दी जा रही है।

(भू-जल मंत्री)

(2) ग्राम खींवसर पंचायत समिति मूण्डवा में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी कृषकों से जिनमें लघु एवं सीमान्त काश्तकार भी होते हैं, के खेतों पर नलकूप बनाने के लिए आवेदन-पत्र आमन्त्रित किये गये थे। जिनमें अब तक 22 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए। आवेदकों के नाम, पिता/पति का नाम, जमीन के ब्यौरे की सूची दी जा रही है।

लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत आने वाले गांवों की सूची

क्षमता क्षेत्र (ए)

क्र.सं.	गांव का नाम	कोड सं.
(1)	पालडी जोधा	192
(2)	खजवाना	210
(3)	धाधरिया खुर्द	211
(4)	गन्जू	212
(5)	बासनी खालेड़	213
(6)	फिरोजपुर	214
(7)	कुचेरा	215

क्षमता क्षेत्र (बी)

(1)	नागौर	87
(2)	चेनार	128
(3)	अभियासन	131
(4)	ताउसर	132
(5)	पीथेलाव	162
(6)	रामसिया	163
(7)	डोडीवास	164
(8)	अछूताई	165
(9)	इनाणा	166
(10)	खेन	167
(11)	खारडा	168
(12)	सोलीयाना	169
(13)	थिरोड	170
(14)	बिथवाल	171
(15)	खाडलू	172
(16)	शंखवास	183
(17)	खुरखुरा कलां	184
(18)	खुरखुरा खुर्द	185
(19)	जूजान्दा	186
(20)	पालड़ी पिचकिया	188
(21)	मूंडवा	189
(22)	खेड़ा अकबरपुरा	194
(23)	जनाणा	195
(24)	बुमरावता	196
(25)	ग्वालू	197

क्षमता क्षेत्र (सी)

(1)	हरीमा	118
(2)	पीथासिया	119
(3)	सारासनी	120
(4)	खातेलाव	121
(5)	सूरजनीयावाय	122
(7)	गगवाना	123
(7)	सादोका	125
(8)	खींवसर	189

(भू-जल मंत्री)

क्र. सं.	आवेदनकर्ता का नाम	पिता/पति का नाम	जमीन का ब्यौरा	परिणाम
1	2	3	4	5
			बीघा	
1.	श्री मांगीलाल	श्री हरदेव	72॥।)4	सफल
2.	,, जगदीश प्रसाद	,, कन्हैयालाल	1॥।)	सफल
3.ए	,, जोराराम	,, बिरमाराम	60॥।)	सफल
3.बी	,, जोराराम	,, बिरमाराम	60॥।)	असफल
4.	,, प्रेमसिंह	,, सिमरथसिंह	74।)3	अंडर टेस्ट
5.	,, मुल्तानराम	,, घासीराम	72)2	अंडर टेस्ट
6.	,, घोकलराम	,, जगमाल	70)	
7.	,, नन्दकिशोर	,, मुरलीमनोहर	55)	
8.	,, भीकाराम	,, चौथाराम	42)	
9.	,, हेमाराम	,, मांगीलाल	67॥)	
10.	श्रीमती धाप कंवर	,, गुलाबसिंह	93॥।)	
11.	श्री पेमाराम	,, रानाराम	102॥)	
12.	,, गणपतसिंह	,, नाथूसिंह	70)	
13.	,, रामधन	,, पूनाराम	77॥।)3	
14.	,, जवरीलाल	,, हरदेव	67॥)	
15.	,, हरिसिंह	,, पन्नेसिंह	108)1	
16.	,, वली मोहम्मद	,, मोहम्मद बक्षी	49॥।)2	
17.	,, सोहनलाल	,, हस्तीमल	64।)3	
18.	,, जेठाराम	,, मोतीराम	37)	
19.	,, राधाकिशन	,, हजारीमल लखारा	97॥।)1	
20.	श्रीमती राजूदेवी	,, तेजाराम	37॥।)4	
21.	श्री माधोसिंह	,, मल्लाराम	97।)	
22.	श्रीमती केसरदेवी	,, रामनारायण	57)	

मेवाड़ काम्पलेक्स योजना

80. श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) व श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या पर्यटन विभाग ने मेवाड़ काम्पलेक्स की एक योजना भारत सरकार के विचारार्थ भेजी थी, जिस पर सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है ?

(2) योजना के अन्तर्गत कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने के लिये राज्य सरकार ने भारत सरकार को कब-कब लिखा है और भारत सरकार का उत्तर क्या रहा है ? क्या राज्य सरकार उक्त योजना के अन्तर्गत वर्ष 1982-83 में कार्य प्रारम्भ कर देगी ? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि किस-किस स्थान के विकास हेतु स्वीकृत हो चुकी है ? कृपया योजना के प्रारूप की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) अभी तक योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, इस पर भारत सरकार के विभिन्न विभागों में विचार-विमर्श चल रहा है। राज्य सरकार का पर्यटन विभाग भी भारत सरकार के विभिन्न अधिकारियों से समय-समय पर वार्ता करता रहा है। अभी हाल में तत्कालीन पर्यटन राज्य मंत्री व तदुपरांत पर्यटन मंत्री भारत सरकार से भी इस सम्बन्ध में वार्ता हुई थी। तदनुसार मेवाड़ काम्पलेक्स में मोतीमगरी (महाराणा प्रताप स्मारक) स्थल को भी सम्मिलित करने हेतु दिनांक 10 दिसम्बर, 1981 को भारत सरकार के पर्यटन विभाग को निवेदन किया गया। चूंकि अभी योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है अतः किसी स्थल विशेष के विकास के लिये कोई राशि आवंटित नहीं की गयी है। अतः योजना का प्रारूप सदन की मेज पर रखने का प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

विभिन्न वस्तुओं की चुंगी दरों में कमी

81. श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गत वर्ष किन-किन वस्तुओं पर सरकार ने चुंगी कम की थी ?

(2) क्या जिन वस्तुओं पर चुंगी कम की गई थी उनमें टायर भी थे ? यदि हां, तो ऐसी कौन-कौनसी नगरपालिकायें और नगर परिषद् हैं जिन्होंने टायरों पर चुंगी कम नहीं की है ?

उत्तर

(1) गत वर्ष 80-81 में जिन वस्तुओं पर चुंगी कम की गई, उनकी सूची संलग्न है।

(2) जी हां। गत वर्ष राज्य में सिर्फ नगरपालिका नागौर में ही टायरों पर चुंगी कम की गई थी।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

वर्ष 80-81 में राज्य में चुंगी दरों में जिन वस्तुओं पर कमी की गई है; उनकी सूची

नाम नगरपरिषद्/पालिका	नाम वस्तु
1. नगरपरिषद्, उदयपुर	1. आयातित पेस्टीसाइड्स रसायन।
2. नगरपालिका, शिवगंज	1. कपड़ा सभी प्रकार का–सिया हुआ एवं बिना सिया हुआ।
	2. सूत हर प्रकार का जिसमें सूती डोरा शामिल है।
	3. सोंफ, मेंथी, राई, राईडा।
3. नगरपालिका, नागौर	1. रबड़ का सामान जैसे टायर ट्यूबस् आदि।

व्यवस्थापक, जाहोता ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. के यहां छापे में बरामद लेवी की चीनी

82. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : क्या खाद्य एवं रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सच है कि आमेर पंचायत समिति के ग्राम जाहोता में दिनांक 30 दिसम्बर, 1981 को ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. के व्यवस्थापक से जिला रसद अधिकारी द्वारा छापा मारकर लेवी की चीनी जब्त की गई ?

(2) यदि हां, तो कितनी चीनी पकड़ी गई और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) यह इस रूप में सही है कि शिकायत प्राप्त होने पर दिनांक 30-12-81 को ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., जाहोता का प्रवर्तन स्टाफ द्वारा निरीक्षण करवाया गया था। अनियमितता पाये जाने पर लेवी चीनी जब्त की गई थी।

(2) 205 किलो चीनी जब्त की गई। व्यवस्थापक, समिति को दिनांक 23-1-82 को आरोप पत्र वास्ते स्पष्टीकरण दिया गया है। स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर तद्नुसार दोषी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायगी।

पंचायत समिति बस्सी एवं चाकसू में नई प्राथमिक शालाएं

83. श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सच है कि जयपुर जिले की पंचायत समिति बस्सी एवं चाकसू में वर्तमान शिक्षा सत्र में नवीन प्राथमिक शालाएं खोली गई हैं ? यदि हां, तो कौन कौन से विद्यालय खोले गये ?

(2) नवीन प्राथमिक शालाएं राज्य सरकार द्वारा कब स्वीकृत की गईं तथा

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)
पंचायत समिति द्वारा विद्यालय कब खोला गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार द्वारा "स्वीकृत नवीन प्राथमिक शालाओं को खोलने का आदेश शिक्षा विभाग अथवा जिला परिषद् द्वारा आज तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों और इसके लिये कौन दोषी है ?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति बस्सी में पाटनवीड चंमारान तथा पंचायत समिति चाकसू में मालपुरिया व हीरापुरा गांवों में प्राथमिक विद्यालय खोले गये।

(2) पंचायत समिति बस्सी व पंचायत समिति चाकसू में उक्त नवीन प्राथमिक शालायें राज्य सरकार के आदेश दिनांक 21 नवम्बर, 1981 के द्वारा स्वीकृत की गई तथा संबंधित पंचायत समितियों ने तीनों विद्यालय प्रारम्भ कर दिये हैं।

(3) जी नहीं।

नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा रिजर्व प्राइस एवं नीलामी द्वारा बेचे गये भू-खण्ड

84. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सन् 1980 व 1981 में अलवर नगर विकास न्यास द्वारा कितने आवासीय भू-खण्ड "रिजर्व प्राइस" पर आवंटित किये गये एवं कितने भू-खण्ड नीलामी द्वारा बेचे गये ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा आवासीय योजना हेतु 462 भू-खण्ड रिजर्व प्राइस पर आवंटित किये गये एवं 435 भू-खण्ड नीलामी द्वारा बेचे गये। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

1... स्थानीय न्यास द्वारा आवासीय भू-खण्ड रिजर्व प्राइस एवं नीलामी के माध्यम से वर्षवार निम्न योजनाओं में विक्रय किये गये हैं जिसका ब्योरा निम्न प्रकार है :-

वर्ष 1980

1. वर्ष 1980 में रिजर्व प्राइस से निम्न आवासीय भूखण्ड विक्रय किये गये हैं:-

1. स्कीम नं. 8 (फूलबाग)	176	प्लाट्स दिनांक	10-6-80 एवं 16-10-80
2. स्कीम एस. डब्ल्यू. बी.	177	"	"
3. स्कीम नं. 4 (विकास पथ)	9	"	16-10-80
	362		

(146)

(प्रायोजन मंत्री)

2. वर्ष 1980 में जरिये नीलामी में निम्न विक्रय किये गये:—

1.	स्कीम नं. 4 विकास पथ	16 प्लाट्स
2.	स्कीम नं. 5	45 ,,
3.	स्कीम नं. 7	43 ,,
4.	स्कीम नं. 2 सी. ई. बी.	50 ,,
5.	स्कीम नं. 1 सी. ई. बी.	3 ,,
6.	स्कीम नं. 1 आवासीय	1 ,,
7.	स्कीम नं. 8	14 ,,
		172

3. वर्ष 1981 से लॉटरी प्रणाली द्वारा आवासीय भूखण्ड आवंटन किये गये:—

1.	स्कीम नं. 10 (विवेक विहार)	75 प्लाट्स
2.	स्कीम नं. 8 (फूलबाग)	8 ,,
3.	स्कीम नं. 6 क्वाटर्स	17 ,,
		100

4. वर्ष 1981 से ऑक्शन द्वारा निम्न प्लाट्स विक्रय किये गये :–

1.	स्कीम नं. 4	34 प्लाट्स
2.	स्कीम नं. 7	3 ,,
3.	स्कीम नं. 2 सी. ई. बी.	5 ,,
4.	साउथ वेस्ट ब्लाक	60 ,,
5.	स्कीम नं. 8	9 ,,
6.	स्कीम नं. 10 सी.ई.बी.	38 ,,
7.	स्कीम नं. 3	15 ,,
8.	स्कीम नं. 12	17 ,,
		263

कीटनाशक औषधियों के लिये गये नमूने एवं उक्त नमूनों की जांच हेतु प्रयोगशालाएं

85. श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) व श्री हीरालाल आर्य (पीपलदा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मार्च, 1980 से अब तक प्रदेश में कीटनाशक औषधियों के कितने नमूने जांच हेतु लिए गए ?

(2) इन नमूनों में से कितने नमूने जांच करने के पश्चात् निम्न स्तर के सिद्ध हुए ? निम्न स्तर के नमूने किन-किन संस्थानों के थे ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) निम्न स्तर के नमूनों के आधार पर कितने चालान न्यायालय में प्रस्तुत किये गये ? जिन संस्थानों के नमूने निम्न स्तर के पाये गये उनमें किन-किन संस्थानों के चालान किन कारणों से नहीं किये गये ?

(4) प्रदेश में इस प्रकार के नमूनों की जांच करने के लिए कितनी प्रयोगशालाएं हैं और क्या सरकार इनको पर्याप्त समझती है ?

उत्तर

(1) प्रदेश में मार्च, 80 से अब तक 2163 कीटनाशक औषधियों के नमूने जांच हेतु लिए गये जिनमें से कीटनाशक अधिनियम, 1968 एवं कानून के तहत 937 नमूनों का विश्लेषण राजकीय प्रयोगशाला में किया गया।

(2) प्रयोगशाला में इन नमूनों की जांच के पश्चात 239 नमूने निम्न स्तर के घोषित किये गये एवं 5 नमूने कीटनाशक कानून के अनुरूप न होने के कारण रद्द किये गये। यह नमूने प्रदेश एवं अन्य राज्यों के कीटनाशक औषधियों के निर्माणकर्ताओं के थे। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) निम्न स्तर के नमूनों में से अब तक कुल 18 नमूनों के लिए कीटनाशक विक्रेताओं/निर्माताओं के विरुद्ध कीटनाशक अधिनियम की धारा 31 (1) के तहत इन्सेक्टिसाईड इन्सपेक्टरों को न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई। जिनमें से न्यायालय में 13 का चालान प्रस्तुत किया जा चुका है। 4 नमूनों के लिए सम्बन्धित दोषी विक्रेताओं के खिलाफ अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है।

(4) प्रदेश में इस प्रकार के नमूनों की जांच करने के लिए केवल एक प्रयोगशाला, दुर्गापुरा (जयपुर) में स्थित है जिसकी जांच करने की क्षमता केवल 500 नमूने प्रति वर्ष है, जो अपर्याप्त है। अतः जांच के लिए केन्द्रीय प्रयोगशालाओं को भी नमूने भेजे जाने के लिए इन्सपेक्टरों को हिदायतें दी हैं।

(कृषि मंत्री)

M/S. PESTICIDES INDIA, UDAIPUR.

S. No.	Name of Insecticides	Batch Nos.	Samples drawn by	Analysis Report Nos.	Analysis Report Date
1	2	3	4	5	6
1.	Parathion 2%	2528-2	DAO., Jalore	34-35	1-4-80
2.	Paratox 50 EC	412-8	Dy. D. G., Pali	663	26-2-80
3.	Malatox 50 EC	328-8	SMS (PP), Pali	665	26-5-80
4.	Paratox 2%	2586-9	Dy. DAG., Pali	947-48	20-6-80
5.	Paratox 3%	3034-7	Dy. DAG., Pali	951-52	20-6-80
6.	Malatox 5%	24928	Dy. DAG., Extn., Bharatpur	1312-13	23-7-80
7.	Parathion 2%	2229-9	DAO., Jodhpur	1638	26-9-80
8.	Malatox 50 EC	323-8	DAO., Pali	2000	8-10-80
9.	Parathion 2%	2831-9	DAO., Sikar	2080	13-10-80
10.	Mathyl Parathion 2%	2504-9	Dy. DAG (ICDP) Hanumangarh	2128	21-10-80
11.	Malathion 5%	848	-do-	2434	13-11-80
12.	Methyl Parathion 2%	2589-9	-do-	2485	17-11-80
13.	-do-	1595	-do-	2730-31	15-12-80
14.	Paratox 50 EC	664-9	DAO., Pali	2734-35	15-12-80
15.	Aldrin 5%	D06C?	Dy. DAG., Tonk	3853	9-3-81
16.	Chlordane 5%	2252-8	-do-	2962	16-3-81
17.	-do-	2232-2	DAO., Jalore	3959-60	16-3-81
18.	-do-	201D325	Dy. DAG (ICDP); Hanumangarh	4009-10	17-3-81
19.	Chlorotox 5%	201D323	SMS (PP), Hindaun city	3906	17-3-81
20.	Paratox 2%	2519-8	-do-	4041	19-3-81
21.	Malathion 5%	—	Dy. DAG., Jhalawar	113-14	7-4-80
22.	Methyl Parathion 2%	392	Dy. DAG (ICDP), Hanumangarh	2687-88	13-12-80
23.	Chlordane 5%	201D	DAO., Hanumangarh	4010	17-3-81

24.	Methyl Parathion 2%	—	DAO., Hanumangarh	4039	10-3-81
25.	do	2349-8	SMS (PP), Dholpur	4125	25-3-81
26.	Paratox 2%	2545-8	DAO., Jalore	702	27-5-81
27.	do	2553-8	-do-	704	27-5-81
28.	-do-	2325-8.	SMS (PP) Dholpur	2827-28	6-11-81
29.	Chlordane 5%	801D328	Asstt. DAG (C) Sriganganagar	3227-28	4-12-81
30.	Aldrin 5% (Singhal Pesticides C/o Pesticides India, Udaipur):	D0615	APPO., Dausa	3602-3	1-1-82

M/S. SAHAKARI KITNASHAK DAVAI FACTORY, JHOTWARA, JAIPUR.

S. No.	Samples drawn and sent by	Name of Pesticides	Analysis report Nos.	Analysis report Date	Batch Nos.	Stocks held.
1.	DAO., Baran	Malathion 5%	75-76	3-4-80	D-26-26	..
2.	-do-	BHC. 10%	2436	13-11-80	P-23-265	..
3.	Dy. DAG., Tonk	BHC. 10%	2993-94	18-11-81	H-12	..
4.	-do-	BHC. 10%	2889-90	18-11-81	H-7	..
5.	-do-	BHC. 10%	2991-92	18-11-81	H-6	..
6.	SMS (PP), Dausa	Malathion 5%	3712	25-2-81	D-29	260 Kgs.
7.	-do-	Malathion 5%	3714	25-2-81	D-27	670 Kgs.
8.	-do-	Malathion 5%	3716	25-2-81	D-28	490 Kgs.
9.	Dy. DAG., Tonk.	BHC. 10%	3187-80	17-1-81	1-6-87	..
10.	SMS (PP), Dholpur	Malathion 5%	600	21-5-81	L-15-921	..

149

(150)

M/S. GUPTA CHEMICALS, JAIPUR.

S. No.	Samples drawn and sent by	Name of Pesticides	Analysis Report Nos.	Analysis Report Date	Batch Nos.	Stocks held
1.	Dy. DAG., Alwar	Aldrin 30% EC	3871	11-3-81	80585	1.750 Lit.
2.	do	Dimethoate 30% EC	272	25-4-81	80SE 7	6.200 Lit.
3.	Dy. DAG. (ICDP), Hanuman-garh	Aldrin 5%	3205–6	20-1-81	80/4	55 Kgs.
4.	-do-	Aldrin 5%	2341–42	31-1-81	AD/80	145 Kgs.
5.	-do-	Heptachlor 5%	3499-500	9-2-81	21	40 Kgs.
6.	DAO., Jodhpur	BHC. 10%	4156	26-3-81	80-8/10-246	..
7.	Asstt. DAG. (QC), Jaipur	BHC. 5%	826	3-6-81	B/5-36	..
8.	Dy. DAG., Alwar	Aldrin 30 % EC.	3872	11-3-81	80SE5	1-750 Lit.
9.	Dy. DAG. (ICDP), Hanuman-garh	BHC. 10%	1885	3-10-80	339	..
10.	-do-	Heptachlor 5%	3499	9-2-81	21	..
11.	Asstt. DAG. (QC), Ganganagar	Carbaryl 5% WP.	3408-9	14-12-81	81 LW	7.5 Kgs.
12.	Dy. DAG. (ICDP), Hanuman-garh	Heptachlor 5%	3782	26-2-81	..	..

M/S. B.L. INDUSTRIES, JAIPUR

S.No.	Samples drawn and sent by	Name of Pesticides	Analysis report Nos.	Analysis report Date	Batch No.	Stocks held.
1	2	3	4	5	6	7
1.	SMS (PP) Hinduan City	BHC. 10%	1608-9	30-8-80	79-74	..
2.	Sub. DAO., Gangapur City	BHC. 10%	1606	24-9-80	..	900 Kgs.
3.	-do-	BHC. 10%	1608	24-9-80	..	19 kgs.

4.	DAO., Hanumangarh	BHC. 10%	1886	3-10-80	79-51	50 Kgs.
5.	DAO., Sriganganagar	BHC 10%	2649	2-12-80	..	..
6.	-do-	BHC. 5%	2690	12-12-80	..	..
7.	-do-	BHC. 10%	2704	12-12-80	..	..
8.	DAO., JOdpur	BHC. 10%	4160	26-3-81	Not Visible	..
9.	Asstt. DAG., (QC), Jaipur	BHC. 5%	707	27-5-81	81-1	..
10.	DAO., Jalore	BHC. 10%	3884-85	13-3-81	..	100 Kgs.
11.	-do-	BHC. 10%	3225-26	4-12-81	..	500 Kgs.

M/S KRISHNA MINERS AND TRADERS, JAIPUR

S.No.	Samples drawn and sent by	Name of Pesticides	Analysis Report		Batch No.	Stocks held
			Nos.	Date		
1.	Dy.DAG(ICDP), Hanumangarh	Malathion 50% EC.	2494-95	17-11-80	512	65 Lits.
2.	-do-	Aldrin 30% EC.	2382	10-11-81	051	24 Lits.
3.	Dy.DAG., Alwar	Aldrin 30% EC.	3854	9-3-81	053	..
4.	Asstt. DAG.(QC), Srigangr.	Aldrin 5%	3195-96	20-1-81	Not clear	50 Kgs.
5.	Dy. DAG.,(ICDP),Hanumangarh	Malathion 50% EC.	4007-8	17-3-81	512	8 Lits.
6.	Dy. DAG., Alwar	Aldrin 30% EC.	3854-55	9-3-81	053	..

M/S LOTUS PESTICIDES, DADRI (DISTT. PALI)

S.No.	Name of samples & sent by	Name of Pesticides	Analysis Report		Batch No.	Stocks held.
			Nos.	Date		
1	2	3	4	5	6	7
1.	SMS (PP), Gangapur	Aldrin 5%	1367	1-8-80	80ABI	62 Kgs.
2.	DAO., Jalore	Sulphur 85%	1300	22-7-80	7	4.800 MT.

1	2	3	4	5	6	7
3.	Jt. DAG., Jodhpur	Malathion 5%	764	29-5-80	80(M)17	..
4.	Dy. DAG., Pali	Aldrin 30% EC.	1265	18-6-80	..	..
5.	SMS(PP), Pali	Aldrin 5%	1464	7-8-80	..	..
6.	DAO., Nagaur	Malathion 5%	3720	25-2-81	80(M) 17	..
7.	DAO., Jalore	BHC. 10%	3953-54	16-3-81	80BD75	..
8.	DAO., Jodhpur	Malathion 5%	764	29-5-80	80(MD)17	..
9.	APPO., Pali	BHC. 10%	3116-17	25-11-81	81BD103	800 Kgs.
10.	-do-	BHC. 10%	3120-21	25-11-81	81BD106	305 Kgs.
11.	-do-	BHC. 10%	3394-95	14-12-81	803901	1000 Kgs.

M/S. BAYER INDIA

S. No.	Samples drawn and sent by	Name of pesticides	Analysis Reports		Batch Nos.	Stocks held
			Nos.	Date		
1	2	3	4	5	6	7
1.	APPO., Ajmer	Matacid 50 EC	673	26-5-80	9/315	500M.L
2.	Dy. DAG., Alwar	Parathion 2%	2548	20-11-80	Not readable	[illegible]
3.	-do-	Parathion 2%	2685	12-12-80	17073	0.1 Ton.
4.	SMS (PP) Hindaun City	Methyl Parathion 2%	1293	22-8-80	15-33	38-Kgs.
5.	-do-	Folidol 2%	3734	26-2-81	15-33	—
6.	DAO., Jodhpur	Folidol 2%	4158	26-3-81	H-17845	—

M/S. ARTEE MINERALS :

1.	Dy. DAG., Alwar	BHC. 10%	2504	17-11-80	..	..

2.	Dy. DAG., Alwar	Malathion 5%	775	30-5-81	MPD-2	..
3.	SMS (PP) Hindaun City	Malathion 5%	3710	25-2-81	MDP-1	600 Kgs.
4.	Dy. DAG., Alwar.	Malathion 5%	2916–17	31-12-80	M-2	4.585 MT.
	M/S. PRAKASH PULVERSING MILLS, ALWAR. :					
1.	Dy. DAG., Alwar	Malathion 5%	2920–21	31-12-80	14	0.6 MT.
2.	—do—	Ma'athion 5%	2918	31-12-80	15	0.075 MT.
	M/S. CYNAMID INDIA :					
1.	Dy. D. A.G., Bharatpur	Cythion 5%	1314	23-7-80	221	850 Kgs.
2.	DAO., Baran	Cythion 5%	99	7-4-80	824	..
3.	Dy. DAG., Alwar	Malathiqn 5%	779	30-5-81	1021	..
	M/S. RALLIS INDIA :					
1.	Dy. DAG (ICDP) Hanumangarh	Tormax	..	..	..	..
2.	Dy. DAG., Tonk	Chlordane 20% EC	2380	20-11-80	122	3.5 Lit.
3.	DAO., Jalore	Paratox 2%	721	27-5-81	175	25 Kgs.
4.	SMS (PP) Dholpur	Dimethoate 30 EC	2597–98	23-10-81	P–184	..
	M/S. CHAMBAL VALEY CHEMICALS, KOTA :					
1.	DAO., Jalore	BHC. 10%	1874–75	30-9-80	6	850 Kgs.
2.	Dy. DAG., Kota	DDT. 5%	2846–47	24-12-80	11	4.250 MT.
3.	-do-	DDT. 25 % EC.	2848–49	24-12-80	2	120 Lits.
	M/S. BHARAT MINERALS & CHEMICALS INDUSTRIES, ALWAR. :					
1.	Dy. DAG., Tonk	Aldrin 5%	3197–98	20-1-81	6	..

(154)

1	2	3	4	5	6
M/S. HINDUSTAN PULVERSING MILLS, DELHI :					
1. Dy. DAG (ICDP) Hanumangarh	BHC. 5%	2451	13-11-80	A-3619	470 Kgs.
2. Asstt. DAG (QC) Sriganganagar	BHC. 10%	4001	17-2-81	A-1	1.215 Mt.
M/s. CIBA GEIGY :					
1. Dy. DAG., Alwar	Nuvan Monocrotophcs 35% EC.	3052	6-1-81	048	400 Ml.
M/s. VOLTAS LTD., BOMBAY :					
1. Dy. DAG., Tonk	Methyl Parathion 2%	3132	25-11-81	1	100 Kgs.
M/s. SWASTIC CHEMICALS :					
1. Dy. DAG. (ICDP), Hanumangarh	BHC. 10%	144	15-4-81	252	200 Kgs.
M/s. SANDOZ (INDIA), BOMBAY :					
1. APPO. Sriganganagar.	Quinalphcs 25 EC.	3237–38	4-12-81	K/41/1	6 Lits.
M/s. PEARLY INDUSTRIES, BARODA ;					
1. APPO., Sriganganagar.	Malathion 50 EC.	3565–66	28-12-81	11	5 Lits.
M/s. SUNRAY CHEMICALS.					
1. Asstt. DAG. (QC), Sriganganagar	Aldrin 5%	3610–11	1-1-82	40G	45 Kgs.

List of Mis-Branded Pesticides (Name of Manufacturers Limited)

S. No.	Samples from whom sent	Analysis Report Nos.	Analysis Report Date	Name of pesticides found sub-standard
1	2	3	4	5
1.	DAO., Pali	2972	3-1-81	Dimceren 85%
2.	Dy. DAG., Alwar	3053	6-1-81	Nuvacron (Monocrotophos 36%
3.	APPO. C/o. DAO., Dausa	3184	17-1-81	BHC. 10%
4.	Dy. DAG., Tonk	3188	17-1-81	BHC. 10%
5.	Jt. DAG., Shriganganagar	3194	20-1-81	Aldrin 5% DP.
6.	Dy. DAG., Tonk	3198	20-1-81	Aldrin 5%
7.	-do-	3200	20-1-81	Aldrin 5%
8.	APPO, C/o. DAO., Dausa	3202	20-1-81	Aldrin 5%
9.	-do-	3204	20-1-81	Aldrin 5%
10.	DAO (ICDP) Hanumangarh	3206	20-1-81	Aldrin 5%
11.	SMS (PP) Baharatpur	3248	22-1-81	Aldrin 5%
12.	Dy. DAG., (ICDP) Hanumangarh	3342	31-1-81	Aldrin 5%
13.	Asst. DAG (QC.) Ajmer Div. Jp.	3472	23-2-82	BHC. 10%
14.	Dy. DAG (ICDP) Hanumangarh	3500	9-2-81	Heptachlor 5%
15.	Dy. DAG., Alwar	3855	9-3-81	Aldrin 30% EC.
16.	Dy. DAG., Alwar	3872	11-3-81	Aldrin 30% EC.
17.	Dy. DAG., Baharatpur	3780	4-3-81	BHC. 10%
18.	Dy. DAG., Bharatpur	4019	18-3-81	Cythion 5%
19.	SMS (PP) Deeg. Bharatpur	4047	19-3-81	Folidol 2%
20.	-do-	4049	19-3-81	Paratox 2%
21.	SMS(PP) Bharatpur Dholpur	4125	25-3-81	M. Parathion 2%
22.	-do- Dausa	3712	25-2-81	Malathion 5%
23.	-do-	3714	25-2-81	Malathion 5%
24.	-do-	3716	25-2-81	-do-
25.	Asstt. DAG (QC) Ajmer Div. Jp.	4129	25-3-81	BHC. 10%
26.	SMS (PP) Hindaun city	3710	25-3-81	Malathion 5%
27.	-do-	3784	26-2-81	Folidol 2%
28.	Dy. DAO., Gangapur	3778	5-3-81	Aldrin 5%
29.	DAO., S. Madhopur	3994	17-3-81	BHC. 10%
30.	SMS (PP) Hindaun city	3996	17-3-81	Chlorotox 5%
31.	-do-	4041	19-3-81	Paratox 2%

(156)

1	2	3	4	5
32.	Dy. DAG (ICDP) Hanumangarh	3732	26-2-81	Heptachlor 5%
33.	DAO (ICDP) Hanumangarh	4008	17-3-81	Malathion 50% EC.
34.	Dy. DAG., Sriganganagar	4782	4-3-81	BHC. 10% DP.
35.	APPO, C/o. Jt. DAG., Sriganaganagar	4002	17-3-81	BHC. 10%
36.	DAO., Jalore	3954	16-3-81	Chlorotox 5% BHC. 10%
37.	-do-	3960	16-3-81	Chlorotox 5%
38.	DAO., Jodhpur	4157	26-3-81	BHC. 10%
39.	-do-	4152	26-3-81	Folidol 2%
40.	-do-	4161	26-3-81	BHC. 10%
41.	DAO., Nagaur	3720	25-2-81	Malathion 5%
42.	Dy. DAG., Tonk	3853	9-3-81	Aldrin 5%
43.	-do-	3962	16-3-81	Chlordane 5%
44.	DAO., Jhunjhunu	142	15-4-81	BHC. 10%
45.	DAO., ICDP., Hanumangarh	144	15-4-81	BHC. 10%
46.	APPO, C/o. Jt DAG., Sriganganagar	152	15-4-81	BHC. 5%
47.	Asstt. DAG (QC) C/o. Jt. DAG., Jodhpur	187	20-4-81	BHC. 10%
48.	APPO., Banswara	244	22-4-81	Malatox 50 EC.
49.	Dy. DAG., Alwar	273	25-4-81	Dimethoate 30% EC.
50.	SMS (PP) Bharatpur, Deeg	604	21-5-81	Cythion 5%
51.	Dy. DAG., Bharatpur	606	21-5-81	Malathion 50% EC.
52.	DAO., Dausa	499	12-5-81	BHC. 10%
53.	Asstt. DAG., (QC) Ajmer Div. Jaipur	707	27-5-81	DDT. 5%
54.	Jt. DAG., Jodhpur	532	14-5-81	Amthio 25 EC.
55.	Asstt. DAG., (QC) Jt. DAG., Jodhpur	602	21-5-81	Malthion 5
56.	DAO., Jodhpur	610	21-5-81	Cathion 50%
57.	Asstt. DAG (QC) C/o. Jt. DAG Jodhpur	646	23-5-81	Folidol 2%
58.	-do-	609	25-5-81	-do-
59.	DAG., Nagaur	572	18-5-81	Sulphur 85%
60.	-do-	574	18-5-81	-do-
61.	Dy. DAG., Jhalawar	518	12-5-81	Malatox 50 EC.
62.	-do-	520	12-5-81	Malathion 50 EC.
63.	-do-	568	18-5-81	Malathion 5%
64.	Dy. DAG., Tonk	675	25-5-81	Sulphur 9.5%
65.	Jt. DAG., Kota	722	28-5-81	B.H.C. 10%
66.		730	14-5-81	Malathion 5%

(157)

1	2	3	4	5
67.	Dy. DAG., Bharatpur	324-25	29-4-81	BHC. 10%
68.	Dy. DAG., Bhilwara	709	27-5-81	Metasystox 25 EC.
69.	Dy. DAG., Alwar	776	30-5-81	Malathion 5%
70.	-do-	780	30-5-81	Malathion 5%
71.	Dy . DAG., Bharatpur	764	30-5-81	Malathion 5%
72.	SMS (PP) Dausa	768	30-5-81	Malathion 5%
73.	-do-	770	30-5-81	-do-
74.	DAO., Pali	760	30-5-81	Metasystox 25 EC.
75.	DAO., Baran	772	30-5-81	Malathion 5%
76.	-do-	774	30-5-81	Malathion 5%
77.	Asstt. DAG (QC) C/o. Jt. DAG., Kota	766	30-5-81	Sulphur 85%
78.	Dy. DAG., Tonk	574	8-6-81	Methyl Parathion 2%
79.	Asstt.. DAG (QC) C/o. Jt. DAG., Kota	811-12	10-6-81	BHC. 10%
80.	-do-	813-14	10-6-81	BHC. 10%
81.	Asstt. DAG (QC) C/o. Jt. DAG., Sriganganagar	821	3-6-81	BHC. 50% WDP.
82.	Asstt. DAG (QC) -do- Jaipur	827	3-6-81	BHC. 5%
83.	SMS. (PP) Hindaun city	2669-70	26-10-81	Chilorotox 5%
84.	Dy. DAG., Sriganga-nagar	2648-49	24-10-81	Crlaryl 40 EC.
85.	DAG., Nagaur	2673-74	26-10-81	BHC. 10%
86.	Dy. DAG., Pali	2587-88	23-10-81	BHC. 10%
87.	-do-	2632-33	24-10-81	BHC. 10%
88.	-do-	2634-35	24-10-81	BHC. 10%
89.	-do-	2640-41	24-10-81	Malathion 5%
90.	Dy. DAG. Extn., Kan-kroli	2717-18	3-11-81	Chlorotox 20 (Chlordane 20 EC.)
91.	Dy. DAG., Sriganga-nagar	3565-66	28-12-81	Malathion 50% EC.
92.	SMS (PP) Hindaun city	3544-45	26-12-81	BHC. 5%
93.	-do-	3548-49	26-12-81	BHC. 10%
94.	-do-	3550-51	26-12-81	BHC. 5%
95.	Sub. DAO., Sanganer	3494-95	22-12-81	Aldrin 5%
96.	DAO., Dausa	3504-5	22-12-81	BHC. 5%
97.	Sub. DAO (PP) Bahrat-pur	3480-81	22-12-81	Aldrin 5%
98.	SMS (PP) Hindaun city	2687-88	26-10-81	BHC. 10%
99.	Dy. DAG. Extn., Jp.	2805-6	6-11-81	BHC. 10%
100.	Dy. DAG., Sriganga-nagar	2809-10	6-11-81	Mathyl Parathion 2%
101.	DAO., Nagaur	2817-18	6-11-81	-do-
102.	DAO., Nagaur	2819-20	6-11-81	Paratox 2%
103.	Asstt. DAG (QC) Jodhpur	2821-22	6-11-81	Paratox 2%
104.	-do-	2823-24	6-11-81	Paratox 2%

(158)

1	2	3	4	5
105.	Asst. DAG.. (QC) Jodhpur	2825-26	6-11-81	Mathyl Parathion 2%
106.	SMS (PP) Hindaun city Dholpur	2829-30	6-11-81	Paratox 2%
107.	-do-	2891-92	6-11-81	Methyl Parathion 2%
108.	DAO., Dausa	2850-51	6-11-81	BHC. 10%
109.	Insetcticides Inspector, Raisinghnagar	2909-10	17-11-81	Sevimol 40% EC.
110.	Jt. DAG,. Sriganagnagar	2913-14	17-11-81	Moncerotohpos 36 EC.
111.	Dy. DAG., Sriganaga-nagar	2915-16	17-11-81	Carbaryl 40%
112.	Dy. DAG., Kankroli	2955-56	18-11-81	Rogor 30 EC.
113.	SMS (PP) C/o Sub DAO., Bharatpur	2963-64	18-11-81	Phorate 10 G.
114.	SMS (PP) Hindaun city	2969-70	18-11-80	BHC. 10%
115.	Asstt. DAG (QC) Jodhpur	2979-80	18-11-81	BHC. 10%
116.	DAO., Jalore	2981-82	18-11-81	Methyl Parathion 2%
117.	-do-	2983-84	18-11-81	-do-
118.	Dy. DAG., Tonk	2989-90	18-11-81	BHC. 10%
119.	-do-	2991-92	18-11-81	BHC. 10%
120.	-do-	2993-94	18-11-81	BHC. 10%
121.	Jt. DAG., Sriganganagar	3080-81	25-11-81	M. Parathion 2%
122.	Dy. DAG., Alwar	3110-11	25-11-81	BHC. 10%
123.	Dy. DAG., Tonk	3132-33	25-11-81	M. Parathion 2%
124.	DAO., Dausa	3136-37	25-11-81	BHC. 10%
125.	DAO., Dausa	3138-39	25-11-81	BHC. 10%
126.	Dy. DAG., Kankroly	3221-22	4-12-81	Novecan 100 EC (DDVP) 76%
127.	Asst. DAG., (QC) C/o. J.T.DAG., Sriganganagar	3610-11	1-1-81	Aldrin 5%
128.	DAO., Dausa	3678-79	15-1-82	BHC. 10%

जयपुर नगर में विकास न्यास द्वारा अधिग्रहीत भूमि

86. श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर नगर विकास न्यास द्वारा जयपुर शहर में किन-किन लोगों की कितनी-कितनी भूमि पिछले दो वर्षों में अधिग्रहीत करने की कार्यवाही की जा चुकी है? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उस भूमि को पुनः अधिग्रहण से मुक्त करना चाहती है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) जयपुर नगर विकास न्यास द्वारा पिछले दो वर्षों में जिन लोगों की भूमि अधिग्रहीत की जा चुकी है उनकी सूची (अ) व (ब) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जो भूमि अधिग्रहण की जा चुकी है, उसको अधिग्रहण से मुक्त करने का प्रश्न पैदा नहीं होता है।

(159)

तालिका (अ)

विवरण

क्र. सं.	भूमि जहां स्थित है	नाम तहसील	खसरा नं.	रकबा बीघा	बिस्वा	नाम खातेदार व अन्य हितधारी	रकबा किया जो अवाप्त गया बीघा	बिस्वा	वि. वि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	बीड़ सरकारी	जयपुर	168/2/2	5	13	ज्वाला प्रसाद शर्मा पुत्र श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भगवान दास रोड, जयपुर 1/2	5	13	
	,,	,,	173/1/2	19	00		19	00	
			173/1/1	4	00	उम्मेदसिंह पुत्र देवीसिंह 1/2	4	00	
			184/2	15	14	राजपूत साकिन जयपुर	15	14	
2.	,,	,,	172/1	50	00	मदन मोहन ब्राह्मण हिस्सा 1/2 श्रीमती लक्ष्मी देवी धर्म पत्नी मनमोहन कौशिक सांगाजी का रास्ता, किशनपोल बाजार, जयपुर हि. 1/2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	बीड़. सरकारी	जयपुर	18/173/1	18	00	श्री लालू पुत्र चिरंजीलाल (सी स्कीम, जयपुर)	18	00	
4.	,,	,,	173/2/1	17	00	हरिसिंह पुत्र बजरंगसिंह राजपूत साकिन जौहरी बाजार, जयपुर	17	00	
5.	,,	,,	173/1/1	4	17	नरेन्द्र पुत्र बृज मोहन ब्राह्मण साकिन, देह	4	17	
			174/2/1	6	05		6	05	
			176/1	2	06		2	06	
			184/3	1	12		1	12	
6.	,,	,,	174/2	10	04	श्रीमती गीतादेवी धर्म पत्नी	10	04	
			174/2 मिन	4	16	श्री रामचन्द शर्मा बनी पार्क व श्रीमती सुशीला देवी पत्नी कासी नारायण शर्मा, पुरानी बस्ती, जयपुर	4	16	
7.	,,	,,	174/2/2	22	00	रामगोपाल पुत्र श्री नारायण ब्राह्मण साकिन दरीबापान, जयपुर	22	00	
8.	,,	,,	174/2 मिन	23	00	गंगासहाय पुत्र धन्नालाल महाजन साकिन, जयपुर	23	00	
9.	,,	,,	177	13	00	ईश्वर पुत्र हरदेव कोम माली साकिन, देह	13	00	

10.	,,	,,	178	5	00	मदन लाल पुत्र चोथमल साकिन, देह ब्राह्मण	5	00	
11.	,,	,,	180	4	10	भौंरिया चोथ्या गोपाल पिता बलदेव कोम माली साकिन, देह हि. बराबर	4	10	नामान्तरकरण सं. 89 के जरिये श्री जयकिशन बालाजी के नाम भूमि हो चुकी है।
12.	,,	,,	183	3	13	पांचू पुत्र श्योबक्स कौम ब्राह्मण साकिन, देह	3	13	
13.	,,	,,	186/2	15	00	जैमस एम. राम पुत्र शिम्भुराम ईसाई साकिन, देह	15	00	
14.	,,	,,	187	11	07	नातू लाल पुत्र सेडूराम बागड़ा	11	07	
			188	3	03	ब्राह्मण प्लाट नं. 38 बनीपार्क	3	03	
			189	0	06	टैगोर पथ, जयपुर	0	06	
			190	3	11		3	11	
			191	4	19		4	19	
			198	3	15		3	15	
15.	,,	,,	192	5	13	गोपाल पुत्र गणेश कौम कुम्हार साकिन, देह	5	13	
16.	,,	,,	193	13	03	ग्यारसा पुत्र बलदेव कौम कुम्हार	13	03	

(162)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	बीड़ सरकारी	जयपुर	194	0	05	रामपाल पुत्र सालगा	0	05	
	,,	,,	195	32	03	गिरधारी पुत्र महादेव कौम मीणा सा., देह	32	03	
18.	,,	,,	196/1	4	00	अर्जुन सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह राजपूत	4	00	
19.	,,	,,	196/2	4	00	गोपाल सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह राजपूत	4	00	
20.	,,	,,	196/3	4	00	मदन सिंह पुत्र भंवर सिंह राजपूत	4	00	
21.	,,	,,	196/4	2	16	माधोसिंह पुत्र वीरसिंह हि. 1/2 शिवदान सिंह पुत्र उमराव सिंह 1/2 राजपूत	2	16	
22.	,,	,,	204/2	9	00	श्रीमति रूप कंवर बेवा देवीसिंह व भवानी सिंह पुत्र देवी सिंह राजपूत हि.	9	00	
			205/1	6	00	बराबर साकिन, जयपुर	6	00	
23.	,,	,,	206	5	00	गिरधर कंवर पुत्री ठा. देवी सिंह	5	00	
			207	5	00	राजपूत इन्द्रा कालोनी नं 44,	5	00	
			208	5	00	जयपुर	5	00	
			223	2	15		2	15	
			209	16	02	काना पुत्र डालू कुम्हार साकिन, देह	16	02	

24.	"	"	211	4	00	अटलविहारी पुत्र गोविन्द नारायण पारीक इन्द्रा कालोनी प्लाट नं. 21, जयपुर	4	00
25.	"	"	212	4	00	राम पाल पुत्र सुजा माली	2	00
			221	8	15		8	15
			226	0	07		0	07
26.	"	"	213	9	14	पृथ्वी सिंह पुत्र उगमसिंह राजपूत	9	14
			214	5	05	हाथी बाबू रोड बनीपार्क, जयपुर	5	05
			215/1/1	07	02		07	02
27.	"	"	216	8	03		8	03
			228	0	17	फतेहराम पुत्र गणेशराम कोम माली सा., देह	0	17
28.	"	"	217	4	12	श्रीमति जतन देवी पत्नि देवी सिंह राजपूत एम.आई.रोड, जयपुर	4	12
29.	"	"	219	4	06	देवा पुत्र भूरया कोम माली सा., देह	4	06
			229	0	05		0	05
30.	"	"	220	8	04	प्रताप पुत्र गंगाबक्श सा., देह ब्राह्मण	8	04
31.	"	"	224	4	00	गुल्ला पुत्र भैरू माली	4	00
32.	"	"	225	4	06	लाल पुत्र सेडू राम यादव सा., देह	4	06
33.	"	"	227	0	10	कोका वेवा सालगा माली सा., देह	0	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34.	बीड़ सरकारी	जयपुर	184/233	18	05	सेडू पुत्र खेमा माली सा.; देह	18	05	
35.	"	"	17	1	00	प्रेमदास चेला शियारामदास सन्त रामा शम्भू दास सा., देह	1	00	
36.	"	"	16	14	05	दी जयपुर मेटल एवं विद्युत् कर्मचारी सहकारी समिति लि.	–	–	
37.	"	"	24	03	19	विरेन्द्रसिंह, बहादुरसिंह, पुष्पेन्द्र-	3	19	
			25	3	15	सिंह पि. रणजीतसिंह राजपूत	3	15	
			28	0	01	सा., देह	0	01	
			29	19	01		19	01	
38.	"	"	26	4	10	लक्ष्मीनारायण पुत्र किशना	4	10	
39.	"	"	27	4	00	कुम्हार सा., देह	4	00	
			30	3	12	चौगान मोहर विरधीचन्द	3	12	
			31	6	08	लक्ष्मीनारायण पि. किशना माली,	6	08	
			32	0	03	सा., देह हिस्सा बराबर	0	03	
			33	0	04		0	04	
			34	1	07		1	07	
			35	0	15		0	15	
			36	0	03		0	03	
			37	0	12		0	12	

			38	0	06		0	06
			39	0	10		0	10
			40	1	11		1	11
40.	„	„	162	4	05	श्योबक्स हनुमान पि. चुन्नीलाल माली साकिन, देह	4	05
41.	„	„	163/1	4	17	कन्हैयालाल पुत्र भंवरलाल	4	17
			163/2	0	01	कुम्हार सा., देह	0	01
			164	1	10		1	10
42.	„	„	165	1	01	कन्हैयालाल पुत्र भंवरलाल	1	01
			222	4	05	कुम्हार सा., देह	4	05
						गणेश पुत्र लादू माली सा., देह		
43.	परसरामपुरा	„	22	0	08	मुरलीधर पुत्र विजयलाल	0	08
			23	6	06	ब्राह्मण सा., देह	6	06
			24					
			25	0	02		0	02
			26	2	11		2	11
			27	0	12		0	12
			28					
			29	0	11		0	11
			27/65	0	04		0	04

1	2	3	4	5	6	7	3	9	10
			40	1	04		1	04	
			42	1	06		1	06	
			43	1	03		1	03	
			44, 45	1	06		1	06	
			46	0	03		0	03	
			23/61	1	10		1	10	
44.	परसरामपुरा	जयपुर	51, 52	2	00	शिशराम पुत्र गंगाराम, विजेन्द्र कुमार पुत्र शिवदानसिंह जाट 3/4 श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र भूराराम जाट, विजयसिंह पुत्र महतावसिंह राजपूत, गोपालकृष्ण पुत्र बंशीधर महाजन हि. 1/4	2	00	
45.	किशन बाग	जयपुर	69	0	12	फतेहराम भैंरू पि. गणेश जाति माली सा., देह खातेदार	0	12	
			70	1	12		1	12	
			72	4	08		4	08	

			75	1	02		1	02
			76	1	01		1	01
			77	0	01		0	01
			78	1	00		1	00
46.	,,	,,	73	0	05	देवीलाल पुत्र भूंथा कौम माली सा., देह गैर खातेदार	0	05
			74	1	11		1	11
			80	0	02		0	02
			81	0	06		0	06
			82	1	02		1	02
			83	0	09		0	09
47.	,,	,,	84	1	15	प्रभु नारायण पुत्र गणेश कौम माली गैर खातेदार	1	15
			87	2	13		2	13
			88	0	11		0	11
48.	,,	,,	85	1	04	चेना पुत्र प्रताप कौम माली साकिन, देह गैर खातेदार	1	04
			86	1	07		1	07
			89	1	02		1	02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49.	किशनबाग	जयपुर	92	2	00	प्रताप पुत्र गंगाबक्श कौम माली	2	00	
			93	2	06	साकिन, देह खातेदार	2	06	
			94	0	05		0	05	
			95	1	12		1	12	
						कुल योग:	593 बीघा 16 बिस्वा		

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

ह०/

(जे. के. जैन)

उप शासन सचिव ।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि इस विज्ञप्ति को राजस्थान राज-पत्र के असाधारण अंक में छपवाने के लिये अधीक्षक; राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को आदेश जारी करने का कष्ट करें।
2. अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर के पास भेजकर लेख है कि उपरोक्त विज्ञप्ति को राज-पत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें व विज्ञप्ति की पांच प्रतियां इस विभाग को भिजवायें।
3. भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगर विकास योजनायें, जयपुर।
4. सचिव, नगर विकास न्यास, जयपुर।
5. रक्षा पत्रावली।

सहायक विधि प्रारूपकार

तालिका "ब"

1. गत दो वर्षों में कब्जे प्राप्त की गई भूमि का विवरण :—

क्रम सं.	नाम हितधारी	ग्राम	रकबा बीघा	बिस्वा	योजना
1.	रामप्रताप पुत्र सूजन श्रवण, धन्ना पुत्रान श्री सूजन	रामपुरारूपा	10	00	लालकोठी
2.	चन्द्र प्रकाश पुत्र स्व. श्री विष्णुदत्त शर्मा	चैनपुरा	5	00	बजाजनगर से हवाई पट्टी
3.	श्रीमती प्रेम लता जैन	चैनपुरा	00	10	"
4.	तरुण सहकारी उद्योग	दुर्गापुरा	01	02	"
5.	जय अम्बे गृह निर्माण सहकारी समिति	चैनपुरा	04	05	"
6.	इन्द्रपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति	रामपुरारूपा	01	00	लालकोठी
7.	श्रीमती कमला देवी	रामजीपुरा	05	00	बजाजनगर से हवाईपट्टी
8.	श्रीमती माणक देवी	चकसुदर्शनपुरा	01	1½	"
9.	श्री छोटेलाल	भोजपुरा चक सुदर्शनपुरा	08	03	लालकोठी
10.	श्री राधेश्याम	चकसुदर्शनपुरा	04	01	"

निम्बी-जोधा बस स्टेण्ड से बाई पास रोड का निर्माण कार्य

87. श्री रामधन (लाडनूं) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि निम्बीजोधा-बस स्टेण्ड से बाई पास रोड तक की कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा करीब 31,000/–रुपये का अनुमानित निर्माण कार्य बताया गया था? क्या इस सड़क निर्माण कार्य पर स्वीकृत राशि से ज्यादा रुपये खर्च हुए? यदि हां, तो कितना तथा क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त सड़क निर्माण कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ

(श्री रामधन)

है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) काम के बदले अनाज योजना (अकाल राहत) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत निम्बी-जोधा में बाजार से बस स्टेण्ड व हाई स्कूल से पंचायत भवन होती हुई मेन रोड का तकमना 32,500) रु. बनाया गया था। जिलाधीश द्वारा 32,494) रु. की स्वीकृति दी गई थी। इस कार्य पर कुल 33,291.23 रुपये व्यय हुए हैं। कुल 797.23 रु. अधिक व्यय हुए हैं। इस सड़क पर डामर डलवाया जाना प्रस्तावित है। इसके लिये सड़क के दोनों ओर कंकरीट व बजरी डलवाये जाने के कारण अधिक व्यय हुआ है।

(2) जी हां। इस सड़क पर पंचायत द्वारा डामर डलवाया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में कुटाई का काम पूर्ण हो चुका है। डामर उपलब्ध न होने से कार्य अपूर्ण है। डामर उपलब्ध होते ही कार्य पूर्ण करा दिया जावेगा।

औद्योगिक क्षेत्र में सहकारी क्षेत्र की विनियोजित पूंजी

88. श्री केसरीचन्द चौधरी (किशनगढ़) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र में सहकारी क्षेत्र की कितनी कुल पूंजी अब तक विनियोजित हुई है ?

(2) छठी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक क्षेत्र में कितनी पूंजी का विनियोजन करने की व्यवस्था है ?

उत्तर

(1) 30 जून, 1981 को राज्य में 1767.62 लाख रुपये पूंजी विनियोजित थी।

(2) छठी पंचवर्षीय योजना में सहकारिता के क्षेत्र में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाइयों पर राजकीय 281.51 लाख एवं सेन्ट्रल सेक्टर में 1001.61 लाख की पूंजी विनियोजित करने का लक्ष्य रखा गया है।

पाली जिले में शिक्षकों के स्थानान्तरण

89. श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सरकार द्वारा स्थानान्तरण नीति बनाने के बाद पाली जिले में कितने अध्यापकों के स्थानान्तरण किये गये ?

(2) क्या ये सभी स्थानान्तरण बनाई गई नीति के अनुरूप ही किये गये हैं ?

(3) अध्यापक श्री जबर सिंह, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, दुदौड़ का स्थानान्तरण किन आदेशों के तहत व किस कारण से किया गया ?

उत्तर

(1) पाली जिले में इस सत्र में 63 द्वितीय श्रेणी अध्यापकों एवं 210 तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानान्तरण किये गये हैं।

(2) जी हां।

(3) शिक्षा निदेशालय, बीकानेर के आदेशानुसार प्रशासनिक कारणों से श्री जबर-

(शिक्षा मंत्री)

सिंह का स्थानान्तरण दुदौड़ से किया गया था। किन्तु अध्यापक के नाम के बारे में त्रुटि होने के कारण जिला शिक्षा अधिकारी, पाली द्वारा निदेशालय से जानकारी प्राप्त की जा रही है।

ग्राम दोपई (बसेड़ी) की शाला में अध्यापकों का पदस्थापन

90. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति बसेड़ी के ग्राम दोपई में 200 छात्रों के स्कूल में एक भी अध्यापक माह अगस्त, 1981 से जनवरी, 1982 तक नहीं रहा ?

(2) यदि हां, तो इसके लिये कौन दोषी है और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) जी नहीं। दो अध्यापक कार्यरत हैं।

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

रिक्लेमेशन आफ लैण्ड प्रोग्राम के अन्तर्गत किसानों को अनुदान

91. श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल), श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) व श्री माधवसिंह दीवान (सोजत): क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि डी. पी. ए. पी. प्रोग्राम के तहत रिक्लेमेशन आफ लैण्ड का प्रोग्राम भी रखा गया है तथा यह कार्य करने वाले किसानों को सरकार द्वारा अनुदान भी दिया जाता है? यदि हां, तो अनुदान देने का क्या आधार है? पिछले पांच वर्षों में इस मद में कितना व्यय किया गया है?

(2) क्या यह सही है कि पश्चिमी राजस्थान में कई जगहों पर क्षारीय तथा अम्लीय भूमि है जिसे रि-क्लेम करने हेतु जिप्सम का प्रयोग किया जाना चाहिये? यदि हां, तो पाली, जालौर व जोधपुर जिले में पिछले पांच वर्षों में इस कार्य के तहत विभाग द्वारा कितना खर्च किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) डी.पी.ए.पी. कार्यक्रम के अन्तर्गत केवल अम्लीय व क्षारीय भूमि सुधार के रिक्लेमेशन आफ लैण्ड का प्रोग्राम मान्य है। इस प्रकार की भूमि पर 50% अनुदान देय है। अब तक इस कार्य पर कोई राशि खर्च नहीं की गई है।

(2) यह सही है कि पश्चिमी राजस्थान में कई जगह अम्लीय तथा क्षारीय भूमि है। यह सही है कि क्षारीय तथा अम्लीय भूमि के रि-क्लेमेशन के लिए जिप्सम का प्रयोग भी एक विधि है। वर्ष 81-82 में इस प्रकार की भूमि के सुधार हेतु जोधपुर के बिलाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में भू-सर्वेक्षण करवाया जा रहा है तथा इसी प्रकार पाली जिले की सोजत पंचायत समिति में भी सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। जालौर में अभी सर्वेक्षण इकाई के न होने से अम्लीय व क्षारीय भूमि पर सर्वेक्षण करना संभव नहीं हुआ है।

(172)

ग्राम दाउदपुर में अलवर नगर विकास न्यास द्वारा अवाप्त भूमि का मुआवजा

92. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला अलवर के ग्राम दाउदपुर में स्थित करीब 85 बीघा जमीन नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा करीब 3 साल पहले अवाप्त की गई थी ?

(2) क्या यह जमीन चार मन्दिरों की भोग खर्च हेतु खातेदारी की है परन्तु उनको कोई मुआवजा नहीं दिया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि इस जमीन का मुआवजा जिन व्यक्तियों को दिया गया है उनमें से कुछ मर गये थे ? जिनको मुआवजा दिया गया कृपया उनकी सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या सरकार ने इसकी जांच कराई है कि यह मुआवजा सही खातेदारों को न देकर सरकार की आज्ञा के खिलाफ अन्य व्यक्तियों को दिया गया है, ? यदि हां, तो इसके लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) नगर विकास न्यास, अलवर के अभ्यावेदन पर राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1976 व 1977 में नार्थ ईस्ट एक्सटेन्शन ब्लॉक योजना अलवर हेतु ग्राम दाउदपुर की लगभग 295 बीघा 5 बिस्वा भूमि अवाप्त की गई थी ।

(2) उक्त अवाप्त की गई भूमि में लगभग 85 बीघा जमीन भोग खर्च मूर्ति मन्दिर से सम्बन्धित थी किन्तु जमाबन्दी के अनुसार खातेदार अन्य व्यक्ति थे । जिन्हें मुआवजा दिया गया है ।

(3) जिन खातेदारों/काश्तकारों से अनुबन्ध निष्पादित किया गया था, उन्हीं को अकाउन्ट पेई चैक्स द्वारा मुआवजा भुगतान किया गया था । मुआवजा जिन खातेदारों को भुगतान किया गया है सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(4) मुआवजा का भुगतान राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 6(43)टीपी/74, दिनांक 29-12-78 की अनुपालना में खातेदार/काश्तकारों को ही दिया गया है । राज्य सरकार के आदेश की कोई अवहेलना नहीं की गई है । राज्य सरकार द्वारा विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा जांच कराने के आदेश दिये थे । जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

कार्यालय विशेषाधिकारी नगरीय वि. एवं आवासन विभाग, अलवर

सूची-काश्तकार

क्र.सं.	नाम काश्तकार	रकबा बीघा बिस्वा	मुआवजे की राशि
1.	श्री भल्लु पुत्र भुका राम माली	5–18	60,750.00
2.	श्री शेर मोहम्मद पुत्र श्री सुलेमान	2–11	25,500.00
3.	श्री बुधा पुत्र भुवमाली	1–18	20,100.00
4.	श्री सम्पत पुत्र श्री भुवा माली	1–18	21,100.00
5.	श्री शुक्ल पुत्र श्री खैराती माली	4–18	45,900.00
6.	श्री चन्दर पुत्र बुधा चमार	5–13	56,500.00
7.	श्री लक्ष्मण पुत्र केशाराम माली	1–16	21,600.00
8.	श्री चुन्ना पुत्र फुन्दा चमार	6–03	61,500.00
9.	श्री तोतु पुत्र तुलसा मोजू पुत्र गंगाराम	6–18	69,000.00
10.	श्री रामबक्स पुत्र मम्मड़ मोजू पुत्र गंगाराम	2–05	22,500.00
11.	श्री गणेश पुत्र ग्यारसा, मम्मु पुत्र मम्मा	6–03	61,800.00
12.	श्री मोजू पुत्र गंगाराम	5–10	55,000.00
13.	श्री रामबक्स पुत्र मम्मड़	3–10	35,000.00
14.	श्री धुन्दल पुत्र मम्मड़ चमार	2–00	20,000.00
15.	श्री गणेश पुत्र ग्यारसा माली	7–13	82,000.00
16.	श्री नारायण बद्रीप्रसाद किशनलाल लालचन्द पुत्र हरगोविन्द माली	13–08	1,34,000.00
17.	श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री रामचन्द्र	1–02	11,000.00

(174)

जयपुर नगर की सीमा एवं मास्टर प्लान

93. श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर नगर की सीमा में नगर से कितनी दूरी तक की भूमि सम्मिलित की गई है ?

(2) क्या जयपुर नगर का मास्टर प्लान बन गया है ? यदि हां, तो कृपया उसका ब्लू प्रिन्ट सदन की मेज पर रखें। नहीं, तो कब तक बन जायगा ?

(3) क्या अनाज व सब्जी मण्डी, कॉलेज, स्वास्थ्य सेवायें आदि का घनी आबादी क्षेत्र से बाहर स्थानान्तरण करने की योजना है ?

उत्तर

(1) जयपुर नगर के मास्टर प्लान में भूमि निम्नलिखित सीमा के अनुसार सम्मिलित की गई है :-

1. अजमेर रोड (एनएच-8) नगर परिषद् सीमा से 3 मील आगे तक।

2. कालवाड़ रोड जयपुर नगर परिषद् सीमा से 2 मील आगे तक।

3. सीकर रोड नगर परिषद् सीमा से 2 मील आगे तक।

4. आमेर रोड (एनएच-8) जयपुर नगर परिषद् सीमा से 4 मील आगे तक।

5. आगरा रोड जयपुर नगर परिषद् की सीमा तक।

6. टौंक रोड जयपुर नगर परिषद की सीमा से 3 मील आगे तक।

(2) जी हां। जयपुर नगर का मास्टर प्लान बन गया है ब्लू प्रिन्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) मास्टर प्लान में वर्तमान अनाज मंडियों एवं सब्जी मंडियों को घनी आबादी क्षेत्र से बाहर स्थानान्तरण का प्रस्ताव है। वर्तमान कालेज अथवा स्वास्थ्य सेवाओं को अन्यत्र स्थानान्तरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(मास्टर प्लान का ब्लू प्रिन्ट विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम गढ़ी पंचायत समिति बाड़ी में पोखर खुदवाना

94. श्री शिवसिंह रावत (बाड़ी): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1981 में पंचायत समिति, बाड़ी की ग्राम पंचायत, अलीगढ़ के गांव गढ़ी खिराना में पोखर खुदवाने हेतु 5,000 रुपये की स्वीकृति की गई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उस पोखर में करीब 1,000 से भी कम राशि खर्च की गई है ? यदि हां, तो शेष राशि का विकास अधिकारी व सरपंच द्वारा किस प्रकार उपयोग किया गया ?

(3) क्या सरकार राशि कम व्यय करने के मामले की जांच कराकर दोषी अधिकारी व सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही

175

(श्री शिवसिंह रावत)

करेगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(3) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

ग्राम लादूसर (झुंझुनू) में डिस्पेन्सरी खोलना

95. श्री लच्छराम (मण्डावा): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या ग्राम लादूसर जिला झुन्झुनू में गांव के गरीब लोगों ने 4 वर्ष पूर्व डिस्पेन्सरी के लिए भवन बनाकर दे दिया था ?

(2) यदि हां, तो इस डिस्पेन्सरी को कब तक चालू करने की योजना है ?

उत्तर

(1) ग्राम लादूसर में एक एडपोस्ट के लिए राज्य सरकार ने स्वीकृति दी थी जिसके लिए जनता ने भवन बनवाया था। बाद में एडपोस्ट की स्वीकृति निरस्त कर दी गई।

(2) डिस्पेन्सरी खोलने का सरकार का कोई विचार नहीं है।

भू-जल विभाग, जोधपुर का वर्कशाप

96. श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर): क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भू-जल विभाग, जोधपुर के केन्द्रीय वर्कशाप में करोड़ों रुपयों की मशीनरी लगी हुई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त बहुमूल्य मशीनरी के रख रखाव व चालू रखने के लिये हर वर्ष हजारों रुपये व्यय किये जाते हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि इतना बड़ा वर्कशाप होते हुए भी विभागीय मशीनरी के मरम्मत का कार्य (लाखों रुपये के मूल्य का) हर वर्ष बाजार से करवाया जाता है ?

(4) यदि हां, तो सरकार इस अपव्यय को रोकने के लिये क्या कारगर कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। भू-जल विभाग, जोधपुर के केन्द्रीय वर्कशाप में केवल रु. 5,55,123.06 पैसे मूल्य की ही मशीनरी लगी हुई है।

(2) इस मशीनरी के रख रखाव में प्रति वर्ष लगभग रुपये 20,000/- व्यय किये जाते हैं।

(3) जी नहीं। क्षेत्रीय अधिकारियों से प्राप्त विभागीय मशीनों की मरम्मत का अधिकांश कार्य केन्द्रीय वर्कशाप में ही किया जाता है। मरम्मत का आंशिक कार्य जो इस वर्कशाप की क्षमता से बाहर है, वह कार्य बाजार से करवाया जाता है। जिसकी लागत प्रतिवर्ष केवल रुपये 5,000/- से रुपये 6,000/- तक होती है।

(4) जी नहीं। कोई अपव्यय नहीं होता।

(76)

परिशिष्ट 5

अतारांकित प्रश्न संख्या 53 की सूची

(वर्ष 1980–81)

राज्य के स्वीकृत समाचार-पत्रों को 1 अप्रेल, 80 से 31 मार्च, 81 तक दिया गया विज्ञापनों का विवरण ।

क.सं.	पत्र का नाम, स्थान	राशि
1	2	3
	दैनिक पत्र :	
1.	राजस्थान पत्रिका, जयपुर	7,53,352.60
2.	नवज्योति (संयुक्त), जयपुर	7,61,801.54
3.	राष्ट्रदूत (संयुक्त), जयपुर	7,47,593.66
4.	अधिकार (संयुक्त), जयपुर	1,57,494.21
5.	अणिमा (संयुक्त), जयपुर	99,586.59
6.	कूक (संयुक्त), जयपुर	86,783.19
7.	अमर राजस्थान, जयपुर	42,653.52
8.	यंगलीडर, जयपुर	39,730.09
9.	समाचार जगत, जयपुर	13,464.30
10.	वसुन्धरा संवाद, जयपुर	9,660.20
11.	जयपुर रिपोर्टर, जयपुर	4,680.00
12.	नियोजन भारती, जयपुर	37,185.50
13.	अरानाद, जयपुर	519.48
	साप्ताहिक पत्र :	
14.	अमर ज्योति, जयपुर	4,755.70
15.	हमारा वतन, जयपुर	6,308.91
16.	जागरण पथ, जयपुर	5,218.50
17.	आजाद निशान, जयपुर	4,383.60
18.	पूर्वोदय, जयपुर	8,619.55
19.	सहकार दर्शक, जयपुर	5,145.40
20.	बेधड़क आवाज, जयपुर	4,713.80

1	2	3
21.	घुमक्कड़, जयपुर	5,122.000
22.	पहला राजस्थान, जयपुर	5,730 40
23.	क्रोंच, जयपुर	8,783.20
24.	आजाद सन्देश, जयपुर	10,725.90
25.	अन्तस चेतना, जयपुर	8,395.05
26.	किरदार, जयपुर	9,015.23
27.	ग्रामराज, जयपुर	4,438.82
28.	जयपुर क्रानिकल, जयपुर	5,665.40
29.	श्रमशक्ति, जयपुर	6,977.05
30.	उद्बोधन, जयपुर	6,942.95
31.	युगदूत, जयपुर	7,654.30
32.	इतवारी पत्रिका, जयपुर	4,589.20
33.	राजस्थान केहरी, जयपुर	7,752.60
34.	राजस्थान क्रानिकल, जयपुर	4,746.50
35.	ज्वाला, जयपुर	4,045.60
36.	पाशुपत, जयपुर	9,409 90
37.	चहक, जयपुर	8,162.65
38.	जनपद, जयपुर	8,918.35
39.	हलधर की ललकार, जयपुर	8,524.10
40.	प्रभायुग, जयपुर	3,065 40
41.	सच्ची कलम, जयपुर	2,941.86
42.	विश्वमान, जयपुर	912.60
43.	शान्तिदूत, जयपुर	1,081.86
44.	तीखातीर, जयपुर	972.66
45.	युग की आवाज, जयपुर	7,867.65
46.	यादगार, जयपुर	6,556.35
47.	हिन्दुस्तानी कर्मचारी, जयपुर	2,097.18
48.	उलाहना, गीजगढ़	148.96
49.	स्वायत्त सन्देश, जयपुर	4,105.04
50.	क्रान्तिशील, जयपुर	6,511.35
51.	वीरों की पुकार, जयपुर	4,758.40
52.	श्रम आराधना, जयपुर	610.74
53.	जागृत और संगठित किसान, जयपुर	492.96

1	1	3
54.	राजस्थान चक्षु, जयपुर	924.48
55.	नवयत्न, जयपुर	6085.15
56.	राजस्थान इको, जयपुर	649.74
57.	यातायात दूत, जयपुर	791.70
58.	राजस्थान लीडर, जयपुर	4,981.22
59.	संचार समाचार दर्पण, जयपुर	5,818.70
60.	रोशन किरदार (उर्दू)	6,444.45
61.	निरभय स्वर, जयपुर	2,156.15
62.	राष्ट्रीय चेतना, जयपुर	681 72
63.	स्पेशियल रिपोर्टर, जयपुर	393.90
64.	बेधड़क प्रहार, जयपुर	212.55
	पाक्षिक पत्र :	
65.	रोजगार सन्देश, जयपुर	1,01,520.00
66.	लोक शिक्षक, जयपुर	1,244.88
67.	कर्मज्योति, जयपुर	4,291.75
68.	अन्तरमन, जयपुर	4,003.65
69.	गुप्तदूत, जयपुर	4,521.75
70.	रोशन किरदार (हिन्दी), जयपुर	6,220.00
71.	मडे मेल, जयपुर	1,068.28
72.	ग्रामीण दूत मून्डावरी, वाया दौसा	1,604.70
73.	श्रमिक विकास, जयपुर	2,602.81
74.	कर्मचारी साथी, जयपुर	4,504.40
75.	गलता की घाटी, जयपुर	1,179 10
76.	कर्मचिन्तन, जयपुर	1,070.98
77.	मन्डी एक्सप्रेस, जयपुर	2,590.44
78.	गलीचा, जयपुर	297.96
79.	वक्त, टोंक	904.35
80.	सा. चिट्ठी, नवलगढ़	4,802.10
81.	सा. समाजदूत, रामगढ़ शेखावाटी	3,253.74
82.	सा. सूरत शब्दयोग, सीकर	952.67
83.	सा. धूरी, सीकर	2,792.26
84.	सा. मरुधरा, सीकर	1,209.72

1	2	3
85.	सा. सीकर सन्देश, सीकर	1,109.94
86.	पा महाप्राणा, चिड़ावा	936.78
87.	पा. शेखावाटी प्रवाह, रामगढ़	94.38
88.	पा. संचार समाचार दर्पण, रींगस	266.90
89.	दै. राजस्थान टाइम्स, अलवर	12,491.96
90.	दै. अरानाद, अलवर	27,596.45
91.	सा. जनता गजट, अलवर	1,306.50
92.	सा. राजमन्दिर, अलवर	1,168.44
93.	पा. विश्व विजय, अलवर	677.82
94.	पा. शिक्षा जगत की आवाज, अलवर	548.20
95.	पा. बल की आवाज, अलवर	766.12
96.	पा. सांस्कृति चेतना, जयपुर	213.72
97.	पा. सांख्यकी सम्यक, जयपुर	185.64
98.	पा. नूतन आलोक, अलवर	198.12
99.	पा. राजस्थान ऐजेन्ट, जयपुर	228.54
100.	पा. कर्मठन राजस्थान, जयपुर	196.66
101.	पा. प्रतिज्ञ सन्देश, जयपुर	146.64
102.	पा. ज्योति कुन्ज, जयपुर	83.46
103.	दै. उदयभानू, धौलपुर	16,595.44
104.	सा. धौलपुर गजट, धौलपुर	1,717.56
105.	सा. हनहुकार, धौलपुर	546.78
106.	सा. आवाज, भरतपुर	9,466.15
107.	सा. नवयुग सन्देश, भरतपुर	5,301.23
108.	सा. लाल निशान, भरतपुर	7,473.70
109.	सा. क्रान्तिगढ़, भरतपुर	2,310.36
110.	सा. वीर सैनिक, भरतपुर	1,678.56
111.	सा. नेहरू पुकार, भरतपुर	572 52
112.	सा. वीरजनता, भरतपुर	748.70
113.	सा. चौरासी खंभा, कामां, भरतपुर	979.68
114.	सा. मशहूर, भरतपुर	2,553.88
115.	सा. केहरी प्रताप, राजाखेड़ा	163.02
116.	सा. सच्चादूत, भरतपुर	329.16
117.	सा. दो रायफल, भरतपुर	207.48

1	2	3
118.	सा. निराला राजस्थान, हिन्डौन	9,870.40
119.	सा. ग्रामवाणी, हिण्डौन	2,097.42
120.	सा. प्रजाजन, गंगापुर सिटी	2,651.30
121.	सा. सही दिशा, करौली	1,263.60
122.	सा. बूंदी सन्देश, सवाई माधोपुर	1,224.30
123.	सा. सवाई माधोपुर केशरी, सवाई माधोपुर	808.08
124.	पा. अमर इण्डिया, सवाई माधोपुर	1,008.62
125.	दै. देश की धरती, सवाई माधोपुर	5,118.25
126.	पा. शहीदों के सपने, हिण्डौन	1,088.04
127.	पा. न्यूज किंग, करौली	882.18
128.	पा. उठती हुई जनपुकार, हिण्डौन	1,077.18
129.	पा. तलहरी के अंचल से	577.76
130.	पा. गंगापुर दर्पण, गंगापुर सिटी	120.90
131.	दै. प्रजाजन, गंगापुर सिटी	218.40
132.	दै. न्याय, अजमेर	67,802.80
133.	दै. आधुनिक राजस्थान, अजमेर	25,538.96
134.	दै. हिन्दू, अजमेर	29,686.40
135.	द. भारत भूमि, अजमेर	20,166.90
136.	सा. आजाद, अजमेर	7,663,00
137.	सा. हिन्दवासी, अजमेर	3,831,50
138.	सा. जयहिन्द सिंधी, अजमेर	2,190.16
139.	सा. हिन्दूभूमि (सिंधी), अजमेर	3,351.60
140.	सा. आदिवासी जागृति, अजमेर	4,587.50
141.	सा. वीर विजय सिंधी, अजमेर	949.02
142.	सा श्रेयांस, किशनगढ, अजमेर	1,920.36
143.	सा. अजयमेरू, अजमेर	914.24
144.	पा भभक, अजमेर	2,119.12
145.	पा. विवेकमत्र, अजमेर	159.12
146.	पा. सहयोग सिन्धी, अजमेर	384.04
147.	दै. जलते दीप, जोधपुर	1,11,758.00
148.	दै. तरुण राजस्थान, जोधपुर	25,079.60
149.	दै. प्रतिनिधि, जोधपुर	35,042.40
150.	दै. जनगण, जोधपुर	37,831.25

1	2	3
151.	पा. रेलदूत, जोधपुर	1,160.64
152.	सा. 'सीमा सपूत, फलौदी	1,103.70
153.	सा. जनपथ, फलौदी	1,391.52
154.	सा बालोतरा टाइम्स, बालोतरा	355,22
155.	सा. सीमान्त टाइम्स, बालोतरा	662,22
156.	सा. मरूमन्थन, बाड़मेर	1,622.40
157.	सा. बाड़मेर टाइम्स, बाडमेर	2,151 28
158.	सा. जैन तीर्थंकर, बाडमेर	1,492.84
159.	सा. सहमत, जालौर	7,334.57
160.	सा. मजदूर ललकार, मून्डवा, नागौर	3,059.64
161.	सा. संकलदीप, कुचामनसिटी, नागौर	1,104.10
162.	पा. विगतवार, पाली	4,317.50
163.	सा. गोडवाड टाइम्स, रानी (पाली)	2,954.46
164.	हलकारा, सादड़ी, पाली	1,567.47
165.	पा. मरू गुजार लाडनूं, नागौर	501.54
166.	सा. महाज्ञान, जैसलमेर	132.60
167.	दै. युगपक्ष, बीकानेर	34,615.00
168.	दै. राजस्थान संवाद, बीकानेर	6,158.88
169.	सा. सैनानी, बीकानेर	2,859.30
170.	सा. गणराज्य, बीकानेर	2,091.50
171.	सा. लोकमत, बीकानेर	2,394.70
172.	सा. सप्ताहान्त, बीकानेर	1,888.00
173.	सा. बीकानेर एक्सप्रेस, बीकानेर	3,140.95
174.	सा. टाइम्स आफ राजस्थान, बीकानेर	1,723 90
175.	पा. वर्तमान, बीकानेर	1,760.40
176.	मठाधीश, बीकानेर	773.68
177.	सा. चूरू केसरी, चूरू	2,473 38
178.	सा. विशाल मरूधर, चूरू	1,039.52
179.	सा सादुलपुर टाइम्स, सादुलपुर,	269.88
180.	सा. न्यायतन्त्र, रतनगढ़	620.10
181.	पा. सरदार शहर टाम्इस, सरदार शहर	431.42
182.	पा. सरदार शहर एक्सप्रेस, सरदार शहर	322.92
183.	पा. कारट्रिज, चूरू	306.54

1	2	3
184.	सा. क्रान्तिरतन, सरदारशहर	269.88
185.	पा. रतनगढ़ केसरी, रतनगढ़	197.34
186.	दै. सीमा सन्देश, श्री गंगानगर	13,645.32
187.	दै. गंगानगर पत्रिका, श्रीगंगानगर	10,345.80
188.	दै. तेज, हनुमानगढ़	6,335.50
189.	दै. सोमावर्ती, श्री गंगानगर	3,710.76
190.	दै. प्रताप केसरी, श्रीगंगानगर	9,099.00
191.	सा. गंगानगर ज्योति, श्रीगंगानगर	7,822.75
192.	सा. सीमा सन्देश श्रीगंगानगर	2,216.20
193.	सा. शहजादा, श्री गंगानगर	4,570.40
194.	सा. जनसम्मत, श्री गंगानगर	4,426.00
195.	सा. भोर, श्रीगंगानगर	1,484.90
196.	सा. विजयनगर ज्योति, विजयनगर	—
197.	सा. शाश्वत सत्य, श्रीगंगानगर	2,643.59
198.	सा. तेज, हनुमानगढ़	[illegible],665 91
199.	सा. हिन्द ज्योति, सूरतगढ़	3,945.44
200.	सा. भारतजन, सूरतगढ़	191.10
201.	सा. आयरनक्रास, सूरतगढ़	419.64
202.	पा. शोषित समाज, श्रीगंगानगर	3,242.21
203.	दै. यंगलीडर, श्रीगंगानगर	321.36
204.	सा. गंगानगर टाइम्स, श्रीगंगानगर	932.88
205.	सा. गौड़ केशरी, श्री गंगानगर	204.36
206.	पा. गंगानगर पत्रिका, गंगानगर	195.00
207.	सा. अन्त्योदय योजना, भादरा	46.80
208.	पा. निर्माण सन्देश, श्री गंगानगर	390.00
209.	दै. जयराजस्थान, उदयपुर	88,952.00
210.	दै. उदयपुर एक्सप्रेस, उदयपुर	64,316.60
211.	दै. प्रातःकाल, उदयपुर	22,016.80
212.	दै. जन[illegible]न, उदयपुर	18,145.60
213.	सा. जन[illegible]ल, उदयपुर	5,045.20
214.	सा. नवजीवन, उदयपुर	7,640.55
215.	सा. कोलाहल, उदयपुर	2,247.60
216.	सा. पुकार, उदयपुर	5,028.00

1	2	3
217.	सा. प्रगति, उदयपुर	7,631 12
218.	सा. युगदृष्टा, उदयपुर	4,008 40
219.	सा. नेता, उदयपुर	559.74
220.	सा. युवा तूफान, उदयपुर	908.98
221.	सा. सलूम्बर सन्देश, सलूम्बर	523.94
222.	पा. बप्पा रावल, उदयपुर	969.54
223.	सा. मेवाड़ मर्यादा, सलूम्बर	1,025.70
224.	सा. उदयपुर, उदयपुर	1,379.82
225.	पा. संस्थान, राजसमन्द, उदयपुर	861.12
226.	दृष्टिकोण, उदयपुर	818.22
227.	यंगपावर, उदयपुर	512.46
228.	दै. लोकजीवन, भीलवाड़ा	16,717.60
229.	दै. तरूण देश, भीलवाड़ा	5,526.94
230.	दै. भीलवाड़ा संदेश, भीलवाड़ा	10,111.92
231.	लोक जीवन, भीलवाड़ा	2,960.40
232.	सा. भीलवाड़ा संदेश, भीलवाड़ा	296.40
233.	सा. झंझावत, भीलवाड़ा	1,040.52
234.	सा. प्रभावत, भीलवाड़ा	3,900.00
335.	सा. मैनाल, भीलवाड़ा	680.16
336.	सा. प्रागवाट, भीलवाड़ा	871.42
237.	सा. ग्राम समाज, भीलवाड़ा	926.64
238.	पा. संसार चक्र, भीलवाड़ा	705.84
239.	सा. अभयदूत, जोधपुर	12,586.60
240.	सा. लोक जीवन, जोधपुर	6,936.00
241.	सा. ललकार, जोधपुर	8,386.95
242.	सा. प्रजा सेवक, जोधपुर	9,033 85
243.	सा. जनगण, जोधपुर	8,843.00
244.	सा. कन्ट्रोलर, जोधपुर	6,032.00
245.	सा. हिन्दू सन्देश, जोधपुर	4,281.95
246.	सा. जोधपुर टाइम्स जोधपुर	2,283.06
247.	पा. स्पष्ट मत, जोधपुर	923.52
248.	पा. चोल, जोधपुर	273.00
249.	पा. बढते चरण, जोधपुर	637.18

1	2	3
250.	दै. जय मेवाड़, चित्तौड़गढ़	5,739.70
251.	सा. ललकार, चित्तौड़गढ़	9,436.76
252.	सा. मे जयमेवाड़, चित्तौड़गढ़	6,468.28
253.	सा. राजस्थान, भूपालसागर	6,766.80
254.	पा. जंगजू, चित्तौड़गढ़	947.98
255.	सा. धनुर्धर, बांसवाड़ा	14,357.40
256.	सा. आत्म लोचन, बांसवाड़ा	2,085.72
257.	सा. बांगड़दूत, डूंगरपुर	7,523.92
258.	सा. टाइम्स एण्ड टाईड, डूंगरपुर	352.56
259.	दै. जननायक, कोटा	92,358.80
260.	दै. देश की धरती, कोटा	25,566.00
261.	दै. सोशलिस्ट समाचार, कोटा	17,528.36
262.	दै. धरती करे पुकार, कोटा	22,663.90
263.	दै. रोडवेज टाइम्स, कोटा	4,748.00
264.	सा. जयपुर एक्सप्रेस, कोटा	17,076.65
265.	सा. एकात्मक, कोटा	3,734.64
262.	सा. चम्बल, कोटा	2,471.82
267.	सा. तकनीकी समाचार, कोटा	3,838.12
268.	सा. हाड़ौती मानव, कोटा	1,311.46
269.	सा. किसान सन्देश, कोटा	1.070.34
270.	सा. चम्बल सेतु, कोटा	615.42
271.	पा. युगदर्पण, कोटा	324.48
272.	पा. ग्रामीण, कोटा	1,343.94
273.	पा. दावानल, कोटा	1,252.34
274.	सा. जागृति, कोटा	50.70
275.	सा. दकाल, बूंदी	3,345.60
276.	सा. अंगद, बूंदी	3,471.00
277.	सा. संजय, झालरापाटन	2,535.00
278.	सा. राजमार्ग, बूंदी	1,082.64
279.	सा. पसीना, झालावाड़	1,189.50
280.	सा. मेरुदण्ड, झालावाड़	7,018.55
281.	सा. कृषिलोक, जोधपुर	1,822.00
282.	सा. भारती, जयपुर	1,263.18

1	2	3
283.	मा. विवेक विकास, जयपुर	1,389.26
284.	मा. लेखा विज्ञ, जयपुर	1,389.26
285.	अग्रदूत, जयपुर	1,389.26
286.	मा. मधुमति, जयपुर	1, 120.00
287.	मा. कृषि विकास, जयपुर	1,737.50
288.	मा. वैज्ञानिक चालक, जयपुर	1,111.44
289.	मा. ज्योतिष मार्तण्ड, जयपुर	1,263.60
290.	मा. लहर, अजमेर	800.00
291.	मा. जीवनदान, जयपुर	1,263.60
292.	मा. होम्यो सेवक, जयपुर	1,263.60
293.	मा. गो विकास, जयपुर	673.00
294.	मा. चरित्र और व्यायाम, अजमेर	673.80
295.	मा. स्वास्थ्य त्रिवेणी, जयपुर	505.21
296.	मा. अज्ञात दर्शन, जोधपुर	101.06
297.	मा. मंगल कामना, फलौदी	505.30
298.	मा. क्रीड़ांचल, बीकानेर	404.24
299.	मा. बन्धन तोड़ो, उदयपुर	404.24
300.	मा. अनन्त मंगल, जयपुर	360.30
301.	मा. सचिवालय सन्देश, जयपुर	800.00
302.	जर्नल आल जैम इण्डस्ट्रीज, जयपुर	1,137.24
303.	द्वि मा. डायमन्ड वर्ल्ड, जयपुर	1,696.50
304.	द्वि.मा. क्राफ्ट वर्ल्ड, जयपुर	454.77
305.	भू-दर्शन, उदयपुर	1,010.88
306.	त्रै.मा. पशु विज्ञान, जयपुर	539.04
307.	त्रै. मा. राजस्थानी, श्री डूंगरगढ़	404.24
308.	मा. अग्रदूत, जयपुर	1,111.44
309.	सा. उत्थान चक्र, बीकानेर	399.10
310.	सा. क्रान्ति बिगुल, बीकानेर	447.46
311.	सा. मरुदीप, बीकानेर	1,515.80
312.	सा. राजस्थान स्टेन्डर, बीकानेर	1,988.10
313.	सा. जागृत जनमत, बीकानेर	1,557.40
314.	सा. बीकाना संदेश, बीकानेर	967.90
315.	दै प्रान्तदूत, बीकानेर	279.24

1	2	3
316.	सा. कामधेनु बीकानेर,	604.50
317.	पा. कोहीनूर, बीकानेर	594.50
318.	पा. जनपतवार, बीकानेर	270.66
319.	पा. हकदार, बीकानेर	648.96
320.	पा. थारदीप, बीकानेर	623.22
321.	पा. झोंपड़ी की आवाज, बीकानेर	498.42
322.	पा. दिशा कल्प, बीकानेर	241.50
323.	पा. सुमन स्टार, बीकानेर	81.12
324.	पा. कड़वा सच, बीकानेर	281.58
325.	पा. बीकानेर केसरी, बीकानेर	211.38
326.	सा. प्रशान्तदूत, बीकानेर	264.48
327.	सा. युवक, चूरू	7,644.30
328.	दै. उदयराजस्थान, जोधपुर	6,521.84
		44,92,811.97

(1981–82) (ख)

राज्य के बाहर के समाचार पत्रों में 1 अप्रेल, 80 से 31 मार्च, 81 तक दिए गए विज्ञापनों का विवरण

क्रम सं. 1	पत्रिका नाम–स्थान 2	राशि 3
1.	हिन्दुस्तान टाइम्स, दिल्ली	2,08537.52
2.	हिन्दुस्तान, दिल्ली	2,59606.60
3.	नवभारत टाइम्स, दिल्ली	5,42578.34
4.	इण्डियन एक्सप्रेस, दिल्ली	1,07302.48
5.	टाइम्स आफ इण्डिया, दिल्ली	24924.55
6.	नई दुनिया, इन्दौर	44476.66
7.	अमर उजाला, आगरा	34881.71
8.	जनयुग, दिल्ली	10573.22
9.	ट्रिब्यून, चन्डीगढ़	23068.50

(187)

1	2	3
10.	विश्वामित्र, कलकत्ता	29691.20
11.	पैट्रियट, दिल्ली	800.80
12.	हिन्दू, मद्रास	3499.55
13.	रेडीकल ह्यूमनमिस्ट, दिल्ली	200.00
14.	मिलाप, दिल्ली	67.65
15.	ब्लिट्ज, बम्बई	1453.00
16.	गुजरात समाचार, हैदराबाद	1737.00
17.	जन सत्ता, अहमदाबाद	4959.25
18.	पंजाब केसरी, जालंधर	3661.00
19.	सन्देश, अहमदाबाद	511.10
20.	स्टेटमैन, कलकत्ता	2312.50
21.	फ्रीप्रेस, बम्बई	1153.32
22.	देश और दुनियां, दिल्ली	1500.00
23.	मलयालम मनोरमा, कोटायम	2655.00
24.	रोजगार समाचार, दिल्ली	8950.50
25.	इन्दौर समाचार, इन्दौर	810.40
26.	अमृत बाजार पत्रिका, कलकत्ता	439.20
27.	स्वतंत्र भारत, लखनऊ	207.90
28.	अकाली पत्रिका, जालंधर	593.60
29.	आर्यवृत्त, पटना	1195.89
30.	वेस्टर्न टाइम्स, अहमदाबाद	450.45
31.	स्वदेश, इन्दौर	8275.67
32.	हिन्दिए, हैदराबाद	381.23
33.	प्रेसबिग, हैदराबाद	75.14
34.	नेशनल हेराल्ड, दिल्ली	1600.50
35.	देशरत्न, आगरा	572.00
36.	सन्मार्ग, कलकत्ता	321.30
37.	इस्टर्न इकोनोमिस्ट, दिल्ली	424.32
38.	जागरण, कानपुर	390.76
		13,34,8.39.81

188

(1981-82) (ग)

राज्य के स्वीकृत समाचर पत्रों को 1 अप्रेल, 81 से 31 जनवरी, 82 तक दिये गये विज्ञापनों का विवरण

क्र.सं. 1	पत्र का नाम, स्थान 2	कुल योग 3
1.	दै. राजस्थान पत्रिका, संयुक्त	12,28,379.25
2.	दै. राष्ट्रदूत, संयुक्त	8,17,797.60
3.	दै. नवज्योति संयुक्त	12,11,463.91
4.	दै. अधिकार संयुक्त	3,56,789.73
5.	दै. अणिमा संयुक्त	1,35,617.50
6.	दै. अमर राजस्थान, जयपुर	44560.88
7.	दै. यंगलीडर, जयपुर	56462.10
8.	दै. कूक, जयपुर	5122.40
9.	दै. समाचार, जयपुर	52317.00
10.	दै. अरानाद, अलवर	1452.36
11.	दै. जयपुर रिपोर्टर	1301.04
12.	दै. नियोजन भारती, जयपुर	60926.50
13.	सा. अमर ज्योति, जयपुर	3767.78
14.	सा. हमारा वतन, जयपुर	5005.10
15.	सा. जागरण पत्रपथ, जयपुर	1269.60
16.	सा. आजाद निशान, जयपुर	1809.60
17.	सा. पूर्वोदय, जयपुर	5103.50
18.	सा. सहकार दर्शक, जयपुर	2834.20
19.	बेधड़क आवाज, जयपुर	4061.80
20.	सा. घुमक्कड़, जयपुर	3387.80
21.	सा. पहला राजस्थान, जयपुर	3225.00
22.	सा. क्रोंच जयपुर	7790.25
23.	जोशिला वतन, जयपुर	123.24
24.	सा. फरमाने रा., जयपुर	1817.72
25.	भ्रष्टाचार के स्तम्भ	633.28
26.	सा. आजाद संदेश, जयपुर	1669.50
27.	सा. अन्तस चेतना, जयपुर	6006.60
28.	सा. किरदार, जयपुर	6019.20
29.	सा. ग्रामराज, जयपुर	3451.88
30.	सा. जयपुर क्रोनोकल्स, जयपुर	2103.40

1	2	3
31	सा. राजस्थान स्टेटमेन्ट, जयपुर	1528.75
32.	सा. श्रम शक्ति, जयपुर	6427.05
33-ए.	दै. वसुन्धरा संवाद	18,553.60
34.	सा. उदबोधन, जयपुर	4387.45
35	सा. युगदूत, जयपुर	5900.10
36.	सा. इतवारी पत्रिका, जयपुर	2848.20
37.	सा. राजस्थान केहरी, जयपुर	5068.85
38.	सा. राजस्थान क्रानिकल	6427.95
39.	सा. रोशन किरदार, उर्दू, जयपुर	7223.40
40.	सा. निर्भय स्वर, जयपुर	4093.35
41.	सा. सीधा रास्ता, जयपुर	2618.35
42.	सा. ज्वाला, जयपुर	2436.20
43	सा. पाशुपत, जयपुर	5635.25
44.	सा. चहक, जयपुर	5449.99
45.	सा. जनपद, जयपुर	2296.75
46.	सा. हलधर की ललकार, जयपुर	5504.60
47.	सा. प्रजायुग, जयपुर	1635.00
48.	सा. सच्चीकलम, जयपुर	3943.80
49.	सा. विश्वमान, जयपुर	3536.52
50.	सा शान्तिदूत, जयपुर	832.10
51.	तीखातीर जयपुर	2767.96
52.	युग की आवाज, जयपुर	4126.40
53	यादगार, जयपुर	4428.94
54	सा. वरूण प्रवाह, जयपुर	4201.75
55.	सा. युग की आवाज उर्दू	5962.87
56.	न्यूज एण्ड व्यूज, जयपुर	120.90
57.	सा. राष्ट्रीय चेतना, जयपुर	2293.53
58.	सा. स्वायत्त संदेश, टोंक	7078.58
59.	सा. कान्तिशील, जयपुर	5270.15
60.	सा. वीरों की पुकार, जयपुर	4499.75
61.	सा. स्पेशीयल रिपोर्ट, जयपुर	161.46
62.	ला. जागृत और संगठित किसान, जयपुर	300.30
63.	राजस्थान चक्षु, जयपुर	1053.18

(190)

1	2	3
64.	सा. नवाल, जयपुर	4460.60
65.	राजस्थान इको, अंग्रेजी	3750.18
66.	सा. यातायात दूत, जयपुर	4008.65
67.	सा. राजस्थान लीडर, जयपुर	4909.45
68.	सा. संचार समाचार दर्पण, जयपुर	2144.45
69.	बेधड़क प्रहार, जयपुर	5753.20
70.	हवामहल, जयपुर	3228.79
71.	आजाद इन्सान, जयपुर	2152.10
72.	देखरेख, जयपुर	550.68
73.	खुली आवाज, जयपुर	570.18
74.	नमागने, जयपुर	443.82
75.	पा. रोजगार संदेश, जयपुर	83785.00
76.	पा. लोक शिक्षक, जयपुर	841.76
77.	पा. कर्मज्योति, जयपुर	3798.55
78.	अन्तरमन, जयपुर	689.20
79.	पा. गुप्तदूत, जयपुर	3080.00
80.	पा. रोशन किरदार, हिन्दी	3481.10
81.	एजेन्ट राजस्थान, जयपुर	797.85
82.	ग्रामीणदूत मून्डावरी, दोसा	1056.10
83.	पा. श्रमिक विकास, जयपुर	3263.10
84.	कर्मचारी साथी, जयपुर	2796.05
85.	पा. गलता की घाटी, जयपुर	2955.70
86.	कर्मचिन्तन, जयपुर	1528.75
87.	मन्डी एक्सप्रेस, जयपुर	1365.00
88.	गलीचा, जयपुर	44.46
89.	सांस्कृति चेतना, जयपुर	426.66
90.	सा. चिट्ठी, नवलगढ़	6871.80
91.	समाज दूत, रामगढ़ शेखावटी	4215.42
92.	सूरत शब्द योग, सीकर	535.08
93.	सा. धूरी, सीकर	2984.28
94.	सा. मरूधर, सीकर	1179.30
95.	सा. सीकर संदेश, सीकर	1098.66
96.	पा. महाप्राण, चिड़ावा	1335.36

1	2	3
97.	पा. सचार समाचार दर्पण, रींगस	3475.62
98.	नूतन आलोकर, अलवर	654.42
99.	दै. राजस्थान टाईम्स, अलवर	10681.16
100.	दै. अरानाद, अलवर	24594.35
101.	सा. जनता गजट, अलवर	502.32
102.	सा. राजमन्दिर, अलवर	1221.48
103.	पा. विश्व विजय, अलवर	371.90
104.	शिक्षा जगत की आवाज, अलवर	444.60
105.	बल की आवाज, अलवर	274.56
106.	सांख्यिकी सम्यक, जयपुर	162.24
107.	पा. कर्मठ राजस्थान, जयपुर	204.07
108.	पा. प्रतिज्ञा संदेश, जयपुर	453.96
109.	ज्योति कुंज, जयपुर	2964.21
110.	राजन्यूज, जयपुर	630.88
111.	पा. मुक्ती संदर्भ, किशनगढ़	50.70
112.	प्रेस जगत, जयपुर	50.70
113.	मन्डे एक्सप्रेस, जयपुर	70.98
114.	अरुण प्रभाव, अलवर	23.40
115.	दै. उदयभानु, धोलपुर	13240.40
116.	दै. प्रजाजन, गंगापुरसिटी	13856.05
117.	सा. धोलपुर गजट, धोलपुर	1205.10
118.	सा. ताज दर्पण, धोलपुर	497.64
119.	सा. आवाज, भरतपुर	7704.95
120.	सा. नवयुग संदेश, भरतपुर	6184.96
121.	सा. लाल निशान, भरतपुर	7224.90
122.	सा. क्रान्तिगढ़, भरतपुर	2034.24
123.	सा. सच्चा दूत, भरतपुर	723.06
124.	दो राईफल, भरतपुर	480.48
125.	दै. देश की धरती, सवाई माधोपुर	13996.80
126.	सा. चौरासी	—
127ए.	सा. मशहूर, भरतपुर	2508.30
128.	सा. विराला, राजस्थान हिण्डोन	6776.45
129.	सा. ग्रामवाणी, हिण्डोन	1227.76

1	2	3
130.सा.	तलहटी के अंचल से,	562.38
131.सा.	सही दिशा, करोली	1645.80
132.सा.	बूंदी संदेश, स. माधोपुर	1115.78
133.सा.	सवाई माधोपुर केसरी, स. माधोपुर	407.92
134.पा.	अमर इण्डिया, सवाई माधोपुर	627.18
135.पा.	गंगापुर दर्पण, गंगापुर	265.98
136.पा.	जगरोटी के अंचल से	172.38
137.	विद्युत् वेग, सवाई माधोपुर	734.66
138.पा.	शहीदों के सपने, हिण्डोन	1515.70
139.पा.	उठती हुई जन पुकार, हिण्डोन	897.18
140.दै.	न्याय, अजमेर	82219.05
141.दै.	आधुनिक राजस्थान, अजमेर	23132.20
142.दै.	हिन्दू, अजमेर	27722.60
143.दै.	भारत भूमि, अजमेर	18675.35
144.सा.	आजाद, अजमेर	6775.30
145.सा.	हिन्दवाणी, अजमेर	2586.40
146.सा.	जयहिन्द सिन्धी, अजमेर	1616.16
147.सा.	हिन्दू भूमि, हिन्दी सिन्धी, अजमेर	3240.35
148.सा.	आदिवासी जागृति, अजमेर	4209.30
149.	वीर विजय सिन्धी, अजमेर	2204.20
150.सा.	श्रेयांस, किशनगढ़	2872.40
151.सा.	अजयमेरू, अजमेर	1371.24
152.पा.	अभेक, अजमेर	2863.66
153.सा.	सन्त राम कंवर राम, अजमेर	2679.70
154.सा.	संजय बुलेटिन, अजमेर	2206.14
155.पा.	सहयोग सिन्धी, अजमेर	1756.77
156.दै.	दलित पुकार	84.24
157.दै.	जलते दीप, जोधपुर	137216.10
158.दै.	तरुण राजस्थान, जोधपुर	31601.40
159.दै.	प्रतिनिधि, जोधपुर	25607.00
160.दै.	जनगण, जोधपुर	37294.60
161.सा.	अभयदूत, जोधपुर	10,537.20
162.दै.	उदय राजस्थान, जोधपुर	6,878.36

1	2	3
164.सा.	लोकजीवन, जोधपुर	7,063.00
165.सा.	ललकार, जोधपुर	8,243.41
166.सा.	प्रजासेवक, जोधपुर	7,724.60
167.सा.	जनगण, जोधपुर	7,985.30
168.सा.	कन्ट्रोलर, जोधपुर	5,409.60
169.सा.	हिन्दू सन्देश, जोधपुर	5,487.06
170.सा.	जोधपुर टाइम्स, जोधपुर	2,157.48
171.पा.	स्पष्टमत, जोधपुर	756.30
172.पा.	अभयदीप, जोधपुर	535.04
173.पा.	बढ़ते चरण, जोधपुर	1,539.08
174.पा.	रेलदूत, जोधपुर	1,712.88
175.सा.	जनपथ, फलौदी	1,535.04
176.सा.	बालोतरा टाईम्स, बालोतरा	99.84
177.सा.	सीमान्त टाईम्स, बालोतरा	863.04
178.सा.	बाड़मेर टाईम्स, बाड़मेर	2,759.68
179.सा.	जैन तीर्थंकर, बाड़मेर	1,783.08
180.सा.	सहमत, जालोर	10,637.10
181.सा.	मजदूर ललकार, मूण्डवा नागौर	2,995.76
182.पा.	संकल्पदीप, कुचामनसिटी	1,298.14
183.पा.	विगतवार, पाली	4,552.50
184.सा.	गोड़वाड़ टाईम्स, रानी (पाली)	3,543.26
185.सा.	महाज्ञान, जैसलमेर	2,131.74
186.पा.	मरूगुन्जार, लाडनूं	271.44
187.दै.	युगपक्ष, बीकानेर	52,231.95
188.दै.	राजस्थान संवाद, बीकानेर	2,264.48
189.सा.	सेनानी, बीकानेर	2,458.50
190.सा.	गणराज, बीकानेर	2,547.20
191.सा.	लोकमत, बीकानेर	2,258.20
192.सा.	सप्ताहन्त, बीकानेर	2,488.00
193.सा.	बीकानेर एक्सप्रेस, बीकानेर	2,925.75
194.सा.	टाईम्स आफ राजस्थान, बीकानेर	2,017.90
195.सा.	वर्तमान, बीकानेर	1,531.00
196.सा.	मठाधीश, बीकानेर	856.14

1	2	3
197.सा.	प्रान्तदूत, बीकानेर	2,310.00
198.सा.	क्रान्ति बिगुल, बीकानेर	1,179.66
199 सा.	मरूद्वीप, बीकानेर	865.00
200.सा.	राजस्थान स्टेन्डर, बीकानेर	1,984.70
201.सा.	जागृत जनमत, बीकानेर	1,440.40
202.सा.	बीकाणा सन्देश, बीकानेर	1,655.70
203.दै.	प्रान्तदूत, बीकानेर	5,468.84
204.पा.	कामधेनु बीकानेर	508.56
205.पा.	कोहिनूर, बीकानेर	1,177.80
206.पा.	जनपतवार, बीकानेर	826.80
207.पा.	हकदार, बीकानेर	350.22
208.पा.	थारदीप, बीकानेर	466.44
209.पा.	झोपड़ी की आवाज, बीकानेर	299.52
210.पा.	दिशा कल्प, बीकानेर	127.14
211.पा.	पुर्नगठन, चूरू	144.30
212.पा.	कड़वा सच्च, बीकानेर	81.32
213.पा.	बीकानेर केसरी, बीकानेर	421.20
214 पा.	समतामंच, बीकानेर	223.86
215.पा.	रतनगढ़ केशरी चूरू	187.34
216.सा.	युवक, चूरू	6,411.75
217.सा.	चूरू केसरी, चूरू	2,622.36
218.सा.	विसालमरूधर, चूरू	656.76
219.सा.	सादुलपुर टाईम्स, सादुलपुर	154.44
220.सा.	न्यायतन्त्र, रतनगढ़	1,490.72
221 पा.	सरदार शहर टाईम्स, सरदार शहर	119.34
222.पा.	सरदार शहर एक्सप्रेस, सरदार शहर	246.48
223.पा.	कारट्रिज, चूरू	251.94
224. दै.	यंगलीडर, श्रीगंगानगर	3,297.84
225. दै.	सीमा सन्देश, श्रीगंगानगर	14,918.80
226. दै.	गंगानगर पत्रिका, श्रीगंगानगर	81.90
227. दै.	तेज, हनुमानगढ़	17,610.70
228. दै.	प्रताप केसरी, श्रीगंगानगर	12,693.70
229. सा.	गंगानगर ज्योति, श्रीगंगानगर	9,109.95

1	2	3
230.	सा. मरु अमृत, श्रीगंगानगर	235.56
231.	सा. शहजादा, श्रीगंगानगर	4,311.90
232.	सा. जन सम्मत, श्रीगंगानगर	4,483.65
233.	सा. भोर, श्रीगंगानगर	6,863.20
234.	सा. गंगानगर पत्रिका, श्रीगंगानगर	67.86
235.	सा. शाश्वत सत्य, श्रीगंगानगर	3,048.18
236.	सा. प्रेस, हनुमानगढ़	1,780.35
237.	सा. हिन्द ज्योति, सूरतगढ़	5,698.70
238.	सा. उड़ता तीर, गंगानगर	239.46
239.	सा. आयरन क्रास, सूरतगढ	509.34
240.	पा. शोषित समाज, श्रीगंगानगर	1,970.19
241.	पा. गौड केसरी, सादुलपुर	1,007.04
242.	सा. मानव और न्याय	190.46
243.	पा. निर्माण सन्देश, श्रीगंगानगर	11.70
244.	दै. जय राजस्थान, संयुक्त उदयपुर	24,535.30
245.	दै. जय राजस्थान, उदयपुर	66,235.40
246.	दै. उदयपुर एक्सप्रेस, उदयपुर	71,726.70
247.	दै. प्रातःकाल, उदयपुर	33,246.20
248.	दै. जनःजीवन, उदयपुर	28,589.80
249.	सा. जन मंगल, उदयपुर	4,873.40
250.	सा. नवजीवन, उदयपुर	5,095.70
251.	सा. पुकार, उदयपुर	4,679.20
252.	सा. प्रगति, उदयपुर	1,985.84
253.	सा. युगद्रष्टा, उदयपुर	3,653.00
254.	सा. लेक एण्ड, उदयपुर	1544.44
255.	सा. युवा तूफान, उदयपुर	994.50
256.	सा. सलूम्बर सन्देश, सलूम्बर	58.50
257.	सा. राणा रावल, उदयपुर	74.88
258.	सा. मेवाड़ मर्यादा, सलूम्बर	895.92
259.	सा. उदयपुर, उदयपुर	2,140.12
260.	पा. संस्थान राजसमन्द, उदयपुर	803.40
261.	पा. दृष्टिकोण, उदयपुर	722.28
262.	पा. यंगपावर, उदयपुर	313.26

(१९६

1	2	3
263	सा. प्रकाश, उदयपुर	1,045.08
264.	पा. लोकजीवन, भीलवाड़ा	22,416.50
265.	दै. तरुण देश, भीलवाड़ा	4,942.12
266	दै. भीलवाड़ा सन्देश, भीलवाड़ा	7,623.00
267.	लोक जीवन, भीलवाड़ा	4,494.50
268.	दै प्रभावित, भीलवाड़ा	6,462.36
269.	सा. भंभावत, भीलवाड़ा	1,332.24
270	सा. प्रभावित, भीलवाड़ा	2,602,81
271.	सा. मैनाल, भीलवाड़ा	129.48
272.	सा. प्रागवाट, भीलवाड़ा	616.98
273	सा. ग्राम समाज, भीलवाड़ा	1,319.76
274.	पा. संसार चक्र, भीलवाड़ा	50.70
275	सा. ललकार, चित्तौड़गढ़	18,748.00
276.	सा. मे जय मेवाड़, चित्तौड़गढ़	23,454.10
277	सा. राजस्थान, भूपालसागर	11,420.60
278.	पा. जंगजू, चित्तौड़गढ़	2,180.58
279.	दै. जय राजस्थान, बांसवाड़ा	3,480.41
280.	दै. अमर आजादी, बांसवाड़ा	14,614.60
281.	सा. धनुर्धर, बांसवाड़ा	12,301.10
282.	सा. टाइम्स एण्ड टाईड, डूंगरपुर	2,620.80
283.	सा. बागड़दूत, डूंगरपुर	5,032.56
284.	दै. जन नायक, कोटा	1,03,377.70
285.	दै. देश की धरती, कोटा	15,635.00
286.	दै. स्पेशलिस्ट समाचार, कोटा	15,562.30
287.	दै. धरती करे पुकार, कोटा	18,274.10
288.	सा. जनपद, कोटा	1,936.20
289.	सा. जयपुर एक्सप्रेस, कोटा	15,030.25
290.	सा. एकात्म, कोटा	2,909.40
291.	सा. चम्बल, कोटा	2,530.32
292.	सा. तकनीकी समाचार, कोटा	1,583.40
293.	सा. जागृति, कोटा	1.032.72
294.	सा. किसान सन्देश, कोटा	1,325.10
295.	पा. युग दर्पण, कोटा	607.62

1	2	3
296.	पा. चम्बल सेतू, कोटा	1,765.28
297.	दै. देश की धरती संयुक्त, कोटा	21,206.14
298.	पा. ग्रामीण, कोटा	751.52
299.	पा. दावानल, कोटा	971.58
300.	सा. गान्धी, झालावाड़	418.08
301.	दै. पाटन एक्सप्रेस, झालावाड़	5,252.52
302.	सा. दकाल, बूंदी	3,549.00
303.	सा. अंगद बूंदी	8,241.48
304.	पा. हाड़ौती की धारती, कोटा	426.67
305.	सा. राजमार्ग, बूंदी	194.22
306.	सा. पसीना, झालावाड़	908.70
307.	सा. मेरूदण्ड, झालावाड़	6,059.00
308.	सा. झालावाड़ टाइम्स, झालावाड़	436.64
		58,02,517.51

(1981–82)

राज्य के बाहर के समाचार-पत्रों को 1 अप्रेल, 81 से 31 जनवरी, 82 तक दिये गये विज्ञापनों का विवरण।

क्रम सं.	पत्र का नाम-स्थान	राशि
1	2	3
1.	हिन्दुस्तान, दिल्ली	1,88,680.31
2.	हिन्दुस्तान टाइम्स, दिल्ली	1,12,055.32
3.	इण्डियन एक्सप्रेस, दिल्ली	53,964.11
4.	नवभारत टाइम्स, दिल्ली	2,71,213.69
5.	टाइम्स ऑफ इण्डिया, दिल्ली	16,195.43
6.	जनयुग, दिल्ली	10,015.25
7.	नई दुनियां, इन्दौर	26,764.41
8.	अमर उजाला, आगरा	23,702.60

198

1	2	3
9.	विश्वमित्र, कलकत्ता	32,126.47
10.	ट्रिब्यून, चन्डीगढ़	7,362.00
11.	स्टेट्समैन, दिल्ली	673.00
12.	मिलाप, दिल्ली	139.70
13.	इण्डियन ट्रेड जनरल, कलकत्ता	7,261.00
14.	नेशनल हेराल्ड, दिल्ली	10,926.44
15.	पैट्रियट, दिल्ली	790.00
16.	हिन्दू, मद्रास	3,617.00
17.	जनसत्ता, अहमदाबाद	3,565.20
18.	गुजरात समाचार, हैदराबाद	862.00
19.	सन्देश, अहमदाबाद	4,609.50
20.	वेस्टर्न टाइम्स, अहमदाबाद	2,540.40
21.	मलायला मनोरमा, कोटायम	450.00
22.	स्वदेश, इन्दौर	13,552.00
23.	अमृत बाजार पत्रिका, कलकत्ता	6,302.40
24.	सन्मार्ग, कलकत्ता	8,677.20
25.	साक्षी, दिल्ली	1,028.50
26.	लोकमत, नागपुर	1,300.00
27.	इस्टर्न एकोनोमिस्ट, दिल्ली	520.00
28.	यू.एन.आई., दिल्ली	1,500.00
29.	वीर अर्जुन, दिल्ली	1,041.60
30.	कामर्स, बम्बई	612.60
31.	स्वराज्य सन्देश, दिल्ली	320.87
32.	छपते छपते, कलकत्ता	2,459.60
33.	प्रतिवेदन, दिल्ली	7,067.80
34.	सौराष्ट्र समाचार, अहमदाबाद	1516.80
35.	सांध्य प्रकाश, भोपाल	159.75
36.	करेन्ट, बम्बई	4,875.00
		8,28,447.26

परिशिष्ट 6

अतारांकित प्रश्न संख्या 55 की सूची

दिनांक 25-12-76 के पश्चात पदोन्नत/नियुक्त किये गये राजस्व अधिकारी प्रथम/अधिशाषी अधिकारी तृतीय की सूची

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पद	नियुक्त/पदोन्नति का दिनांक	विशेष विवरण
1.	श्री मदनलाल मुजराल	राजस्व अधिकारी, प्रथम श्रेणी	6-1-79	पदोन्नति द्वारा
2.	श्री रामगोपाल शर्मा	"	6-1-79	"
3.	श्री अब्दुल सत्तार	"	30-5-79	"
4.	श्री मनमोहन दयाल शर्मा	"	20-9-80	नियुक्ति द्वारा
5.	श्री बी. डी. जोशी	"	29-10-80	पदोन्नति द्वारा
6.	श्री विठ्ठललाल मिश्रा	अधिशाषी अधिकारी, तृतीय	9-11-77	"
7.	श्री श्यामनारायण पुरोहित	"	9-11-77	"
8.	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा	"	9-11-77	"
9.	श्री कृष्ण रमन भार्गव	"	9-11-77	"
10.	श्री महेन्द्र पुरोहित	"	9-11-77	"
11.	श्री दीप चन्द्र	"	2-9-78	"
12.	श्री बाबूलाल शर्मा	"	21-11-78	इन कर्मचारियों को अधिशासी अधिकारी तृतीय पद पर पदोन्नत किया गया था किन्तु इन्होंने अपनी पदोन्नति को स्वेच्छा से छोड़कर पूर्व पद पर रहने का ही विकल्प दिया।
13.	श्री आत्माराम गुप्ता	"	9-11-77	
14.	श्री केशवदेव शर्मा	"	9-11-77	
15.	श्री घनश्याम पारख	"	9-11-77	
16.	श्री सोहन कोचर	"	9-11-77	

(200)

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 57 की सूची

परिशिष्ट "क"

कार्यालय नगर परिषद, भीलवाड़ा (राज.)

1980–81 में बिजली का सामान क्रय किया गया सूची

क्र.सं.	नाम फर्म	नाम सामान	कीमत
1	2	3	4
1.	मै. शालीमार इलेक्ट्रीकल्स, भीलवाड़ा	क्राम्पटन बल्ब 60 वाट के	1840.00
2.	मै. माहेश्वरी इलेक्ट्रिकल्स, भीलवाड़ा	सिलवानिया बल्ब 40 वाट	219.00
3.	मै. तलेसरा इलेक्ट्रिकल्स, भीलवाड़ा	बल्ब 500 वाट के	188.40
4.	,, ,,	ब्रास होल्डर 50 वाट के	29.70
5.	शालीमार इले., भीलवाड़ा	बल्ब 60 वाट	240.00
6.	भीलवाड़ा स.उ. होलसेल भण्डार	बल्ब 60 वाट सिलवानिया	1,114.50
7.	शालीमार इले., भीलवाड़ा	बल्ब 60 वाट के	708.00
8.	भीलवाड़ा स.उ. होलसेल भण्डार	बल्ब 60 वाट के सिलवानिया	2,025.00
9.	,, ,,	,, ,,	1,923.75
10.	,, ,,	,, ,,	373.81
11.	,, ,,	,, ,,	2,997.00
12.	,, ,,	,, ,,	1,903.50
13.	तलेसरा इले., भीलवाड़ा	बल्ब 500 वाट के	60.00
14.	भीलवाड़ा स.उ. होलसेल भण्डार	बल्ब 60 वाट सिलवानिया	1,539.00
15.	मैं. माहेश्वरी इले., भील-वाड़ा	250 वाट के एचपीएल मरकरी बल्ब	526.00
16.	मैं. तलेसरा इले., भीलवाड़ा	मरकरी लैम्प 125 वाट फिलिप्स	2,897.50

1	2	3	4
17.	बजाज इले. लि., जयपुर	बजाज बल्ब 60 वाट के	18,040.00
18.	मै. तलेसरा इले., भीलवाड़ा	मरकरी बल्ब 160 वाट	2,237.50
19.	मै. शालीमार इले., भीलवाड़ा	सिलिंग फैन रेग्यूलेटर 48"	30.00
20.	मै. माहेश्वरी इले., भीलवाड़ा	कोट 2 60 एचएपी 500 वाट	225.00
21.	,, ,,	ब्रास होल्डर 1/2" अमर ब्रांड	347.50
22.	,, ,,	पेचकोसबल तार 23/76	246.00
23.	,, ,,	ब्रास ब्राकिट होल्डर 1/2"	247.50
24.	,, ,,	ब्रास होल्डर 1/2"	247.50
25.	,, ,,	तार पी.वी.सी. 3/22	247.00
26.	अम्बिका इले., भीलवाड़ा	स्टार्टर 20 वाट 110 वोल्ट फिलि.	820.00
27.	माहेश्वरी इले., भीलवाड़ा	1/2" ब्राकिट होल्डर नोजलमेक	1000.00
28.	,, ,,	पी.वी.सी. वायर 3/22 कोपर 91-44 एम.टी. ग्रार.	2,200.00
29.	शालीमार इले. भीलवाड़ा	पी.वी.सी. वायर 1/24	165.00
30.	,, ,,	टेपरोल स्टोव के 3/4"	125.00
31.	पारस इले., भीलवाड़ा	चेकनट जी.टी. पाइप 1/2"	600.00
32.	,, ,,	ब्रास होल्डर मय निप्पल होल्डर 1/2" साइज के	3,900.00
33.	माहेश्वरी इले., भीलवाड़ा	पी.वी.सी. सिंगल कोर 3/22	237.60
34.	,, ,,	पी.वी.सी. 3/22 ट्वीन कोर	220.00
35.	शालीमार इले., भीलवाड़ा	स्टोव टेपरोल 1/2"	140.00
36.	,, ,,	टेपरोल स्टोवग्रिप 3/4"	60.20
37.	माहेश्वरी इले., भीलवाड़ा	पी.वी.सी. वायर 3/22 कोपर वायर सिंगलकोर लम्बाई 1-44 एम.एम. नाहर ब्राण्ड	7,920.00
38.	मॉडर्न ट्रेडिंग कारपोरेशन, भीलवाड़ा	बजाज फ्लोरोसेन्ट लेम्प स्टार्टर 20/40/65/80 वाट के लिये	185.00
39.	शालीमार इले., भीलवाड़ा	3/4" स्टील ग्रोप टेपरोल	156.00
40.	,, ,,	4 फिट पत्ती विद बजाज चौक	58.00

1	2	3	4
41.	माहेश्वरी इले., भीलवाड़ा	पी. वी. सी. 3/22 ट्वीनकोर वायर कोयले हर ब्राण्ड प्रति 91–40 ल.	1922.40
42.	,, ,,	बोर्ड 10×12	8.00
		वोट 2 फ्यूज	30.00
		स्क्रू 60×8	1.50
		स्क्रू 35×7	0.60
		वायर 1/202–5 एमएम कोपर,	35.00
		केबल	120.00
		कोट 2 फ्यूज	30.00
		सेलटैक्स 10 प्रतिशत	22.31
43.	माहेश्वरी इले., भीलवाड़ा	वायर 23/76	55.00
		स्लीप पंकेट 1–1/2"	12.00
		क्रीपोन	24.00
		ट्वीन	8.00
		कीलें	4.00
		सेलटैक्स	10.35
44.	पारस इले., भीलवाड़ा	चेकनट 1–1/2" जी आई पाइप के लिये	660.00
45.	तलेसरा इले., भीलवाड़ा	स्टील टेप 3/4"×100	590.00
46.	शालीमार इले., भीलवाड़ा	ब्रास ब्राकिट होल्डर	207.50
47.	,, ,,	ट्यूब लाईट स्टार्टर 20 वाट	224.95
48.	,, ,,	4 फीट ट्यूब रोड 40 वाट	246.00
49.	अम्बिका इले., भीलवाड़ा	ट्यूब डण्डा 4 फिट के	231.00
50.	बाहेती इले., भीलवाड़ा	ब्राकिट ब्रास होल्डर	224.00
51.	शालीमार इले., भीलवाड़ा	स्टार्टर 20 वाट	224.95
52.	माहेश्वरी इले., भीलवाड़ा	ट्यूब डण्डा 4 फिट	249.60
53.	,, ,,	,, ,,	240.60
54.	तलेसरा इले. भीलवाड़ा	,, 2 फिट फिलिप्स	212.50
55.	अम्बिका इले. भीलवाड़ा	ट्यूब डण्डा 4 फिट सिलवानिया	2346.00
56.	,, ,,	,, 2 फिट ,,	2241.00
57.	पारस इले., भीलवाड़ा	स्टार्टर 40 वाट फिलिप्स	575.00

1	2	3	4
58.	शालीमार इले., भीलवाड़ा	ट्यूब होल्डर	90.00
59.	माहेश्वरी इले., भीलवाड़ा	ट्यूब रेटर होल्डर	60.00
60.	पीको इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इले. दिल्ली	स्टाटर 20 वाट	766.00
61.	अम्बिका इले., भीलवाड़ा	डण्डा 4 फिट का	214.60
62.	माहेश्वरी इले., भीलवाड़ा	ट्यूब लाइट 4 फिट का कम्पलीट विद राड	217.50
63.	माहेश्वरी इले., भीलवाड़ा	डण्डा 4 फिट का	215.00
64.	,, ,, भीलवाड़ा	,, ,,	215.00
65.	शालीमार इले., भीलवाड़ा	,, ,,	247.50
66.	भीलवाड़ा स.उ. होलसेल भण्डार	स्टार्टर 40 वाट के	117.75
67.	,, ,,	डण्डा 4 फिट के	1336.88
68.	शालीमार इले., भीलवाड़ा	ट्यूब डण्डे 2 फिट के	237.75
69.	भीलवाडा स.उ. होलसेल भण्डार	,, ,,	1091.25
70.	शालीमार इले., भीलवाडा	ट्यूब राड 4 फिट के	1039.00
71.	भीलवाड़ा स.उ. होलसेल भण्डार	ट्यूब लाइट 4 फिट सिलवानिया	2360.00
72.	,, ,,	स्टार्टर 40 वाट	250.00
73.	,, ,,	ट्यूब होल्डर	104.50
74.	पारस इले., भीलवाडा	ट्यूब लाईट होल्डर मय स्टार्टर	21.00
75.	माहेश्वरी इले, भीमवाडा	चोक	224.00
76.	भीलवाड़ा स.उ. होलसेल भण्डार	ट्यूब डंडा 4 फिट सलवानिया	2360.00
77.	भीलवाड़ा स. उ. होलसेल भण्डार	ट्यूब राड 2 फिट की	2260.00
78.	,, ,,	स्टार्टर 40 वाट के	286.00
			4906.00
		लैस 7–1/2 प्रतिशत	367.13
			4538.87
79.	भीलवाड़ा स.उ. होलसेल भण्डार	चोक 40 वाट	2139.00
80.	,, ,,	ट्यूब डण्डा 4 फिट के	2260.00
81.	,, ,,	डण्डे 2 फिट के	2260.00

(२०५)

1	2	3	4
82.	भीलवाड़ा स. ऊ. होलसेल भण्डार	स्टार्टर 40 वाट बजाज	286.00
			5122.00
		लैस 7-1/2 प्रतिशत	385.65
			4756.35
83.	शालीमार इले., भीलवाड़ा	चौक 40 वाट बजाज	240.00
84.	,, ,,	ट्यूब होल्डर रोटर बजाज	185.00
85.	भीलवाड़ा स. उ. होलसेल भण्डार	डबल डण्डा बजाज मेक	1164.23
86.	,, ,,	सिलवानिया मेक डण्डा	
87.	,, ,,	ट्यूब राड़ 2 फिट	187.50
88.	,, ,,	चौक 40 वाट बजाज	699.07
89.	,, ,,	स्टार्टर 20 वाट 110 वोल्ट	275.06
90.	,, ,,	बल्ब 60 वाट सिलवानिया	1012.50
		लैस 5 प्रतिशत	158.73
			3015.87
91.	शालीमार इले., भीलवाड़ा	स्टील ग्रीप टेप 3/4"	247.00
92.	अम्बिका इले., भीलवाड़ा	ट्यूब डण्डे 4 फिट सिलवानिया	6237.00
93.	पीको इलेक्ट्रानिकल इले., दिल्ली	स्टार्टर 40 वाट फिलिप्स	5049.00
94.	तलेसरा इले., भीलवाड़ा	चौक बजाज	218.40
95.	भीलवाड़ा स.उ. होलसेल भण्डार	20 वाट स्टार्टर	275.00
96.	अम्बिका इले., भीलवाड़ा	ट्यूब डण्डे 2 फिट सिलवानिया	5970.00
97.	माहेश्वरी इले., भीलवाड़ा	ओटोमेटिक टीवी वाई स्वीच	4602.00
98.	,, ,,	ट्यूब रोटर होल्डर बजाज	187.50
99.	हाजी अलाबक्ष ईलाजी	प्लेट आयरन	218.40
100.	कांकरिया इले. वर्क्स	बेरिंग, ब्रुश, बेरिंग प्लेट, ब्रुश	66.00
101.	,, ,,	शाफ्ट, ब्रुश, गेर, चाबी के नट, सप्लाई कोक, सोकेश	45.00
102.	,, ,,	एडजेस्टींग, नाप, सोब्रुश, रेग्यूलेटर, बटन साइट ब्रुश	38.00

1	2	3	4
103.	माहेश्वरी इले. भीलवाड़ा	सनमाइका सीट 12×15, सनमाइका सीट 8×6 स्वीच एक फ्लश पाइप, प्लग, क्रिटकिट फ्यूज, स्टो स्क्रे.	182.95
104.	शालीमार इले., भीलवाड़ा	30×500 के किटकिट फ्यूज	95.00
105.	माहेश्वरी इले., भीलवाड़ा	सर्विस लाइन 1–1/4" क्लीप बोर्ड 6" स्वीच, प्लग विद स्वीच, राउण्ड ब्लाक एंगल होल्डर, वायर 1/18, क्लीप पैकेट, स्टेण्ड पाईप 3/4", बेण्ड 3/4"	95.25
106.	तनेसरा इले., भीलवाड़ा	ओपीन ब्रास टाइप होल्डर	14.00
107.	कांकरिया इले., भीलवाड़ा	पंखो का बेरिंग	25 00
		कन्डेंसर	20.00
108.	,, ,,	चदर की बोडी कन्डेंसर, यूएमएचग्रो	635.00
109.	अशोका इण्डस्ट्रीज भीलवाड़ा	फ्यूज गट्टा 200×650	237.60
110.	सुराना एण्ड कम्पनी, भीलवाड़ा	एम्पेलर फोर कड एसवी मोनो ब्लाक जी एम फार केडोएम/मोनो ब्लाक	122.58
111.	आर आर कन्ट्रेक्टर ए.क.	वाल बोरिंग नवीसी 330	50.00
112.	माहेश्वरी इले., भीलवाड़ा	ट्वीनकोर कोपर 3/20	250.00
113.	कांकरिया इले., भीलवाड़ा	बुश	10.00
114.	पारस इले., भीलवाड़ा	4 प्ले डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज 15 एम एम पी 250	84.99
115.	माहेश्वरी इले., भीलवाड़ा	बोर्ड 12×18	8.80
116.	,, ,,	डेंजर प्लेट, पावर मोटर बाक्स, जी. आई. वायर	39.50
117.	,, ,,	कोट 2 फ्यूज 100×500 मेनस्वीच	183.00
118.	शालीमार इले., भीलवाड़ा	टी.पी. किट 2 60×500 टी पी किट 2, टी पी. मेनस्वीच	159.40
119.	माहेश्वरी इले., भीलवाड़ा	मेन स्वीच 100 ए एम पी	250.00
120.	,, ,,	पी.वी.सी. ट्वीनकोर कोपर	176.00
121.	शालीमार इले., भीलवाड़ा	टी. पी. मेनस्वीच 60×500	184.80
122.	तलेसरा इले., भीलवाड़ा	बल्ब 25 वाट, मरकरी बल्ब होल्डर के ग्रास	29.50

1	2	3	4
123.	माहेश्वरी इले., भीलवाड़ा	सी.टी.एल. 1/18 सिंगल गेयर	180.00
124.	,, ,,	3/22 पी.वी.सी. ट्वीनकोर	250.00
125.	सुवालका इले., भीलवाड़ा	बल्ब हैड कम्पलीट	120.00
126.	माहेश्वरी इले., भीलवाड़ा	सनमाइका सीट, स्वीच, प्लग, वायर	128.50
127.	शालीमार इले., भीलवाड़ा	पेंट 4 फिट	15.40
128	माहेश्वरी इले., भीलवाड़ा	मीटर बाक्स, क्लीप पैकेट 2" के जी आई तार 1/2"	13.60
129.	अशोक इण्डस्ट्रीज, भीलवाड़ा	कोपर सप्लायर्स 30×500 मेनस्वीच	224.40
130.	,, ,,	मेनस्वीच 60×500, मेनस्वीच राड, मेनस्वीच आर्डर वायर	191.40
131.	गुलाम अब्बास हाजी अलाबक्स	जी. आई. तार नं.	108.00
			104240.59

आयुक्त,
नगर परिषद्, भीलवाड़ा ।

परिशिष्ट ख

कार्यालय नगर परिषद्, भीलवाड़ा (राज.)

वर्ष 81-82 में क्रय किये गये सामान की सूची (बिजली) 25-1-82 तक

क्र. सं.	फर्म का नाम	नाम सामान	कीमत
1	2	3	4
1.	तलेसरा इलेक्ट्रिकल्स, भीलवाड़ा	बल्ब 500 वाट	125.60
		मरकरी होल्डर	26.00
2.	,, ,,	बल्ब 200 वाट फिलिप्स	62.10
3.	पारस इले., भीलवाड़ा	250 वाट एम. वी. लेम्प	250 00
4.	भीलवाड़ा स. उ. होलसेल भण्डार	फिलिप्स मरकरी लेम्प 125 वाट	1200 00
5.	तलेसरा इले., भीलवाड़ा	बल्ब 200 वाट	126.00
6.	पारस इले., भीलवाड़ा	बल्ब 60 वाट बजाज	227.00

1	2	3	4
7.	शालीमार इले., भीलवाड़ा	बल्ब 60 वाट	227.50
8.	,, ,,	,, ,,	227.50
9.	पारस इले., भीलवाड़ा	,, ,,	227.50
10.	शालीमार इले., भीलवाड़ा	,, ,,	227.50
11.	पारस इले., भीलवाड़ा	मरकरी बल्ब 150 वाट	5895.00
12.	शालीमार इले., भीलवाड़ा	बल्ब 60 वाट	227.50
13.	,, ,,	बल्ब 60 वाट बजाज	2300.00
14.	पारस इले., भीलवाड़ा	बल्ब 60 वाट बजाज	2365.00
15.	शालीमार इले., भीलवाड़ा	,, ,,	2820.00
16.	अम्बिका इले., भीलवाड़ा	बल्ब 60 वाट सिलवानिया	5925.00
17.	शालीमार इले., भीलवाड़ा	बल्ब 60 वाट बजाज	6580.00
18.	भीलवाड़ा स. उ. होलसेल भण्डार	,, ,,	242.50
19.	,, ,,	,, ,,	242.50
20.	,, ,,	,, ,,	242.50
21.	पारस इले., भीलवाड़ा	मरकरी लेम्प 160 वाट	1860.00
22.	भीलवाड़ा स. उ. होलसेल भण्डार	सिलवानिया बल्ब 60 वाट	206 60
23.	,, ,,	बल्ब 60 वाट	206.62
24.	,, ,,	बल्ब 60 वाट बजाज	242. 50
25.	माहेश्वरी इले., भीलवाड़ा	फंक्सीबल कोपर जी. आई.	55.00
26.	तलेसरा इले., भीलवाड़ा	1/2" पीतल ब्राकिट होल्डर के	126 70
27.	पारस इले., भीलवाड़ा	,, ,,	84.00
28.	माहेश्वरी इले., भीलवाड़ा	किट किट फ्यूजरी	108.00
29.	अशोका इण्डस्ट्रीज, भीलवाड़ा	मेन स्वीच	248.00
30.	माहेश्वरी इले., भीलवाड़ा	कोपर पी. वी. सी. 3/22	247.50
31.	नेनावटी इन्जीनियरिंग, भीलवाड़ा	पी. बी. सी. वायर 23/76	225.00
32	माहेश्वरी इले., भीलवाड़ा	वायर 7/20 पी.वी.सी. सिंगलकोर	250.00
33.	,, ,,	टेपरोल 10 मो. स्टील ग्रीप	242.00
34.	भीलवाड़ा स. उ. होलसेल भण्डार	पील एम. एम. 30 बार 250 660 वाट	1029.00
	,, ,,	2–5 एम एम यू और 660 वाट	1365.00
	,, ,,	टेपरोल	1450.00
	,, ,,	ब्राकिट होल्डर	540.60

२०८

1	2	3	4
35.	शालीमार इले., भीलवाड़ा	टेपरोल	1375.00
36.	सुवालका इले., भीलवाड़ा	7/22 वायर	150.00
37.	शालीमार इले., भीलवाड़ा	टी. पी. मेनस्वीच 30×500	150.00
38.	सुवालका इले., भीलवाड़ा	मेनस्वीच 60 एम्पीयर 500 वाल्ट	605.00
39.	माहेश्वरी इले.,	कोयल 2 एम.एम. कोपर 3 कोर	246.50
40.	„ „	„ „	198.00
41.	तलेसरा इले., भीलवाड़ा	सीटी पिन कोर पी.वी.सी.	247.50
42.	„ „	कैण्डल लेम्प 25 वाट	40.00
		प्लेट होल्डर	46.80
43.	„ „	1/18 सी टी एस ट्वीनकोर	220.00
44.	पारस इले., भीलवाड़ा	स्क्रू वैल पट्टा प्लश टाइप	64.00
45.	तलेसरा इले., भीलवाड़ा	फ्लेक्सीबल वायर 3/76	99.00
46	माहेश्वरी इले., भीलवाड़ा	ब्रास होल्डर 1/2"	231.00
47.	सुवालका इले., भीलवाड़ा	60 एम्पीयर मेन स्वीच	250.00
48.	नैनावटी इन्जीनियरिंग भीलवाड़ा	पी.वी.सी. 3/22 कोयल	200.00
49.	„ „	3/20 पी.वी.सी. केबल	240.00
50.	माहेश्वरी इले., भीलवाड़ा	मैन स्वीच 32 एम्पीयर वायर	209.00
51.	„ „	वायर 2 एम एम लोन कोर	198.00
52.	नैनावटी इन्जीनियरिंग भीलवाड़ा	केबल कोर	168.00
53.	महेश्वरी इले.	मैन स्वीच 32 एच×650	150.00
		वायर 7/20	25.00
		आर.एस.टी.	17.50
54.	„ „	वायर 2-50 एम केबल	198.00
55.	नैनावटी इन्जीनियरिंग भीलवाड़ा	पी.वी.सी. वायर 3/22	200.00
56.	माहेश्वरी इले., भीलवाड़ा	वायर 7/20 कोपर	249 70
57.	पारस इले., भीलवाड़ा	2-5 एम.एम. अल्यूमिनियम जी.आई.	100.00
		क्लीप पेकेट	2.00
		वायर	22.00
		एल्यूमिनियम पी.वी.सी. तार	125.00
58.	नैनावटी इन्जीनिरिंग, भीलवाड़ा	पी.वी.सी. 3/22	200.00
59.	माहेश्वरी इले., भीलवाड़ा	मैन स्वीच 60/650	249.00
60.	„ „	वायर 7/20 कोपर	121.00
		चद्दर नट बोल्ट	30.00

1	2	3	4
		बोर्ड 12×18	11.00
		किटकिट 60×500	26.40
61.	नाहर केबल्स, जयपुर	पी वी सी वायर 23/76	192.00
62.	,, ,,	पी वी सी वायर 3/22	6800.00
		7/20 कोपर पी वी सी सिंगलकोर	1195.00
		3/22 ट्वीनकोर कोपर वायर	1790 00
63.	मेहता इले., भीलवाड़ा	फ्यूज गट्टे 16 एम्पीयर	180.00
		,,	1781.60
		मैनस्वीच के गट्टे	681.00
		मैनस्वीच राड के 60 एम	252.00
		मैनस्वीच राड कम्पलीट	132.00
		मैनस्वीच 30 एम	132.00
64.	शालीमार इले., भीलवाड़ा	ट्वीनकोर 3/22 पी वी सी	247.50
65.	,, ,,	,, ,,	247.50
66.	तलेसरा इले., भीलवाड़ा	मैनस्वीच 60×50	132.00
67.	,, ,,	69×50 मैन स्वीच	70.00
68.	,, ,,	स्टार्टर 40 वाट बजाज	232.00
69.	शालीमार इले., भीलवाड़ा	स्टार्टर 20 वाट फिलिप्स	250.00
70.	माहेश्वरी इले., भीलवाड़ा	चोक 125 वाट फिलिप्स	135.00
71.	,, ,,	स्टार्टर 20 वाट फिलिप्स	225.00
72.	,, ,,	चोक 40 वाट	237.60
73.	भीलवाड़ा स.उ. होलसेल भण्डार	चोक बजाज 40 वाट	3190.00
		स्टार्टर फिलिप्स	235.75
74.	शालीमार इले., भीलवाड़ा	चोक 40 वाट बजाज	249.60
75.	तलेसरा इले., भीलवाड़ा	250 वाट के जे एम पो ई टाइप मरकरी फिलिप्स मय कोपर ब्रान्ड चोक कंडेसर एवं वल्व सहित	13480.00
76.	महेश्वरी इले., भीलवाड़ा	चोक 40 वाट बजाज	248.00
77.	,, ,,	ट्यूब होल्डर बजाज	175.00
78.	भीलवाड़ा स.उ. होलसेल भण्डार	5 एचपी मोटर स्टार्टर डीएनवी	577.00
79.	पारस इले., भीलवाड़ा	ट्यूब रोड 4 फिट	250.00
80	पारस इले., भीलवाड़ा	स्टार्टर 20 वाट फिलिप्स	247.50

1	2	3	4
81.	नेनावटी इन्जीनियरिंग, भीलवाड़ा	डंडा 4 फिट फिलिप्स	2700.00
		डंडा 2 फिट फिलिप्स	2584.00
82.	माहेश्वरी इले., भीलवाड़ा,	ट्यूब होल्डर बजाज	225.00
83.	तलेसरा इले., भीलवाड़ा	ट्यूब डंडा 4 फिट	248.00
84.	,, ,,	,, ,,	248.00
85.	,, ,,	,, ,,	248.00
86.	,, ,,	,, 2 फिट का	240.00
87.	,, ,,	,, 4 फिट का	248.00
88.	चौधरी एन्टरप्राइजेज	,, ,,	248.00
89.	तलेसरा इले., भीलवाड़ा	,, ,,	248.00
90.	,, ,,	डंडा 2 फिट का	237.00
91.	पारस इले., भीलवाड़ा	डंडा 4 फिट का	250.00
92.	तलेसरा इले.,	डंडा 2 फिट का	237.00
93.	माहेश्वरी इले., भीलवाड़ा	ट्यूब होल्डर	187.50
94.	शालीमार इले., भीलवाड़ा	बल्ब 60 वाट	227.50
95.	चौधरी एन्टरप्राइजेज, भीलवाड़ा	ट्यूब लाइट 40 वाट कम्पलीट	249.00
96.	पारस इले., भीलवाड़ा	ट्यूब डंडा 2 फिट	250.00
97.	,, ,,	ट्यूब चोक 40 वाट	240.00
98.	,, ,,	,, ,,	240.00
99.	तलेसरा इले., भीलवाड़ा	ट्यूब डंडा 4 फिट का	1435.00
100.	पारस इले., भीलवाड़ा	ट्यूब डंडा 2 फिट का	1325.00
101.	माहेश्वरी इले., भीलवाड़ा	चौक 40 वाट फिलिप्स	220.00
102.	पारस इले., भीलवाड़ा	मरकरी चोक 250 एचपीएल	690.00
		मरकरी होल्डर	168.00
		मरकरी होल्डर	27.00
103.	,, ,,	स्टार्टर 20 वाट	250.00
104.	शालीमार इले., भीलवाड़ा	ट्यूब होल्डर	225.00
105.	,, ,,	चोक बजाज 40 वाट	248.00
106.	,, ,,	ट्यूब होल्डर बजाज	2830.00
107.	,, ,,	स्टार्टर 20 वाट	4380.00
108.	तलेसरा इले., भीलवाड़ा	ट्यूब डंडा 4 फिट 40 वाट	5800.00
109.	शालीमार इले., भीलवाड़ा	स्टार्टर फिलिप्स	1460.00

1	2	3	4
110.	मंहूम इलेक्ट्रिकल्स, भीलवाड़ा	ट्यूब डंडा 2 फिट	5580.00
111.	शालीमार इले., भीलवाड़ा	चोक 40 वाट	248.00
112.	,, ,,	,, ,,	248.00
113.	,, ,,	,, ,,	248.00
114.	पारस इले., भीलवाड़ा	,, ,,	248.00
115.	,, ,,	,, ,,	248.00
116.	,, ,,	,, ,,	248.00
117.	मेहता इले., भीलवाड़ा	चोक 40 वाट	248.00
118.	मै. सरोलिन इले., भीलवाड़ा	चोक 40 वाट कापर बाउण्ड ज्योति	8525.00
119.	भीलवाड़ा स.उ. होलसेल भण्डार	ट्यूब रोड 2 फिट बजाज	242.55
120.	,, ,,	ट्यूब रोड 4 फिट का	1350.00
121.	,, ,,	ट्यूब डंडा 2 फिट का	247.50
122.	,, ,,	4 फिट इलेक्ट्रान	4050.00
		2 ,, ,,	5200.00
123	पीको इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इले.	ट्यूब 4 फिट फिलिप्स फिक्सदर	60775.00
124.	महालक्ष्मी इले., भीलवाड़ा	कनक्शन प्लेट 5 एनपी	15.00
		रिले वेन सेट	80.10
125.	भीलवाड़ा स.उ. होलसेल भण्डार	ट्यूब लाइट पट्टी	24.00
126.	,, ,,	ट्यूब लाइट 2 फिट	226.00
127.	तलेसरा इले., भीलवाड़ा	काम्पटल का लेम्प	242.00
128.	,, ,,	डोंगडेंग बेल्ट	75.00
		स्वीच पलस टाइप	20.00
129.	अशोका इले., भीलवाड़ा	मेन स्वीच ग्लास	50.00
		गुटका ब्रास	12.00
		साइड की पत्ती	20.00
		60 एमपीयर	75.00
		60 एमपीयर	24.00
130.	,, ,,	ब्रास 30X500	60.00
		राड विद 30X500	300.00
		साइड प्लेट	20.00
		पुट आयल	5.00

(212)

1	2	3	4
		एस गेन	5.00
		हैण्डल भायरन	5.00
131.	नैनावटी इन्जीनियरिंग	एम सी बी लोडिस्टर 25 ए	200.00
132.	,, ,,	केबल ग्लेड	39.90
133.	माहेश्वरी इले., भीलवाड़ा	मेन स्वीच	244.20
134.	,, ,,	केबल 2.50 एम एम कोपर	198.00
135.	,, ,,	स्वीच 5 एएमपी	30.00
		प्लग विद स्वीच	30.00
		किट किट फ्यूज	30.00
		डीसी कटआउट	4.50
		कुबनेन	15.00
		टूपीन	9.00
		सिंगल एडप्टर	6.00
		बैंड स्वीच	24.00
		स्क्रू	12.96
		ट्यूब लाइट 20 वाट	60.00
		आर एस टी 10 प्रतिशत	22.14
136.	नैनावटी इन्जीनियरिंग, भीलवाड़ा	वोल्ट मीटर	75.00
		अमीटर	75.00
137.	माहेश्वरी इले., भीलवाड़ा	एल्यूमिनियम 25 एमएम कोर	120.00
138.	शालीमार इले., भीलवाड़ा	एवर डोंग डेंगबेल	132.00
		एवर गजर	36.00
		एवर मेग बेल	46.20
		फ्लश टाइप	33.00
139.	तलेसरा इले.	टेबल लेम्प फिलिप्स	121.00
140.	,, ,,	अमरजेन्सी लाइट	990.00
141.	नैनावटी इन्जीनियरिंग, भीलवाड़ा	मेगमेट 240 वाल्ट	58.00
142.	पारस इले., भीलवाड़ा	चोक्स बजाज	240.00
143.	शालीमार इले., भीलवाड़ा	,,	248.00
144.	,, ,,	मेन स्वीच 6 एमएमपी	249.70
145.	,, ,,	टी पी 60 एम्पीयर फ्यूज	99.00
		फ्यूज गटा	75.00
146.	तलेसरा इले., भीलवाड़ा	पावरपीन	5.50

1	2	3	4
147.	शालीमार इले., भीलवाड़ा	फ्लड लाइट 18"	250 00
148.	,, ,,	,, ,,	250.00
149.	,, ,,	लेम्प 200 वाट	42.00
		500 वाट	74.00
		7/18 पी वी सी	15.00
		पीनटोप	27.00
150.	,, ,,	1–1/7 फ्लेक्सीवल	9.00
		कोर	7 50
		60 एमएमपी कोटकोट	0.00
151.	तलेसरा इले., भीलवाड़ा	लेम्प 1000 वाट	64.95
152.	,, ,,	लेम्प 1000 वाट	64.95
		ब्रास होल्डर	12.00
153.	,, ,,	लेम्प 1000 वाट	64 95
		ब्रास होल्डर	12.00
154.	,, ,,	,, ,,	76.95
155.	भीलवाड़ा स.उ. होलसेल भण्डार	मरकरी चोक 125 वाट फिलिप्स	139.00
		वलकेट फिटिंग फेन्सी	16.50
		रंगीन लेम्प	5.75
		वायर 1/18 सी ग्राई एस	24.50
		जी ग्राई पाइप	20.00
156.	,, ,,	मरकरी चोक	139.00
		वायर 3/20 पी वी सी	106.00
157.	,, ,,	जक्सन बोक्स 4×4	16.30
		7×4	18.00
		6×4	19.00
		1–1/4"	14.00
158.	पारस इले., भीलवाड़ा	सर्विस लाइन वायर 3/22	220.00
159.	,, ,,	32 एम एम पी टी पी 500 वोल्ट	148.09
160.	भारत जनरल स्टोर	पेचकस	9.00
			203200.89

आयुक्त,
नगर परिषद् भीलवाड़ा।

(214)

परिशिष्ट 8

अतारांकित प्रश्न संख्या 62 की सूची

क्र.सं.	नाम जिला	भू-खण्ड आवंटित किये गये की संख्या
1.	अजमेर	1943
2.	अलवर	3785
3.	बांसवाड़ा	3000
4.	बाड़मेर	1527
5.	भरतपुर	5278
6.	भीलवाड़ा	2642
7.	बीकानेर	1213
8.	बून्दी	1238
9.	चित्तौड़गढ़	3854
10.	चूरू	5081
11.	डूंगरपुर	1317
12.	गंगानगर	8834
13.	जयपुर	4901
14.	जैसलमेर	1149
15.	जालौर	5421
16.	झालावाड़	3172
17.	झुन्झुनूं	331
18.	जोधपुर	1716
19.	कोटा	5364
20.	नागौर	6663
21.	पाली	3897
22.	सवाई माधोपुर	9351
23.	सीकर	1218
24.	सिरोही	1026
25.	टौंक	2245
26.	उदयपुर	11960
		92126